सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2011 - 2012

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार

वार्षिक प्रतिवेदन

2011 - 2012

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

500 प्रतियाँ

वार्षिक प्रतिवेदन

2011-2012

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	सूचना अधिकार आंकड़ों में	3
3	**अध्याय : 1** सूचना का अधिकार अधिनियम	**7**
4	**अध्याय : 2** उत्तराखण्ड सूचना आयोग	**13**
5	**अध्याय : 3** आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही	**51**
6	**अध्याय : 4** सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण	**57**
7	**अध्याय : 5** लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति	**73**
8	**अध्याय : 6** आयोग के अंगीकृत संकल्प	**87**
9	**अध्याय : 7** आयोग की संस्तुतियां	**105**
10	**अध्याय : 8** आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देश	**109**
11	**अध्याय : 9** आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / शिकायतों में आरोपित शास्तियां तथा अंकित आदेशों का सार	**127**
12	**अध्याय : 10** आयोग द्वारा धारा 25 के अंतर्गत की गयी अनुश्रवणात्मक कार्यवाही	**169**
13	**अध्याय : 11** आयोग द्वारा की गयी समीक्षा बैठकें	**177**
14	**अध्याय : 12** वर्ष 2011 – 12 में आयोग को प्राप्त बजट	**281**

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को अधिकार सम्पन्न बनाना, सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को कम करना तथा लोकतंत्र को सही अर्थों में लोगों के हित में काम करने में सक्षम बनाना है. एक प्रबुद्ध नागरिक वर्ग शासन – तंत्र पर आवश्यक निगरानी रखने तथा शासन को शासित के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने में सक्षम होता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम किसी भी नागरिक को सरकार अथवा किसी लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है. यह संवाद की स्वंतत्रता, प्रैस की स्वतंत्रता एवं विचारों की स्वतंत्रता से बिलकुल ही भिन्न धारणा है. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को इस उद्देश्य से लागू किया गया है जिससे सामान्य नागरिकों को लोक प्राधिकारियों द्वारा धारित सूचना तक पहुंच उपलब्ध हो सके तथा सभी लोक प्राधिकारियों के कार्यों में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ाया जा सके.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2011 – 12 के लिए यह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है.

इससे पूर्व उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा प्रथम (वर्ष 2005–06), द्वितीय (वर्ष 2006–07), तृतीय (वर्ष 2007–08), चतुर्थ (वर्ष 2008–09), पंचम (वर्ष 2009–10) तथा षष्टम् (वर्ष 2010–11) के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं जिनमें से राज्य सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वार्षिक प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है. आयोग के वर्ष 2008–09, वर्ष 2009–10 तथा वर्ष 2010–11 के वार्षिक प्रतिवेदनों को अभी राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाना अवशेष है.

आयोग द्वारा पूर्व में तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदनों की तरह ही यह वार्षिक प्रतिवेदन भी मुख्य रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(2) में वर्णित लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को नियमानुसार क्रियान्वित करने की स्थिति पर केंद्रित है. इसके साथ – साथ विभिन्न विवरणियों का श्रेणीबद्ध विश्लेषण, जैसे लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्र; प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त विभागीय अपीलें; विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों को आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि; धारा 19(3) के अंतर्गत आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण; आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों आदि से सम्बन्धित विवरण भी इस प्रतिवेदन में उपलब्ध कराये गये हैं. इस वार्षिक प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड सूचना आयोग से सम्बन्धित गतिविधियों तथा प्राप्त बजट एवं व्यय का विवरण भी दिया गया है

अपने सात वर्षों के क्रियान्वयन की अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम ने एक ऐसी प्रणाली सृजित करने में सहायता प्रदान की है जिसके माध्यम से नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में

उपलब्ध सूचना तक पहुंच सुलभ हुयी है. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने सरकार में व्याप्त कार्यप्रणाली की गोपनीयता की संस्कृति को खुलेपन एवं पारदर्शिता की संस्कृति में परिवर्तित कर दिया है.

वर्ष 2011 – 12 में आयोग द्वारा कुल 3365 द्वितीय अपीलों तथा 2183 शिकायतों पर सुनवाई की गयी जिसमें से क्रमशः 2881 अपीलों तथा 1976 शिकायतों का आयोग स्तर से निस्तारण किया गया. इसी अवधि में प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को कुल 69088 सूचना अनुरोध पत्र प्राप्त हुये जिसमें से उनके द्वारा कुल 67184 प्रकरणों का निस्तारण किया गया.

ग्रामीण क्षेत्रों से अधिनियम का उपयोग अभी भी बहुत कम परिलक्षित हो रहा है तथा इन क्षेत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार – प्रसार के लिए राज्य सरकार के स्तर समुचित प्रयास किये जाने अति आवश्यक हैं, जिससे राज्य की अधिक से अधिक ग्रामीण जनसंख्या इस अधिनियम का उपयोग लोकहित में कर सकें.

आयोग के पूर्व वार्षिक प्रतिवेदनों की भांति ही इस वार्षिक प्रतिवेदन में भी आयोग द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही हेतु संस्तुतियां की गयी हैं. मैं आशा करता हूं कि इस प्रतिवेदन में अंतर्निहित संस्तुतियों को परीक्षणोपरांत राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल के पटल में इन पर अपनी कृत कार्यवाहियों के साथ प्रस्तुत करेगी.

प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सफलता से किय्रान्वित कराने में तथा जनसामान्य में अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं अधिनियम के प्राविधानों का सही प्रकार से उपयोग करने के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा अथक प्रयास किये जाते रहे हैं तथा इस हेतु सभी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुये सराहनीय कार्य किया गया है.

मैं इस अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार तथा विशेष रूप से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को सूचना का अधिकार अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आयोग को समय समय पर प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं.

इस वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के अधिकारियों, विशेष रूप से श्री राजेश नैथानी, जन संपर्क अधिकारी, द्वारा जो विशेष प्रयास किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना अधिकार आंकड़ों में

1	कुल लोक प्राधिकारी इकाईयां	212
2	कुल सहायक लोक सूचना अधिकारी	642
3	कुल लोक सूचना अधिकारी	9421
4	कुल प्रथम अपीलीय अधिकारी	1092

(स्रोतः लोक सूचना अधिकारियों की निर्देशिका, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, वर्ष 2007–08)

वर्ष 2011 – 12

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या				69,088*
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या				67,184*
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या				5,798*
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या				5,580*
5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*				
	विद्यालयी शिक्षा	**राजस्व**	**गृह**	**आवास**	**वित्त**
	11196	11074	7184	5617	3260
4	**द्वितीय अपील**				
	कुल द्वितीय अपीलों पर सुनवाई		कुल निस्तारण		
	3365		2881		
5	**शिकायत**				
	कुल शिकायतों पर सुनवाई		कुल निस्तारण		
	2183		1976		
6	आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षति पूर्तियों की संख्या				(207) 137 शास्ति 70 क्षतिपूर्ति
7	आरोपित शास्तियों / क्षति पूर्तियों की धनराशि (रु.)				2,40,500
8	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या				7

(प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल भावना में भारत के संविधान के अनुच्छेद : 19(1) एवं संयुक्त राष्ट्र (United Nations) द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) में इंगित सार तत्व सन्निहित है.

इस अधिनियम को अंगीकृत कर भारत विश्व के उन 55 राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है जहां सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है. उक्त 55 राष्ट्रों में से अधिकांश पाश्चात्य और आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं. भारत उन कुछ विकासशील राष्ट्रों में से एक है जहां ऐसा अधिनियम बनाया गया है.

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 लोक सभा में दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विधेयक कतिपय संशोधनों के उपरान्त दिनांक 11 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक दिनांक 12 मई, 2005 को पारित किया गया. महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इस अधिनियम को 15 जून, 2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के दिनांक से 120वें दिन अर्थात 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में है.

सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लोक प्राधिकारियों (Public Authorities) की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं जबाबदेही सुनिश्चित करना है. "लोक प्राधिकारी" की परिभाषा में सभी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतें, तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किसी न किसी रूप में वित्त–पोषित हैं.

सूचना का अधिकार नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकार सम्पन्न करता है तथा कतिपय अपवादों को छोड़ कर लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का प्राविधान करता है. नागरिकों को जो सूचना देय है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है. इस प्रकार यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सशक्त अधिकार से लैस करता है ताकि सरकारों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनी रहे.

सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से, नागरिकों की जो पहुंच लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में सूचना तक सुनिश्चित की गई है, उसे धरातल पर सुलभ कराने के लिए एक ''व्यावहारिक शासन पद्धति'' (Practical Regime) को इस अधिनियम के रूप में उपलब्ध कराया गया है.

सूचना का अधिकार कानून क्या है ?

अधिनियम में सूचना का अधिकार की निम्नलिखित प्रस्तावना (Preamble) दी गयी है :

''प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम''.

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत :

- ✓ भारत के किसी भी नागरिक द्वारा अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक संस्थाओं, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों, संस्थाओं, निगमों, निकायों तथा पूर्ण/आंशिक रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त की जा सकती है.

- ✓ इन संवैधानिक संस्थाओं, विभागों / सरकारी संस्थाओं / निकायों द्वारा अपने कार्यालयों में अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने अनिवार्य हैं.

- ✓ भारतीय नागरिक सरकारी निर्माण कार्य और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं, सरकारी अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं तथा कार्य में प्रयोग की गयी सामग्री का नमूना भी प्राप्त कर सकते हैं.

- ✓ उत्तराखण्ड राज्य में इस अधिनियम के अंतर्गत संबंधित लोक सूचना अधिकारी से रु. 10 मात्र के शुल्क सहित लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त की जा सकती है. शुल्क का भुगतान नकद, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, चैक, गैर न्यायिक स्टॉम्प, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है. बी.पी.एल. कार्ड धारक को सूचना प्राप्ति के लिए कोई फीस नहीं देनी है.

- ✓ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध करायी जानी है. 30 दिन की अवधि में सूचना प्राप्त न होने अथवा अपूर्ण प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील की जा सकती है. 30 दिन की अवधि में विभागीय अपील का निस्तारण न होने अथवा अपूर्ण / अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है. विभाग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त न करने पर अथवा अपूर्ण / भ्रामक सूचना देने पर राज्य सूचना आयोग में शिकायत की जा सकती है.

- ✓ जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बंधित सूचना 48 घण्टे के अन्दर दिये जाने का प्राविधान है.

लोक प्राधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (परिभाषायें) के अंतर्गत अधिनियम में **'लोक प्राधिकारी'** से ***(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन; (ख) संसद द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है;*** और इसके अंतर्गत (i) कोई ऐसा निकाय जो केंदीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है; (ii) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है, सम्मिलित है.

उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी 29 जुलाई 2005 के शासनादेश द्वारा

(i) सचिवालय में शासन के समस्त विभागों,
(ii) शासन के समस्त निदेशालयों,
(iii) निदेशालयों के मुख्यालयों,
(iv) मण्डल स्तरीय सभी कार्यालयों,
(v) जनपद स्तरीय सभी कार्यालयों,
(vi) सब डिविजन स्तरीय सभी कार्यालयों,
(vii) विकास खण्ड स्तरीय सभी कार्यालयों,
(viii) सभी सार्वजनिक निगमों, परिषदों, प्राधिकरणों, संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा अन्य निकायों,
(ix) शहरी क्षेत्रों की समस्त नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर निगम,
(x) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों, तथा

(xi) ऐसी सभी गैर सरकारी संस्थाओं को, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्त पोषित हैं, को लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है (शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29/07/05).

इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय भी लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित होते हैं.

शासनादेश संख्या 177/XXII/2005; 29/07/05 को उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 के साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होगा कि सभी प्रमुख सचिव या सचिव, जिस विभाग / जिन विभागों के वे प्रशासनिक मुखिया हैं, वे इन लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी हैं. उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 तथा शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2005 के अनुसार विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत सभी लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित कर उनसे अपेक्षा करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व हैं, उनका अनुपालन करें. लोक प्राधिकारियों के प्रख्यापित करने में विलम्ब से सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण 'स्टेक होल्डर' वे विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष भी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से बतौर लोक प्राधिकारी चिन्हांकित किया गया है तथा जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी माना गया है.

लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी

प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन किया जायेगा. यह लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के समस्त प्रशासनिक इकाईयों तथा कार्यालयों के लिए अलग–अलग नामित किये जाने हैं. लोक सूचना अधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जिसे लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो.

लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की संख्या तथा उन्हें किस स्तर तक नामित किया जाये, इसका निर्धारण करते समय जन सामान्य की सुविधा का भी ध्यान रखा जायेगा.

ऐसी गैर सरकारी संस्थाऐं, जिन्हें लोक प्राधिकारी के रूप में चिन्हित किया गया है, वे भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करेंगे.

अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर इतनी संख्या में सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये जायेंगे जिससे प्रार्थना पत्र / अपीलों को प्रस्तुत करने में जन सामान्य को कोई कठिनाई न हो.

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी को भी नामित किया जायेगा जो नामित लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का कोई अधिकारी होगा.

लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, संदर्भों, शिकायतों तथा अपीलों को सामान्य पत्राचार के रूप में व्यवहृत न कर इनके विवरण, संबंधित लोक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, अलग पंजिका में इस प्रकार से रखे जायेंगे जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित किसी भी पत्राचार की प्राप्ति अथवा उसके निस्तारण संबंधी सूचना तात्कालिक रूप से उपलब्ध हो सके तथा अन्य श्रोतों से मांगे जाने पर संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जा सके.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अध्याय : 2

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253/XXII/2005–1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा किया गया था जिसके क्रम में राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डा. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252/XXII/2005–1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा की गयी थी. इसके उपरांत राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780/XXX(13)G/2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था.

आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर. एस. टोलिया दिनांक 17/10/10 को सेवानिवृत्त हुये, जिसके उपरांत दिनांक 19/10/10 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया. (अधिसूचना संख्या 933/XXXI (13)G/2009–सू.अ.–52(5)207). दिनांक 19/10/10 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या 934/XXXI (13)G/2009–सू.अ.–52(5)207 तथा अधिसूचना संख्या 935/XXXI (13)G/2009–सू.अ.–52(5)207). इस प्रकार वर्ष 2011–12 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों पर सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त श्री एन. एस. नपलच्याल एवं राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा तथा राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रभात डबराल द्वारा की गयी.

राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थायें

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति जारी करके एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा यथा आवश्यक अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं. इन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी. इस समिति के अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होंगे तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा मुख्य मंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे.

- अधिनियम की धारा 15 (5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त वही व्यक्ति नियुक्त किये जा सकेंगे जो सार्वजनिक जीवन में जानेमाने व्यक्ति हों तथा उन्हें कानून, विज्ञान व टेक्नॉलाजी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान व अनुभव हो. इन्हें न तो सांसद होना चाहिए और न ही किसी राज्य की विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिये. उन्हें किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी भी नही होना चाहिये. इन्हें किसी व्यापार या व्यवसाय में भी नहीं लिप्त होना चाहिये.

- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों को महामहिम श्री राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी.

- राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल को संबोधित इस्तीफा देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं.

- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें व भत्ते भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त के समान होंगें तथा राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें व भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान होंगें. इस वेतन, भत्ते में से पिछली सेवा के

पेंशन लाभों को घटा दिया जायेगा. इनके सेवा काल में वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्य करने के लिये आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी.
- उत्तराखण्ड सूचना आयोग का कार्यालय वर्तमान में सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर,देहरादून से संचालित हो रहा है.

आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

शिकायतों पर कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन आयोग किसी भी नागरिक को सूचना न मिलने, मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने, अनुचित फीस मांगने, अभिलेख उपलब्ध न कराने अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में कर सकता है. ऐसी जांचों के संबंध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गयी है :

- किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, और उन्हें उपस्थित कराना, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना
- दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना
- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना
- कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये.

आयोग स्तर पर द्वितीय अपील का निस्तारण

लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है, को विनिश्चिय के 30 दिन के भीतर की जा सकती है. प्रथम अपील के विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर की जा सकेगी. द्वितीय अपील में अपने विनिश्चय के संबंध में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :

- लोक प्राधिकारियों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों.
- सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है.
- लोक प्राधिकारियों में यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना.

- लोक प्राधिकारी के यहां अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनिष्टीकरण से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना.

- अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना.

- लोक प्राधिकारी से शिकायकर्ता को, उसके द्वारा वहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना.

- अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों मे से कोई शास्ति अधिरोपित करना

द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा.

शास्ति

अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत आयोग यदि किसी शिकायत या अपील के विनिश्चय करते समय पाता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी. परंतु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा. अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन आयोग ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है.

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 25 में सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में लोक प्राधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अधिकार प्रदान किये गये हैं. इनमें मुख्यतः –

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचनाओं को एकत्रित कराना जो इस अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है.

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को आयोग को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा.

- सूचना आयोग ऐसे सुधार के लिए सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं.

- यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हैं तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो ऐसी अनुरूपता बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा.

वार्षिक प्रतिवेदन

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधान के क्रम में प्रत्येक वर्ष अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट /प्रतिवेदन तैयार कर किया जाता है तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को *प्रेषित की जाती हैं. अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर रखा जाता है.*

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा अपने – अपने लोक प्राधिकारियों के संबंध में आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 25(2) के क्रम में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के स्वः प्रकटीकरण के प्राविधान के अंतर्गत तैयार उत्तराखण्ड सूचना आयोग का मैनुअल

सूचना का
अधिकार

वर्ष 2011–12

मैनुअल संख्या : 1 [धारा 4(1)(ख)(i)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

1. उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन, उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253/XXII/2005–1 (20) 2005 दिनांक 3 अक्टूवर, 2005 द्वारा किया गया है.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डा0 आर0 एस0 टोलिया की नियुक्ति उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252 XXII/2005–1 (20) 2005 दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 द्वारा की गयी.

3. इसके उपरांत राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780/XXX(13)G/2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था.

   आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर. एस. टोलिया अपने कार्यकाल के पांच वर्षों को पूर्ण कर दिनांक 17/10/10 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19/10/10 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया. दिनांक 19/10/10 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी.

4. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के संरचनात्मक ढांचे के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रस्तर –15 अध्याय 4 में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 204/XXII/2005 दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के द्वारा निम्नलिखित अस्थाई पदों का सृजन किया गया. जिन्हे शासनादेश सं0 13/xxxi(13)/2005 दिनॉक 18 जनवरी 2010 के द्वारा स्थाई किया गया. इसके अतिरिक्त शासनादेश सं0 694 दि0 25.2.10 तथा शासनादेश सं. 280 दि0 1.3.2011 के द्वारा सृजित अस्थाई पदों को सम्मिलित करते हुये आयोग हेतु कुल स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नवत है।

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	सचिव	01 पद	भारतीय प्रशासनिक सेवा/ प्रान्तीय सेवा के अधिकारी
2.	उप सचिव	01 पद	15600–39100
3.	विधि अधिकारी	01 पद	आउट सोर्सिंग
4.	जन सम्पर्क अधिकारी	01 पद	9300–34800
5	लेखाकार	01 पद	9300–34800
6.	समीक्षा अधिकारी	02 पद	9300–34800
7	सहायक समीक्षा अधिकारी	04 पद	5200–20200
8.	निजी सचिव सह कन्सोल आपरेटर	04 पद	9300–34800
9.	वैयक्तिक सहायक	02 पद	9300–34800
10.	आशुलिपिक/सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	07 पद	5200–20200 (03 पद उपनल द्वारा)
11.	कम्प्यूटर आपरेटर	04 पद	उपनल द्वारा
12	चालक	06 पद	उपनल द्वारा
13.	अनुसेवक	09 पद	उपनल द्वारा
14.	सुरक्षा गार्ड	04 पद	उपनल द्वारा

उपरोक्त पदों के सापेक्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय विभागों तथा उपनल, देहरादून के माध्यम से की गई है.

5. उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश संख्या 307 / XXII / 2005–1 (20) 2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 के द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थापित किया गया जिसका कार्यालय वर्तमान में देहरादून में किराये के भवन में स्थित है.

कृत्य और कर्तव्य :

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत जन सामान्य सूचना के अनुरोध पर प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करना.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के अन्तर्गत आयोग में लोक प्राधिकारी स्तर से नियुक्त अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय पर द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं आदेश देना.

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अन्तर्गत किसी शिकायत अथवा अपील का विनिश्चय करते समय लोक प्राधिकारियों के विरूद्ध दण्ड आरोपित करना एवं उनके विरूद्ध यथा स्थिति अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करना.

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (1) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबंधें के कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा

5. लोक प्राधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (5) के निहित शक्तियों के अधीन, अधिनियम की भावना के अनुकूल कार्य करने की अपेक्षा करना एवं उन्हें इस संबंध में विनिर्दिष्ट करना.

मैनुअल संख्या : 2 [धारा 4(1)(ख)(ii)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

क्र.स.	पदनाम	शक्तियां और कर्तव्य
1.	मुख्य सूचना आयुक्त	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के कार्यो का सामान्य प्रशासन एवं नियंत्रण. उत्तराखण्ड सूचना आयोग में स्वीकृत श्रेणी 'ग' एवं 'घ' के पदों पर नियुक्ति का पूर्ण अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना में प्राप्त होने वाले अपीलों तथा शिकायतों का प्रबंधन तथा उन पर निर्णय लेते हुये आदेश देना. (अधिनियम की धारा 18 एवं 19) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराना तथा उसे विधान सभा के पटल पर रखने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करना . (धारा 25)
2	राज्य सूचना आयुक्त	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना में प्राप्त होने वाले अपीलों तथा शिकायतों का प्रबंधन तथा उन पर निर्णय लेते हुये आदेश देना. (अधिनियम की धारा 18 एवं 19)
3.	सचिव	उत्तराखण्ड सूचना आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण. मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देश पर आयोग के महत्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित कराना. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा जारी किये गये निर्देशों को राज्य के लोक प्राधिकारियों को जारी करना. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रबंधन के लिये समय –समय पर राज्य सरकार से पत्राचार तथा विचार विमर्श करना.

		मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा आयोग को प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों पर लिये गये निर्णयों को रजिस्ट्रार के रूप में वादी तथा प्रतिवादी हेतु निर्गत करना. लोक प्राधिकारियों के साथ अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समीक्षा बैठकें आयोजित करना.
4	उप सचिव	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रबंधन के लिये राज्य सरकार से प्राप्त बजट की धनराशि का आहरण–वितरण करना. उत्तराखण्ड सूचना आयोग हेतु वार्षिक बजट तैयार कराना एवं नोडल विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन) के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित कराना. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आयोग के विभागीय अपीलीय अधिकारी का कार्य करना. आयोग में प्राप्त होने वाले पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन एवं सुझाव देना. मुख्य सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्तों तथा सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन कराना. राज्य के लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से जांच करने के उपरान्त आयोग स्तर से अनुमोदित कराने की कार्यवाही करना
5	विधि अधिकारी	आयोग को प्राप्त होने वाली अपील एव शिकायतों की जॉच। अपीलों एवं शिकायतों को जॉच उपरान्त तैयार कर मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत करना। विधि विषयक कार्यो का सम्पादन। अन्य कार्य।
6	निजी सचिव सह कन्सोल आपरेटर	मुख्य सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्त के निजी सचिव के कार्य

7	जन सम्पर्क अधिकारी	मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये समस्त कार्य. आयोग की वैबसाईट तथा एम.आई.एस. डाटा को अद्यावधिक रखना आयोग के डाटा सर्वर को maintain करना मोबाईल वीडियो कान्फ्रेंसिंग सत्रों से संबंधित कार्य पूर्ण करना आयोग के प्रकाशनों पर स्वीकृति एवं अन्य कार्यवाही. मासिक प्रगति विवरण तैयार करना
8	समीक्षा अधिकारी	द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की वाद सूची तैयार करना. द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की मिसलबंद पंजिका एवं न्यायालय पंजिकाओं को अधुनान्त करना. मुख्य सूचना आयुक्त/सचिव/उपसचिव द्वारा दिये गये कार्य. शिकायत/अपील से संबंधित पत्रावलियों का रख–रखाव
9	सहायक समीक्षा अधिकारी	द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के नोटिस तैयार करना. लोक प्राधिकारियों से प्राप्त मैनुअलों की समीक्षा में समीक्षा अधिकारी का सहयोग करना.
10	आशुलिपिक /सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	अपीलों की सुनवाई पर श्रुतलेख लेना तथा उनका प्रेषण सुनिश्चित करना। सचिव/उपसचिव द्वारा दिये गये कार्य.
11	लेखाकार	बिलों को तैयार कर कोषागार से भुगतान की कार्यवाही आयोग में लेखा संबंधी समस्त कार्य. बजट सम्बन्धी कार्य का पर्यवेक्षण. समस्त वैयक्तिक पत्रावलियों, सर्विस बुकों का रख–रखाव एव सचिव के निर्देशन में कार्य करना. आयकर पत्रावली का रख–रखाव. प्राप्त शुल्क को राजकोष में जमा करना. अधिष्ठान संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण. आयोग के लोक सूचना अधिकारी के कर्त्वच्यों / दायित्वों का पालन
12	कम्प्यूटर आपरेटर	कम्प्यटूर टंकण / डाक प्राप्ति / डाक प्रेषण सम्बन्धी कार्य
13	चालक	वाहन चलाना तथा वाहन का रख –रखाव
14	अनुसेवक	कार्यालय में अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार कार्य करना.

मैनुअल संख्या : 3 [धारा 4(1)(ख)(iii)]

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है.

1. वर्तमान में उत्तराखण्ड सूचना आयोग चार सदस्यीय आयोग है अतः समस्त प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों का निस्तारण आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं तीन राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 8969 दिनांक 25/10/10 के द्वारा किये गये विभागवार कार्य विभाजन के अंतर्गत किया जाता है. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा 18(1) के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों पर सम्बन्धित पक्ष को नोटिस भेजने का कार्य उत्तराखण्ड सूचना आयोग के उपसचिव द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किया जाता है.

2. सर्वप्रथम नोटिस के द्वारा सम्बन्धित लोक प्राधिकारी से उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत/अपील की प्रति भेजते हुये 2/3 सप्ताह के भीतर शिकायत तथा अपील पर उनके आख्या प्राप्त की जाती है तथा इसी अवधि में सम्बन्धित लोक प्राधिकारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यदि वे अगली सुनवाई की तिथि से पूर्व शिकायतकर्ता/अपीलार्थी को अपने स्तर से सूचना दे सकते हैं तो सूचना उनके उपलब्ध कराते हुये आयोग को भी अवगत करायें.

3. अपील/शिकायतों की सुनवाई हेतु यह बाध्यता नहीं रखी गई है कि शिकायतकर्ता/अपीलार्थी आयोग में सुनवाई के लिये स्वयं उपस्थित हों. आयोग में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर सम्बन्धित लोक प्राधिकारी स्तर से जो आख्या प्राप्त की जाती है उसे लोक प्राधिकारी स्तर से आयोग के नोटिस के उपरान्त आयोग स्तर से सीधे शिकायतकर्ता/अपीलर्थी को उपलब्ध करा दी जाती है. उससे सन्तुष्ट न होने पर शिकायत/अपील की द्वितीय, तृतीय तिथि आदि की आवश्यकता अनुसार निश्चित की जाती है. आयोग द्वारा शिकायतों एवं अपील में पारित अन्तरिम एवं अंतिम आदेशों की प्रतियां यथा संभव उसी दिन अथवा उसके अगले दिन सम्बन्धित पक्ष को भेज दी जाती है.

4. यदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) में नोटिस जारी होने के पश्चात शिकायतकर्ता की शिकायत का निदान लोक प्राधिकारी स्तर से नहीं कर दिया जाता है तो उक्त शिकायत की अग्रिम जांच हेतु अधिनियम की धारा 18(2) में पुनः सम्बन्धित पक्ष को नोटिस जारी कर दिया जाता है तथा शिकायत पर अधिनियम में दी गयी 18(2 की प्रक्रियाओं के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाती है.

5. अपीलों सुनवाई प्रक्रिया में उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 305/XXII/2005–9 (33) 2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 द्वारा प्रख्यापित नियमावली–'राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005', के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाती है.

क्र. स.	आयोग के कार्यो का विवरण	निर्णय लेने की प्रक्रिया आयो स्तर पर	प्रक्रिया हेतु उत्तरदायी अधिकारी
1.	धारा 18 के अन्तर्गत शिकायत	स्तर 1. सम्बन्धित लोक प्राधिकारी से 2/3 सप्ताह के भीतर शिकायत पर आख्या प्राप्त करना. स्तर 2. प्राप्त आख्या का विश्लेषण एवं अग्रेतर कार्यवाही. स्तर 3. आख्या संतोषजनक न होने पर धारा 18 (2) में अग्रेतर जांच. स्तर 4. जांच में साक्ष्य का विश्लेषण एवं अन्तिम आदेश पारित करना,	स्तर 1. सचिव सूचना आयोग द्वारा सम्बन्धित पक्ष को नोटिस भेजकर आख्या प्राप्त करना. स्तर 2. सचिव द्वारा धारा 18(2) का नोटिस सम्बन्धित पक्षों को निर्गत कराना. स्तर 3. सचिव द्वारा पारित आदेश को संबंधित को भेजना.
2.	धारा 19(3) के अन्तर्गत अपील	स्तर 1. सम्बन्धित पक्ष को नोटिस भेजकर 2/3 सप्ताह के अन्दर उनसे आख्या प्राप्त करना. स्तर 2. लोक प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि के साथ प्रारम्भिक सुनवाई . यदि आवश्यक हुआ तो अंतरिम आदेश पारित करना. स्तर 3. प्राप्त साक्ष्य एवं अभिलेखों के निरीक्षण उपरांत अंतिम आदेश पारित करना.	स्तर 1. सचिव, सूचना आयोग द्वारा नोटिस भेजना. स्तर 2. सचिव, सूचना आयोग द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को सम्बन्धित पक्ष को निर्गत करना. स्तर 3. सचिव, सूचना आयोग द्वारा पारित पारित अंतरिम आदेशों को सम्बन्धित पक्ष को निर्गत करना.
3.	धारा 25(3) के अन्तर्गत वार्षिक प्रगति तैयार करना	स्तर 1. प्रत्येक लोक प्राधिकारी से उनके शासन/निदेशालय स्तर के लोक प्राधिकारी से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक प्रतिवेदन प्राप्त करना. स्तर 2. उक्त प्राप्त मासिक प्रतिवेदनों के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना.	स्तर 1. सचिव द्वारा ऐसे लोक प्राधिकारियों को चिन्हित करना, जिनसे मासिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ एवं उन्हें स्मरण कराना. स्तर 2. सचिव द्वारा नोडल विभाग के माध्यम से राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु उपलब्ध कराना.
4.	आयोग का सामान्य प्रशासन		सचिव, उप सचिव द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों के सम्यक संपादन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के विभिन्न सूचना आयुक्तों के मध्य निम्नवत् कार्य विभाजन किया जाता है :

1. **श्री विनोद नौटियाल, सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

लोक निर्माण	पर्यटन	उद्योग
सूचना प्रौद्योगिकी	बायो टैकनोलाजी	नगर विकास
नागरिक उड्डयन	ऊर्जा	सिंचाई
अपारम्परिक ऊर्जा	परिवहन	पेयजल
आवास चीनी उद्योग	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
सूचना	नियोजन	

श्री विनोद नौटियाल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

2. **श्री अनिल कुमार शर्मा, सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

वन एवं पर्यावरण	ग्राम्य विकास	पंचायती राज
ग्रामीण अभियंत्रण	लघु सिंचाई	जलागम प्रबंध
कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा	सहकारिता	गन्ना विकास
मतस्य पालन	पशुपालन	दुग्ध विकास
न्याय / विधायी	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	रेशम

श्री अनिल कुमार शर्मा उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

3. श्री प्रभात डबराल, सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

उच्च शिक्षा	विद्यालयी एवं माध्यमिक शिक्षा	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्कृत शिक्षा	संस्कृति	खेलकूद
युवा कल्याण	धर्मस्व	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	आयुष	चिकित्सा शिक्षा
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	समाज कल्याण	सैनिक कल्याण
अल्प संख्यक कल्याण	विकलांग कल्याण	पिछड़ा वर्ग
अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	श्रम एवं सेवायोजन	

श्री प्रभात डबराल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं,परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

4. मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा उपरोक्त को छोड़कर अन्य समस्त विभागों तथा उत्तराखण्ड सचिवालय के सभी विभागों तथा सक्षम प्राधिकारियों (उच्च न्यायालय, विधान सभा) के संबंध में उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण किया जायेगा.

उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

ह0

(एन. एस. नपलच्याल)

मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 8986 / उ.सू.आ. / 2010 दिनांक : 25 अक्टूबर, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विनोद नौटियाल, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
3. श्री प्रभात डबराल, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
4. निबंधक / उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
5. निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
6. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
7. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

ह0

उप सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

मैनुअल संख्या : 4 [धारा 4(1)(ख)(iv)]

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

1. यद्यपि आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा कोई मापमान निश्चित नहीं किये गये है, परन्तु आयोग के प्रशासनिक एवं अन्य कार्यो को तीव्र गति से सम्पादित करने हेतु समय–समय पर बैठकें आयोजित कर दिशा निर्देश दिये जाते है.

2. आयोग अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को संकल्पों के माध्यम से क्रियान्वित करता है.

3. वर्तमान में चार सदस्यीय आयोग द्वारा अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई सप्ताह में प्रति सोमवार से शुक्रवार तक की तिथियों में की जा रही हैं तथा सुनवायी हेतु जो शिकायतों एवं अपील पर जो तिथियां दी जाती हैं, उनकी सूची सुनवाई की तिथि से दो दिन पूर्व आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जाती है.

4. आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई की तिथिवार सूचना (cause list) आयोग की वेबसाईट http://uic.gov.in में भी अपलोड तथा निरंतर अद्यावधिक की जाती है जिसे आयोग की वेबसाई में कभी भी देखा जा सकता है, अथवा उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है.

मैनुअल संख्या : 5 [धारा 4(1)(ख)(V)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये जा रहे है नियम, विनियम, निर्देशिका का ब्यौराः

क्रम संख्या	शासनादेश संख्या	संक्षिप्त विवरण
1.	भारत का राजपत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2004 / 21	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
2.	266 / xxii / 2005–9 (31) 2005 दिनांक 13 अक्टूबर, 2005	अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अर्न्तगत फीस एवं विनियम, 2005
3.	165 / XXXII (13)G-2 (2) / 2006 / दिनांक 31 मार्च, 2006	अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख)
4.	1 / XXII(7) / 2005 –9	आवेदन शुल्क हेतु प्रपत्र 385 का निर्धारण
5.	305 / XXII / 2005–9 (33)2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005	राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005
6.	146 / सू0 / XXVI (13)G- / 2006 दिनांक 22 मार्च 2006	सूचना के अनुरोधों पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश
7.	सं0 2150 / उ .सू.आ. / दिनाक 24.08.2006	जन सामान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की पहुँच
8.	65 / उ.सू.आ. / मु.सु.आ. / 2005 दिनांक 06.12.2005	अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत स्वतः प्रकटीकरण

मैनुअल संख्या : 6 [धारा 4(1)(ख)(vi)]

ऐसे दस्तावेजों के, जो उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण.

क्र.स.	प्रवर्ग	दस्तावेज अभिलेख
1.	शिकायत (सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) तथा 18(2) के अधीन).	1. मिसिलबन्द पंजिका. 2. केस डायरी 18(1). 3. केस डायरी 18(2). 4. शिकायतों की पृथक–पृथक पत्रावलियां
2.	अपील (सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन).	1. मिसिलबन्द पंजिका 2. केस डायरी 19(3). 3. अपीलों की पृथक–पृथक पत्रावलियां
3.	लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.	1. अनुरोधों के पंजीकरण की पंजिका. 2. विभागीय स्तर पर अपील के अनुरोधों के पंजीकरण की पंजिका. 3. अनुरोधों के अग्रसारण की पत्रावली.
4.	प्रशासनिक	1. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देश पत्रावली. 2. सचिव द्वारा दिये गये निर्देश पत्रावली 3. नोडल विभाग से पत्र व्यवहार पत्रावली. 4. आयोग की विभागीय बैंठकों कार्यवृत्त पंजिका. 5. शासन के प्रत्येक विभाग से पत्र व्यवहार सम्बंधी पृथक–पृथक पत्रावली.
5.	स्थापना	1. आयोग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां. 2. आयोग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका. 3. स्थापना सम्बन्धी पत्रावलियां.
6.	लेखा	1. कैश बुक. 2. कोषागार चैक पंजिका 3. भुगतान पंजिका. 4. प्रसांगिक व्यय सम्बन्धी पंजिका. 5. इलेविन–सी पंजिका. 6. वेतन बिल पंजिका. 7. स्टाक बुक पंजिका. 8. कोषागार पंजिका. 9. सामान्य भविष्य निधि पासबुक. 10. सामान्य भविष्य निधि लेजर.

		11. क्रय सम्बन्धी पत्रावलियां. 12. कोषागार से पत्र व्यवहार पत्रावलियां. 13. बजट पत्रावली. 14. व्यय विवरण पंजिका. 15. महालेखाकार से व्यय मिलान पत्रावली. 16. महालेखाकार आडिट पत्रावली
7.	सामान्य	1. पत्र प्राप्ति पंजिका. 2. पत्र निर्गमन पंजिका. 3. समस्त लोक प्राधिकारियों से पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियां. 4. प्रकाशन सम्बन्धी पत्रावली.

मैनुअल संख्या : 7 [धारा 4(1)(ख)(vii)]

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है.

आयोग का मुख्य कार्य जन सामान्य तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की पहुँच बनाना है. आयोग द्वारा समय समय पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित गोष्ठियों में भाग लिया जाता है एवं इन विचार विमर्श गोष्ठियों में जनता के प्रश्नों का सीधे उत्तर दिया जाता है.

क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामान्य की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित प्रश्नों का सामाधान भी किया जाता है.

मैनुअल संख्या : 8 [धारा 4(1)(ख)(viii)]

ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी, विवरण.

आयोग स्तर सलाह देने के प्रयोजन के लिये बोर्ड, परिषदों, समितियों का गठन नहीं है.

मैनुअल संख्या : 9 [धारा 4(1)(ख)(ix)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सूचना आयुक्त, अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	दूरभाष नम्बर	ई–मेल
1.	श्री एन0एस0नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त	0135–2666778 (कार्यालय) 0135–2666779 (कार्यालय) मोबाइल न.– 9412992127	nripnapalchyal@hotmail.com
2	श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त	0135–2666778 (कार्यालय) 0135–2666779 (कार्यालय) 1035–2675984(आवास) माबाईल– 9412050091,	vnautiyal 25@gmail.com
3	श्री अनिल कुमार शर्मा राज्य सूचना आयुक्त	0135–2666778 (कार्यालय) 0135–2666779 (कार्यालय) मोबाईल 9412050831	aks.sic@gmail.com
4	श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त	0135–2666778 (कार्यालय) 0135–2666779 (कार्यालय) मोबाईल 9412050832	p_dabral@hotmail.com
5	श्री एम. एस. कुण्डरा, सचिव प्रतिनियुक्ति	0135–2666778 (कार्यालय) 0135–2666779 (कार्यालय)	uiccddn@gmail.com
6	डा. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उपसचिव (प्रतिनियुक्ति)	9411110793 0135–2666778 (कार्यालय) 0135–2666779 (कार्यालय)	uiccddn@gmail.com
7	श्री त्रेपन सिंह विष्ट विधि अधिकारी (संविदा)	0135–2666778 (कार्यालय) 0135–2666779 (कार्यालय)	uiccddn@gmail.com
8	श्री राजेश नैथानी निजी सचिव /जन सम्पर्क अधिकारी (संविदा)	0135–2666778 (कार्यालय) 0135–2666779 (कार्यालय) 9412052000	naithani.rajesh@gmail.com
9	श्री मनमोहन नैथानी, लेखाकार (प्रतिनियुक्ति)	9410393020	robbynaithani@ rediffmail.com
10	श्रीमती हीरा रावत, समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410393021	
11	श्री उमेश चन्द्र सिंह, सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410393022	
12	श्री सौरभ कुमार सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	–	
13	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410394421	
14	श्री जितेन्द्र पाण्डे, आशुलिपिक	9917533343	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से

15	श्री नरेश चंद्र बिजलवाण, आशुलिपिक	9410592369	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
16	कु0 नीतू रावत, आशुलिपिक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
17	कु0 नीतू भण्डारी, आशुलिपिक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
18	श्री कविशंकर, आशुलिपिक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
19	श्रीमती रजनी भण्डारी, कम्प्यूटर आपरेटर		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
20	सुश्री पूनम डबराल, कम्प्यूटर आपरेटर		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
21	श्री शैलेन्द्र हटवाल, कम्प्यूटर आपरेटर	9719805041	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
22	श्री नरेन्द्र गनघरिया कम्प्यूटर आपरेटर		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
23	कु0आशा घिल्डियाल, कम्प्यूटर आपरेटर		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
24	श्रीमती अमृता गुरुंग, कम्प्यूटर आपरेटर		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
25	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
26	श्री डबल सिंह सुरक्षा गार्ड		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
27	श्री वासुदेव पंथी, सुरक्षा गार्ड		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
28	श्री राजेन्द्र सिंह राणा सुरक्षा गार्ड		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
29	श्री फकीर सिंह, अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
30	श्री मनोज कुमार, अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
31	श्री मनोज सिंह, डाक रनर		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
32	श्री रवेन्द्र सिंह, अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
33	श्री प्रदीप खत्री, अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
34	श्री हरपाल सिंह अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
35	श्री सुन्दर सिंह धामी अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
36	श्री सुरेन्द्र पाल अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
37	श्री विपिन कुमार, वाहन चालक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
38	श्री नागेन्द्र भट्ट, वाहन चालक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
39	श्री धारा सिंह, वाहन चालक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
40	श्री बृजमोहन सिंह, वाहन चालक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
41	श्री दिनेश सेमवाल, वाहन चालक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से

मैनुअल संख्या : 10 [धारा 4(1)(ख)(x)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, जिसके अर्न्तगत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनिमयों में यथा उपबंधित हो.

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16(5) के अनुसार संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वहीं होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की है,

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है,

परन्तु यदि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जायेगा.

परन्तु यह और कि जहॉ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जायेगी.

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तो में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिये अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्त, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
वर्ष 2011–12

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	वेतनमान (रु.)	वर्तमान कुल वेतन (रु.)
1.	श्री एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त	90000.00 (नियत)	50000.00+ 40000.00 (पेंशन) + D.A=175740
2	श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A=142940
3	श्री अनिल कुमार शर्मा राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A=142940
4	श्री प्रभात डबराल राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A=142940
5	श्री एम. एस. कुण्डरा, सचिव	37400–67000	95756.00
6	डा. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उपसचिव	15600 – 39100	53013.00
7	श्री त्रेपन सिंह विष्ट विधि अधिकारी	नियत वेतनमान	27956.00
8	श्री राजेश नैथानी, निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त / जन सम्पर्क अधिकारी	9300 – 34800	25768.00
9	श्री मनमोहन नैथानी, लेखाकार	9300–34800	31101.00
10	श्रीमती हीरा रावत, समीक्षा अधिकारी	9300–34800	30235.00
11.	श्री उमेश चन्द्र सिंह, सहायक समीक्षा अधिकारी	5200–20200	17486.00
12.	श्री सौरभ कुमार, सहायक समीक्षा अधिकारी	5200–20200	19712.00
13.	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै, सहायक समीक्षा अधिकारी	5200–20200	19083.00
14.	श्री जितेन्द्र पाण्डे, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	10765.00
15	श्री नरेश चंद्र बिजलवाण, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	10765.00
16	सुश्री नीतू रावत आशुलेखक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	10765.00
17	सुश्री नीतू भण्डारी आशुलेखक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	10765.00
18.	श्री कविशंकर, आशुलेखक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	10765.00
19.	श्रीमती रजनी भण्डारी, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8553.00
20.	सुश्री पूनम डबराल, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8553.00
21	श्री शैलेन्द्र हटवाल, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8553.00

22	श्री नरेन्द्र गनघरिया, कम्प्यूटर आपरेटर,	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8553.00
23	सुश्री आशा घिल्डियाल, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8553.00
24.	श्रीमती अमृता गुरुंग, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8553.00
25.	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8553.00
26.	श्री डबल सिंह, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8553.00
27	श्री राजेन्द्र सिंह राणा सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8553.00
28	श्री वासुदेव पंथी, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8553.00
29	श्री फकीर सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	7235.00
30	श्री मनोज कुमार, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	7235.00
31	श्री मनोज सिंह, डाक रनर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	7235.00
32	श्री रवेन्द्र सिंह अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	7235.00
33	श्री,प्रदीप खत्री, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	7235.00
34	श्री सुन्दर सिंह धामी, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	7235.00
35	श्री हरपाल सिंह अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	7235.00
36	श्री सुरेन्द पाल, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	7235.00
37	श्री विपिन कुमार, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9637.00
38	श्री नागेन्द्र भट्ट, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9637.00
39	श्री दिनेश सेमवाल, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9637.00
40	श्री धारा सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9637.00
41	श्री बृजमोहन सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9637.00

मैनुअल संख्या : 11 [धारा 4(1)(ख)(xi)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट.

उत्तराखण्ड शासन में सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड सूचना आयोग का नोडल विभाग है. उत्तराखण्ड सूचना आयोग को वार्षिक बजट उत्तराखण्ड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त होता है.

आयोग में आहरण वितरण का कार्य उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2011—12 हेतु आयोग को प्राप्त बजट का विवरण संलग्न है।

संख्या 64 /XXXI(12)/बजट–2011

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में ,

सचिव,
राज्य सूचना आयोग ,उत्तरांखण्ड
देहरादून ।

सचिवालय सामान्य प्रशासन (लेखा) अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 08 अप्रैल 2011.

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या –06–आयोजनेत्तर–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें –800–अन्य व्यय–13–सूचना आयोग की स्थापना मद के अन्तर्गत आय व्ययक में बचनबद्व मदों में प्राविधानित धनराशि ₹ 12590 हजार (₹ एक करोड़ पच्चीस लाख नब्बे हजार मात्र) निम्नविवरण के अनुसार सचिव, सूचना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

मद	धनराशि ₹ हजार में
01–वेतन	5500
02– मजदूरी	200
03– महगाई भत्ता	3300
04– यात्रा व्यय	25
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2
06– अन्य भत्ते	605
07– मानदेय	12
08– कार्यालय व्यय	200
09– विद्युत देय	200
10– जलकर/जल प्रभार	10
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	37
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100
13– टेलीफोन पर व्यय	62
14– कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का कय	0
15– गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	375
17– किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1200
18– प्रकाशन	75
19– विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	25
22– आतिथ्य व्यय/ व्यय विषयक भत्ता	50
26– मशीन साजसज्जा / उपकरण संयत्र	25
27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50

42– अन्य, व्यय	150
45– अवकाश यात्रा व्यय	12
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय	25
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का कय	50
योग	**12590**

2– शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किया जाय ।

3– उपरोक्त आवंटन वित्त अनुभाग –1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 209/XXVII(1) 2011 दिनांक 31 मार्च 2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सचिव, सूचना आयोग,उत्तराखण्ड के निर्वतन में रखा जा रहा है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।

संख्या /XXXI(12) /बजट–2011 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
4– वित्त अनुभाग 5 / सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5– गार्ड–फाइल ।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव ।

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में ,

सचिव,
राज्य सूचना आयोग ,उत्तराखण्ड
देहरादून ।

सचिवालय सामान्य प्रशासन (लेखा) अनुभाग–4 **देहरादून : दिनांक 21 जून 2011.**

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान सख्या –06–आयोजनेत्तर–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें –800–अन्य व्यय–13–सूचना आयोग की स्थापना मद के अन्तर्गत आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹ 4585 हजार (₹ पैंतालिस लाख पिचासी हजार मात्र) निम्नविवरण के अनुसार सचिव, सूचना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

धनराशि ₹ हजार में

मद	कुल प्राविधानित बजट	पत्रांक 64 दि0 08.04.2011के द्वारा निवर्तन मे रखी गयी धनराशि	वर्तमान में निर्वतन में रखी जा रही धनराशि	कुल निर्वतन में रखी गई धन राशि
04– यात्रा व्यय	100	25	75	100
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10	2	8	10
07– मानदेय	50	12	38	50
08– कार्यालय व्यय	800	200	600	800
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	150	37	113	150
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400	100	300	400
13– टेलीफोन पर व्यय	250	62	188	250
15– गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1200	300	900	1200
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1500	375	1125	1500
18– प्रकाशन	300	75	225	300
19– विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	100	25	75	100
22– आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता	200	50	150	200
26– मशीन साजसज्जा / उपकरण संयत्र	100	25	75	100
42– अन्य व्यय	600	150	450	600
45– अवकाश यात्रा व्यय	50	12	38	50

46– कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का कय	100	25	75	100
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सबंधी स्टेशनरी का कय	200	50	150	200
योग	6110	1525	4585	6110

2– शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किया जाय ।

3– उपरोक्त आवंटन वित्त अनुभाग –1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 209/XXVII(1) / 2011 दिनांक 31 मार्च 2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सचिव, सूचना आयोग,उत्तराखण्ड के निर्वतन में रखा जा रहा है।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र)
सचिव ।

संख्या 29/XXXI(12) /बजट–2011 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बल्डिंग,माजरा,देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
4– वित्त अनुभाग 5 / सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5– गार्ड–फाइल ।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव ।

संख्या 149/XXXI(12)/लेखा–4(बजट)/2011–12

प्रेषक,

संन्तोष बडौनी
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

सचिव,
राज्य सूचना आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 4335
22 MAR 2012
देहरादून

सचिवालय सामान्य प्रशासन लेखा अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 21 मार्च 2012

महोदय,

अनुदान संख्या–06 लेखा शीर्षक 2070– अन्य प्रशासनिक सेवायें –00– आयोजनेत्तर –800– अन्य व्यय– 13– सूचना आयोग की स्थापना के अर्न्तगत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि कम होने के कारण निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि पुर्नविनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, पुर्नविनियोग के उपरान्त उल्लिखित मदों में निम्नवत धनराशि आवंटित होगी:–

लेखा शीर्षक का विवरण	प्राविधानित बजट	बचत की धनराशि	पुर्नविनियोजित धनराशि	पुर्नविनियोग के उपरान्त स्तम्भ–1 की राशि
1	2	3	4	5
अनुदान संख्या–06 लेखा शीर्षक 2070– अन्य प्रशासनिक सेवायें – 800 अन्य व्यय 13– सूचना आयोग की स्थापना				
01– वेतन	5500	400	0	5100
03–महंगाई भत्ता	3300	150	0	3150
13– टेलीफोन पर व्यय	300	0	200	500
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2800	0	400	3200
17– किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1000	30	0	970
27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50	0	30	80
45– अवकाश यात्रा व्यय	50	50	0	0
योग	13000	630	630	13000

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 265 NP/वित्त अनु0–5/2011 दिनांक 21 मार्च 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

उपरोक्त बजट व्यवस्था के अनुसार आहरण वितरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त–बी0एम0–15

भवदीय,

सन्तोष बड़ौनी
अनु सचिव ।

संख्या /XXXI(12)/लेखा–4(बजट)/2011–12 दिनांक मार्च , 2012.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2 निदेशक, कोषागार, देहरादून।
3 मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।

(सन्तोष बड़ौनी)
अनु सचिव।

मैनुअल संख्या : 12 [धारा 4(1)(ख)(xii)]

सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में, सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन का कोई कार्यक्रम नहीं है.

मैनुअल संख्या : 13 [धारा 4(1)(ख)(xiii)]

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में ऐसे कार्यक्रम सम्पादित नहीं किये जाते है.

मैनुअल संख्या : 14 [धारा 4(1)(ख)(xiv)]

किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों

क्रम संख्या	अभिलेख का प्रकार	किस इलैक्ट्रानिक रूप में अभिलेख रखे गये हैं	अभिलेख प्राप्त करने का माध्यम
1.	उत्तराखण्ड राज्य के लोक सूचना अधिकारियो की सूची	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
2.	आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सूची	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
3.	आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की दैनिक वाद सूचियां	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
4.	आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का सांख्यिकी विवरण	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
5.	द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों में पारित अंतिम आदेशों की पी.डी.एफ. प्रतियां	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
6.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग का मैनुअल	वेबसाइट uic.gov.in पर सी0डी0 के रूप में	इण्टरनेट पर्सनल कम्प्यूटर के प्रयोग से

मैनुअल संख्या : 15 [धारा 4(1)(ख)(xv)]

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है.

1. नागरिकों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आयोग कार्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के लोक प्राधिकारियों से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुअल उपलब्ध है.

2 आयोग कार्यालय जन सामान्य के लिये **प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक सप्ताह में 5 दिन** (सोमवार से शुक्रवार, राजकीय अवकाश को छोड़कर) खुला रहता है तथा आयोग के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथा दूरभाष पर इस दौरान अधिनियम के प्रयोग से संबंधित नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध रहते हैं.

3 राज्य सूचना आयोग में आम नागरिक किसी भी लोक प्राधिकारी स्तर पर रखी गई सूचना हेतु निर्धारित फीस पर आवेदन कर सकता है. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी, सूचना हेतु प्राप्त ऐसे अनुरोधों को संबंधित लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 6(3) में शीघ्रता से अंतरित करते हैं.

मैनुअल संख्या : 16 [धारा4(1)(ख)(xvi)]

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ

लोक सूचना अधिकारी

श्री मनमोहन नैथानी,
लेखाकार
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सी–30, सेक्टर–1, डिफेन्स कालोनी,
देहरादून.
दूरभाष न0 : 0135–2666778, 2666779 (कार्यालय)
मोबाइल न0 : 9410393020

अपीलीय अधिकारी

डा0 शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय,
उप सचिव,
सी–30, सेक्टर–1, डिफेन्स कालोनी,
देहरादून.
दूरभाष न0 : 0135–2666778, 2666779 (कार्यालय)
: 0135–2728762 (आवास)
मोबाइल न0: 9411110793

* * *

आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

अध्याय : 3

आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन के लिए आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से राज्य सरकार को संस्तुतियां की जाती रही हैं. विगत वार्षिक प्रतिवेदनों की भांति ही वर्ष 2010–11 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार को निम्नलिखित 5 संस्तुतियां की गयी थीं :

संस्तुति : 1

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी कार्यालय / इकाई द्वारा अपने यहां प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोध पत्रों के नियमानुसार निस्तारण के लिए लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया जाना आवश्यक है. इसी क्रम में सचिवालय स्तर पर भी लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया गया है. आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के समय यह तथ्य परिलक्षित होता है कि सचिवालय के स्तर पर कई विभागों में समीक्षा अधिकारियों को भी लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जा रहा है जबकि अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए समीक्षा अधिकारियों को संबंधित अनुभाग अधिकारी / अनु सचिव के स्तर से सूचना प्राप्त करनी होती है तथा अनुमोदन लेना होता है. इससे जहां एक ओर परिहार्य समय व श्रम व्यर्थ होता है वहीं दूसरी ओर अनुरोधकर्ता को नियमानुसार समयांतर्गत सूचना उपलब्ध करा पाना भी संभव नहीं हो पाता है.

आयोग की यह संस्तुति है कि सचिवालय स्तर पर न्यूनतम अनु सचिव स्तर के अधिकारियों को ही लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जाये जिससे प्रार्थियों को नियमानुसार तथा समय से सूचना उपलब्ध करायी जा सके.

संस्तुति : 2

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(ञ) (i) तथा (iii) के अंतर्गत क्रमशः राजकीय निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने तथा कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के नमूने लेने को भी ''सूचना का अधिकार'' की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है तथा कार्यों का निरीक्षण किये जाने एवं प्रयुक्त सामग्री के प्रमाणित नमूने लिये जाने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है. इसका प्रयोग नागरिकों के द्वारा विभिन्न लोक प्राधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पेयजल विभाग आदि के द्वारा किये गये / किये जा रहे राजकीय निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए किया जा सकता है तथा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी विभिन्न सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त किये जा सकते हैं.

अधिनियम के अंतर्गत निर्माण कार्यों के निरीक्षण एवं निर्माण सामग्री से संबंधित उपरोक्त सूचना को अनुरोधकर्ताओं को दिये जाने के सापेक्ष लोक प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली फीस एवं प्रक्रिया के विषय में शासन स्तर से अभी तक कोई नियम नहीं बनाये गये हैं जिससे ऐसे प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोधों के संबंध में लोक सूचना अधिकारियों के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है.

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 27 (1) के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित कराने के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए अधिकृत है अतः आयोग की संस्तुति है कि अधिनियम की धारा 27 की उपधारा –(2) के खण्ड ख तथा ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निर्माण कार्यों एवं निर्माण सामग्री से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए यथोचित शुल्क / फीस एवं प्रक्रिया निर्धारित करने संबंधी नियम राज्य सरकार के स्तर से यथाशीघ्र निर्गत किये जायें.

संस्तुति : 3

प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत अधिनियम के प्रयोग से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य निरंतर प्रकाश में आ रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में जागरूकता का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यधिक कम है. ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य को अधिनियम के संबंध में समुचित जानकारी की कमी के कारण उनके द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का प्रयोग सही प्रकार से नहीं किया जाता है जिस कारण उन्हें वांछित सूचना सुलभता से प्राप्त करने में कठिनाई भी होती है. अतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 26(1)(क) तथा 26(1)(ख) के अंतर्गत अधिनियम के संबंध में प्रचार प्रसार करने, शैक्षिक कार्यक्रमों को तैयार कर आयोजित करने तथा लोक प्राधिकारियों को ऐसे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशित करने का दायित्व राज्य सरकार का है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में सक्रियतापूर्वक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है.

आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विकास खण्डों में की गयी विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान अधिनियम के प्रचार प्रसार के संबंध में ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों की दीवालों पर अधिनियम के उपयोग से संबंधित विशिष्ट जानकारी को लिखवाये जाने हेतु wall painting करने का एक अच्छा सुझाव जनता एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त हुआ है. ऐसा wall painting किये जाने से अत्यंत अल्प व्यय पर अधिक से अधिक ग्रामीण नागरिकों को अधिनियम के उपयोग की जानकारी सहजता से प्राप्त हो सकती है.

आयोग की संस्तुति है कि पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों अथवा किसी मुख्य स्थान/भवन पर जनसामान्य के उपयोगार्थ ऐसा wall painting करवाने के लिए शासन स्तर से यथाशीघ्र कार्यवाही की जाये.

संस्तुति : 4

वर्तमान में आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थापित है जिसमें पूरे प्रदेश से प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई तथा निस्तारण मुख्य सूचना आयुक्त तथा तीन राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा किया जाता है. प्रदेश के पर्वतीय तथा दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों से अपनी अपीलों तथा शिकायतों की पैरवी करने तथा सुनवाई में उपस्थित होने के लिए लोगों को काफी समय एवं धन व्यय करना पड़ता है तथा दूरस्थ अंचलों से देहरादून तक आने जाने की कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है.

आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालयों को खालने के संबंध में दिनांक 14/03/06 को तत्कालीन मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप यदि कुमांऊ मण्डल में अल्मोड़ा तथा गढ़वाल मण्डल में श्रीनगर में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायें तो प्रदेश के दूरस्थ एवं दुर्गम अंचलों की जनता को अत्यंत सुविधा होगी तथा उनके निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में उनकी द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई तथा निस्तारण किया जा सकेगा.

इस संबंध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा आयोग के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 22/02/07 तथा अग्रेतर अन्य तिथियों को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने एवं पद स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था परंतु इस पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है.

आयोग की संस्तुति है कि आयोग के उपरोक्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर शीघ्र निर्णय ले कर कार्यवाही की जाये.

संस्तुति : 5

आयोग की संस्तुति है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा आयोग के स्वीकृत पदों को नियमित रूप से भरे जाने के

संबंध में आयोग की जो सेवा नियमावली तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी है उसका शासन स्तर पर अविलम्ब परीक्षण कर उसे स्वीकृत किया जाये जिसके उपरांत आयोग के स्वीकृत पदों को नियमित रूप से भरे जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके. इससे आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाना संभव हो सके.

आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही

उपरोक्त संस्तुतियों में से संस्तुति संख्या 3 के संबंध में आयोग के स्तर से समीक्षा किये जाने पर शासन स्तर से अवगत कराया गया है कि माह नवम्बर, 2012 तक प्रदेश की **कुल 7555 ग्राम पंचायतों में से 4818 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों अथवा अन्य मुख्य स्थानों पर वॉल पेंटिंग की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है** तथा शेष 2737 ग्राम पंचायतों में यह कार्य गतिमान है.

उक्त के अतिरिक्त आयोग की अन्य संस्तुतियों पर राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही अभी अपेक्षित है.

अधिनियम की धारा 25 में प्रदत्त प्राविधानों के क्रम में आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर शासन के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किया जाता है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा आयोग की संस्तुतियों का परीक्षण करा कर उन्हें क्रियान्वित किये जाने पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी जिससे प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों की उपयोगिता और अधिक व्यापक होने में सफलता प्राप्त हो सकेगी.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने पूर्व के वार्षिक प्रतिवेदनों में निम्नलिखित प्रकार से संस्तुतियां की गयी हैं :

वर्ष	**संस्तुतियों की संख्या**	**कृत कार्यवाही**
2005 – 06	09	05
2006 – 07	29	12
2007 – 08	08	04
2008 – 09	09	04
2009 – 10	04	01

सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

अध्याय : 4

सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों से प्रतिमाह अनुरोध पत्रों की प्राप्ति संबंधी विवरण मंगाये जाते हैं. लोक प्राधिकारियों के स्तर से प्राप्त प्रगति विवरणों तथा आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संख्यात्मक विवरण को निम्नलिखित ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है :

4.1 प्रदेश के लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या

वर्ष 2011 – 12 में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारी कार्यालयों में नामित लोक सूचना अधिकारियों को कुल 69088 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष कुल 67184 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण लोक सूचना अधिकारियों द्वारा किया गया. इस वर्ष विद्यालयी शिक्षा विभाग को सबसे अधिक 11196 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये.

4.2 आयोग में लोक प्राधिकारीवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या

वर्ष 2011 – 12 में विद्यालयी शिक्षा विभाग से संबंधित सबसे अधिक द्वितीय अपील प्राप्त आयोग में प्राप्त हुयीं. इसके बाद राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, शहरी विकास विभाग तथा ऊर्जा विभाग से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या थी. इस अवधि में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, सतर्कता विभाग, प्रोटोकॉल तथा पुनर्गठन विभाग से संबंधित द्वितीय अपीलों की संख्या न्यून रही.

4.3 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत

आयोग को वर्ष 2011 – 12 में जनपद देहरादून से 33 प्रतिशत द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं जो आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या का सर्वाधिक था. इसके उपरांत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल तथा पौड़ी जनपदों से आयोग को प्राप्त द्वितीय अपीलेां की संख्या रही. बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत जनपदों से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या एवं प्रतिशत अत्यंत कम रहा.

4.4 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला – पुरूष प्रतिशत

वर्ष 2011 – 12 में भी महिलाओं अपीलकर्ताओं की संख्या कम रही तथा पुरूष अपीलकर्ताओं द्वारा ही अधिकतम द्वितीय अपीलें (93 प्रतिशत) आयोग को प्रेषित की गयी.

4.5 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

विगम वर्षों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या इस वर्ष बढ़ी तथा वर्ष 2011 – 12 में ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 26 प्रतिशत तथा शेष 74 प्रतिशत द्वितीय अपीलें शहरी क्षेत्र से आयोग को प्राप्त हुयीं.

4.6 आयोग में धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत

इस अवधि में द्वितीय अपीलों की भांति देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या अधिक रही है जबकि बागेश्वर, उत्तरकाशी तथा रूद्रप्रयाग जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या न्यूनतम रही है.

4.7 आयोग में प्राप्त शिकायतों का महिला – पुरूष प्रतिशत

वर्ष 2011 – 12 में महिला शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग में कुल 18 प्रतिशत शिकायतें दर्ज करायीं तथा शेष 82 प्रतिशत शिकायतकर्ता पुरूष रहे.

4.8 आयोग में प्राप्त शिकायतों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्रों से आयोग को वर्ष 2011 – 12 में भी कुल 38 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुयीं हैं जो इन क्षेत्रों से प्राप्त द्वितीय अपीलों से अधिक है.

लोक प्राधिकारीवार आयोग में प्राप्त द्वितीय अपील (2011–12)

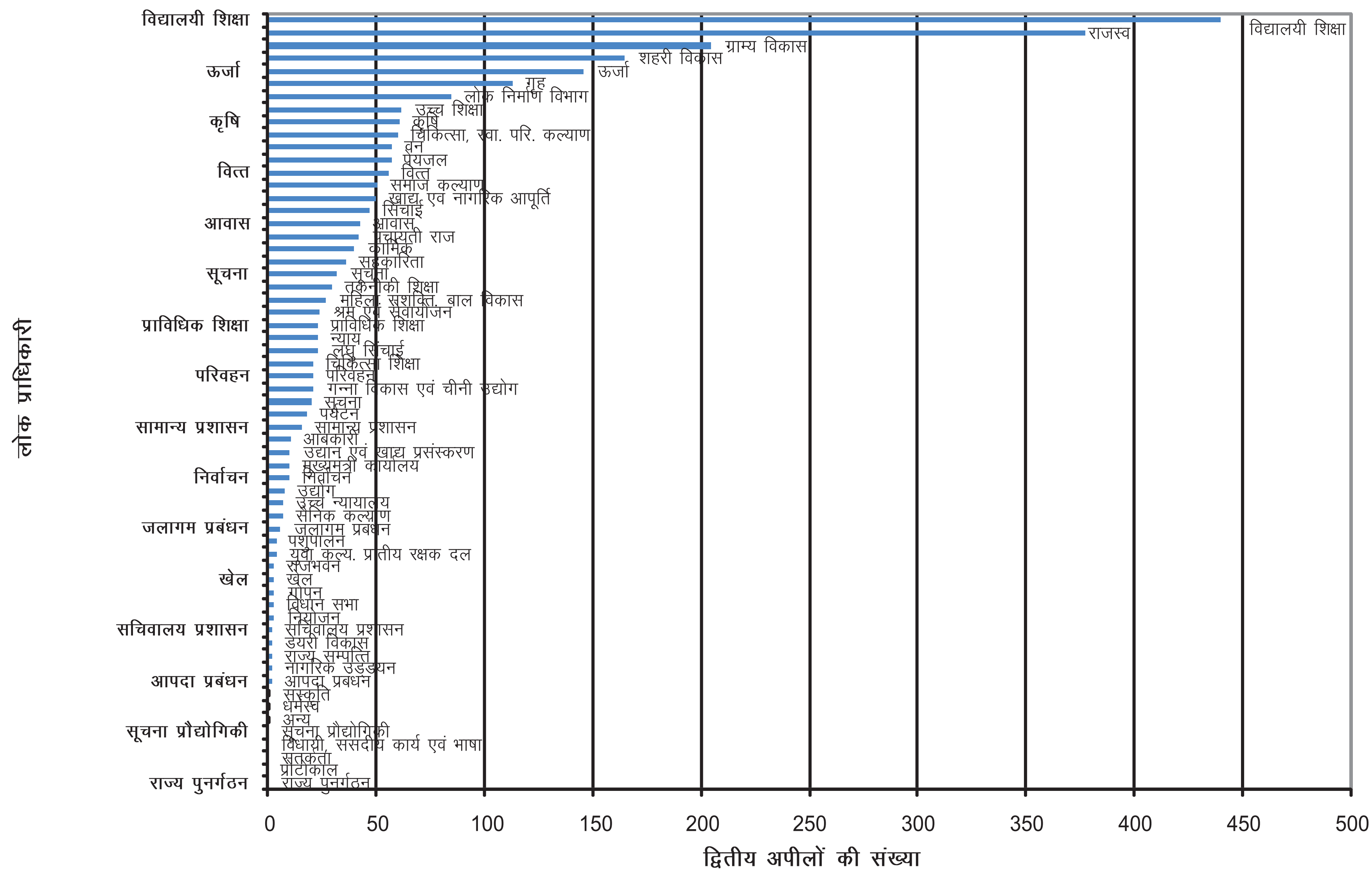

जनपदवार प्राप्त द्वितीय अपील (2011—12)

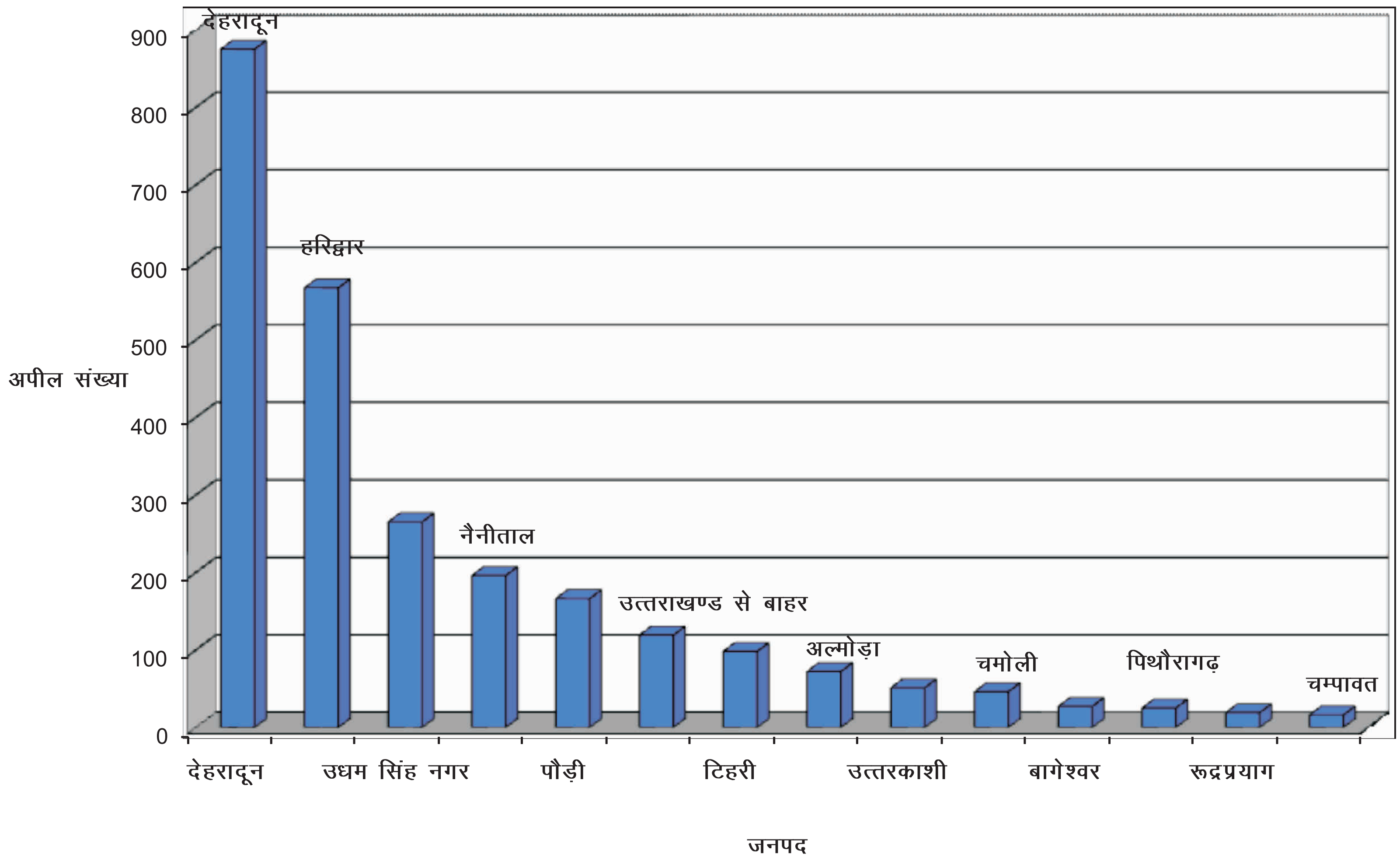

प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला – पुरूष अनुपात (2011–12)

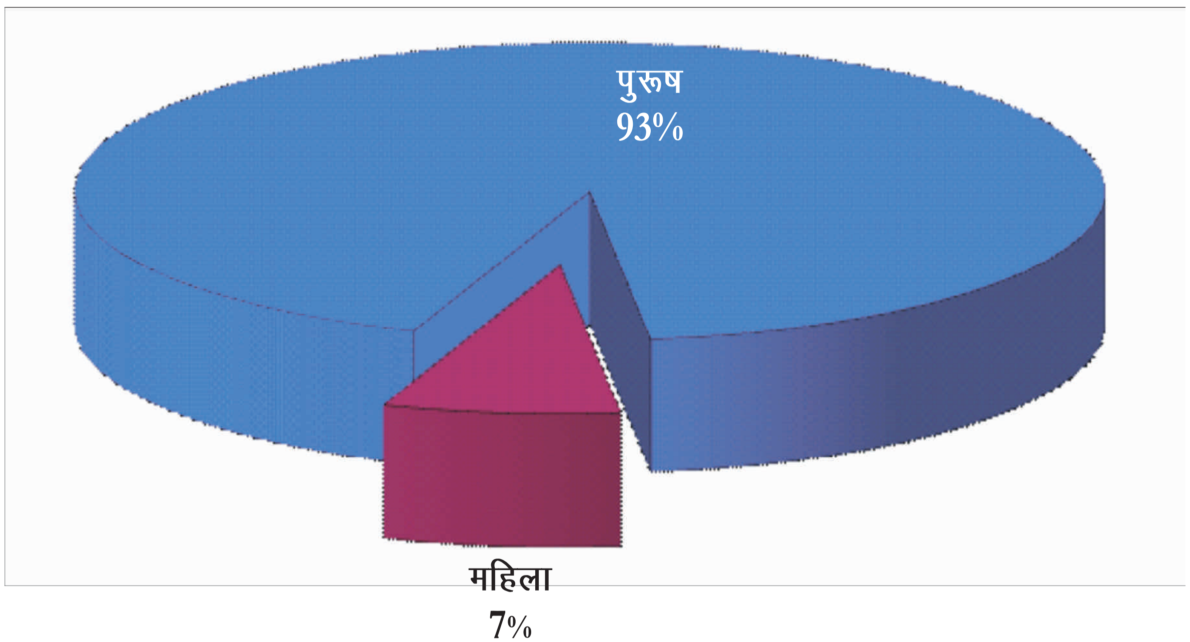

प्राप्त द्वितीय अपीलों का ग्रामीण – शहरी अनुपात (2011–12)

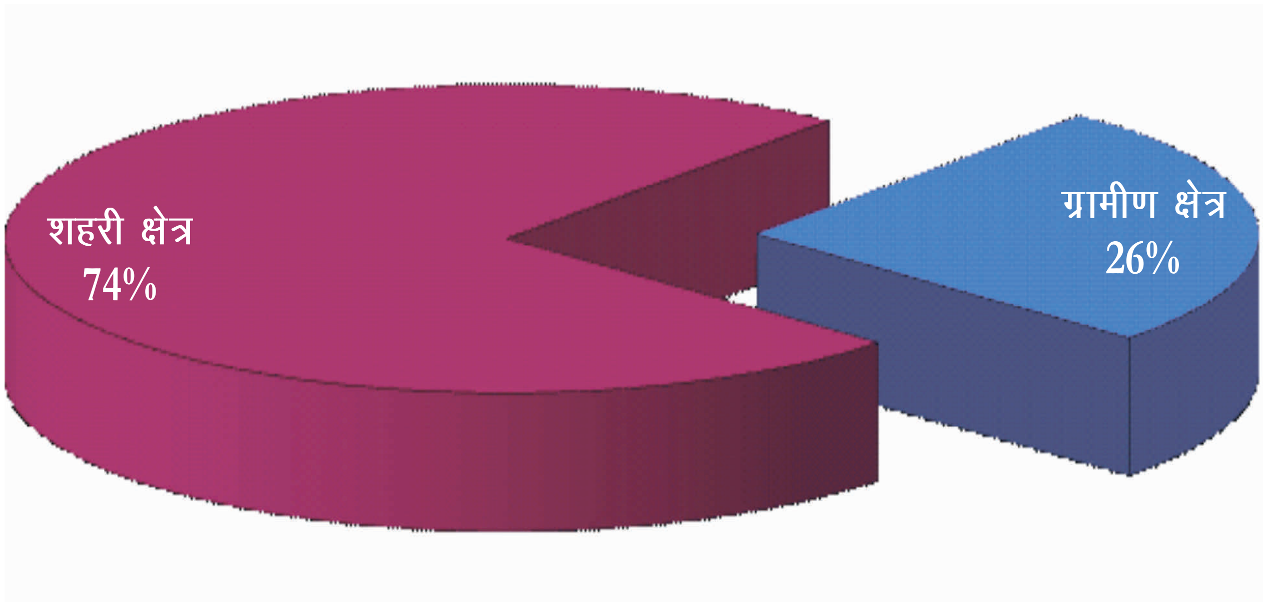

आयोग में जनपदवार प्राप्त शिकायतें (2011–12)

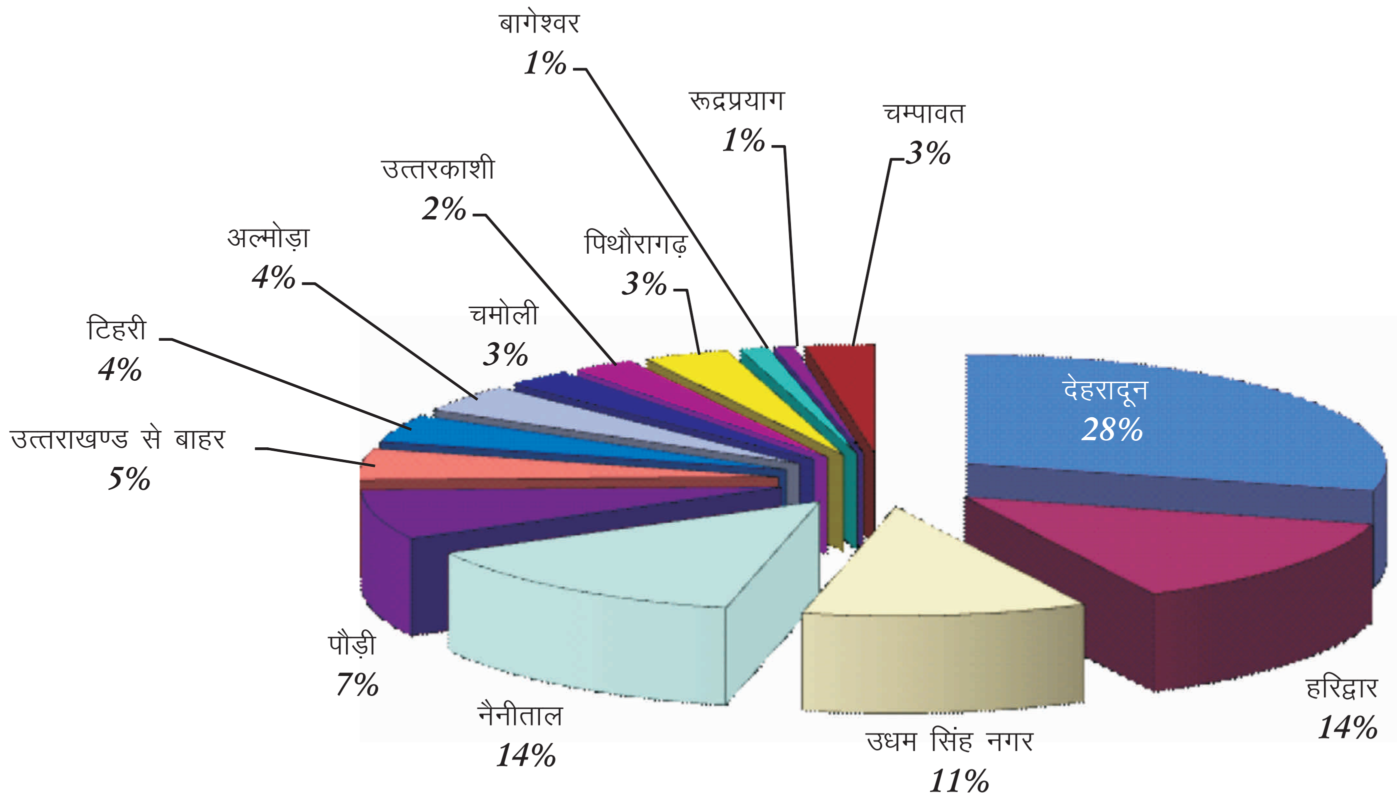

शिकायतों का महिला – पुरूष अनुपात (2011–12)

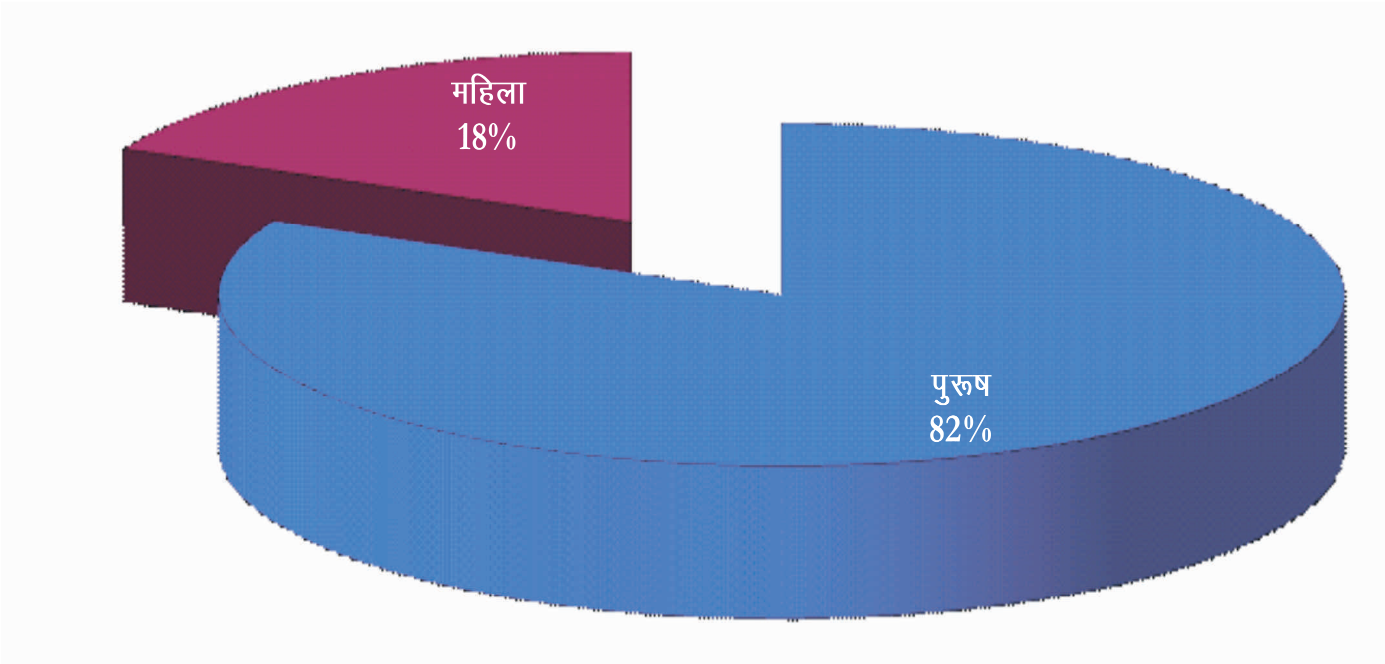

शिकायतों का ग्रामीण – शहरी अनुपात (2011–12)

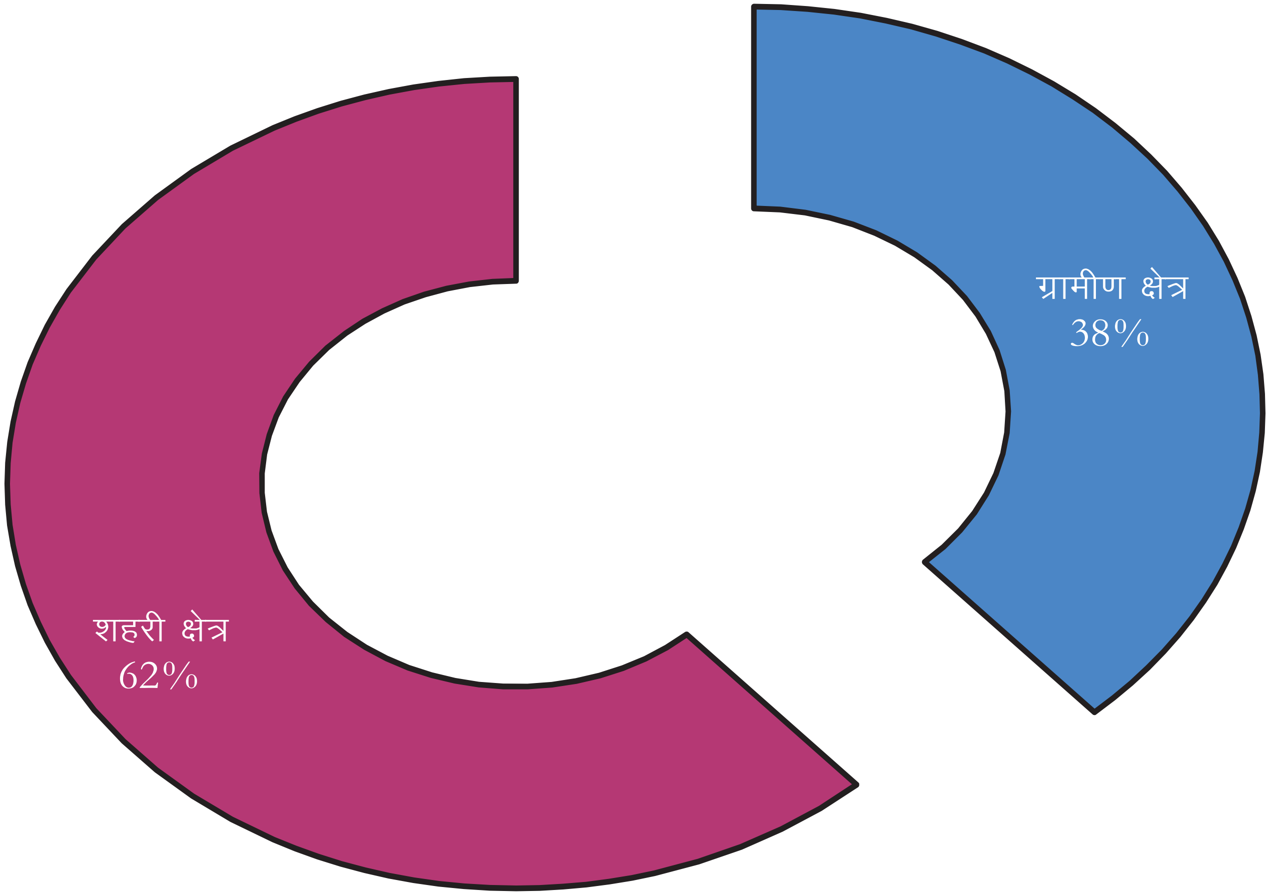

लोक प्राधिकारी / विभागवार मासिक प्रगति विवरण

वर्ष : 2011 – 12

क.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया — सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
									धारा 8 (1)										धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	कृषि	893	886	1	135	108	0	13334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	पशुपालन एवं मत्स्य	976	976	0	12	11	0	8477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	498	498	0	235	211	0	4980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	नागरिक उड्डयन	87	87	0	1	1	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	गोपन	69	69	0	10	10	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	सहकारिता	636	633	0	81	81	0	4917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	49	49	0	4	4	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	डेयरी विकास	187	187	0	12	12	0	8486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	आपदा प्रबंधन	20	20	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	पेयजल	1469	1469	0	17	17	0	1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	उच्च शिक्षा	2106	2042	0	163	163	0	31928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	विद्यालयी शिक्षा	11196	11173	1	1371	1361	0	80021	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
13	प्राविधिक शिक्षा	754	727	0	154	151	1	14026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	निर्वाचन	274	179	0	3	9	0	6838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ऊर्जा	432	396	0	46	41	0	15056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	राज्य सम्पत्ति	70	70	0	38	35	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	सैनिक कल्याण	303	303	0	6	6	0	1392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	आबकारी	291	288	0	21	21	0	12127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	वित्त	3260	3260	0	148	147	9	57463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1067	1064	0	0	0	0	5180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	वन	1383	1381	0	144	144	0	28439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	सामान्य प्रशासन	161	161	0	27	27	0	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	938	938	0	6	6	0	2595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	गृह	7184	7082	124	757	736	200	70036	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	83
25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	1594	1571	1	17	17	1	2543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	आवास	5617	5495	108	413	382	8	113012	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0

27	उद्योग	367	350	0	22	22	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	सूचना प्रौद्योगिकी	20	19	1	2	2	1	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	सूचना	461	455	0	51	52	0	9286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	सिंचाई	1899	1832	0	223	214	1	36388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	न्याय	103	103	0	1	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	श्रम एवं सेवायोजन	1426	1426	0	128	128	0	22564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	चिकित्सा शिक्षा	536	536	0	89	89	0	4625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लघु सिंचाई	102	102	0	63	59	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण	548	548	0	7	7	0	3459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	62	62	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	कार्मिक	1421	1381	13	157	154	4	26264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	नियोजन	65	65	0	2	2	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	प्रोटोकाल	11	11	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	लोक निर्माण विभाग	2651	2484	0	324	284	0	69170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	धर्मस्व	26	26	0	5	5	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	राजस्व	11074	10091	4	515	499	0	43461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ग्राम्य विकास	1114	1073	0	1	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	सचिवालय प्रशासन	6	6	0	2	2	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	समाज कल्याण	953	932	0	48	48	0	8237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	खेल	56	56	0	3	3	0	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	राज्य पुनर्गठन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	475	467	1	14	14	1	5389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	पर्यटन	172	172	0	8	8	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	परिवहन	3031	2991	0	136	124	18	40130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	शहरी विकास	293	293	0	10	10	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	सतर्कता	98	95	5	11	7	8	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	जलागम प्रबंधन	142	142	0	5	6	0	1026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.	128	128	0	49	41	0	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	युवा कल्या. एवं प्रांतीय रक्षक दल	171	171	1	11	11	1	6892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	राजभवन	81	81	0	73	71	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	विधान सभा	60	60	0	6	6	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	उच्च न्यायालय	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	अन्य	21	21	0	6	6	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**69088**	**67184**	**260**	**5798**	**5580**	**254**	**781623**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0**	**3**	**0**	**2**	**83**

लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदनों का वर्षवार विवरण

क.	लोक प्राधिकारी / विभाग	प्राप्त आवेदन							
		2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कृषि	49	192	129	419	483	369	893	**2534**
2	पशुपालन	19	92	250	207	373	210	976	**2127**
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	6	8	53	297	222	352	498	**1436**
4	नागरिक उड्डयन	0	0	2	17	18	67	87	**191**
5	गोपन	4	4	6	23	30	61	69	**197**
6	सहकारिता	7	207	54	536	109	446	636	**1995**
7	संस्कृति	4	46	42	118	121	38	49	**418**
8	डेयरी विकास	0	16	36	84	126	165	187	**614**
9	आपदा प्रबंधन	0	0	8	1	78	10	20	**117**
10	पेयजल	25	504	116	393	441	79	1469	**3027**
11	उच्च शिक्षा	29	146	246	811	624	776	2106	**4738**
12	विद्यालयी शिक्षा	43	2278	1277	3388	3861	4544	11196	**26587**
13	प्राविधिक शिक्षा	2	6	31	82	141	340	754	**1356**
14	निर्वाचन	5	33	14	156	61	278	274	**821**
15	ऊर्जा	2	137	455	439	427	240	432	**2132**
16	राज्य सम्पत्ति	2	2	22	28	160	161	70	**445**
17	सैनिक कल्याण	1	7	12	22	24	190	303	**559**
18	आबकारी	17	39	86	116	239	296	291	**1084**
19	वित्त	34	349	501	898	1695	1625	3260	**8362**
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1	8	275	407	53	211	1067	**2022**
21	वन	69	227	494	964	1344	369	1383	**4850**
22	सामान्य प्रशासन	23	2	4	0	0	136	161	**326**
23	चिकित्सा, स्वा. परि. कल्याण	21	97	179	716	404	260	938	**2615**
24	गृह	68	566	1397	2729	3278	5449	7184	**20671**
25	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	1	176	430	819	1138	157	1594	**4315**
26	आवास	161	291	631	1360	1705	4589	5617	**14354**
27	उद्योग	25	122	154	241	286	321	367	**1516**
28	सूचना प्रौद्योगिकी	2	4	16	10	25	11	20	**88**
29	सूचना	5	34	74	172	177	373	461	**1296**
30	सिंचाई	23	492	2250	1019	781	1376	1899	**7840**

31	न्याय	0	11	26	60	25	14	103	**239**
32	श्रम एवं सेवायोजन	6	73	195	267	306	1014	1426	**3287**
33	चिकित्सा शिक्षा	4	52	193	203	239	339	536	**1566**
34	लघु सिंचाई	13	51	104	193	308	199	102	**970**
35	पंचायती राज	1	96	260	313	854	517	548	**2589**
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	0	0	2	2	6	30	62	**102**
37	कार्मिक	0	194	224	544	464	1029	1421	**3876**
38	नियोजन	1	1	9	9	21	26	65	**132**
39	प्रोटोकाल	0	2	1	2	5	1	11	**22**
40	लोक निर्माण विभाग	131	378	612	843	1184	2102	2651	**7901**
41	धर्मस्व	0	0	0	26	6	15	26	**73**
42	राजस्व	355	1620	2784	3417	1552	5184	11074	**25986**
43	ग्राम्य विकास	48	383	1029	722	695	2	1114	**3993**
44	सचिवालय प्रशासन	19	4	27	65	89	13	6	**223**
45	समाज कल्याण	15	162	138	195	634	552	953	**2649**
46	खेल	4	17	4	9	117	66	56	**273**
47	राज्य पुनर्गठन	0	8	15	13	4	5	0	**45**
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	4	86	162	381	310	527	475	**1945**
49	पर्यटन	20	84	109	139	106	77	172	**707**
50	परिवहन	13	115	222	843	1192	2131	3031	**7547**
51	शहरी विकास	94	190	57	2064	448	160	293	**3306**
52	सतर्कता	0	0	2	19	24	66	98	**209**
53	जलागम प्रबंधन	5	24	26	40	67	28	142	**332**
54	महिला सशक्ति. बाल विकास	0	20	104	133	10	93	128	**488**
55	युवा कल्य. प्रांतीय रक्षक दल	3	15	11	60	30	118	171	**408**
56	राजभवन	0	6	26	48	74	95	81	**330**
57	विधान सभा	1	2	3	23	27	43	60	**159**
58	उच्च न्यायालय	0	12	4	13	9	3	1	**42**
59	अन्य	0	0	47	30	81	28	21	**207**
	योग	**1385**	**9691**	**15640**	**27148**	**27311**	**37976**	**69088**	**188239**

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वःप्रकटन की स्थिति

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) तथा धारा 4 के अंतर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है. अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत कुछ अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से संबंधित सूचना इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन–सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके.

समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा जिन बिंदुओं पर मैनुअल तैयार किये जाने हैं, जैसा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में दिया गया है, वे निम्नलिखित हैं :

(i) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

(iii) लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना

(iv) नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

(v) दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण

(vi) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण. साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठ कें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पंहुच होगी.

(vii) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ.

(viii) निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एव उत्तरदायित्व के स्तर सहित).

(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका.

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति.

(xi) प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन विरण की सूचना सहित).

(xii) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों (Subsidy Programmes) के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है.

(xiii) रयायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण.

(xiv) कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम.

(xv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे.

(xvi) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण. किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण.

(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये.

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) की xvii के अनुसार उपरोक्तानुसार तैयार किये गये मैनुअलों का प्रतिवर्ष अद्यावधिकरण कराया जाना अनिवार्य है. परंतु लोक प्राधिकारियों द्वारा उक्त मैनुअलों का वार्षिक या तो अद्यावधिकरण नहीं किया जा रहा है अथवा वार्षिक रूप से नियत एक समयावधि के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है. शासन स्तर से इस समस्त लोक प्राधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है. वार्षिक अद्यावधिकरण के पश्चात समस्त ऐसे मैनुअलों को विभाग/जनपद/शासन की वैबसाईट /पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है.

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन की स्थिति

राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार एवं डिजिटाईज़ड मैनुअलों की सूची

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग		
1	**कृषि विभाग**		
	1.1	कृषि निदेशालय	
	1.2	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद	
	1.3	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	
		1.3.1	मण्डी समिति, किच्छा
		1.3.2	मण्डी समिति, ऋषिकेश
		1.3.3	मण्डी समिति, लक्सर
		1.3.4	मण्डी समिति, कोटद्वार
		1.3.5	मण्डी समिति, विकासनगर
		1.3.6	निमार्ण खण्ड, मण्डी परिषद
2	**पशुपालन विभाग**		
	2.1	पशुपालन निदेशालय	
		2.1.1	अपर निदेशक, गोपेश्वर
		2.1.2	अपर निदेशक, पौड़ी
		2.1.3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, टिहरी
		2.1.4	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी
		2.1.5	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा
		2.1.6	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल
		2.1.7	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़
		2.1.8	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग
		2.1.9	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर
		2.1.10	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर
		2.1.11	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चमोली
		2.1.12	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून
		2.1.13	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत
		2.1.14	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी
		2.1.15	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार
		2.1.16	प्रबंधक, कालसी फार्म
		2.1.17	भेड़ एवं ऊन बोर्ड

	2.2	मतस्य निदेशालय	
	2.3	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड	
3	**मुख्य मंत्री कार्यालय**		
4	**नागरिक उड्डयन**		
	4.1	नागरिक उड्डयन निदेशालय	
5	**गोपन**		
6	**सहकारिता**		
	6.1	सहकारिता निदेशालय	
7	**संस्कृति**		
	7.1	संस्कृति निदेशालय	
8	**डेयरी विकास**		
	8.1	दुग्ध आयुक्त	
9	**आपदा प्रबंधन**		
	9.1	आपदा प्रबंधन निदेशालय	
10	**पेयजल**		
	10.1	स्वजल परियोजना	
	10.2	उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान	
	10.3	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	
		10.4.1	अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी
11	**उच्च शिक्षा**		
	11.1	कुमांऊ विश्वविद्यालय	
	11.2	दून विश्वविद्यालय	
	11.3	उच्च शिक्षा निदेशालय	
		11.3.1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर
		11.3.2	ऋषिकुल राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार
		11.3.3	डिग्री कालेज, गरूड़, जनपद बागेश्वर
	11.4	पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	
	11.5	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	
12	**विद्यालयी शिक्षा**		
	12.1	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	
		12.1.1	अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
		12.1.2	जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़
		12.1.3	खण्ड शिक्षा अधिकारी, मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़
		12.1.4	खण्ड शिक्षा अधिकारी, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़

		12.1.5	खण्ड शिक्षा अधिकारी, दशोली, जनपद चमोली
		12.1.6	डायट, गौचर, जनपद चमोली
		12.1.7	डायट, रूड़की, जनपद हरिद्वार
		12.1.8	डायट, अल्मोड़ा
	12.2	सर्व शिक्षा अभियान	
13	**प्राविधिक शिक्षा**		
	13.1	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय	
		13.1.1	आई.टी.आई., युवक, हल्द्वानी
		13.1.2	आई.टी.आई., पिथौरागढ़
		13.1.3	आई.टी.आई., युवक, पिथौरागढ़
		13.1.4	आई.टी.आई., नई टिहरी
		13.1.5	आई.टी.आई., श्रीनगर
	13.2	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद	
14	**निर्वाचन**		
	14.1	राज्य निर्वाचन आयोग	
15	**ऊर्जा**		
	15.1	उरेडा	
	15.2	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	
	15.3	पिटकुल	
	15.4	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.	
		15.4.1	अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी
16	**राज्य सम्पत्ति**		
	16.1	राज्य सम्पत्ति विभाग	
17	**सैनिक कल्याण**		
	17.1	सैनिक कल्याण निदेशालय	
		17.1.1	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, टिहरी
18	**आबकारी विभाग**		
	18.1	आबकारी आयुक्त	
		18.1.1	जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी
19	**वित्त विभाग**		
	19.1	आयुक्त वाणिज्य कर	
	19.2	निबंधक, फर्म सोसाईटी एवं चिट्स	
		19.2.1	पिथौरागढ़
		19.2.2	चम्पावत
		19.2.3	टिहरी

	19.3	लेखा एवं हकदारी, निदेशालय	
	19.4	मनोरंजन कर विभाग	
		19.4.1	टिहरी
	19.5	सहकारी समितियां एवं पंचायतें	
	19.6	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग	
	19.7	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग	
		19.8.1	मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी
20	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**		
	20.1	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
	20.2	राज्य उपभोक्ता वाद विवाद प्रतितोष आयोग	
21	**वन**		
	21.1	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड	
		21.1.1	मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म
		21.1.2	वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ, अल्मोड़ा
		21.1.3	वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, देहरादून
		21.1.4	प्रभागीय वन अधिकारी, टिहरी
		21.1.5	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
		21.1.6	प्रभागीय वन अधिकारी, बागेश्वर
		21.1.7	प्रभागीय वन अधिकारी, चम्पावत
		21.1.8	प्रभागीय वन अधिकारी, अल्मोड़ा
		21.1.9	प्रभागीय वन अधिकारी, टौंस
	21.2	राजाजी राष्ट्रीय पार्क	
	21.3	कॉर्बेट टाईगर रिजर्व	
22	**सामान्य प्रशासन विभाग**		
23	**चिकित्सा एवं परिवार कल्याण**		
	23.1		
		23.1.1	मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी
	23.2	ई.एम.आर.आई. सेवा	
24	**गृह**		
	24.1	महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस	
		24.1.1	जनपद बागेश्वर
		24.1.2	जनपद टिहरी
		24.1.3	जनपद रूद्रप्रयाग
		24.1.4	जनपद देहरादून

		24.1.5	जनपद हरिद्वार
		24.1.6	जनपद चम्पावत
		24.1.7	जनपद अल्मोड़ा
		24.1.8	जनपद पिथौरागढ़
		24.1.9	जनपद पौड़ी
		24.1.10	जनपद रूद्रप्रयाग
		24.1.11	जनपद उधम सिंह नगर
	24.2	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण	
	24.3	होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय	
	24.4	अभियोजन निदेशालय	
25	**उद्यान एवं रेशम**		
	25.1	उद्यान निदेशालय	
		25.1.1	जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी
		25.1.2	जिला उद्यान अधिकारी, चमोली
		25.1.3	जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून
		25.1.4	जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी
		25.1.5	जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार
	25.2	रेशम निदेशालय	
	25.3	भेषज विकास इकाई	
	25.4	चाय विकास बोर्ड	
26	**आवास**		
	26.1	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	
	26.2	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	
	26.3	वरिष्ठ नियोजक, शहरी एवं ग्राम विकास	
	26.4	दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	
27	**उद्योग**		
	27.1	उद्योग निदेशालय	
		27.1.1	भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
		27.1.2	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड
28	**सूचना प्रोद्यौगिकी**		
	28.1	आई.टी.डी.ए.	
	28.1	विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग	
29	**सूचना एवं लोक संपर्क**		
	29.1	सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय	
30	**सिंचाई**		

	30.1		मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)
		30.1.1	अधिशासी अभियंता, जनपद अल्मोड़ा
	30.2		पुनर्वास निदेशालय, टिहरी डैम परियोजना
31	**न्याय**		
	31.1		न्याय विभाग
	31.2		उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी
	31.3		महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड
32	**श्रम एवं सेवायोजन**		
	32.1		श्रम आयुक्त
	32.2		निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
		32.2.1	जिला सेवायोजन कार्यालय, टिहरी
33	**चिकित्सा शिक्षा**		
	33.1		होमयोपैथी निदेशालय
		33.1.1	जिला होमयापैथी चिकित्साधिकारी, टिहरी
	33.2		
		33.2.1	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, बागेश्वर
		33.2.2	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, नैनीताल
		33.2.3	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, चम्पावत
		33.2.4	ऋषिकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी, हरिद्वार
34	**लघु सिंचाई**		
	34.1		लघु सिंचाई
35	**पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण**		
	35.1		पंचायती राज निदेशालय
	35.2		मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
		35.2.1	अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नई टिहरी
36	**विधायी**		
	36.1		विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा विभाग
37	**कार्मिक**		
	37.1		कार्मिक विभाग
	37.2		लोक सेवा अधिकरण
	37.3		उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
38	**नियोजन**		
	38.1		बीस सूत्रीय कार्यक्रम
	38.2		भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण
	38.3		आर्थिक नियोजन निदेशालय

39	**प्रोटोकॉल**			
	39.1	प्रोटोकॉल		
40	**लोक निर्माण विभाग**			
	40.1	लोक निर्माण विभाग सचिवालय स्तर		
	40.2	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)		
		40.2.1	सिंचाई खण्ड, जनपद बागेश्वर	
		40.2.2	प्रांतीय खण्ड, जनपद बागेश्वर	
		40.2.3	अस्थाई खण्ड, घनसाली, जनपद टिहरी	
		40.2.4	निर्माण खण्ड, नई टिहरी	
		40.2.5	अस्थाई खण्ड, श्रीनगर, जनपद पौड़ी	
		40.2.6	निर्माण खण्ड, देहरादून	
41	**धर्मस्व**			
	41.1	श्री बद्री केदार मंदिर समिति		
42	**राजस्व**			
	42.1	राजस्व पुलिस		
	42.2	मुख्य राजस्व आयुक्त **		
		42.2.1	आयुक्त, कुमांऊ मण्डल	
		42.2.2		
		42.2.3	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग	
		42.2.4	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़	
		42.2.5	जिलाधिकारी, पौड़ी	
		42.2.6	जिलाधिकारी, टिहरी	
		42.2.7	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा	
		42.2.8	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	
		42.2.9	जिलाधिकारी, देहरादून **	
		42.2.10	जिलाधिकारी, चमोली	
		42.2.11	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार	
43	**ग्राम्य विकास**			
	43.1	आयुक्त, ग्राम्य विकास **		
		43.1.1	मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा	
		43.1.2	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़	
			43.1.2.1	खण्ड विकास अधिकारी, लोहाघाट
			43.1.2.2	खण्ड विकास अधिकारी, मूनाकोट
		43.1.3	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर	
		43.1.4	मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत	
			43.1.4.1	खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत

			43.1.4.2	खण्ड विकास अधिकारी, बाराकोट
		43.1.5	खण्ड विकास अधिकारी, गैरसैंण	
	43.2	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान		
	43.3	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, टिहरी		
44	**सचिवालय प्रशासन**			
	44.1	सचिवालय प्रशासन विभाग		
45	**समाज कल्याण**			
	45.1	समाज कल्याण निदेशालय		
	45.1.1	जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर		
	45.2	अन्य पिछड़ी जाति आयोग		
	45.3	अनुसूचित जाति जनजाति आयोग		
46	**खेल**			
	46.1	खेल निदेशालय		
		46.1.1	जिला क्रीड़ा अधिकारी, उधम सिंह नगर	
47	**पुनर्गठन**			
48	**गन्ना एवं चीनी**			
	48.1	आयुक्त, गन्ना एवं चीनी		
49	**पर्यटन**			
	49.1	गढ़वाल मण्डल विकास निगम		
	49.2	कुमांऊ मण्डल विकास निगम		
	49.3	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद		
	49.4	राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान		
50	**परिवहन**			
	50.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम		
51	**शहरी विकास**			
	51.1	शहरी विकास निदेशालय		
		50.1.1	नगर पालिका परिषद, टिहरी	
		50.1.2	नगर पालिका परिषद, नैनीताल	
		50.1.3	नगर पालिका परिषद, खटीमा	
		50.1.4	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी	
		50.1.5	नगर पालिका परिषद, किच्छा	
		50.1.6	नगर पालिका परिषद, विकासनगर	
		50.1.7	नगर पालिका परिषद, गदरपुर	
		50.1.8	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़	

		50.1.9	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा
52	**सतर्कता**		
	52.1	सतर्कता ब्यूरो	
53	**जलागम**		
	53.1	जलागम प्रबंध निदेशालय	
54	**महिला एवं बाल विकास**		
	54.1	राज्य महिला आयोग	
55	**युवा कल्याण**		
	55.1	युवा कल्याण निदेशालय	
	55.1.1	जिला युवा कल्याण अधिकारी, टिहरी	
56	**राजभवन**		
	56.1	राजभवन	
57	**विधान सभा**		
	57.1	विधान सभा	
58	**उच्च न्यायालय**		
	58.1	उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड	
	59.1	महाधिवक्ता कार्यालय	

** अभिलेखों को पुनः टंकित न करा, उन्हें मात्र स्कैन कर मैनुअल तैयार किये गये हैं.

आयोग के अंगीकृत संकल्प

दिनांक 30.08.2011 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त :

उपस्थिति :

1. श्री नृप सिंह नपलच्याल,मुख्य सूचना आयुक्त,उत्तराखण्ड.
2. श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.
4. श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.
5. श्री मदन सिंह कुण्डरा, सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
6. डॉ0 शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उपसचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
7. श्री तरेप्पन सिंह, विधि सलाहकार, उत्तराखण्ड सूचना आयोग

कार्यालय द्वारा दिनांक 24/8/2011 को निर्गत बैठक के एजेण्डे हेतु विचारणीय बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त क्रमानुसार निम्न निर्णय लिये गये :

1. केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा टी0एच0डी0सी0 के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या 4519 में पारित आदेश पर कृत मन्तव्य पर विचार–विमर्श (संलग्नक–1)

   माननीय आयोग द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रेषित पत्र का संज्ञान लिया गया।

2. सूचना आवेदकों को सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक प्राप्त पत्रों पर विचार–विमर्श (संलग्नक–2)

   माननीय आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आवेदकों को सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक पत्रों को स्थानीय पुलिस अधीक्षक को समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये। जिसकी प्रति प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जाए।

3. माननीय मत्रीगणों के कार्यालय को लोक प्राधिकारी बनाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर विचार–विमर्श (संलग्नक–3)

   सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5 (1) के अन्तर्गत समस्त कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने का प्राविधान बाध्यकारी है। महामहिम राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय को भी लोक प्राधिकारी बनाया गया है तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय को अवगत कराये जाने के निर्देश हुये।

4. सूचना/अभिलेखों की छायाप्रतियों का शुल्क लोक प्राधिकारियों के खाते में जमा कराने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर विचार–विमर्श (संलग्नक–4)

   माननीय आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शुल्क विषयक प्रकरणों को शासन को प्रेषित किया जाये।

5. माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदयों को आवास के सम्बन्ध में शासन से आये पत्र पर विचार–विमर्श (संलग्नक–5)

माननीय आयोग द्वारा राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र का संज्ञान लिया गया। पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर गम्भीर आपत्ति व्यक्त की गयी। माननीय राज्य सूचना आयुक्तों को मुख्य सचिव के समकक्ष आवास उपलब्ध कराये जाने की बाध्यता से अवगत कराते हुये मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश हुये। मुख्य सचिव को भेजे जाने वाले पत्र में माननीय राज्य सूचना आयुक्तों को मुख्य सचिव के समकक्ष सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 16(5)(ख) में कृत व्यवस्था को रेखांकित किये जाने के निर्देश हुये।

6. मुख्य सचिव, महोदय द्वारा शास्ति के सम्बन्ध में आयोग को प्रेषित पत्र के सम्बन्ध में विचार–विमर्श (संलग्नक–6)

माननीय आयोग द्वारा प्रकरण पर पुनरीक्षण करते हुये यह निर्णय लिये गये कि शास्ति विषयक आदेशों में यह उल्लेख किया जायेगा कि लोक प्राधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 45 दिन के अन्दर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयोग को क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र पर विचार–विमर्श (संलग्नक–7)

माननीय आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता द्वारा याचित क्षतिपूर्ति को केवल सूचना प्राप्त न होने / विलम्ब से प्राप्त होने आदि की स्थिति में उसे जो प्रत्यक्ष हानि हुई है संज्ञान लेकर क्षतिपूर्ति दिए जाने पर विचार किया जायेगा।

8. माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदयों के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श (संलग्नक–8)

आलोच्य प्रकरण पर पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को अनुस्मारक भेजे जाने के निर्देश हुये।

9. आयोग द्वारा अपील/शिकायत के आदेश की प्रति/नोटिस की प्रति स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने के आदेश पूर्व में ही दिये जा चुके है। विगत दो वर्षो के सापेक्ष इस वर्ष डाक व्यय द्विगणित हो चुका है (छायाप्रति संलग्न) साथ ही पावती संलग्न करने पर विचार होना है। (संलग्नक– 9 क, 9 ख)

(i) सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 18(1), 18(1) एफ, 18(2) एवं 19(3) के अन्तर्गत आयोग से निर्गत होने वाले सभी नोटिस पंजीकृत डाक के द्वारा प्रेषित किये जायेंगे।

(ii) आयोग द्वारा अपीलों एवं शिकायतों पर पारित अन्तिम आदेश सामान्यतया साधारण डाक से प्रेषित किये जायेंगे। केवल लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को प्रदत्त विशेष दिशा–निर्देश विषयक आदेश पंजीकृत डाक से प्रेषित किये जायेंगे। इस विषयक समस्त न्यायालय के आशुलेखकों को निर्देशित किया जाता है कि अन्तिम आदेश टंकित होने के उपरान्त उनके प्रेषण हेतु तैयार आवरण पत्र पर **"पंजीकृत डाक"** से तथा **"साधारण डाक से"** अंकित किया जायेगा।

(iii) इसी प्रकार आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले अन्तरिम आदेशों में मात्र वह आदेश जिनकी अगली निर्धारित तिथि में 15 दिनों से कम का समय हो पंजीकृत डाक से प्रेषित किये जायेंगे। शेष आदेश सामान्य डाक से प्रेषित किये जायेंगे तथा प्रेषण से पूर्व उनके कवरिंग में उपरोक्तानुसार **"पंजीकृत डाक से"** तथा **"साधारण डाक से"** अंकित किया जायेगा।

(iv) लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सम्बन्धित पत्र को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 6(3) तथा आयोग से प्रेषित की जाने वाली अन्य डाक साधारण डाक से प्रेषित की जायेगी।

10. उत्तराखण्ड सूचना आयोग में स्टॉफ की वर्तमान स्थिति पर विचार–विमर्श (संलग्नक–10)

आयोग में कार्यरत अनुभवी आशुलेखको को संविदा पर तैनात किये जाने पर विचार हुआ इस हेतु शासन को संदर्भ किया जाये।

11. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के भवन निर्माण की प्रगति पर विचार–विमर्श (संलग्नक–11)

आयोग के भवन निर्माण को शीघ्र पूर्ण किये जाने के उददेश्य से आगामी अनुपूरक बजट में मॉग / प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश हुये।

आगामी 12 अक्टूबर, 2011 को सूचना के अधिकार अधिनियम की छठी वर्षगॉठ को मनाये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

(i) जनहित की दृष्टि से लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का एक संकलन प्रकाशित किया जायेगा।

(ii) उत्तराखण्ड सूचना आयोग के अपडेट को अद्यतन किया जायेगा।

(iii) ऐसे निर्णयों का एक संकलन प्रकाशित किया जायेगा, जिससे सूचना के अधिकार अधिनियम की सार्थकता सामान्य जन–जीवन में परिलक्षित हुई हो।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(प्रभात डबराल)	(अनिल कुमार शर्मा)	(विनोद नौटियाल)	(एन.एस. नपलच्याल)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 03/10/2011 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड सूचना आयोग की बैठक में पारित संकल्प

दिनांक : 03/10/2011

उपस्थिति :

1. श्री एन.एस. नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.

2. श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.

3. श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.

प्रस्ताव : 1

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग में विचाराधीन अपीलों / शिकायतों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित किये जाने के संबंध में।

संकल्प : 1

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग में विचाराधीन अपीलों / शिकायतों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित किये जाने के संबंध में चर्चा की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि किसी वाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित किए जाने का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम में मुख्य सूचना आयुक्त के प्रशासनिक व प्रबन्धन के अधिकारों में निहित है।

प्रस्ताव : 2

प्रार्थना पत्रों में जहॉ पदनाम के आधार पर सूचनाएं मांगी जा रही हैं उन पर अपील दर्ज न करते हुए उन्हें आवेदक को वापिस किये जाने के संबंध में।

संकल्प : 2

कतिपय प्रार्थना–पत्रों में जहॉ पदनाम के आधार पर सूचनाएं मांगी जा रही हैं उन पर अपील दर्ज न करते हुए उन्हें आवेदक को इस निर्देश के साथ वापिस किया जाना होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना मांगने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिकार किसी संस्था या पदनाम से प्रयुक्त किया जाना संगत नहीं होगा। इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव : 3

अर्थदण्ड के संबंध में मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में।

संकल्प : 3

मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि आयोग द्वारा प्रदत्त अर्थदण्ड के वसूली के आदेश द्वारा लोक सूचना अधिकारी के वेतन से काटा जाना तब तक संभव नहीं है जब तक विभाग के आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा वसूली के सम्बन्ध में प्रपत्र में कटौती भरकर नहीं दे दिया जाएगा, इसलिए आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी आदेशों में वसूली हेतु विभागीय आहरण वितरण अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा एवं कोषाधिकारी को सीडी अनुपालन हेतु भेजी जाएगी।

प्रस्ताव : 4

बेंच गठित करने के डीओपीटी द्वारा जारी किये आदेश के संबंध में।

संकल्प : 4

आयोग द्वारा भारत सरकार डीओपीटी विभाग द्वारा जारी उस आदेश का संज्ञान लिया गया जिसमें पृथक से बेंच बनाए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उस आदेश को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगित किए जाने का भी संज्ञान लिया गया एवं इस संबंध में विनियम जारी करने के निर्देश दिये गये।

2. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को आदेशित किया गया कि उपरोक्त अनुमोदित संकल्प को बैठक की निर्धारित पंजिका में भी चस्पा करते हुए कार्यालय आदेश प्रस्तुत करें.

(अनिल कुमार शर्मा)	(विनोद नौटियाल)	(एन.एस. नपलच्याल)
सूचना आयुक्त	सूचना आयुक्त	मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 15/11/2011 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आहूत बैठक में पारित संकल्प

दिनांक : 15/11/2011

उपस्थिति :

1. श्री नृप सिंह नपलच्याल,मुख्य सूचना आयुक्त,उत्तराखण्ड.
2. श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.
4. श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.

प्रस्ताव : 1

आयोग के विचाराधीन वादों को शीघ्र निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

संकल्प : 1

आयोग के विचाराधीन वादों को शीघ्र निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक पीठ के द्वारा लंबित वादों का आंकलन अपने स्तर पर कर लिया जायेगा।

प्रस्ताव : 2

आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 18(1)एफ के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले नोटिस में संशोधन किये जाने सम्बन्धी।

संकल्प : 2

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1)एफ के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले नोटिस में निम्नलिखित को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

➢ कारण बताये कि क्यों न आयोग के आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 18(1) एफ सहपठित धारा 20(1), 20(2) में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत दण्ड की कार्यवाही की जाये''?

प्रस्ताव : 3

प्रथम विभागीय अपीलों के सम्यक निस्तारण के सम्बन्ध में।

संकल्प : 3

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर प्रथम विभागीय अपीलो का सम्यक निस्तारण न किये जाने पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी। आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव को इस आशय का पत्र भेजा जाये कि उनके स्तर से समस्त लोक प्राधिकारियों को यह निर्देश किया जाये कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपने–अपने कार्यालयों में दायर 19(1) की अपीलों का सम्यक निस्तारण सुनिश्चित करें तथा प्रथम अपील पर पारित आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

प्रस्ताव : 4

ग्राम प्रधानों को आयोग में सुनवायी हेतु बुलवाये जाने पर उन्हे यात्राभत्ता आदि का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

संकल्प : 4

पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों को लोक सूचना अधिकारी बनाये जाने का प्रकरण विवेचित हुआ एंव इस विषय पर पूर्व में शासन से कृत पत्राचारो का संज्ञान लिया गया, जब तक ग्राम प्रधानो के स्थान पर अन्य नियमित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नही बना दिया जाता तब तक ग्राम प्रधानों को अपीलों की सुनवाई के लिए उपस्थिति हेतु समुचित यात्राभत्ता, आनुषांगिक व्यय, महंगाई भत्ता इत्यादि का लाभ दिया जाये ।इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव को पत्र लिखे जाने पर निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव : 5

आयोग की विनिष्टीकरण नियमावली तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

संकल्प : 5

आयोग कार्यालय में वादो की उत्तरोतर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये अभिलेखों के विनिष्टीकरण की आवश्यकता पर विचार किया गया। देश के अन्य आयोगो से विनिष्टीकरण नियमावली प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये गये । राजस्व न्यायालय एंव उच्च न्यायालय के विनिष्टीकरण नियमावलियों के प्राप्त करने का निर्णय भी लिया गया। इस विषय पर सचिव, उपसचिव, एवं निजी सचिव मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की एक

...माति बनाये जाने एवं अभिलेखों के समुचित मूल्यांकन किये जाने का निर्णय भी लिया गया। यह समिति 2 माह में विनिष्टीकरण नियमावली का ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव : 6

आयोग में वादों की सुनवायी के दौरान न्यायालयों में पक्षकारों के अतिरिक्त व्यक्तियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में।

संकल्प : 6

आयोग कार्यालय में सीमित स्थान की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालयों में पक्षकारों के अलावा अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति उस सीमा तक ग्राहय होगी जब तक उनकी उपस्थिति से न्यायालय के कार्यवाही में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।

प्रस्ताव : 7

आयोग के आदेशों को आर.टी.आई क्लब,उत्तराखण्ड द्वारा उनके समाचार पत्र में प्रकाशन किये जाने के सम्बन्ध में।

संकल्प : 7

आर.टी.आई क्लब , देहरादून द्वारा उनके समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु जो अनुरोध किया गया है उसके सम्बन्ध में यह सूचित करने का निर्णय लिया गया कि आयोग्र के आदेशों की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर लिया जाये।

प्रस्ताव : 8

सूचना आवेदकों से डाक व्यय प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

संकल्प : 8

उक्त विषय पर उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा प्रकाशितएक प्रकाशन (Folder) में प्रकाशित उस बिन्दु का संज्ञान लिया गया जिसके अन्तर्गत सूचना आवेदको से डाक व्यय प्राप्त किये जाने का उल्लेख किया गया है। सूचना आवेदको से डाक व्यय प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में शासन को समुचित निर्णय हेतु सन्दर्भ भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव : 9

आयोग में बैंचो की स्थापना हेतु प्रबन्धन विनियम में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

संकल्प : 9

आयोग के प्रबन्धन विनियम में इस आशय का संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया कि आयोग में बैंच की स्थापना को सम्मिलित कर लिया जाये।

प्रस्ताव : 10

आयोग में चार न्यायालयों के मध्य विभागों को नियत किये जाने के सम्बन्ध में।

संकल्प : 10

दिनांक 1/1/2012 से माननीय मुख्य सूचना आयुक्त एंव राज्य सूचना आयुक्तों के मध्य विभागों के परिवर्तन का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव : 11

अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत अनुश्रवण को अध्यावधिक किये जाने के सम्बन्ध में।

संकल्प : 11

आयोग के आदेशों में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत अनुश्रवण के आदेश की स्थिति को अद्यावधिक करने पर निर्देश दिये गये।

2. आयोग द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या सहित कृत कार्यवाही प्रस्तुत की जाये।

3. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को आदेशित किया गया है कि उपरोक्त अनुमोदित संकल्प को बैठक की निर्धारित पंजिका में भी चस्पा करते हुए कार्यालय आदेश प्रस्तुत करें।

(प्रभात डबराल)	(अनिल कुमार शर्मा)	(विनोद नौटियाल)	(एन.एस. नपलच्याल)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 28/12/2011 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में पूर्ण आयोग की बैठक में लिया गया संकल्प

उपस्थिति :

1. **श्री नृप सिंह नपलच्याल,मुख्य सूचना आयुक्त,उत्तराखण्ड.**
2. **श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.**
3. **श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.**
4. **श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.**

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा उपसचिव राज्य सूचना आयोग को सम्बोधित पत्र संख्या 226/स. नि./ पी एस दिनांक 27/12/2011 का संज्ञान लिया गया जिसके माध्यम से आगामी दिनांक 30/1/2012 को विधान सभा चुनाव की तिथि निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप सूचना आयोग में निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों को व्यक्तिगत सुनवायी हेतु आयोग मुख्यालय (देहरादून) में यथासम्भव न बुलाये जाने और उनको निर्वाचन की तिथि के बाद की तिथि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त विषय पर सूचना आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी माह (जनवरी, 2012) को लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपरिहार्य कारण से जहां उपस्थित होना संभव नहीं हो पा रहा हो वहां अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वादों की सुनवायी में अवश्य उपस्थिति दर्ज करेंगे।

3. यदि लोक सूचना अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि आयोग में उपस्थित नही हो पा रहे हो तो माननीय आयोग द्वारा जारी नोटिस पर लिखित अभिकथन तथा पारित अन्तरिम/अन्तिम आदेशो की अनुपालन आख्यायें आयोग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपरोक्त निर्णय से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाये।

(प्रभात डबराल)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(विनोद नौटियाल)**	**(नृप सिंह नपलच्याल)**
राज्य सूचना आयुक्त	**राज्य सूचना आयुक्त**	**राज्य सूचना आयुक्त**	**मुख्य सूचना आयुक्त**

दिनांक 16/02/2012 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त एवं लिये गये निर्णय

दिनांक :16/02/2012

उपस्थिति :

1. **श्री नृप सिंह नपलच्याल, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।**
2. **श्री विनोद नौटियाल, माननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।**
3. **श्री अनिल कुमार शर्मा, माननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।**
4. **श्री प्रभात डबराल, माननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।**
5. **श्री मदन सिंह कुण्डरा, सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।**
6. **डॉ0 शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उपसचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।**
7. **श्री त्रेपन सिंह, विधि सलाहकार, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।**

प्रस्ताव संख्या 1 :

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले एक आवेदक श्री जगदीश प्रसाद चौहान जिनकी हत्या का समाचार दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ है, के परिप्रेक्ष्य में सूचना आवेदकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में विचार – विमर्श।

संकल्प :

माननीय आयोग द्वारा आर.टी.आई. आवेदक श्री जगदीश प्रसाद चौहान, हरिद्वार की हत्या पर गम्भीर शोक व्यक्त किया गया एवं गहरी संवेदना व्यक्त की गयी। देश में इस प्रकार की एकाधिक घटनाओं तथा प्रदेश में प्रथम घटित इस गंभीर घटना पर चिन्ता व्यक्त की गयी। सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि स्व0 श्री जगदीश चौहान का धमकी मिलने अथवा सुरक्षा चाहने के सम्बन्ध में आयोग को कोई पत्र नहीं मिला था। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से घटना के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली गयी है। आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित को विधिवत दिशा निर्देश जारी किए जायें कि सूचना आवेदनकर्ताओं के द्वारा उत्पीड़न/धमकी मिलने, अथवा जानमाल की सुरक्षा सम्बन्धी आवेदन प्राप्त होने पर प्रशासन द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जायें।

प्रस्ताव संख्या 2 :

सिद्ध–दोष बन्दियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना आवेदन करने एवं तदक्रम में अपील की सुनवायी की अवधि में आयोग में बुलाये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श। इस विषय पर महानिरीक्षक, कारागार को लिखे गये पत्र के आलेख पर चर्चा।

संकल्प :

आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सिद्ध–दोष बन्दियों को सुनवायी में बुलवाने के प्रकरण पर गृह विभाग को विधिक परीक्षण हेतु निर्देशित किया जाये एवं तदनुसार आयोग को अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 3 :

दो सूचना आवेदक श्री सुधीर गोयल एवं श्री सुरेन्द्र अग्रवाल द्वारा आयोग के सम्बन्ध में क्रमशः 37 एवं 11 बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी गयी हैं। प्रबन्धन विनियम में उल्लिखित धाराओं के सापेक्ष उठाये गये बिन्दुओं पर चर्चा।

संकल्प :

सूचना आवेदकों द्वारा आयोग से मांगी गयी सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की संगत धाराओं के क्रम में आयोग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

प्रस्ताव संख्या 4 :

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा लोक प्राधिकारियों को सुनवाई हेतु प्रदत्त किये गये समय सुनिश्चित किये जाने के निर्देशों के सम्बन्ध में विचार–विमर्श।

संकल्प :-

आयोग में चारों न्यायालयों में प्रचलित वादों की नोटिस में सुनवाई के समय के स्थान पर यह अंकित किया जाये कि ***"वादों की सुनवाई पूर्वाहन 11:00 बजे से प्रारंभ होगी।"*** नोटिसों एवं कॉज लिस्ट में यही अंकित किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 5 :

विधि सलाहकार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(2) के तहत तृतीय पक्ष की सूचना से सम्बन्धित प्रकरण में लोक प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही न किये जाने के विषय पर आयोग द्वारा 19(2) का नोटिस दिये जाने का एक आलेख तैयार किया गया है। इससे पूर्व आयोग द्वारा दिये जाने वाले समस्त नोटिस आयोग के अनुमोदनोपरान्त ही अंतिम किये गए हैं इसलिए 19(2) के टैम्पलेट को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा।

संकल्प :

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(2) के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही हेतु माननीय आयोग द्वारा प्रदत्त आदेशानुपालन में रजिस्ट्रार द्वारा लोक प्राधिकारी को पत्र प्रेषित किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या 6 :

राज्य सूचना आयुक्तों के भ्रमण से पूर्व उनके प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में जारी होने वाले कार्यक्रम के आलेख पर चर्चा।

संकल्प :

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं माननीय राज्य सूचना आयुक्तों के प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि समस्त निजी सचिवगण कार्यक्रम तैयार कर सचिव / उपसचिव, सूचना आयोग को अवलोकित करायेंगे एवं तदुपरान्त सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को फैक्स करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 7 :

6.1 मोबाईल वैन को क्रियान्वित करते हुये आगामी माह कार्यक्रम निश्चित किये जाने के निर्देश हुये।

6.2 समीक्षा अधिकारी द्वारा वाद पत्रावलियों में सुचारू रूप से डाक लगाना सुनिश्चित किया जायेगा। कतिपय प्रकरणों में त्रुटियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। जिसका निराकरण समीक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6.3 आयोग से निर्गत डाक एकाधिक बार अप्राप्त होने की घटनायें परिलक्षित हो रही हैं। अतः समस्त डाक (स्थानीय को छोड़कर) रजिस्टर्ड ही प्रेषित होंगे।

6.4 मुख्य सचिव को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जायेगा कि सचिवालय में लोक सूचना अधिकारी अनुभाग अधिकारी से कम स्तर का न हो।

6.5 उक्त कार्यवृत्त / संकल्प कार्यवृत्त की पंजिका में भी चस्पा किया जाये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(प्रभात डबराल)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(विनोद नौटियाल)**	**(नृप सिंह नपलच्याल)**
राज्य सूचना आयुक्त	**राज्य सूचना आयुक्त**	**राज्य सूचना आयुक्त**	**मुख्य सूचना आयुक्त**

दिनांक 26/3/2012 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में पूर्ण आयोग की बैठक में लिया गया संकल्प

उपस्थिति :

3. **श्री नृप सिंह नपलच्याल,मुख्य सूचना आयुक्त,उत्तराखण्ड.**
4. **श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.**
3. **श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.**
5. **श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.**
6. **श्री मदन सिंह कुण्डरा, सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग**
7. **डॉ0 शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उपसचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग**
8. **श्री त्रेपन सिंह बिष्ट, विधि सलाहकार, उत्तराखण्ड सूचना आयोग**

प्रस्तरः--1

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की विगत बैठक में लिये गये संकल्प के क्रम में उत्तराखण्ड सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम 2007 के बिन्दु 18(ग) में अपेक्षित सशोधन पर चर्चा :

संकल्प:1

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर विनियम में जिस प्रकार से उल्लेख किया गया है उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्तरः--2

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) एवं 18(2) के अंतर्गत दर्ज किये गये वादों के संबंध में उन प्रकियाओं पर समीक्षा जिनमें शिकायत मूल आवेदनकर्ता अथवा अन्य पीठ द्वारा न करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा रही हो।

संकल्प:2

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आलोच्य प्रकरण पर आयोग के विधि सलाहकार द्वारा शिकायतकर्ता से मूल आवेदन की प्रति एवं जमा किये गये शुल्क के प्रमाण की प्रति मांगी जायेगी।

प्रस्तरः--3

आयोग की किसी पीठ द्वारा आदेश दिये जाने के बाद भी लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा आयोग के समक्ष उपस्थित न होने पर विचार विमर्श।

संकल्प:3

उत्तराखण्ड वंक्फ बोर्ड द्वारा आयोग के आदेशो की अवमानना किये जाने एवं आयोग में उपस्थित न होने के कारण आलोच्य प्रकरण पर उत्तराखण्ड सूचना आयुक्त द्वारा मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को पत्र प्रेषित किया जायेगा।

संकल्पः4

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में अधिवक्ताओं की उपस्थिति के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को विषय पर विचार--विमर्श हेतु आमंत्रित किये जाने पर निर्णय लिया गया।

प्रस्तरः—5

आयोग में कार्यरत वाहन चालकों एवं अनुसेवकों द्वारा अवकाशों में कार्य करने विषयक प्रतिवेदनों पर चर्चा।

संकल्पः5

उत्तराखण्ड सूचना आयोग एवं उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के मध्य हुये अनुबन्ध के आलोक विषय पर चर्चा हेतु उपनल के अधिकारियों को दिनांक 27/3/2012 को आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्तरः—6

आयोग के समस्त वाहन चालकों को माननीय आयोग के अनुमोदनोपरान्त ही अपने वाहनों में एक्ससरीज लगाने एवं साज सज्जा विषयक आनुषांगिक सामग्री क्रय किये जाने की कार्यवाही किये जाने विषयक सहमति पर विचार—विमर्श।

संकल्पः6

सर्वसम्मति उपरोक्त अनुसार कार्यवाही हेतु सहमति की गयी।

प्रस्तरः—7

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में विगत साढ़े पॉच वार्षों से कार्यरत 2 आशुलेखकों को उपनल के माध्यम से नियुक्त किये गये हैं। उनके अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा स्वीकृत पद के समकक्ष उपनल द्वारा उच्चतर पद पर किये जाने पर चर्चा।

संकल्पः7

आलोच्य विषय पर समुचित कार्यवाही हेतु सामान्य प्रशासन विभांग को सन्दर्भ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्तरः—8

नवागत कर्मचारियों की Performance पर चर्चा तथा कार्यावन्टन में संभावित परिवर्तन पर चर्चा।

संकल्पः8

आयोग के समस्त कर्मचारियो को आयोग के कार्यो की उत्कृष्ठता को ध्यान में रखकर यथेष्ट परिश्रम से कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिये जाने की अपेक्षा की गयी।

प्रस्तरः—9

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की प्रस्तावित विनिष्टीकरण नियमावली पर चर्चा।

संकल्प:9

आयोग के अभिलेखो के विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में 5 वर्षों की समय—सीमा निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्तर —10 : अन्य

1. माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा आयोग के एक त्रैमासिक न्यूज लेटर प्रकाशित किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसका प्रथम संस्करण जून,2012 एवं द्वितीय संस्करण आगामी 12,अक्टूबर,2012 को प्रकाशित किये जाने की अपेक्षा की गयी।

2. नेशनल इनफॉरमैटिक सेन्टर (NIC) के निदेशक को वीडियो क्रांफ्रेसिंग के सम्बन्ध में आवश्यक विचार—विमर्श हेतु आयोग में आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

(प्रभात डबराल)	(अनिल कुमार शर्मा)	(विनोद नौटियाल)	(नृप सिंह नपलच्याल)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	मुख्य सूचना आयुक्त

आयोग की संस्तुतियां

अध्याय : 7

आयोग की संस्तुतियां

आयोग द्वारा इस वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार को निम्नलिखित संस्तुतियां प्रेषित की जा रही हैं. इन संस्तुतियों को क्रियान्वित किये जाने से सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का लोक प्राधिकारियों तथा जनसामान्य के द्वारा सफल क्रियान्वयन में सहायता प्राप्त होगी.

संस्तुति : 1

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा Proactive disclosure तैयार किये गये 17 मैनुअलों को प्रतिवर्ष अद्यतन किये जाने तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अंतर्गत मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से उनको प्रकाशित करने तथा इंटरनैट के माध्यम से प्रसारित करने का दायित्व भी लोक प्राधिकारियों का है.

आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये मैनुअलों के वार्षिक अद्यावधिकरण तथा उनके प्रकाशन एवं इंटरनैट पर अपलोडिंग की कार्यवाही को वार्षिक रूप से माह अप्रैल से जून के मध्य पूर्ण करने के संबंध में प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं.

आयोग की संस्तुति है कि इस संबंध में शासन स्तर से भी समस्त लोक प्राधिकारियों को आयोग के निर्देशानुसार समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाये जिससे लोक प्राधिकारियों के 17 मैनुअल अद्यावधिक हो सकें तथा जनसामान्य को इनके माध्यम से आवश्यक सूचनायें सीधे प्राप्त हो सकें. इस विषय पर लोक प्राधिकारियों के स्तर से की गयी कार्यवाही की समीक्षा शासन स्तर के नोडल विभाग द्वारा की जानी चाहिए.

संस्तुति : 2

सचिवालय स्तर पर अनुभाग अधिकारियों के स्थान पर अनु सचिव व उप सचिव के स्थान पर अपर सचिव को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित कर दिया गया है, यद्यपि पूर्व में अपर सचिव लोक सूचना अधिकारी एवम् सचिव/प्रमुख सचिव प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित थे, लेकिन राजस्व विभाग में विशेषकर तहसीलदार स्तर पर, प्रशासनिक अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है.

आयोग की यह संस्तुति है कि प्रशासनिक अधिकारी से बड़े स्तर के अधिकारी यथा नायब तहसीलदार को लोक सूचना अधिकारी बनाया जाना चाहिये. इसके अतिरिक्त जनपद मुख्यालयों में कुछ जनपदों में अपर जिला मजिस्ट्रेट तो कुछ जनपदों में स्वयं जिलाधिकारी अपीलीय अधिकारी हैं, जिस कारण जनसामान्य के स्तर पर असमंजस एवं भ्रांति रहती है. प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद मुख्यालय स्तर पर इस संबंध में एकरूपता होनी आवश्यक है तथा जिलाधिकारी को ही प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाय ताकि सूचना का अधिकार संबंधी कार्य प्रभावी ढ़ंग से सम्पादित हो सके।

संस्तुति : 3

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 26(2) तथा 26(3) में राज्य सरकार के स्तर पर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है:

धारा 26(2)

समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर अपनी राजभाषा में सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है.

धारा 26(3)

समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा 2 में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा 2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य

(ख) धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकारण के लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नम्बर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रानिक डाक पता

(ग) वह रीति और प्ररूप जिसमें लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाय

(घ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारण के लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य

(ड.) राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाईल करने की रीति भी है

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं, और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किये गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र

उपरोक्त धारा धारा 26(2) तथा 26(3) के क्रम में आयोग की यह संस्तुति है कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त धाराओं का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए.

शासन स्तर से वर्ष 2007–08 में लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों की जो निर्देशिका प्रकाशित की गयी थी, उसे भी अद्यतन किया जाना तथा इस मार्गदर्शिका की व्यापक उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है जिससे जन सामान्य को वांछित सूचना के लोक प्राधिकारी कार्यालय के संबंध में सही लोक सूचना अधिकारी की जानकारी हो सके. आयोग का मत है कि इस मार्गदर्शिका को इलैक्ट्रानिक रूप में भी तैयार किया जाना चाहिए जिससे वैबसाईट के माध्यम से भी उसे प्रसारित किया जा सके.

आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देश

अध्याय : 8

आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देश

प्रदेश के लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा समय – समय पर शासन तथा लोक प्राधिकारियों को यथोचित निर्देश पत्र के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं.

अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन हेतुं आयोग द्वारा अपनी कार्य पद्धति के संबंध में भी समय – समय पर कार्यालय आदेश निर्गत किये जाते हैं.

वर्ष 2011 – 12 में आयोग स्तर से निर्गत ऐसे कुछ निर्देशों को इस अध्याय में संकलित किया गया है।

पत्रांक : 4874 / उ.सू.आ. / 2011

दिनांक : 16 / 05 / 2011

प्रिय सुभाष,

जैसा आप अवगत ही है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम प्रधानों को लोक सूचना अधिकारी तथा संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है.

2. आयोग में प्राप्त हो रही पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित द्वितीय अपीलों की सुनवाई के समय आयोग के समक्ष यह तथ्य आये हैं कि ग्राम प्रधानों द्वारा अधिनियम के संबंध में यथोचित जानकारी न होने के कारण आवेदनकर्ताओं को समय से तथा सही सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है. कई अवसरों पर ग्राम प्रधानों द्वारा अतिरिक्त शुल्क की गलत गणना कर उसकी मांग भी आवेदनकर्ताओं से की जा रही है. इसी प्रकार फोटोकॉपियर मशीन के किराये, सूचना देने वाले कर्मचारियों के वेतन तथा होटल व्यय आदि की मांग भी ग्राम प्रधानों द्वारा आवेदनकर्ताओं से किये जाने जैसे दृष्टान्त भी द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष आये हैं. कतिपय प्रकरणों में ग्राम प्रधानों द्वारा आवेदकों को धमकी दिये जाने की शिकायत भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं.

3. उपरोक्त प्रकरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम प्रधानों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शासन स्तर से कोई प्रशिक्षण न प्रदान किये जाने के कारण उनके द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अपने इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन भली प्रकार से नहीं किया जा रहा है तथा जिस कारण सूचना आवेदनकर्ताओं को वांछित सूचना प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करनी पड़ रही है. अतः यह आवश्यक है कि ग्राम प्रधानों हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाये जिससे ग्राम प्रधानों को सूचना का अधिकार अधिनियम एवं नियमावली के विभिन्न प्राविधानों का भली भांति ज्ञान हो जाये तथा उनके द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया जाना संभव हो सके.

4. उपरोक्त के क्रम में कृपया पंचायती राज विभाग को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि अगले तीन माह में ग्राम प्रधानों हेतु विकास खण्ड स्तर पर अथवा उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर में प्रशिक्षण आयोजित करा लिये जायें. कृपया इस संबंध में कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,
ह0

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

प्रतिलिपि सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित.

ह0
(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफेंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या : 4343 / उ.सू.आ. / 2011 दिनांक : मई 24, 2011

1. **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन**
2. **मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल**
3. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड**
4. **समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड**
5. **समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड**

विषय : लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को पृष्ठांकित अनावश्यक संदर्भ विषयक.

विभिन्न लोक प्राधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर से आयोग में प्राप्त हो रही दैनिक डाक / संदर्भों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि विभिन्न लोक प्राधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों द्वारा आवेदनकर्ताओं को जो सूचना प्रेषित की जाती है उसकी एक प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित की जा रही है. इसी प्रकार विभिन्न प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा उनके स्तर पर निस्तारित की जाने वाली प्रथम अपीलों के आदेशों को आयोग को भी पृष्ठांकित किया जा रहा है.

2. उपरोक्त प्रक्रिया उचित नहीं है. इससे एक ओर लोक प्राधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर समय, धनराशि, स्टेशनरी आदि का अपव्यय तो होता ही है, आयोग के स्तर पर भी अनावश्यक डाक / संदर्भ बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है.

3. लोक प्राधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर से आयोग को केवल उन्हीं सूचनाओं / संदर्भों / आदेशों को आयोग के प्रसंज्ञानार्थ पृष्ठांकित किया जाना आवश्यक है जिन्हें आयोग द्वारा अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई कर अंतरिम अथवा अंतिम आदेशों में आख्या अथवा अनुपालन आख्या हेतु निर्दिष्ट किया गया हो. लोक प्राधिकारियों / **लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों तथा सूचना आवेदनकर्ताओं के मध्य हो रहे किसी भी अन्य पत्राचार को आयोग को पृष्ठांकित करने की आवश्यकता नहीं है.**

4. समस्त लोक प्राधिकारी कृपया अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उपरोक्त वर्णित अनावश्यक पत्राचारों को आयोग को पृष्ठांकित न करने के संबंध में यथोचित रूप से निर्देशित करना सुनिश्चित करें.

ह0

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com

पत्रांक : 4708 / उ.सू.आ. / 2011
दिनांक : 31 / 05 / 2011

प्रिय सुभाष,

जैसा कि आप अवगत हैं सूचना का अधिकार अधिनियम अब अपने क्रियान्वयन के षष्ठम वर्ष में प्रचलित है. विगत पांच वर्षों में आयोग में प्राप्त हुयी द्वितीय अपीलों के तुलनात्मक विश्लेषण के उपरांत विभिन्न समूहों द्वारा सूचना का अधिकार के उपयोग के संबंध में प्रतिशतवार निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुये हैं :

उपयोग का प्रतिशत					
1		2		3	
महिला	पुरूष	ग्रामीण	शहरी	बी.पी.एल.	ए.पी.एल
8%	92%	21%	79%	3%	97%

इसी प्रकार आयोग में प्राप्त हो रही द्वितीय अपीलों में से कुल 83% अपीलें केवल देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल जनपदों से प्राप्त हुयी हैं तथा शेष 09 जनपदों से मात्र 7% द्वितीय अपीलें ही आयोग को प्राप्त हुयी है.

2. उपरोक्त विश्लेषण से विभिन्न समूहों एवं जनपदों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के उपयोग के अत्यधिक अंतर का एक असामान्य ग्राफ स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है तथा स्पष्ट है कि जनसामान्य द्वारा एक सीमित दायरे में ही राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग किया जा रहा है. अधिनियम के संबंध में सीमित जानकारी का होना अधिनियम के उपरोक्त असामान्य प्रयोग का एक प्रमुख कारण है.

3. इस संबंध में मैं आपका ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 26 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें अधिनियम के प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार का दायित्व तथा उसके स्तर से की जाने वाली कार्यवाही का विवरण दिया गया है. इसमें मुख्यतः जनता की, विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की अधिनियम के बारे में समझ की वृद्वि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाये के संबंध में शैक्षिक कार्यक्रम बनाने; कार्यक्रमों का आयोजन करने; लोक प्राधिकारियों के क्रियाकलापों के संबंध में सही जानकारी प्रभावी रूप से प्रसारित किये जाने; लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने; तथा नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन एवं प्रकाशित करने आदि कर्तव्यों का विवरण दिया गया है.

4. आयोग स्तर से विभिन्न प्रकाशनों, कार्यशालाओं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि माध्यमों का प्रयोग कर जनसामान्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा अधिनियम का प्रचार प्रसार करने का प्रयास

किया जाता रहा है. किंतु प्रदेश के नागरिकों द्वारा अधिनियम के वृहद उपयोग को संभव बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 26 की विभिन्न धाराओं का पालन करते हुये राज्य सरकार के स्तर से अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशन, टी.वी. एवं समाचार पत्र विज्ञापन, होर्डिंग, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये.

5. कृपया उपरोक्त के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से समुचित कार्यवाही पूर्ण करने के लिए सम्मत दिशानिर्देश अपने अधीनस्थ स्तरों को निर्गत करने का कष्ट करें जिससे प्रदेश के समस्त नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के उपयोग के संबंध में जानकारी सुलभता से प्राप्त हो सके.

4.9 कृपया शासन स्तर से की गयी कार्यवाही की जानकारी आयोग को भी देने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

ह0

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न लोक प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा/निरीक्षण उनके मार्गदर्शन एवं इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में जनसामान्य की कठिनाईयों के संज्ञान / निराकरण एवं उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड सूचना आयोग के माननीय राज्य सूचना आयुक्तों के मध्य अग्रिम आदेशों तक निम्नवत् क्षेत्र विभाजन किया जाता है :

श्री विनोद नौटियाल मा. राज्य सूचना आयुक्त	श्री अनिल कुमार शर्मा मा. राज्य सूचना आयुक्त	श्री प्रभात डबराल मा. राज्य सूचना आयुक्त
जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी एवं हरिद्वार	जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर	जनपद पौड़ी, रूद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर

संबंधित मा. राज्य सूचना आयुक्त उक्तानुसार भ्रमण, निरीक्षण तथा समीक्षा कर स्थलीय मार्गदर्शन के अतिरिक्त भ्रमण नोट / कार्यवृत्त आदि द्वारा संबंधित प्राधिकारी / अधिकारी का मार्गदर्शन करेंगे तथा आयोग को भी अवगत करायेंगे. उनके द्वारा अपना भ्रमण कार्यक्रम, (एक माह में अधिकतम पांच कार्य दिवस) इस तरह व्यवस्थित किया जायेगा कि आयोग में अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई / निस्तारण समय से होता रहे.

मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदेश के किसी भी जनपद का भ्रमण / निरीक्षण किया जायेगा.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 5474/उ.सू.आ./2011 दिनांक : 22/06/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विनोद नौटियाल, मा. सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
3. श्री प्रभात डबराल, मा. सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
4. आयुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, देहरादून /नैनीताल

5. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशनार्थ.
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक उत्तराखण्ड
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

उप सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com

पत्रांक : 8185 / उ.सू.आ. / 2011
दिनांक : 25 / 08 / 2011

प्रिय श्री रावत,

आयोग में प्राप्त होने वाली विभिन्न द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों तथा अन्य विभिन्न सूत्रों से भी यह तथ्य ज्ञात हुया है कि प्रदेश में विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों की कोई अधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं है. पूर्व में शासन स्तर से प्रकाशित लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों की निर्देशिका भी अब अत्यधिक पुरानी हो गयी है तथा उसमें वर्णित सूचनायें भी बदल गयी हैं जिस कारण जनसामान्य को अपने अनुरोधों को उचित लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रेषित करने में असुविधा होती है.

चूंकि लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों की निर्देशिका की हार्ड कॉपी को सभी स्तरों पर उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, अतः उचित होगा कि इस शासन स्तर से इस निर्देशिका को पुनः अद्यावधिक कर इसकी सॉफ्ट प्रति एन.आई.सी. के पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाये जिससे सभी संबंधित स्तरों पर यह निर्देशिका सुलभता से उपलब्ध हो सके.

कृपया इस संबंध में कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

ह0
(एन. एस. नपलच्याल)

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत
सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

महत्वपूर्ण

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779, ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या : 9874 / उ.सू.आ. / 2011 दिनांक : 28 / 09 / 2011

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
3. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड

विषय : लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(3) का अनुपालन.

महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गयी सूचना 30 दिन के अंदर दिये जाने का प्राविधान है तथा जहां सूचना प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिये जाने की आवश्यकता हो, वहां अधिनियम की धारा 7(3) के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क के लिए नोटिस भेजे जाने हेतु निम्नलिखित प्राविधान है

7(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को –

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गयी संगणनाएं होंगी, देते हुये उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुये कोई संसूचना भेजेगा और संसूचना के प्रेषित और फीस के संदाय के बीच मध्यावर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध करायी गयी पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुये कोई संसूचना भेजेगा.

2. आयोग में द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के समय प्रायः यह देखने में आ रहा है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को अतिरिक्त शुल्क जमा करने हेतु नोटिस अत्यंत विलम्ब से भेजा जाता है तथा कहीं–कहीं तो यह नोटिस देने में पूरे 30 दिन का समय लिया जाता है, जो कि उचित नहीं है. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत 30 दिन का समय सूचना देने हेतु निर्धारित किया गया है तथा यद्यपि अतिरिक्त शुल्क जमा करने हेतु नोटिस दिये जाने के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गयी है, परंतु ऐसे नोटिस **एक समुचित समयावधि** के अंतर्गत ही दिये जाने चाहिए.

3. लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात अतिरिक्त शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया जाता है तथा उसके बाद अतिरिक्त शुल्क की गणना कर शुल्क जमा करने का नोटिस प्रेषित किया जाता है. अतः इस प्रक्रिया में अधिकतम एक सप्ताह अथवा दस दिन का ही समय लगना चाहिए न कि पूरे 30 दिन का. अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का नोटिस दिये जाने से ले कर लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर शुल्क प्राप्त होने की तिथि के मध्य के दिनों को छोड़ कर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर ही सूचना दी जानी होती है. अतः इस तरह अकारण या जानबूझ कर विलम्ब करना अधिनियम की भावना के विपरीत है तथा यह लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर अनुरोधकर्ता को जानबूझ कर परेशान करने की प्रवृत्ति का परिचायक है. अतः सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को दृष्टिगत रखते हुये लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा करने का नोटिस प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के अधिकतम 10 दिन के अंदर दिया जाना आवश्यक है, अन्यथा आयोग द्वारा यह माना जायेगा कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझ कर नोटिस प्रेषित करने में विलम्ब किया गया है.

4. अतः यह आवश्यक है कि समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दे दिया जाये ताकि भविष्य में उनके द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा करने का नोटिस उचित समयावधि के अंतर्गत प्रेषित किया जाये. कृपया इस संबंध में अपने अधीनस्थ समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उपरोक्तानुसार निर्देशित कर उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें.

भवदीय,

ह0

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि कृपया आयोग के उपरोक्त निर्देशों की जानकारी आपके स्तर पर आयोजित किये जाने वाली मण्डलीय तथा जनपद स्तरीय समीक्षा बैठकों में समस्त संबंधित अधिकारियों को उनके मार्गदर्शन तथा अनुपालन हेतु देने का कष्ट करें.

ह0

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

महत्वपूर्ण / आवश्यक

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या : 13159 / उ.सू.आ. / 2011 दिनांक : दिसम्बर 14, 2011

1. **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन**
2. **मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल**
3. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड**
4. **समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड**
5. **समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड**

विषय : लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन.

महोदय / महोदया,

आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना आवेदनकर्ताओं को सूचना प्रदान करने / अनुरोध अस्वीकार करने; अतिरिक्त शुल्क की मांग करने अथवा तृतीय पक्ष की सूचना को देने / अस्वीकार करने के संबंध में प्रेषित किये जाने वाले पत्रों में अतिरिक्त शुल्क की गणना के आधार / अनुरोध अस्वीकृति के विरूद्व अपील करने के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता वर्णित नहीं किये जाते हैं जिसके अभाव में आवेदनकर्ताओं को भ्रम की स्थित बनी रहती है तथा उनके द्वारा आयोग को सीधे ही द्वितीय अपील की जाती है.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य है कि अतिरिक्त शुल्क की मांग करने विषयक पत्राचार करते समय उनके द्वारा आवेदनकर्ता को ऐसे अतिरिक्त शुल्क की गणना का आधार; वह अवधि जिसके भीतर ऐसी गणना की रिव्यू की जा सकती हो तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी के नाम व पते का सम्पूर्ण विवरण भी पत्र में उल्लिखित किया जाये.

3. इसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(8) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य है कि सूचना अनुरोध अस्वीकार करने की स्थिति में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना आवेदनकर्ताओं को ऐसी अस्वीकृति के कारण; वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्व अपील की जा सकती हो तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी के नाम व पते का सम्पूर्ण विवरण भी पत्र में उल्लिखित किया जाये.

4. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि तृतीय पक्ष की सूचना के संबंध में जो निर्णय उनके द्वारा धारा 11(3) के अंतर्गत लिया गया, के सम्बन्ध में तृतीय पक्ष को सूचित करेंगे कि उक्त निर्णय के विरूद्व वे धारा 19 के अन्तर्गत 30 दिन की अवधि में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. समस्त लोक प्राधिकारी कृपया अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को इस संबंध में यथोचित रूप से निर्देशित करना सुनिश्चित करें जिससे अधिनियम के प्रावधानों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित हो सके.

ह0

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

अति महत्वपूर्ण

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक : 2598 / उ.सू.आ. / 2011 दिनाक : 23/2/012

प्रेषक

नृप सिंह नपलच्याल,
मुख्य सूचना आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून

सेवा में

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

विषयः आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं की जान–माल की सुरक्षा के संबंध में मार्गदर्शी निर्देश।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 1956 / उ.सू.आ. / 2011 दिनांक 08 / 03 / 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आयोग के समक्ष प्रस्तुत ऐसे प्रकरणों में से कुछ खास प्रकरण आपके संज्ञान में लाये गये थे जिनमें कतिपय लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अपने पद तथा उनको प्राप्त शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये सूचना आवेदनकर्ताओं को उत्पीड़ित कर हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया तथा इन प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश आपके स्तर से देने का भी आग्रह किया गया था ताकि आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के साथ–साथ उनका किसी भी स्तर पर उत्पीड़न न हों।

आप अवगत ही हैं कि दिनांक 14 / 02 / 2012 की रात्रि में आर0टी0आई0 कार्यकर्ता श्री जगदीश प्रसाद चौहान, निवासी ग्राम फेरूपुर थाना पथरी, जिला हरिद्वार की हत्या की गयी है जिससे आर0टी0आई0 कार्यकर्ता व आम नागरिकों में हतोत्साह व भय व्याप्त है। इस प्रकार की जघन्य घटनाओं से आम नागरिको को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना पर भी कुठाराघात होगा। अतः भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए जा रहे हैः–

1. आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोग के समक्ष अथवा सुनवाई के समय यह शिकायत प्राप्त होने पर कि उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के कारण डराने अथवा जान से मारने की धमकी या फिर आवेदन पत्र वापस लेने के लिए दबाव दिया जा रहा है तब इस प्रकार की शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए आयोग कार्यालय में उक्त आवेदन पत्र को एक विशिष्ट पंजिका जिसका प्रारूप निम्न प्रकार है, में अंकित किया जायेगा।

प्रारूप

क्र0सं0	शिकायतकर्ता का नाम पिता का नाम व पता	थाना/तहसील/जिला	शिकायत प्रस्तुत करने का दिनांक	शिकायत की विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण	जॉच / कार्यवाही हेतु भेजे गये अधिकारी का नाम व पदनाम	शिकायत भेजने का दिनांक	जॉच आख्या प्राप्त होने का दिनांक	जॉच अधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2 उक्त अंकित शिकायती पत्र को तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद के जिलाधिकारी अथवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया जायेगा तथा उसकी एक प्रति प्रमुख सचिव, गृह व पुलिस महानिदेशक को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जायेगी।

3. शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, गृह, पुलिस महानिदेशक व जनपद स्तर पर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर पर भी उपरोक्त प्रारूप पर एक पंजिका रखी जायेगी, जिसमें आयोग द्वारा प्रेषित उक्त शिकायती पत्र तथा उनको सीधे प्राप्त शिकायती पत्रों का विवरण अंकित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऐसे पत्रों तथा सीधे उन्हें प्राप्त होने वाले शिकायती पत्रों को अविलम्ब पंजिका में दर्ज करते हुये जॉच व आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित तहसील/थाने को प्रेषित करेंगे। संबंधित थाने व तहसील स्तर पर भी उपरोक्तानुसार वर्णित प्रारूप पर एक पंजिका रखी जायेगी। जहॉ उपरोक्त अधिकारीगण को यह प्रतीत हो कि शिकायतों की जॉच जिला स्तर पर की जानी आवश्यक है, जिला अधिकारी/पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से जॉच अधिकारी नामित कर शिकायत पर जॉच कराकर तत्काल वैधानिक/निरोधात्मक कार्यवाही सुनश्चित करायेंगे।

5 जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त उक्त शिकायती पत्र को तहसील/थाने स्तर पर रखी पंजिका में अंकित कर जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित क्षेत्र के तहसील/थाने को भेजा जायेगा। यहॉ पर यह विशेष उल्लेख करना है कि इस प्रकार के प्रकरणों की जॉच नायब तहसीलदार अथवा पुलिस उपनिरीक्षक के नीचे के स्तर से नहीं करायी जायेगी।

6. उपरोक्त संबंधित अधिकारी नियत अवधि में अपनी जॉच आख्या व प्रभावी कार्यवाही कर विवरण से तत्काल संबंधित उप जिलाधिकारी अथवा क्षेत्राधिकारी पुलिस को भी अवगत करायेंगे। यदि आवेदक/शिकायतकर्ता नायब तहसीलदार अथवा पुलिस उपनिरीक्षक के द्वारा की गयी कृत जॉच एवं कृत कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तब यह जॉच संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी अथवा क्षेत्राधिकारी पुलिस के द्वारा स्वयं की जायेगी तथा उनके द्वारा अपने स्तर से समुचित कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी एवं अपनी आख्या जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेंगे।

7. किसी भी आर0टी0आई0 कार्यकर्ता के साथ उत्पीड़न, हिंसक वारदात अथवा हत्या जैसी घटना घटित होने पर राजस्व पुलिस क्षेत्र में नायब तहसीलदार, उपजिलाधिकारी व नियमित पुलिस क्षेत्र में संबंधित थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

8. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवेदक के प्रार्थना पत्र पर की गई जॉच व कार्यवाही की आख्या एक माह के उत्तराखण्ड सूचना आयोग को सीधे प्रेषित करते हुए यथास्थिति से प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को भी प्रेषित करेंगे।

इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों की जॉच तथा उन पर की गई कार्यवाही की समीक्षा जिला स्तर पर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रत्येक माह स्वयं की जायेगी तथा इसकी आख्या प्रत्येक माह नियमित रूप से राज्य सूचना आयोग को भेजी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत करने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत करायें। शासन स्तर से जारी किए गए निर्देश की प्रति आयेाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवनिष्ठ,

(नृप सिंह नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून
3. समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड

23/2/12

(नृप सिंह नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / शिकायतों में आरोपित शास्तियां तथा अंकित आदेशों का सार

क्रम संख्या	शिकायत / अपील संख्या	दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी किया हो तो उच्च न्यायालय की रिट पेटिशन संख्या तथा दिनांक	अभ्युक्ति
1	अ–3315	7/4/2011	श्री भूपेन्द्र कुमार, एच– 255, नेहरू कालोनी, देहरादून। 1. लोक सूचना अधिकारी /उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, 8/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, उत्तराखण्ड। विभागीय अपीलीय अधिकारी/निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, 8/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, उत्तराखण्ड। पुलिस अधीक्षक, पौड़ी।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार। लोक प्राधिकारी/ निदेशक, कार्यालय राजाजी राष्ट्रीय पार्क, 8/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, उत्तराखण्ड। वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।			
2	अ–3381		श्री सुधीर गोयल सी–21 नेहरू कॉलोनी, देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय, देहरादून।उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, 8/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, उत्तराखण्ड विभागीय अपीलीय अधिकारी /निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, 8/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, उत्तराखण्ड। पुलिस अधीक्षक,पौड़ी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार। लोक प्राधिकारी/ निदेशक, कार्यालय राजाजी राष्ट्रीय पार्क, 8/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, उत्तराखण्ड। वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।	लोक प्राधिकारी/निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून के द्वारा 30 दिन के अंदर श्री भूपेन्द्र कुमार एवं श्री सुधीर गोयल को **5000 रू0– 5000 रू0 (पॉच–पॉच हजार रू0 प्रत्येक) की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा**		

3	अ–3431	13.04.2011	इं. पी0के0 चमोली, एच– 235, कैलाश विहार, लाडपुर, देहरादून। लोक सूचना अधिकारी /मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून। विभागीय अपीलीय अधिकारी /सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून। लोक प्राधिकारी/ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,			
4	अ–3817 शि–4486	7/5/2011	श्री रमेश चन्द्र चौहान, पुत्र स्व0 श्री नाहर सिंह, वैस्ट कैनाल रोड, सेवला कलॉ, माजरा जिला देहरादूनलोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून। विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी देहरादून	लोक प्राधिकारी कार्यालय कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून पर 3000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है।		लोक प्राधिकारी कार्यालय कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून पर 3000 रूपये की क्षतिपूर्ति कार्यालय कृषि निदेषक के पत्र संख्या 846/2010–11 दिनांक 7/5/2011 के द्वारा अनुपाल कर दिया गया है ।
5	शि–3485		श्री द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री श्यामलाल ग्राम व पोस्ट श्रीकोट गंगानाली, श्रीनगर लो0सू0अधि0 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। विभागीय अपीलीय अधिकारी निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी	लोक सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिक्षक बेस चिकित्सालय श्रीनगर पर 5000 की धनराशि आरोपित की जाती है।		
6	अ–4503	19/5/2011	श्री नरेश कुमार धीमान श्री हनुमान जी मन्दिर, हिल बाईपास रोड, नजदीक औद्योतिगक क्षेत्र, हरिद्वार–24940 लोक सूचना अधिकारी / नायब तहसीलदार, ज्वालापुर हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी / तहसीलदार	लोक सूचना अधिकारी नायब तहसीलदार, हरिद्वार पर 25,000 रू0 का दण्ड आरोपित किया जाता है ।		

7	अ–4267	20/5/2011	श्री राजेश सरकार, पत्रकार, स्टेशन रोड, हल्द्वानी, नैनीताललोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी अनु सचिव गृह को 5000 रू0 की शास्ति आरोपित की जाती है ।		
8	अ–4614	23/5/2011	सुश्री उर्मिला देवी,वीरपुर खुर्द, पोस्ट पशुलोक, जिला देहरादून, उत्तराखण्डलोक सूचना अधिकारी /कार्यालय जिला अधिकारी, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड विभागीय अपीलीय अधिकारी /जिला अधिकारी, देहरादून	अपर जिला अधिकारी देहरादून पर 10000, रू0 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया जाता है ।		
9	अ–4466/2011		श्रीमती दुर्गा नैथानी, 29, सरकुलर रोड, एकता कालोनी, डालनवाला, देहरादूनलोक सूचना अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी, रायपुर, देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून			
10	शि–3708		श्री अम्बादत्त जोशी, सहायक अध्यापकलोक सूचना अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊ मण्डल नैनीताल	प्रधानाचार्य पर 10,000 रू0 क्षतिपूर्ति आरोपित किया गया है ।		
11	अ–4401/11	25/5/011	श्री कुवरपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह, 30 / 7, लक्ष्मी विहार, गणेशपुर, रूड़की लोक सूचना अधिकारी/ नायब तहसीलदार, रूड़की विभागीय अपीलीय अधिकारी/तहसीलदार, रूड़की	लोक सूचना अधिकारी नायब तहसीलदार पर 10000 रू0 की दण्ड आरोपित किया जाता है ।		
12	शि0–4350	27/5/011	श्री भीष्म चन्द्र सिंह लोक सूचना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास अधिकारी उत्तरकाशी	लोक सूचना अधिकारी पर 5000 का दण्ड आरोपित किया जाता है ।		

13	अ–3642	23/5/2011	श्री जे.पी. चौहान, ग्राम फेरूपुर, पोस्ट धनपुरा, जिला हरिद्वारलोक सूचना अधिकारी/उपनिदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, जिला नैनीताल विभागीय अपीलीय अधिकारी/ निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी, जिला नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– रू0 का दण्ड आरोपित किया जाता है ।		
14	अ–4530	1/6/2011	श्री गुरू प्रसाद नवानी, ए –165 नेहरू कालोनी, देहरादूनलोक सूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार, ऋषिकेश, जिला देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/तहसीलदार, ऋषिकेश, जिला देहरादून	लोक सूचना अधिकारी पर 25,000 रू0 का दण्ड आरोपित किया जाता है।		
15	शि0–4538	2/6/2011	श्री राकेश कटारियालोक सूचना अधिकारी/ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी काशीपुर रूड़की विभागीय अपीलीय अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी रूड़की जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी पर 5000 रू0 का अर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है		
16	अ–4331	8/6/2011	श्री आर0एस0नेगी, केन्द्री संगठन मंत्री यू0के0डी0 कैम्प कार्यालय ग्राम झपड़ीचौड़, पूर्वी पोटर विकास खण्ड दुगडड़ा लोक सूचना अधिकारी/उपजिला अधिकारी सतपुली जिला पौड़ी गढ़वाल विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला अधिकारी जिला पौड़ी गढ़वाल	लोक प्राधिकारी कार्यालय/ उपजिला अधिकारी लैंसडाउन पर 5,000 रू0 की क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाता है	WP NO. 2389/MIS/2011	
17	अ–2667	1/6/2011	श्री रमेश चन्द्र मासीवाल, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनवार्स कार्यालय हल्द्वानी जिला नैनीताल लोक सूचना अधिकारी/तहसीलदार कालाढ़ी, जिला नैनीताल विभागीय अपीलीय अधिकारी /उप जिला अधिकारी हल्द्वानी जिला नैनीताल	लेक सूचना अधिकारी तहसीलदार/ कालाढूगी हल्द्वानी पर 5,000 रू0 की शास्ति आरोपित किया जाता है ।		

18	अ–4494	6/6/2011	श्री आशुतोष कुमार यादव, श्री गांधी आश्रम–102 चन्दर नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी	लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून पर 10,000 रू0 की शास्ति आरोपित किया जाता है ।		
19	शि0–4443	11/5/2011	श्री बन्दना एस द्वारा श्री तारा सिंह दानू, अनुपम बिहार, लाहोरियासाल, मल्ला हल्द्वानी जिला नैनीताल लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, उत्तरकाशी विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर, गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक उत्तरकाशी को 10,000 रू0 की शास्ति आरांपित की जाती है ।		पत्रांक संख्या 319/दिनांक 18/6/2011 द्वार अवगत कराया गया है कि चालान संख्या 13 दिनांक 16/6/2011 को 10,000 रू. जमा करवा दिये गये है ।
20	शि0–3470	12/7/2011	श्री सीता राम भट्ट से0नि0 प्रधानाचार्य बनाम प्रधानाचार्य /समतुल्य लोक सूचना अधिकारी रा0इ0का0 क्यार्क, पौड़ी गढ़वाल,	लोक सूचना अधिकारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 क्यार्क पौड़ी गढ़वाल एक –एक हजार (1000–1000) का दण्ड आरोपित किया जाता है ।		पत्रांक संख्या 119/लो0सू0/2011–12 दिनांक 19.8.2011 के द्वारा 2000 रू0 का भुगतान कर दिया गया है ।
21	A-3751	15.4.2011	श्री सीता राम भट्ट से0नि0 प्रधानाचार्य बनाम प्रधानाचार्य /समतुल्य लोक सूचना अधिकारी रा0इ0का0 क्यार्क, पौड़ी गढ़वाल,	नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी पर 5000 का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है । वर्तमान लोक सूचना अधिकारी पर भी 2000 का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है ।		
22	A-3753	8.4.2011	श्री भाष्कर चन्द्र बृजवासी 6/130 तल्ली बमोरी, नवाबी रोड, हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड बनाम लोक सूचना अधिकारी/ नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी जिला नैनीताल।	लोक सूचना अधिकारी /अपर जिलाधिकारी नैनीताल,उत्तराखण्ड पर 5000 रू0 की शासित	The penalty imposed upon the petitioner by the impugned order shall remain stayed.	

23	A-4198	23.3.2011	श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व. राम चन्द्र निवासी मौ. टांडा बंजारा तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंह नगर पो. ओ. सुल्तानपुर पट्टी बनाम लोक सूचना अधिकारी /नायब तहसीलदार, बाजपुर	लोक सूचना अधिकारी /नायब तहसीलदार, बाजपुर पर 5000 रू0 की शासित	WP No. 780/MIS/2011The order imposing the cost on the petitioner does not suffer from any error of law. The writ petition is dismissed.	
24	A-4231	3.5.2011	श्री सुधीर गोयल सी–21 नेहरू कॉलोनी, देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय, देहरादून।	लोक सूचना अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय, देहरादून पर 25000 रू0 की शासित	WP No. 1174/011Hon'ble High Court vide its order dt 14/6/011 has been pleased to stay the effect and operation of the sail order passed by the CIC until further Action	
25	C-4232	19.5.2011	श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री छोटेलाल, निवासी–ग्राम ध्याननगर (नारायणपुर) पो0 व तहसील जसपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी/ तहसीलदार जसपुर, उधमसिंहनगर	लोक सूचना अधिकारी/ तहसीलदार जसपुर, उधमसिंहनगर पर 25000 रू0 की शासित	WP No. 1017/MS/2011 The Part of the impugned order dated 19.5.2011 by which penalty of Rs. 25,000/- has been impugned upon petitioner shall remain stayed	
26	A-4253	6.4.2011	श्री हर्षवर्धन रावत गली न0–9 मीनानगर आई.डी.पी. एल. पो.ओ.– वीरभद्र देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी/अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / तत्कालीन तहसीलदार, ऋषिकेश पर 5000 रू0 की शासित	WP No. 1268/MIS/011The WP is dismissed	
27	A-4267	20.5.2011	श्री राजेश सरकार, पत्रकार, स्टेशन रोड, हल्द्वानी, नैनीताल बनाम लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन	लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन पर 10,000 रू0 की शासित		

28	A-4285	16.3.2011	श्री आनन्द बल्लभ पेटशाली स्व श्री शिवदत्त पेटशाली ग्राम व पत्रालय बनाम लोक सूचना अधिकारी /उप जिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा पेटशाली, जिला अल्मोड़ा	लोक सूचना अधिकारी/जिलाधिकारी सदर, अल्मोड़ा व लोक सूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार, सदर अल्मोड़ा पर 5000 रू0 की शास्ति		
29	C-4350	27.5.2011	श्री भीष्म चन्द्र पुत्र श्री शेर सिहं, ग्राम–पाली पो.ओ. –कुयनौर तहसील बड़कोट जिला, उत्तरकाशी	लोक सूचना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास अधिकारी, उत्तरकाशी पर 5000 रू0 की शास्ति		
30	C-4353	10.8.20111	श्री प्रवीण कुमार पुत्र ज्ञान सिंह ग्राम–निजामपुर डा0 गुरूकुल नारसन जिला हरिद्वार बनाम लोक सूचना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास अधिकारी, उत्तरकाशी	लोक सूचना अधिकारी/ नायब तहसीलदार, रूड़की पर 10,000 रू0 की शासित		
31	A-4496	2.6.20111	श्री हरिओम अग्रवाल पुत्र श्री किशन लाल किचन एम्पोरियम, सराय गंज, बद्री भवन के पीछे, काशीपुर, उधम सिंह नगर जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल पर 25000 रू0 की शासित		
32	A-4503	19.5.20111	श्री नरेश कुमार धीमान श्री हनुमान जी मन्दिर, हिल बाईपास रोड, नजदीक औद्योतिगक क्षेत्र, हरिद्वार बनाम अधिकारी/नायब तहसीलदार, हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी / तहसीलदार हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार, हरिद्वार पर 25000 रू0 की शासित		
33	C-4532	26.7.2011	श्री पानसिंह चिलवाल पुत्र श्री मोती सिंह चिलवाल अध्यक्ष युवामंगलदल ग्राम व पोस्ट बडौन ओखलकांडा, नैनीताल नायब तहसीलदार, हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/ ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बडौन लूगड विकास खण्ड ओखलकांडा, नैनीताल पर 5000 रू0 की शासित		

34	C-4538	2.6.2011	श्री राकेश कटारिया पुत्र श्री रहतू लाल, निवासी ग्राम व पोस्ट तान्शीपुर जिला हरिद्वार विकास खण्ड रूड़की उत्तराखण्ड बनाम लोक सूचना अधिकारी ग्राम प्रधान, ताशीपुर विकास खण्ड रूड़की, हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी ग्राम प्रधान, ताशीपुर विकास खण्ड रूड़की, हरिद्वार पर 5000 रू0 की शासित		
35	A-4539	5.8.2011	श्री सुरेन्द्र प्रकाश मलिक पुत्र श्री भूपाल सिंह मलिक 8–निर्मला छावनी, बनाम लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/ कलैक्ट्रेट, हरिद्वार पर 10,000 रू0 की शास्ति	Writ Petition received. Final order has been not received	
36	C-4566	20.7.2011	श्री शंकर दत्त जोशी पुत्र श्री लाल मणी जोशी, ग्राम–जाजर पो.ओ.–खेती जिला अल्मोड़ा बनामलोक सूचना अधिकारी/तहसीलदार भनोली, जिला अल्मोड़ा	लोक सूचना अधिकारी / तहसीलदार भनोली, जिला अल्मोड़ा पर 10,000 रू0 की शास्ति		
37	A-4614	23.5.2011	सुश्री उर्मिला देवी वीरपुरखुर्द पोस्ट पशुलोक, देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून पर 10,000 रू0 की शास्ति		
38	A-5108	29.8.2011	श्रीमती रोमा सिंह वार्ड नम्बर–11 भोटिया पड़ाव, तिकोनिया हल्द्वानी जिला बनाम लोक सूचना अधिकारी/ नायब तहसीलदार सर्वे, तहसील हल्द्वानी जिला तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी/ तहसीलदार हल्द्वानी, नैनीताल ।	लोक सूचना अधिकारी/ नायब तहसीलदार सर्वे, तहसील हल्द्वानी जिला पर 10,000 रू0 की शास्ति		
39	A-4530	1.6.2011	श्री गुरू प्रसाद नवानी–ए 165 नेहरू कालोनी देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार, ऋषिकेश, देहरादून तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी / तहसीलदार, ऋषिकेश, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार, ऋषिकेश, देहरादून पर 25000 रू0 की शासित		

40	A-4487	26.7.2011	श्री बलजिन्दर सिंह पुत्र श्री तेज सिंह निवासी मकान न0 342 ग्राम किमवाल, चण्डीगढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी / पुलिस अधीक्षक, जनपद रूद्रप्रयाग तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी / पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग पर 10,000 रू0 की शास्ति		
41	A-4497	29.7.2011	श्री भाष्कर चन्द्र बृजवासी 6 / 130, तल्ली बमोरी नवाबी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल बनाम लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी / कार्यालय, मुख्य सचिव उत्ताखण्ड शासन, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन पर 25000 रू0 की शासित	Writ Petition received. Final order has been not received	
42	A-4235	31.5.2011	श्री जतिन दुग्गल पुत्र श्री एस.के. दग्गल निवासी विग न0 05 प्रेमनगर देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी / अपर पुलिस अधीक्षक, विकासनगर, देहरादून तथा विभाभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर पुलिस महानिदेशक, गढ़वाल परिक्षेत्र उत्तराखण्ड, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / अपर पुलिस अधीक्षक, विकासनगर, देहरादून देहरादून पर 10,000 रू0 की शास्ति	WP No. 1296/2011MIS. In the meantime the penalty imposed by the Chief Information Commission shall remain stayed.	
43	A-4331	8.6.2011	श्री आर0 एस0 नेगी केन्द्रीय संगठन मंत्री, यू0के0डी0 कैम्प कार्यालय ग्राम झपड़ीचौड़ पूर्वी पोस्ट झपड़ीचौड़, विकास खण्ड दुगड्डा बनाम लोक सूचना अधिकारी / उपजिलाधिकारी, सतपुली, जिला पौड़ी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी / जिलाधिकारी, जिला पौड़ी	लोक प्राधिकारी / कार्यालय उपजिलाधिकारी, लैंसडाउन पर 5,000 रू0 की क्षतिपूर्ति	WP NO. 2389/MIS/2011	
44	A-4592	25.8.2011	श्री एस.आर.टमटा, प्रभारी कोषाधिकारी भिकियासैण, जनपद अल्मोड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी / कोषागार प्रभाग, निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी / उप निदेशक, निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, साह स्टेट इण्टरनल आडिट	लोक सूचना अधिकारी / कोषागार प्रभाग, निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड पर 5000 रू0 की शासित		

45	C-3371	17.3.2011	श्री मनीष कुमार पुत्र श्री कृपाल सिंह निवासी ग्राम बैंतवाला पोस्ट कुण्डा, तहसील जसपुर जनपद उधम सिंह नगर बनाम सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर जिला नैनीताल, निदेशक विद्यालयी षिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, तपोवन देहरादून	सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के कार्यालय पर शिकायतकर्ता को 25000/ रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
46	C-3485	21.3.2011	श्री एस0एस0 गुलाटी सीनियर सीटिजन 97, रामनगर रूड़की जिला हरिद्वार बना महाप्रबंधक उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन गढ़वाल क्षेत्र 120, हरिद्वार रोड देहरादून प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, उर्जा भवन कांवली राड देहरादून	प्रबंध निदेशक, निदेशक उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, उर्जा भवन कांवली राड देहरादून पर शिकायतकर्ता को 25000/ रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
47	C-3418	22.3.2011	श्री रावबुद्धन खां ग्राम एवं डाकखाना, गढ़मीरपुर बनाम खण्ड शिक्षा अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी), बहादराबाद, हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी (विभागीय अपीलीय अधिकारी), हरिद्वार	खण्ड शिक्षा अधिकारी बहादराबाद के कार्यालय पर 2000/ रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
48	C-4426	03.5.2011	श्री दीपक कुमार सिंह एडवोकेट चैम्बर नं0–287 सिविल कोर्ट हरिद्वार बनाम लोक सूचना अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण रूडकी जिला हरिद्वार	लोक प्राधिकारी के रूप में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण रूड़की जिला हरिद्वार कार्यालय पर 2000/ रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
49	A-3507	07.4.2011	श्री सूरजमणी जखमोला ग्राम व पो0– गटकोट वाया सिलोगी, पट्टी मल्लाढॉगू विकास खण्ड द्वारीखाल बनाम खण्ड विकास अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी, द्वारीखाल पौडीगढवाल	लोक प्राधिकारी के रूप में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारीखाल पर 2000/ रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		

50	A-3416	25.2.2011	श्री सौराज कुमार राना पुत्र स्व0 श्री राजराम नि0 सीमली, लक्सर बनाम अनुसचिव (लोक सूचना अधिकारी), गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। संयुक्त संचिव (विभागीय अपीलीय अधिकारी), गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन देहरादून के कार्यालय पर 2000/ रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
51	A-4347	14.7.2011	श्रीमती सर्वेश्वरी थपलियाल 61–आर्दश विहार कारगी रोड देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण) उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/महाप्रबंधक मुख्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन बी–ब्लॉक नेहरू कॉलोनी देहरादून	महाप्रबंधक मुख्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के कार्यालय पर 3000/ रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
52	C-4100	14.7.2011	श्री संदीप त्यागी 456, गली न0 10, राजेन्द्र नगर रूडकी, बनाम लोक सूचना अधिकारी/जल सस्थान उत्तराखण्ड नेहरू कॉलोनी देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/कार्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान नेहरू कॉलोनी देहरादून	मुख्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के कार्यालय पर 3000/ रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
53	A-4291	21.7.2011	श्री गुरदीप सिंह बुटोला पुत्र श्री खेमसिह बुटोला निवासी ग्राम पथरी बाग 2 बस्ती न0 2 पो0 आ0 अम्बूवाला तहसील व जिला हरिद्वार बनाम लोक सूचना अधिकारी/पुर्नवास निदेशालय टिहरी बांध नई टिहरी उत्तराखण्ड	निदेशक पर्नवास निदेशालय टिहरी गढ़वाल के कार्यालय पर 3000/ रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है		
54	A-4548	04.7.2011	श्री दयाराम पुरोहित श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति ग्राम व पोस्ट मटई वाया नन्दप्रयाग जिला–चमोली उत्तराखण्ड बनाम लोक सूचना अधिकारी/निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पोखरी(चमोली)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पोखरी(चमोली) गढ़वाल के कार्यालय पर 2000/ रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		

55	A-3470	17.6.2011	श्री सीताराम भट्ट, से0नि0 प्रधानाचार्य,बी–1 निकट सर्किट हाउस बनाम जिला शिक्षा अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, पौडीगढवाल अपर शिक्षा निदेशक/विभागीय अपीलीय अधिकारी, गढ़वाल मण्डल, पौडी	जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी के कार्यालय पर 2000/ रू0 तथा लोक प्राधिकारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 क्यार्क पौड़ी गढ़वाल पर भी 2000रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
56	A-4193	13.4.2011	श्री पंकज कुमार पुत्र स्व0 श्री चन्द्र ग्राम व पोस्ट रानीपोखरी, ब्लाक डोईवाला, जिला देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ऋषिकेश–देहरादून विभागीय अपीलय अधिकारी/उप महाप्रबंन्धक, विद्युत वितरण मण्डल(ग्रामीण), 18 ई0 सी0 रोड, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ऋषिकेश– देहरादून पर 2000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
57	A-4958	12.8.2011	श्री बी0 एस0 नेगी सहायक अभियनता, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल, उत्तराखण्ड बनाम लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल विभागीय अपीलीय अधिकारी /सचिव, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,	सचिव, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर 2000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।	WP No. 1167/2011/MIS The penalty, which has been imposed as per the impugned order dated 22nd February 2011 is on the office of the MDDA. The writ petition is consequently dismissed.	
58	A-4009	22.2.2011	श्री आर0सी0 जखवाल, 76/1, नैशविला रोड, देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। विभागीय अपीलीय अधिकारी/सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून, उत्तराखण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड	उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून, उत्तराखण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड के कार्यालय पर 2000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।	The penalty, which has been imposed as per the impugned order dated 22nd February 2011 is on the office of the MDDA. The writ petition is consequently dismissed.	अपीलकर्ता श्री जखवाल को क्षतिपूर्ति राशि रू0 2000 का चैक संख्या 502536 दिनांक 27.7.2011 भेजा गया है ।

59	A-4347	01.7.2011	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुकवा सिंह, ग्राम ब्रह्मपुरी, रावली महदूद, बहादराबाद, हरिद्वार बनाम लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय, सिडकुल, 2 न्यू कैन्ट रोड, देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी / महाप्रबंधक, सिडकुल, 2 न्यू कैन्ट रोड, देहरादून	लोक प्राधिकारी महाप्रबंधक, सिडकुल, 2 न्यू कैन्ट रोड, देहरादून के कार्यालय पर 3000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
60	A-4695	07.7.2011	श्री डी0 डी0 भट्ट जौयविला, तल्लीताल, जिला नैनीताल बनाम कार्यालय, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल सचिव, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल	लोक प्राधिकारी नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल सचिव, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल के कार्यालय पर 5000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
61	A-4525	12.7.2011	डा0 एस0 के0 शर्मा 3 पंचशील पार्क, चकराता रोड, देहरादून–248006 बनाम लोक सूचना अधिकारी /प्राचार्य, श्री गुरूराम राय पी0 जी0 कालेज, देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी /प्रबंधक, श्री गुरूराम राय पी0 जी0 कालेज, देहरादून	लोक प्राधिकारी श्री गुरूराम राय पी0 जी0 कालेज, देहरादून के कार्यालय पर 5000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।	Writ Petition received. Final order has been not received	
62	A-4968	26.7.2011	श्री प्रदीप दत्ता 11 चन्द्र रोड डालनवाला देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी ,ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी, ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून	लोक प्राधिकारी ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के कार्यालय पर 5000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
63	A-2703	03.3.2011	श्री अजीत सिंह उप महाप्रबंधक (सं0)उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0, गढ़वाल क्षेत्र, 120 हरिद्वार रोड, देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी / उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, लि0 ऊर्जा भवन, कावली रोड, देहरादून। विभागीय अपीलीय अधिकारी / उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 महाप्रबंधक (आर.सी.एम.)	लोक प्राधिकारी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, लि0 ऊर्जा भवन, कावली रोड, के कार्यालय पर 3000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		

64	A-3358	11.3.2011	श्रीमती सत्यवती रावत, पत्नी श्री ज्ञान सिंह रावत, आर0के0 पुरम–1, गली नम्बर–4, मानपुर रोड काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर बनाम लोक सूचना अधिकारी/ खण्ड शिक्षा अधिकारी नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	खण्ड शिक्षा अधिकारी नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी कार्यालय पर 3000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
65	A-3539	16.3.2011	श्री घनश्याम सिंह जैनर 75/1 आई.आर.आई. कालोनी, रूड़की, जिला हरिद्वार लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	लोक प्राधिकारी/सचिव/ सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून लोक सूचना अधिकारी कार्यालय पर 2000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।	Writ Petition received. Final order has been not received	
66	A-4166		श्रीमती शान्ती देवी, बी0–4/ 3183, बसन्त कुज, नई दिल्ली–110070 लोक सूचना अधिकारी/जलकल अभियनता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश महाप्रबंधक(मु0), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जलभवन, बी–ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून	लोक प्राधिकारी जलकल अभियनता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश महाप्रबंधक(मु0), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जलभवन, बी–ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादूनकार्यालय पर 2000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
67	A-4404	03.5.2011	श्री आसिम खान ग्राम मिस्सरवाला, पो0 ओ0 कुण्डा, काशीपुर (उधम सिंह नगर), उत्तराखण्ड बनाम अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड तीन पानी हल्द्वानी, जिला–नैनीताल, उत्तराखण्ड अधीक्षण अभ्यिन्ता, नलकूप मंडल दमुआढूंगा हल्द्वानी, जिला नैनीताल	लोक प्राधिकारी अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड तीन पानी हल्द्वानी, जिला–नैनीताल, उत्तराखण्ड कार्यालय पर 5000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।	आवेदक को दिनांक 1.7. 2011 को हस्तगत करा दी गयी है।	

68	A-5093	02.9.2011	श्री पी0डी0 कोठियाल, 177, अजबपुरकलां मोथरोवाला रोड, पोस्ट अजबपुर देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, दक्षिण, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी /महाप्रबंधक (मु0), उत्तराखण्ड जल संसथान जलभवन, बी–ब्लाक नेहरू कालोनी, देहरादून	लोक प्राधिकारी अधिशासी अभियन्ता, दक्षिण, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून कार्यालय पर 3000 रू0 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
69	A-4788	09.8.2011	श्री राम गुप्ता,सम्पादक, क्रन्तिगाथा, 214/3, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश, जिला देहरादून लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट उत्तरकाशी विभागीय अपीलीय अधिकारी / कार्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट	लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट उत्तरकाशीपर 3000 रू0 की क्षतिपूर्ति एवं 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।		
70	A-3443	09.8.2011	श्री विकास गर्ग 85, तिलक रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, 313, लेन नम्बर 7, चमन विहार, देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, 313, लेन नम्बर 7, चमनविहार, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, 313, लेन नम्बर 7, चमन विहार, देहरादून पर 5000 रू0 की शास्ति आरोपित की जाती है ।		
71	A-4346	23.8.2011	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंन्धक–ट्रस्टी धर्मशाला माई गिंदा कुवंर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार (उत्तराख्ण्ड) लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई विद्युत वितरण खण्ड (कुम्भ मेला), हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी/उप महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, विद्युत वितरण खण्ड, हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई विद्युत वितरण खण्ड (कुम्भ मेला), हरिद्वार पर 5000 रू0 की शास्ति एवं 1000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है ।		

72	A-3386	29.8.2011	श्री परमानन्द सेमवाल, ग्राम व पोस्ट टंगणी, तहसील जोशीमठ, जिला चमोली, लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, चमोली, उत्तराखण्ड, विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, गंगा घाटी जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, यमुना कालोनी, देहरादून	मुख्य अभियन्ता, गंगा घाटी जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, यमुना कालोनी, देहरादून पर 15000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है ।		
73	A-3253	01.2.2011	श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी, ग्राम ऐथल बुजुर्ग, विकास खण्ड लक्सर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार लोक सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी लक्सर, जिला हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार,	लोक सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी लक्सर, जिला हरिद्वार, पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।	The cost imposed by the Information Commission by the impugned order shall not be enforced against the petitioner	
74	A-4528	01.7.2011	श्री अमीर अहमद पुत्र श्री मौ नाजिम वार्ड नं0 6 पढान चौक, कस्बा व पोस्ट लन्ढोरा, हरिद्वार, बनाम लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लन्ढौरा, जिला हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी /उप जिला अधिकारी, रूड़की जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लन्ढौरा, जिला हरिद्वार पर 3000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।	Writ Petition received. Final order has been not received	
75	A-4737	07.7.2011	श्री राज मोहन निश्चल निवासी 51/20 टी0एच0डी0सी0 कालोनी, देहराखास, देहरादून बनाम अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरिद्वार नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार		Writ Petition received. Final order has been not received	
76	A-4757	12.7.2011	श्री विजय कुमार सक्सैना चॅम्बर नम्बर 121, जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद, हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड इण्डस्ट्रियल एरिया हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी / उप महा प्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल रोशनाबाद, हरिद्वार	अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड इण्डस्ट्रियल एरिया हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति तथा 2500 रूप्ये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है । प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी उप महाप्रबन्धक विद्युत वितरण मण्डल रोशनाबाद, हरिद्वार के विरूद्ध समतुल्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में में विभागीय कार्यवाही की संस्तुति प्रबन्ध निदेशक से की जाती है ।		

77	A-4361	21.7.2011	श्री श्रीराम गुप्ता, सम्पादक क्रान्तिगाथा, आदर्श ग्राम –ऋषिकेश, लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, कालसी देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, कालसी देहरादून पर 10000 रूपये की शास्ति तथा समतुल्य लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियन्ता चतुर्थ (त्यूणी) सिचाई खण्ड कालसी अम्बाड़ी, सहायक अभियन्ता, द्वितीय (चकराता) सिंचाई निर्माण खण्ड की जाती है ।		
78	A-4774	21.7.2011	श्री विजय कुमार सक्सैना, एडवोकेट चम्बर नम्बर 121, जिला एवम सत्र न्यायालय रोशनाबाद, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (नगरीय), हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी / उप महाप्रबंन्धक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, विद्युत वितरण मण्डल, रोशनाबाद, हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (नगरीय), हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति तथा 2000 रूप्ये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है । तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी उप महानिदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशान लि0 विद्युंत वितरण मण्डल रोशनाबाद हरिद्वार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति दी गयी है।		
79	A-4805	22.7.2011	श्री राजेन्द्र सिंह राणा,41 डाक्टरगंज, डाकपत्थर रोड, विकास नगर, जिला देहरादून,लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम पुरोड़ी, नया चकराता, पोस्ट चकराता जिला देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/ कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम पुरोड़ी, नया चकराता, पोस्ट चकराता जिला देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम पुरोड़ी, नया चकराता, पोस्ट चकराता जिला देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति, एवं 3000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाता है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम 11 मोहिनी रोड देहेरादून के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति दी गयी है		

80	A-4200	25.7.2011	श्री रतनमणी डोभाल, 51 / 2, गंगा विहार कालोनी, पो0 ओ0 साधूबेला, हरिद्वार लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार विभागीय अपीलय अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार पर 3000 रू0 की शास्ति आरेपित की जाती है तथा 3000 रू0 की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है। लोक प्राधिकारी के रूप मेंअधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार को 1000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है।		
81	A-4790	25.7.2011	श्रीमती रजनी देवी, अ0ख0, लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी / अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड विभागीय अपीलीय अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी / अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल पर 10,000 रू0 की शास्ति आरोपित की जाती है तथा लोक प्राधिकारी के रूप में अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली के कार्यालय पर 10,000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है		
82	A-4475	26.7.2011	श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा श्री डी0 के0 शर्मा, 45 / IV ब्लाक नं0–08, केदारपुरम, सचिवालय कालोनी, देहरादून, लोक सूचना अधिकारी / हिल्ट्रान, 252, इन्दिरा नगर देहरादून। विभागीय अपीलीय अधिकारी / हिल्ट्रान, 252, इन्दिरा नगर देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / हिल्ट्रान, 252, इन्दिरा नगर देहरादून पर 5000 रू0 की शास्ति आरोपित की जाती है तथा लोक प्राधिकारी के रूप में हिल्ट्रान, 252, इन्दिरा नगर देहरादून कार्यालय पर 3000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है ।		
83	A-4541	10.6.2011	श्री मुमताज आलम खान, सम्पादक हिन्द की कलम,निकट उपडाकघर, चौक बाजार, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार। विभागीय अपीलीय अधिकारी /नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पर 3000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है ।		

84	A-4031	22.6.2011	श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल, एच–255, नेहरू कालोनी, देहरादून, लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय कलैक्ट्रट देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी / कार्यालय कलैक्ट्रट देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय कलैक्ट्रट देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है तथा लोक प्राधिकारी के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून पर 2000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है ।		
85	A-4043	03.03.2011	श्री रमेश चन्द्र भट्ट, निवासी ।।/10, भागीरथीपुरम, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, टिहरी बांध खण्ड–22, नई टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड विभागीय अपीलीय अधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता, पुर्नवास टिहरी बांध परियोजना, 26 ई0सी0 रोड, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, टिहरी बांध खण्ड–22, नई टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है		
86	C-3899	30.03.2011	श्री शमशेर सिंह, सी–13/7, डील कालौनी, रायपुर रोड, देहरादून,लोक सूचना अधिकारी / निदेशक (मा0 सं0) एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड पावीर कारपोरेशन, ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून। विभागीय अपीलीय अधिकारी / मुख्य महाप्रबंधक, (वाणिज्य), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / निदेशक (मा0 सं0) एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड पावीर कारपोरेशन, ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है		
87	C-4161	31.03.2011	श्री रामचन्द्र नौटियाल पुत्र श्री महानन्द नौटियाल, ग्रा0 व पा0 मजगांव भण्डारस्यू, उत्तरकाशी, लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, उ0पा0का0लि0 भण्डार खण्ड कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड। विभागीय अपीलय अधिकारी / उप महाप्रबन्धक, कार्यालय, नगरीय विद्युत वितरण मण्डल, कालागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, उ0पा0का0लि0 भण्डार खण्ड कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये आरोपित की जाती है ।		

88		11.05.2011	श्री सुदेश कुमार सहदेव, 501, खुड़बुड़ा मौहल्ला, देहरादून–248001,एच0 आर0 डी0 आई0 मण्डल, गोपेश्वर, जिला–चमोली, निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल –गोपेश्वर चमोली	लोक सूचना अधिकारी / च0 आर0 डी0 आई0 मण्डल, गोपेश्वर, जिला–चमोली, पर 5000 रूप्ये की शास्ति तथा निदेशक, च0 आर0 डी0 आई0 मण्डल, गोपेश्वर, जिला–चमोली पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है तथा लोक प्राधिकारी के रूप में च0 आर0 डी0 आई0 मण्डल, गोपेश्वर, जिला–चमोली र 2000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है ।		
89	A-4124	12.05.2011	श्री वीरेन्द्र सिंह, रिजर्व पुलिस लाईन के बाउन्डरी के पीछे, मऊ पोस्ट डुमराव (मऊ), मध्य प्रदेश,लोक सूचना अधिकारी / सचिव प्रशासन, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड। विभागीय अपीलय अधिकारी / महाप्रबंधक, (मु0) उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन, बी–ब्लाक नेहरू कालोनी, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / सचिव प्रशासन, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है ।	WP No. 298(MIS) 2012Writ Petition received. Final order has not been received	
90	A-3860	30.05.2011	श्रीमती भारती सेमवाल, एस0बी0आई0 कौलौनी, अधोईवाला देहरादून, लोक सूचना अधिकारी / उप नगर अधिकारी / वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम देहरादून,. विभागीय अपीलीय अधिकारी / मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / उप नगर अधिकारी / वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।		
91	C-3618	06.01.2011	श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह, (अवकाश प्राप्त विद्युत अवर अभियन्ता) ग्राम किशनपुर पोस्ट किच्छा उधम सिंह नगर। लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन हीरा कान्वेन्ट स्कूल के पास बड़ी मुखानी हलद्वानी। विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन हीरा कान्वेन्ट स्कूल	लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन हीरा कान्वेन्ट स्कूल के पास बड़ी मुखानी हलद्वानी पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया गया तथा लोक प्राधिकारी पर 2000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है ।		

92	C-4145	24.01.2011	श्री खैराती लाल शर्मा, प्रान्तीय महामंत्री, राजकीय पैशनर्स कल्याण समिति, प्रदेश मुख्यालय 633/954, रामनगर रूड़की जिला हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी/कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 ऊर्जा भवन, कांवली रोड देहरादून। विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 ऊर्जा भवन कांवली रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 ऊर्जा भवन, कांवली रोड देहरादून पर 15000, रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।		
93	5169	14.09.2011	श्री खैराती लाल शर्मा, प्रान्तीय महामंत्री, राजकीय पैशनर्स कल्याण समिति, प्रदेश मुख्यालय 633/954, रामनगर रूड़की जिला हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी/कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 ऊर्जा भवन, कांवली रोड देहरादून, विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 ऊर्जा भवन कांवली रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।		

94	1703	16.09.2009	श्री कुर्बान अली पुत्र श्री अलीशेर निवासी ग्राम चौली शहाबुद्दीन प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चौली शहाबुद्दीन ब्लाक व परगना भगवानपुर, जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चौली सहाबुद्दीन जिला हरिद्वार पर 5000 रू. की शास्ति आरोपित किया जाता है । एवं समय पर निर्देशों का अनुपालन न किये जाने पर विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जाती है ।		माननीय उच्च न्यायालय रिट संख्या 1869/2009 के द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है एवं पत्रांक संख्या 1391 दिनांक 13 अक्टूबर 2009 के द्वारालोक सूचना अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया है ।
95	C-4364	17.10.2011	श्री राम रतन रवि, प्रदेश उपाध्यक्ष, दलित साहित्य अकादमी, निवासी –75 रतन रागनी भवन, नालापानी रोड देहरादून लोक सूचना अधिकारी समाज कल्याण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	लोक सूचना अधिकारी समाज कल्याण पर 3000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है ।		लोक सूचना अधिकारी समाज कल्याण द्वारा पत्रांक संख्या 2442 दिनांक 17/10/2011 के द्वारा 3000 रूपये का बैंक ड्राफट संख्या 486909 के द्वारा प्रेषित की गयी है
96	C-4105	05.07.2011	श्री नीरज टंडन, 196 चुक्खूवाला कृष्ण पैलेस सिनेमा के पीछे देहरादून 1. लोक सूचना अधिकारी / मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून	लोक प्राधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकार पर समय से सूचना न देने पर 3000 रूप्ये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है	Writ Petition received. Final order has not been received	

97	C-3417	13.06.2011	श्री नारायण दत्त जोशी, काली मन्दिर मार्ग उत्तरकाशी प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी, शाखा प्रबंधक उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 देहरादून 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य सहाकारी बैंक लि0 हल्द्वानी जिला नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है तथा लोक प्राधिकारी पर 5000 रूपये क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
98	A-5296	18.10.2011	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, एडवोकेट, चैम्बर नम्बर 22,23 कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून प्रतिवादी, लोक सूचना अधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून	लोक सूचना अधिकारी पर 3000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है		
99	A-5495	02.11.2011	श्री धनंजय प्रसाद, 19 इन्दिरा नगर कालोनी देहरादून, उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/उप महाप्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल, ग्रामीण 18 ई0सी0 रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण देहरादून पर 3000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।	It is hereby directed that the penalty imposed by respondent No 1 Upon the petition shall remain stayed till further order of the court.	
100	C-3512	12.01.2011	श्री श्याम लाल पुत्र श्री सुजान सिंह ग्राम पुरवाला बिरसंगपुर पोस्ट रायसी ब्लाक लक्सर जिला हरिद्वार बनाम समतुल्य (डीम्ड) लोक सूचना अधिकारी, प्रधानाध्यापक, राजकीय बा0उ0मा0 विद्यालय परवाला क्षेत्र लक्सर 2. खण्ड शिक्षा अधिकारी लक्सर जिला हरिद्वार	समतुल्य लोक सूचना अधिकारी/ प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यामक, राजकीय बा0उ0प्रा0 विद्यालय पुरवाला क्षेत्र लक्सर जिला हरिद्वार पर उपरोक्त विलम्ब के सापेक्ष 3000/—की शास्ति आरोपित की जाती है ।		
101	C-4903	14.11.2011	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, ट्रस्टी धर्मशाला, माई गिदा कुवर बरेली ट्रस्ट सुभाषघाट हरिद्वार बनाम लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरिद्वार, 2. अधिशासी अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद हरिद्वार	लोक प्राधिकारी के कार्यालय पर शिकायतकर्ता को भुगतान करने हेतु 1000 की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है ।		

102	A-4138	21.04.2011	श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा, 65, निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरिद्वार बनाम विभागीय अपीलीय अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार उत्तराखण्ड 3. लोक प्राधिकारी नगर पालिका परिषद हरिद्वार	लोक प्राधिकारी /नगर पालिका परिषद हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 3000 की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		
103	A-4155	21.04.2011	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी धर्मशाला माई गिदा कुंवर करेली ट्रस्ट सुभाष घाट हरिद्वार बनाम नगर पालिका परिषद हरिद्वार नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार,	लोक प्राधिकारी नगर पालिका परिषद हरिद्वार पर 3000 की क्षतिपूर्ति शासित की गयी		
104	A-5895	09.11.2011	श्री राहुल लिंगवाल, रा0इ0का0 स्वीत, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल प्रतिवादी खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल/जिला शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल,	लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रताप नगर टिहरी गढ़वाल पर 5000 रू0 की शास्ति आरोपित की जाती है ।		
105	A-5828	05.12.2011	श्री अनूप सिंह नेगी, फारवर्डिग ऐजेन्सी, मेला गेट गौचर चमोली उत्तराखण्ड प्रतिवादी अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन गोपेश्वर वि0 अ0अधि0 उप महाप्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल श्रीनगर गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी विद्युत वितरण मण्डल श्रीनगर गढ़वाल पर 5000 रू0 की शास्ति आरोपित की जाती है ।		
106	C-3316	28.11.2011	श्री एम0सी0 घिल्डियाल, 66/1, बसंत विहार देहरादून प्रतिवादी लो0सू0 अधि0 सचिव यमुना वैली इंजीनियर्स कर्मचारी सहकारी समिति लि0 डाकपत्थर देहरादून वि0 अपि0 अधि0 सहायक विकास अधिकारी सहकारिता विकास खण्ड विकास नगर	लोक सूचना अधिकारी यमुना वैली इंजीनियर्स कर्मचारी सहकारी समिति लि0 पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।		

107	A-5646	16.11.2011	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री एन0पी0 सिंह मकान नम्बर–71 गणेश पुर रूड़की जिला हरिद्वार प्रतिवादी अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण रूड़की जिला हरिद्वार वि0अ0अधि0 उप महाप्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल रूड़की जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 ऊर्जा भवन कांवली रोड देहरादून पर 10000 रू0 की शास्ति आरोपित की जाती है ।		
108	A-5876	29.11.2011	श्री अजय चौधरी, वार्ड नम्बर 6, शिव चौक बाजार कस्बा व पोस्ट लन्ढौर, जिलस हरिद्वार उत्तराखध्ड वनाम लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी नारसन, जिला हरिद्वार, वि0अ0अधि0 जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार, प्रभारी समन्वयक, संकूल संचालन केन्द्र (सी0आ0सी0) गाधारौना, मकदुमपूर तथा ढेढेरा	प्रभारी समन्वयक, संकूल संचालन केन्द्र (सी0आ0सी0) गाधारौना, मकदुमपूर तथा ढेढेरा पर सूचना विलम्ब स देने पर 3000 की शास्ति आरोपित की जाती है ।		
109	A-5766	19.12.2011	मौ0 रिफाकत, एडवोकेट, पुत्र मौ0 इश्हाक, चै0नम्बर 126, सिविल कोर्ट रामनगर, रूउडकी जिला हरिद्वार वनाम उप महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, विद्युत वितरण मण्डल रूड़की जिला हरिद्वार, वि0अ0अधि0 महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, गढ़वाल क्षेत्र , 120 हरिद्वार रोड देहरादून,	उप महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, विद्युत वितरण मण्डल रूड़की जिला हरिद्वार, एवं समतुल्य लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय रूड़की पर 10–10 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।		अनुपालन कर लिया गया है ।
110	A-4742	01.12.2011	श्री अभय राज सिहं बिष्ट, पुत्र श्री शक्ति सिंह बिष्ट, कालेश्वर मन्दिर मार्ग जोशियाड़ा, उत्तरकाशी, वनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी, वि0अ0अधि0, निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी	लोक सूचना अधिकारी /मुख्य चित्साधीक्षक, उत्तरकाशी डा0 आर0पी0 सिंह पर 6000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।		

111	C-4387	11.11.2011	डा0 एस0 के0 शर्मा 3 पंचशील पार्क, चकराता रोड, देहरादून–248006 बनाम लोक सूचना अधिकारी /प्राचार्य, श्री गुरूराम राय पी0 जी0 कालेज, देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी /प्रबंधक, श्री गुरूराम राय पी0 जी0 कालेज, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/प्राचार्य गुरू राम राय पी0जी0 कालेज देहरादून पर 10000 रूपये का दण्ड आरोपित किया गया ।	WP No. 24(MIS) 2012 Writ Petition received. Final order has not been received	
112	C-3689	11.1.2011	श्री एन0के0 गुसाई, सम्पादक हिन्द सवेरा, माजरी माफी पोस्ट आई.आई.पी, हरिद्वार रोड देहरादून 1. लो0 सू0 अधि0 खण्ड विकास अधिकारी रायपुर जिला देहरादून 2 वि0अ0अधि0 /जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून, अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति		
113	C-3808	17.1.2011	श्री अटल बिहारी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय इण्टर कालेज भवान टिहरी गढ़वाल 1. लो0 सू0 अधि0/प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज भवान टिहरी गढ़वाल 2 वि0 अ0 अधि0/जिला शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज भवान टिहरी गढ़वाल पर 10,000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
114	A-3593	7.2.2011	डा0 जितेन्द्र कुमार सिंह, बैंक कालोनी गौतम नगर, मुरादाबाद रोड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर 1 लो0 सू0 अधि0/उप निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें देहरादून 2. वि0अ0धि0 निदेशक आर्युवेदिक एवं यूनानी सेवायें	लोक सूचना अधिकारी पर 10,000 रूप्ये की शास्ति एवं लोक प्राधिकारी कार्यालय निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें देहरादून पर 3000 रूप्ये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है ।		
115	C-3955	5.4.2011	श्री राज सिंह पाल, मकान नम्बर 528, प्रीत विहार गणेशपुर रूड़की जिला हरिद्वार 1 लो0 सू0 अधि0/उप निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें देहरादून 2. वि0अ0धि0 निदेशक आर्युवेदिक एवं यूनानी सेवायें डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/आर्युवेदिक एवं यूनानी सेवायें देहरादून	लोक सूचना अधिकारी पर 2000 रूप्ये की शास्ति एवं लोक प्राधिकारी कार्यालय निदेशक, आयुर्वेदिक एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/यूनानी सेवायें देहरादून पर 5000 रूप्ये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है ।		

116	A-4057	3.5.2011	श्री विजय पाल सिंह नेगी पुत्र श्री गंगा मेहरबान सिंह नेगी ग्राम व पोस्ट पडसोली तल्ली जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड 1 लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाध्यापक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाान सल्ट महादेव, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड 2. वि0अ0अधि0 निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी पर 25,000 रूपये की शास्ति एवं लोक प्राधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय कार्यालय पर 100000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी जिसे उनके उत्तरदायी अधिकारियों /कर्मचारियों से वसूल किया जायेगा ।	In the meanwhile the Penalty imposed may be recovered from the salary of the petition which would be subject to the result of the writ petition	
117	A-4621	7.7.2011	श्री एन0के0 गुसाई, सम्पादक हिन्द सवेरा, माजरी माफी पोस्ट आई.आई.पी, हरिद्वार रोड देहरादून 1. लो0 सू0 अधि0 प्रार्चाय डी0ए0वी0 (पी0जी0) 2 वि0अ0अधि0 /सचिव, प्रबंध समिति डी0ए0वी0(पी0जी0) कालेज कानपुर	लो0 स0 अधि0 /प्राचार्य डी0ए0वी0 (पी0जी0) कालेज देहरादून पर 5,000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।		
118	A-4386	18.7.2011	श्री जे0पी0 चौहान, ग्राम फेरूपुर पोस्ट धनपुरा जिला हरिद्वार 1 लो0 सू0 अधि0/अनु सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून 2. सचिव प्रशिक्षण एवं सेवायेजन उत्तराखण्ड शासन देहरादूनं	लो0 स0 अधि0 /अनुसचिव श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन पर 10,000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।		
119	C-4239	9.8.2011	श्री विजय कुमार सैक्सेना , एडवोकेट चैम्बर नम्बर–121, जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद हरिद्वार1. लो. सू. अधि. मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार 2. वि0 अ0 अधि0 प्ररियोजना प्रबंधक, कार्यालय परियोजना प्रबन्धक निर्माण विंग सैल विहार, निकट भारत भूमि टूरिस्ट सैल विहार देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी /मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार वर्तमान में संयुक्त निदेशक परिवार नियोजन देहरूादन पर 3,000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
120	A-5423	29.11.2011	श्री हरदीप शर्मा, समाचार सम्पादक दिव्य हिमगिरी 5 बेनी बाजार देहरादून 1 लो सू अधि/ खण्ड शिक्षा अधिकारी बाजपुर जिला उधम सिंह नगर 2लो0 सू0 अधि0/ खण्ड शिक्षा अधिकारी काशीपरु जिला उधम सिंह नगर 3.वि0 अ0 अधि0/जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर	1 लो सू अधि/ खण्ड शिक्षा अधिकारी बाजपुर जिला उधम सिंह नगर 2लो0 सू0 अधि0/ खण्ड शिक्षा अधिकारी काशीपरु जिला उधम सिंह नगर पर 5000–5000 रूप्ये की सांकेतिक शास्ति आरोपित की जाती है ।		

121	A-5291	15.12.2011	श्री हरदीप शर्मा, पत्रकार बसन्त विहार गिरिताल काशीपुर जिला उधम सिंह नगर 1 लो0सू0 अधि0/जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड वि0 अधि0 अधि0/अपर निदेशक कुमाऊ मण्डल नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी पर 3000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।		
122	A-6195	11.1.2012	श्री प्रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरपाल सिंह, मकान नम्बर 674, इन्दिरा कालोनी, मुजॅफफरनगर उत्तर प्रदेश1 लो.सू. अधि0/खण्ड शिक्षा अधिकारी खानपुर जिला हरिद्वार 2 जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार 3. श्री जीतेन्द्र सिंह यादव, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वार ानिदेशक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश	श्री जीतेन्द्र सिंह यादव, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वार ानिदेशक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पर 25,000 रूपये की शास्ति अरोपित की गयी है ।		
123	A-4797	26.12.2011	श्री गजेन्द्र पाल सिंह रावत, सहायक अध्यापक पौड़ी गढ़वाल प्रतिवादी 1.खण्ड शिक्षा अधिकारी पौड़ी 2 .वि0अ0 जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल निदेशक विद्यालयी शिक्षा ननूरखेड़ा, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी यमकेश्वर कार्यालय पौड़ी गढ़वाल पर 5000 रू0 की शास्ति आरोपित की जाती है ।		पंत्राक संख्या 145/2012 दिनांक 4/2/2012 के माध्यम से दिनांक 8/2/2012 को जमा कर दिया गया है।
124	A-4627	15.12.2011	श्रीमती बीना देवी, मकान नम्बर 106/8, मौ. गंगा नगर सोमेश्वर मंदर के पीछे, निकट ओवर हेड, वाटर टेंक, ऋषिकेश बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी /अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा, देहरादून 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी /ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, तपोवन रोड, रायपुर देहरा	लोक सूचना अधिकारी/ माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन तथा लोक सूचना अधिकारी/अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून पर 5000–5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।		

125	A-5283	27.12.2011	श्री सुरेश चन्द्र, अलकनन्दा विहार रामनगर रोड, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड 1 लो0 सू0 अधि0 /अपर जिला शिक्षा अधिकारी वि0अ0 अधि0 जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी /अपर जिला शिक्षा अधिकारी पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
126	A-5521	27.12.2011	श्री विनोद कुमार गोयल, 189, सहारनपुर रोड, देहरादून उत्तराखण्ड 1. लो0सू0अधि0 कार्यालय होम्योपैथी निदेशालय उत्तराखण्ड डांडा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड देहरादूना 2. वि0अ0अधि0 निदेशक, होम्योपैथी उत्तराखण्उ देहरादून, रजिस्ट्रार होम्योपैथी चिकित्सा सेवायें देहरादून	रजिस्ट्रार होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड उत्तराखण्ड देहरादून पर 1000 रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
127	A-5737	29.12.2011	श्री नीलेश कुमार अग्रवाल, 111 सुद्दोवाला देहरादून 1 लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण धर्मपुर जिला देहरादूना 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/उप महाप्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल ग्रामीण 18 ई0सी0 रोड देहरादून 2. लोक प्राधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण धर्मपुर जिला देहरादून 3 प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि. ऊर्जा भवन कांवली रोड देहरादून	लोक प्रधिकारी के स्प में अधिशासी अभियनता विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण धर्मपुर देहरादून के कार्यालय पर 3000 रूप्ये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती हैं		
128	A-5697	06.01.2012	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, पुत्र श्री के0सी0 शर्मा, माई गिदा कुंवर धर्मशाला बरेली ट्रस्ट सुभाष घाट हरिद्वार 1 लोक सूचना अधिकारी/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून2. वि0अ0अधि0/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून 3 श्री पूरन गिरी अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरूादन 4. कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तराखण्ड देहरादून 5.सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	लोक प्राधिकारी के रूप में सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय पर 5000 रूपये की क्षतिपूर्त्रि आरोपित की गयी है ।		

129	A-4653	10.01.2012	श्री बिहार लाल भट्ट, सम्पादक जीवन परीक्षा, पैन्यूली भवन निकट रा0बा0जू0 हाईस्कुल, राजीव ग्राम (14 बीघा) ढालवाला जिला टिहरी गढ़वाल 1. लो0 सू0 अधि0/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी 2. वि0अ0अधि0/अधीक्षण अभियन्ता (पुनर्वास) टिहरी बांध, परियोजना, 26 ई0सी0 रोड देहरादून 3. समतूल्य लोक सूचना अधि0/श्री प्रवीण कुमार अधिशासी अभियन्ता, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, 21 इंजीनियर्स एन्क्लेव, जी0एम0एस0 रोड देहरादून 4. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, यमुनाकोलानी देहरादून 5. पुनर्वास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना नई टिहरी	वर्तमान लोक सूचना अधिकारी एवं समतुल्य लोक सूचना अधिकारी श्री प्रवीण कुमार पर क्रमशः 5–5 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है		विभागाध्यक्ष द्वारा श्री प्रवीण कुंमार समतुल्य लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निम्रण विभाग नई टिहरी से मार्च 2012 के वेतन से आरोपित शास्ति की वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के राजस्च खाते में जमा कराये जाने के निदेश दिये गये है ।
130	A-5485	12.01.2012	सुश्री रमा बिष्ट ई–45 सैक्टर 39, नोएडा उत्तर प्रदेश, 1. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वाराहाट अल्मोड़ा, 2. वि.अ.अधि.जिला शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा, अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल नैनीताल,	लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा, पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
131	A-5839	10.01.2012	श्री बिसारत पुत्र शफी, पोस्ट एवं ग्राम मेहवडकला, तहसील रूड़की जिला हरिद्वार 1. लो0 सू0 अधि0/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय रूड़की जिला हरिद्वार 2. उप महाप्रबंधक उपाकालि, विद्युत वितरण मण्डल रूड़की, लोक प्राधिकारी कार्यालय/अधिशासी अभियनता, वितरण खण्ड नगरीय रूडत्रकी जिला हरिद्वार 4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 ऊर्जा भवन कांवली रोड देहरूदन	लोक प्राधिकारी के रूप में अधिशासी अभियनता, विद्यतु वितरण खण्ड नगरीय रूड़की पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		अनुपालन कर लिया गया है ।
132	A-6115	10.01.2012	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, आर0टी0आई0 मिशन मिशन उत्तराखण्ड, 104, ईश्वर विहार फेस–2, रायपुर रोड देहरादून 1. लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गली नम्बर–11, राजेन्द्र नगर देहरादून, 2.वि. अ.अधि. अधीक्षण अभियन्ता निर्माण मण्डल उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून,	लोक सूचना अधिकारी 5000, रू0 का अर्थिक दण्ड व विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है ।		

133	A-5959	16.01.2012	श्री जय प्रकाश बड़ोनी, सामाजिक कार्यकर्ता, भीमगोड़ा, जिला हरिद्वार। लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अधिकारी नगर निगम हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी /नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड 43/6 माता मन्दिर रोड धर्मपुर देहरादून	लोक सूचना अधिकारी पर 3000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है		
134	A-5258	17.01.2012	श्री संदीप त्यागी, 456 गली नम्बर 10, राजेन्द्र नगर रूड़की, 1. लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद यड़की जिला हरिद्वार 2. उप जिला अधिकारी रूड़की 3. श्री पी0के0 बंसल तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी वर्तामन में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गदरपुर उधम सिंह नगर 2. लोक प्राधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिशद रूडकी जिला हरिद्वार	सम्पर्णू कार्यालय पर पर क्षतिपूति आरोपित की गयी है ।		अनुपालन कर लिया गया है ।
135	A-6113	18.01.2012	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, आर0टी0आई0 मिशन मिशन उत्तराखण्ड, 104, ईश्वर विहार फेस–2, रायपुर रोड देहरादून 1. लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गली नम्बर–11, राजेन्द्र नगर देहरादून, 2.वि. अ.अधि. अधीक्षण अभियन्ता निर्माण मण्डल उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून,	उत्तरदायी लोक सूचना अधिकारी पर 5000, रू0 का अर्थिक दण्ड व लोक प्राधिकारी कार्यालय पर 2000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है ।		
136	A-5109	24.01.2012	श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह रावत, ग्राम खलाड़ी पोस्ट पुरोला जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड 1 लो0सू0अधि0/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड पुरोला उत्तरकाशी 2. अधीक्षण अभिन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, देहरादून, 3. लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, लघु सीचांई विभाग उत्तरकाशी, जिला अधिकारी उत्तराकाशी	उत्तरदायी लोक सूचना अधिकारी पर 5000, रू0 का अर्थिक दण्ड आरोपित की गयी है ।		

137	A-5426	28.11.2011	श्री कल दास पुत्र श्री फागणूदास, ग्राम इशाली पोस्ट आराकोट, विकास खण्ड मोरी उत्तरकाशी लो0सू0अधि0/जिला प्रबंधक उत्तराखण्ड बहुउददेशीय वित्त एवं विकास निगम उत्तरकाशी2. वि0अ0अ0/महाप्रबंधक उत्तराखण्ड बहुउददेशीय वित्त एवं विकास निगम 3. सचिव समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादूना	लोक सूचना अधिकारी बहुउददेशीय वित्त एवं विकास निगम पर 5000 रूप्ये की शास्ति आरोपित की गयी है ।	WP No 57/2012 order not has been received	
138	A-5368	16.11.2011	श्री मदन लाल जोशी जौली, जौली भवन, मेन रोड खंजरपुर रूड़की जिला हरिद्वार 1. लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार 2. अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल 3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भगवान पुर हरिद्वार	खण्ड शिक्षा अधिकारी बहादराबाद पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।	WP No 18/2012 order not has been received	
139	A-5671	30.11.2011	श्रीमती बसंती देवी द्वारा श्री विनोद कुार वीरपुर खुर्द पोस्ट वीरभद्र जिला देहरादून 1. उप जिला अधिकारी ऋषिकेश, जिला देहरादून 2. जिला अधिकारी देहरादून,	लोक सूचना अधिकारी उप जिला अधिकारी पर 10000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है ।	WP No 2754/2011 order not has been received	
140	A-4556	05.08.2011	श्री रवि भषण चावला, एडवोकेट चैम्बर–135, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रोशनाबाद हरिद्वार 1. उप जिला अधिकारी हरिद्वार 2. अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी उप जिला अधिकारी पर 5000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है ।	WP No 2345/2011 order not has been received	
141	A-4457	10.08.2011	श्री प्रताप सिह चौहान, पुत्र श्री नत्थू सिंह चौहान ग्राम कलसिया तहसील लक्सर थाना खानुपर जिला हरिद्वार 1. उप जिला अधिकारी लक्सर जिला हरिद्वार, 2. अपर जिला अधिकारी प्रशासन हरिद्वार 3. कलेक्टट हरिद्वार 4. थानाध्यक्ष थाना खानपुर जिला हरिद्वार 5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी जिला अधिकारी हरिद्वार पर 5000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है ।	WP No 2346/2011 order not has been received	
142	A-4738	03.10.2011	श्री भाष्कर चन्द्र बृजवासी, 6–130, तल्ली बमोरी, नबावी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी /जिला अधिकारी कार्यालय नैनीताल, 2. जिला अधिकारी कार्यालय नैनीताल, 3 नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी	लोक सूचना अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट नैनीताल, उत्तराखण्ड	WP No 4738/2011 order not has been received	

143	A-5207	15.11.2011	श्री संजय प्रकाश गर्ग, एल–106, दून साउथ पार्क अपाटमेन्ट हरिद्वार, 1. जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय हरिद्वार 2. जिला अधिकारी हरिद्वार 3. आयुक्त खाद्व एवं न्रागरिक आपूर्ति 8–ए, बंगाली लाईब्रेरी रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 8–ए बंगाली मोहल्ला पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।	WP No2747/2011 order not has been received	
144	A-4372	22.6.2011	श्री दीपक बेनीवाल, कार्यालय केन्द्रीय अध्यक्ष, पावर इम्पलाईज एसोसिएशन तिलक बाजार रोड निकट ग्रीनवीला सुभाष नगर देहरादून 1. निदेशक मा0स0 उपाकालि उर्जा भवन, कांवली रोड 2. मुख्य महाप्रबंधक वाणिज्य उपाकालि उर्जा भवन कांवली रोड देहरादून 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्मिक उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 उर्जा भवन कांवली रोड देहरादून 4. प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 उर्जा भवन कांवली रोड देहरादून	लोक सूचना अधिसकारी पर निदेशक मानव संसाधन पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । लोक प्राधिकारी प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन उर्जा भवन पर 2000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है ।	WP No1643/2011 order not has been received	
145	A-5374	17.10.2011	श्री सुधीर कुमार शर्मा, न्यू कल्पना बस सर्विस मालवीय चौक रूड़की जिला हरिद्वार प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी थाना मांगलौर जिला हरिद्वार 2. वि0अ0अधि0/क्षेत्राधिकारी हरिद्वार थाना मंगलौर जिला हरिद्वार 3. आहरण वितरण अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी थाना मांगलौर जिला हरिद्वार पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।	WP No 140/2012, order not has been received	
146	A-4124	12.05.2011	श्री वीरेन्द्र सिंह, रिजर्व पुलिस लाईन के बाउन्डरी के पीछे, छोटी बकवल, मऊ बी–ब्लाक नेहरू कालोनी देहरादून प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी सचिव, (प्रशासन) उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन, बी–ब्लाक, नेहरू कालोनी देहरादून 2. वि0अ0अधि0/महाप्रबधक (मु0) उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन, बी–ब्लाक नेहरू कालौनी देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सचिव, (प्रशासन) उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन, बी–ब्लाक, नेहरू कालोनी देहरादून पर 5000 रूपये की षास्ति आरोपित की जाती है ।	Writ Petition received. Final order has been not received	

147	A-7230	29.03.2012	श्री मातबर सिंह कनवासी, गौरव सैनिक, ग्राम बन्दर खण्ड पोस्ट गौचर जनपद चमोली प्रतिवादी लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियनता सिंचाई खण्ड चमोली, वि0अ0अ0/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल श्री नगर गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियनता सिंचाई खण्ड चमोली पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
148	A-7235	29.03.2012	श्री जगमोहन पोखरियाल, पुत्र श्री जगदीश्या सिंह पत्राकार अमर उजाला पुरोला जिला उत्तरकाशी प्रतिपक्षी लो0सू0 अधि0 अधिशासी अभियन्ता विद्युंत वितरण खण्ड उत्तरकाशी, वि0 अ0अधि0 अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल ग्रामीण 18 ई0सी0 रोड देहरादून	लो0सू0 अधि0 अधिशासी अभियन्ता विद्युंत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		लो0सू0 अधि0 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी द्वारा कोषागार में 5000 रूपये दिनांक 1.5. 2012 को जमा कर दिया गया है।
149	A-6752	11.04.2012	श्रीमती बीना देवी, मकान नम्बर–106/8, गली नम्बर –20, मो0 गंगानगर ऋषिकेश प्रतिपक्षी लो0सू0 अधि0 अपर जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) जिला पौड़ी गढवाल वि0 अ0अधि0 जिला शिक्षा अधिकार, पौड़ी गढ़वाल	लो0सू0 अधि0 अपर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक पौड़ी गढ़वाल पर 5000 रूपये की शास्ति एवं **लोक प्राधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल पर 2000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित करते हए अपर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पौड़ी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निदेश दिये गये है ।**		
150	A-7047	28.03.2012	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, आर.टी.आई. मिशन उत्तराखण्ड, 104, ईश्वर विहार, फेस–2, रायपुर देहरादून लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम मैनेजमेन्ट युनिट,उत्तराखण्ड अरबन सेक्टर डेवलेपमेन्ट इनवेस्टमेन्ट प्रोग्राम उत्तराखण्ड सरकार, आई.एस.बी.टी. काम्प्लेक्स, माजरा, देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी /कार्यालय इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट, उत्तराखण्ड अरबन सेक्टर डेवलेपमेन्ट इनवेस्टमेन्ट प्रोग्राम सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, निदेशक शहरी विकास विभाग,	लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम मैनेजमेन्ट युनिट,उत्तराखण्ड अरबन सेक्टर डेवलेपमेन्ट इनवेस्टमेन्ट प्रोग्राम उत्तराखण्ड सरकार, आई.एस.बी.टी. काम्प्लेक्स, माजरा, देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति अरोपित की गयी है।		

151	A-7375	29.03.2012	श्री गजेन्द्र पाल सिंह, ग्राम व पोस्ट अरनोट, –204215, जिला महामायानगर उत्तर प्रदेश, प्रतिपक्षी लोक सूचना अधिकारी /गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर उधमसिंह नगर, विभागीय अपीलीय अधिकारी /गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर उधमसिंह नगर	लोक सूचना अधिकारी /गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर उधमसिंह नगर पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
152	A-7144	26.03.2012	श्री ताजवर सिंह बिष्ट, पुत्र स्व0 श्री विश्राम सिंह विष्ट ग्राम व पोस्ट अगरोड़ा, पट्टी कफोलस्यूं जिला पौड़ी गढ़वाल, लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय, अधिशाासी अभियन्ता राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग धूमाकोट पौड़ी गढ़वाल, विभागीय अपीलीय अधिकारी /अधिशाासी अभियन्ता राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग धूमाकोट पौड़ी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग धूमाकोट पौड़ी गढ़वाल पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.05. 2012 के द्वारा दोषी लोक सूचना अधिकारी के खाते में से दो किस्तों में काटे जाने हेतु आदेशित किया गया है।
153	A-7060	22.03.2012	श्री श्रीकान्त शर्मा पुत्र श्री महन्त शर्मा, श्शर्मा फर्नीचर, श्याम टाकीज रोड, रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर, लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर, विभागीय अपीलीय अधिकारी /उप महाप्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल, रूद्रपुर , जिला उधम सिंह नगर	लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर पर 2500 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
154	C-3956	21.03.2012	श्री एन0डी0 बुडलाकोटी, ग्राम बगड़ पोस्ट पंगट जिला नैनीताल, प्रतिपक्ष, लोक सूचना अधिकारी अपर जिला अधिकारी नैनीताल, वि0 अ0 अधि0 जिलाधिकारी नैनीताल, लोक प्राधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल	लोक प्राधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल पर 10000 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है ।	WP No. 949/MIS/2012 Writ Petition received. Final order has not been received	

155	A-6941	19.03.2012	श्रीमती रचना गर्ग (प्रदेश प्रवक्ता), आर0टी0आई0मिशन उत्तराखण्ड, 104, ईश्वर विहार फेस–2, रायपुर रोड देहरादून लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम मैनेजमेन्ट युनिट, यू.यू.ऐस.डी.आई.पी. उत्तराखण्ड सरकार, आई.एस.बी.टी. काम्प्लेक्स, माजरा, देहरादून, विभागीय अपीलीय अधिकारी /कार्यालय इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम मैनेजमेन्ट युनिट, यू.यू.एसे.डी.आई.पी. उत्तराखण्ड सरकार, आई.एस. बी.टी. काम्प्लेक्स, माजरा, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम मैनेजमेन्ट युनिट, यू. यू.ऐस.डी.आई.पी. उत्तराखण्ड सरकार, आई.एस.बी.टी. काम्प्लेक्स, माजरा, देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
156	C-5960	15.03.2012	श्री राम रतन रवि, प्रदेश उपाध्यक्ष, भा.द.सा.अ., 75 रतन रागिनी भवन नालापानी रोड देहरादून, लोक सूचना अधिकारी श्रीमती हेमा शाह ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हल्द्वानी जिला नैनीताल, जिला अधिकारी नैनीताल, आहरण वितरण अधिकारी/जिला अधिकारी कार्यालय नैनीतल,	लोक सूचना अधिकारी श्रीमती हेमा शाह ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हल्द्वानी जिल नैनीताल, पर 2500 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है । जिला अधिकारी नैनीताल को निर्दषित किया गया जाता हैं कि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सम्बन्धित पटल सहायक के विरूद्व विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है ।		
157	A-6435	13.02.2012	श्री जबर सिंह असवाल, निकट उद्यान विभाग कार्यालय मोरी रोड पुरोला जनपद उत्तरकाशी उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी /उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण विभाग पुरोला, जिला उत्तरकाशी, विभागीय अपीलीय अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग लदाड़ी, उत्तरकाशी	लोक प्राधिकारी कार्यालय अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड लदाड़ी जिला उत्तरकाशी पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
158	A-5989	13.02.2012	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, आर.टी.आई. मिशन, उ0 104, ईश्वर विहार, फेस –2 रायपुर रोड देहरादून लोक सूचना अधिकारी /जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून, विभागीय अपीलीय अधिकारी /जिला अधिकारी, देहरादून	लोक प्राधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय देहरादून पर 2000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है ।		

159	A-6132	14.02.2012	चौ0 दीप सिंह एडवोकेट, चैम्बर नम्बर 92, सिविल कोर्ट राम नगर रूड़की जिला हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी / उप महाप्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल रूड़की जिला हरिद्वार, विभागीय अपीलीय अधिकारी / महाप्रबंधक (वितरण), उपाकालि0, गढ़वाल क्षेत्र, 120 हरिद्वार रोड, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / उप महाप्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल रूड़की जिला हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
160	A-6108	17.02.2012	श्री संजय कुमार शर्मा, आवास संख्या पी0 1/2, पूल्ड आवास कालोनी, रोशनाबाद हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी / प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार, विभागीय अपीलीय अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, प्राप्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार, तत्काल लोक सूचना अधिकारी द्वारा वर्तमान लोक सूचना अधिकारी प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार, जी0एम0 गोयल, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार	तत्काल लोक सूचना अधिकारी एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार, पर 5000–5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
161	A-5937	28.02.2012	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री एन0 पी0 सिह मकान नं0 71, गणेशपुर रूडकी, जिला हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी /उप महाप्रबंधक, उपाकालि, वि वि मण्डल, रूडकी, विभागीय अपीलीय अधिकारी /महाप्रबंधक (वितरण),उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 गढवाल क्षेत्र, 120–हरिद्वार रोड देहरादून, समतूल्य लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय रूड़की जिला हरिद्वार, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0 ऊर्जा भवन कांवली रोड देहरादून	समतूल्य लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय रूड़की जिला हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है, एवं उप महापब्रधक/अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपारेशन लि0 विद्युत वितरण मण्डल रूड़की पर 5000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है ।		अनुपालन कर लिया गया है ।

162	A-6656	29.02.2012	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, आर.टी.आई. मिशन उत्तराखण्ड 104 ईश्वर विहार फेस–2, रायपुर रोड देहरादून, लोक सूचना अधिकारी /परियोजना प्रबंधक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, डी– 67, सैक्टर– 4, डिफैन्स कालोनी, देहरूदन, विभागीय अपीलीय अधिकारी /महा प्रबंधक (नोडल), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 409 / 1 शान्ति विहार, जी0एम0एस0 रोड, देहरूदन	लोक सूचना अधिकारी /परियोजना प्रबंधक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, डी– 67, सैक्टर– 4, डिफैन्स कालोनी, देहरूदन पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
163	A-6139	09.02.2012	श्री डी0पी0 डंगवाल, 132 के0वी0 उपकेन्द्र सिमली (कर्णप्रसाग), जिला चमोली गढ़वाल, उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता 220, के0वी0 परि0 एवं अनु0 खण्ड पिटकुल वीरभद्र, ऋषिकेश जिला देहरादून, विभागीय अपीलीय अधिकारी / महाप्रबंधक (परि एवं अनु0), पिटकुल 26– सिविल लाइन्स रूड़की	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पर श्री अनुपम सिंह पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है। तथा लोक प्राधिकारी अधिशासी अभियन्ता 220, के0वी0 परि0 एवं अनु0 खण्ड पिटकुल वीरभद्र, ऋषिकेश जिला देहरादून, पर 3000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है ।		
164	A-6365	27.01.2012	श्री मनीश सक्सेना, एडवोकेट जिला कचहरी, कोर्ट कम्पाउण्ड शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, लोक सूचना अधिकारी / मसूरी देहरादून विकास प्राधीकरण देहरादून। विभागीय अपीलीय अधिकारी /सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून। लोक सूचना अधिकारी अनुभाग अधिकारी कार्मिक अुनभाग–3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून, उपाध्यक्ष, कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / मसूरी देहरादून विकास प्राधीकरण देहरादून,पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है । तथा लोक प्राधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर 5000 रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है		
165	A-6718	29.02.2012	श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट, पुत्र स्व0 श्री नैन सिंह बिष्ट, ओ0एन0जी0सी पालीटैंक्निक कौलागढ़ रोड आई0आई0पी0 देहरादून, लोक सूचना अधिकारी /वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसील धारचुला, जिला पिथौरागढ। विभागीय अपीलीय अधिकारी /तहसीलदार, तहसील धारचुला, जिला पिथौरागढ, लोक प्राधिकारी, तहसीलदार धारचूला, जिला पिथौरागढ़	लोक प्राधिकारी, तहसीलदार धारचूला, जिला पिथौरागढ़ पर 3000 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है ।		

166	C-6013	17.02.2012	सिद्ध दोष बन्दी (उच्च श्रेणी) जवाहर सिंह परिहार, जिला कारागार देहरादून सुद्धोवाला मार्फत अधीक्षक, जिला कारागार देहरादून । लोक सूचना अधिकारी / अनु सचिव, गृह सचिव, गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	लोक सूचना अधिकारी / अनु सचिव, गृह सचिव, गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन देहरादून परर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		
167	A-6832		श्री तेजपाल सिंह सैनी, पुत्र श्री रोढ़ा सिंह, ग्राम शान्तरशाह पोस्ट पतंजलि बहादराबाद जिला हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय, रूड़की जिला हरिद्वार। विभागीय अपीलीय अधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत वितरण मण्डल रूड़की जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय, रूड़की जिला हरिद्वार पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		दिनांक 23 / 4 / 2012 को अनुपालन कर लिया गया है ।
168	A-6840		श्री तेजपाल सिंह सैनी, पुत्र श्री रोढ़ा सिंह, ग्राम शान्तरशाह पोस्ट पतंजलि बहादराबाद जिला हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूड़की जिला हरिद्वार, विभागीय अपीलीय अधिकारी / उप महाप्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल, रूड़की जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूड़की जिला हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।		दिनांक 23 / 4 / 2012 को अनुपालन कर लिया गया है ।
169	A-5717	16.03.2012	श्री धर्म सिंह पुत्र श्याम लाल,ग्राम मेहबड़ खुर्द उर्फ नागल, पोस्ट मेहवड कला, तहसील रूड़की जिला हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी / नायब तहसीलदार, रूड़की जिला हरिद्वार। विभागीय अपीलीय अधिकारी / तहसीलदार, रूड़की जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी / नायब तहसीलदार, रूड़की जिला हरिद्वार पर 1500 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है ।		दिनांक 18 / 4 / 2012 को अनुपालन कर लिया गया है ।

आयोग द्वारा धारा 25 के अंतर्गत की गयी अनुश्रवणात्मक कार्यवाही

अध्याय : 10

आयोग द्वारा धारा 25(5) के अंतर्गत की गयी अनुश्रवणात्मक कार्यवाही

सूचना का अधिनियम की धारा 25(5) के अनुसार :

''यदि राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है, तो वह उस प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा।''

उपरोक्त के द्वारा राज्य सूचना आयोग को विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर पर अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के अनुपालन की मॉनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व प्रदत्त है.

अधिनियम की उक्त धारा के प्राविधान के अनुरूप आयोग द्वारा विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों के आदेशों में ऐसे उपाय लोक प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किये जाते हैं जिनसे समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों तथा भावनाओं के क्रियान्वयन में अनुभव की जा रही शिथिलताओं का प्रभावी निराकरण कर सकें.

विगत वर्षों की भांति वर्ष 2011 – 12 में आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों को की गयी ऐसी सिफारिशों का सार इस वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा रहा है. तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि आयोग की सिफारिशों पर अधिकतर लोक प्राधिकारियों के स्तर पर कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है.

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25 (5) के अन्तर्गत अनुश्रवण

क0 सं0	अपील संख्या	प्रतिपक्षी	आदेश दिनांक तथा आदेश का सार	कृत कार्यवाही
1.	अ–5769	श्री बचनसिंह पुत्र जुपल सिंह ग्राम ओडाडा पो.ओडाडा,पट्टी धमान्दस्यूॅ तहसील नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल बनाम 1.लो.सू.अ./अपर शिक्षा निदेशक गढवाल मण्डल पौडी. 2. वि.अ.अ. /निदेशक,विद्यालयी शिक्षा ननूरखेडा देहरादून	पत्रांक 11295 दिनांक 3 नवम्बर 2011 लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया गया कि मूल अनुरोध पत्र के बिन्दु सख्या दो पर मांगी गयी सूचना को प्रमाणित कर अपीलकर्ता को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराते हुये कृत्य कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराया जाए.	
2	अ–4594	श्री जे.एस.चौहान, प्रकाश सिटी,मकान नं. 144,बाजपुर रोड काशीपुर जिला उद्यमसिंहनगर बनाम 1.लो.सू.अ./जिला शिक्षा अधिकारी उद्यमसिंहनगर. 2.वि.अ.अ./अपर शिक्षा निदेशक कुमायूॅ मण्डल नैनीताल एवं अन्य	पत्रांक 11532 दिनांक 11 नवम्बर 2011 महिला कार्मिकों को प्रसूति अवकाश के उपरांत वेतन भुगतान किये जाने अथवा प्रसूति अवकाश के दौरान भी नियमित वेतन का भुगतान किये जाने के संबंध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा एक स्पष्ट कार्यालय ज्ञाप निकाला जाये.	

3	अ–5090	श्रीमती प्रेमप्रभा(से0नि0) प्रधानाध्यापिका मकान नं0451,चाव मण्डी रूडकी,जिला हरिद्वार बनाम 1. लो.सू.अ. / खण्ड शिक्षा अधिकारी रूडकी हरिद्वार 2.वि.अ.अ. / जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार एवं अन्य	पत्रांक 12082 दिनांक 22 नवम्बर 2011 जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या 444–48, दिनाकं 12 मार्च, 2010 जो कि अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक, हरिद्वार द्वारा निर्गत किया गया है पर प्रधानाचार्य, श्री गांधी महिला शिल्प विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, रूडक़ी के स्तर से की गयी कार्यवाही के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आयोग को आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अवगत कराया जायेगा.	अनुपालन आख्या प्राप्त
5	अ–6066	श्री संजीव विरमानी पुत्र श्री ओम प्रकाश बिरमानी,पता चेम्बर नम्बर–7,सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड साउथ ब्लाक देहरादून बनाम 1.लो.सू.अ. / कार्यालय निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड अल्मोडा / प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी आवास संघ लि0, नेहरू कालोनी देहरादून। 2.वि.अ.अ. / कार्यालय अपर निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड अल्मोडा।	पत्रांक 13224 दिनांक 02 दिसम्बर 2011 प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी आवास संघ लि0, नेहरू कालोनी, देहरादून द्वारा अपीलकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना को प्रमाणित कर पंजीकृत डाक के माध्यम से एक माह के अंदर प्रेषित किया जायेगा.	

6	अ—3664	श्रीमती मोहरा देवी, वीरपुर खुर्द, पोस्ट पशुलोक जिला देहरादून बनाम 1.लो.सू.अ. / अस्थाई खण्ड लो.नि.वि. ऋषिकेश देहरादून 2.वि.अ.अ. /अस्थाई खण्ड लो. नि.वि.ऋषिकेश देहरादून	पत्रांक 13224 दिनांक 14 दिसम्बर 2011 कुम्भ मेला से संबंधित कार्यों के परीक्षण के कार्य की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु सैम्पल लिये जाने तथा जांच परिणाम आने के उपरान्त जो जॉच रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी, उससे लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग को अवगत कराया जायेगा.	
7	अ—6407	श्री विजय कुमार पुत्र श्री ध्यान सिह,ग्राम पंचायत तिलवाडी कालसी,पो0कालसी गेट तहसील कालसी देहरादून बनाम 1.लो0सू0अ0 / प्रधान ग्राम पंचायत तिलवाडी कालसी पो0कालसी गेट तहसील कालसी देहरादून. 2.वि0अ0अ0 / खण्ड विकास अधिकारी कालसी जिला देहरादून	पत्रांक 13682 उ0सू0आ0 / 2011 दिनांक 28 12 2011 जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून प्रश्नगत प्रकरण की एक माह के अन्दर जांच कर जांच आख्या आयोग को प्रेषित करायेंगे तथा यह भी अवगत कराएंगे कि तत्कालीन सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री असगर अली द्वारा वर्तमान सहायक लोक सूचना अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को अभिलेख हस्तगत क्यों नहीं किए जा रहे है?	
8	अ—6310	श्री सुभाष चन्द्र पैन्यूली,कनिष्ठ सहायक,आयुवैदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय नैनीताल हल्द्वानी बनाम 1.लो0सू0अ0 / संयुक्त निदेशक, आयुवैदिक एवं यूनानी सेवायें, पो0ओ0गुजराडा,सहस्त्रधारा रोड देहरादून 2.वि0अ0अ0 / निदेशक, आयुवैदिक एवं यूनानी सेवायें, पो0ओ0गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड देहरादून	पत्रांक 296 / उ0सू0आ0 / 2011 दिनांक 9 जनवरी 2012 महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा आदेश के निर्गत होने के एक माह के भीतर आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन पूर्ण कर अनुपालन आख्या आयोग को प्रेषित की जायेगी	अनुपालन आख्या प्राप्त

9	अ–5880	श्री अरूण कुमार , ग्राम बैरागढ, पो0 मोहन चट्टी, वाया स्वर्गाश्रम, पौडी गढवाल बनाम 1.लो0सू0अ0 / प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडाउन, पौडी गढवाल। 2.वि0अ0अ0 / वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, अंसारी मार्ग देहरादून। 3.लो0सू0अ0 / प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी। 4.लोक प्राधीकारी / प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडाउन, पौडी गढवाल।	पत्रांक 502 / उ0सू0आ0 / 2011 दिनांक 11.01.2012 प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडाउन, पौड़ी गढ़वाल जो कि स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित हैं, को आदेशित किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पत्र पर जिन अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, उन समस्त अनियमितताओं पर इस आदेश के निर्गत होने के तीन माह के अंदर विस्तृत जाचं की जाए. जाचं में आरोपों के सिद्ध होने पर तब संबंधित दोषी कर्मचारी / अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए और कृत कार्रवाई से आयोग के साथ–साथ अपीलकर्ता को भी अवगत कराया जाए. यदि जाचं में अपीलकर्ता की आवश्यकता हो तो अपीलकर्ता को भी बुलाया जाए.	अनुपालन आख्या प्राप्त
10	अ–6908	श्री लक्ष्मण सिंह नेगी, पूर्व प्रधान ग्राम व पोस्ट खीड़ा, तहसील चौखुटिया जिला अल्मोडा बनाम 1. लो.सू.अ. / समाज कल्याण अधिकारी जिला अल्मोडा। 2. वि.अ.अ. / निदेशक, समाज कल्याण विभाग कालाढूंगी रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल।	पत्रांक 4995 / उ0सू0आ0 / 2012 दिनांक 30.3.2012 विभागीय अपीलीय अधिकारी / निदेशक, समाज कल्याण विभाग, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल विलम्ब से सूचना प्रेषित किए जाने हेतु उत्तरदायी कर्मचारी के विरूद्ध तीन माह के अंदर कार्रवाई करते हुए आयोग को अवगत करायें.	

आयोग द्वारा की गयी समीक्षा बैठकें

अध्याय : 11

आयोग द्वारा की गयी समीक्षा बैठकें

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपनी स्थापना के प्रारंभिक काल से ही विभिन्न जनपद मुख्यालयों, विकास खण्डों तथा तहसीलों में लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती रही हैं तथा विभिन्न स्तरों पर आयोजित कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग किया है. ऐसी समीक्षा बैठकों को आयोजित करने के पीछे आयोग का उद्देश्य एक सरल एवं सुगम व्यवहारिक शासन पद्धति को स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है.

उक्त समीक्षा बैठकों के उपरान्त आयोग द्वारा संबंधित आयोजन स्थल पर ही जन सुनवाई / प्रेस वार्ता भी आयोजित की जाती रही हैं. इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन के लिए स्थापित व्यवस्था की समीक्षा; लोक प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के अनुपालन की प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है.

जन सुनवाईयों / प्रेस वार्ताओं के माध्यम से जनसामान्य को सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के उपयोग की जानकारी दी जाती है तथा अधिनियम का प्रचार प्रसार भी किया जाता है. इन बैठकों में आयोग द्वारा प्रकाशित सामग्री भी लोक प्राधिकारियों तथा जनसामान्य के उपयोगार्थ भी बांटी जाती हैं.

आयोग द्वारा वर्ष 2011 – 12 में की गयी कुछ प्रमुख समीक्षा बैठकों एवं जन सुनवाईयों / प्रेस वार्ताओं के कार्यवृत्त इस अध्याय में दिये जा रहे हैं.

श्री नृप सिंह नपलच्याल ,मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को सफल कियान्वयन किये जाने हेतु दिनांक 20–4–2011 को जनपद अल्मोड़ा की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

कार्यवृत्त

सर्वप्रथम सभा में उपस्थित समस्त जनपद स्तरीय विभागीय अपीलीय अधिकारियों तथा लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अपना परिचय मुख्य सूचना आयुक्त को दिया गया। समस्त उपस्थित अधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के महत्व एवं उसमें आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा उपस्थित समस्त अधिकारियों से सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत विभागीय समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। विचार विमर्श उपरान्त मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिये गये।

1– कतिपय विभागों के लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों की सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में समुचित जानकारी नहीं होने पर उन्हें सचेत करते हुए निर्देश दिये गये कि समस्त लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के पास सूचना का अधिकार से सम्बन्धित अधिनियम 2005 एवं समय–समय पर आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों की पुस्तिका अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए और इस अधिनियम की व्यापक जानकारी स्वयं भी रखे एवं आम जनता को भी दे।

2– स्वयं सेवी संस्थायें आदि जो सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करती है, वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत है और वे सूचना देने के लिए बाध्य है, इसलिए इन संस्थाओं में भी अनिवार्य रुप से लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाये और संस्था को जिस विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है उस विभाग के सक्षम अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाये।

3– प्रदेश के अन्तर्गत दो मण्डलो के एक–एक जनपद को पायलट जिला के रूप में बनाया जाना है, जिसके अन्तर्गत कुमाऊ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा को पायलट जिला चयनित किया जा रहा है। जिला अल्मोड़ा से आशा है कि वे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के लिए एक आदर्श जिला बनेगा और जिसका अनुकरण मण्डल के अन्य जनपद भी करेंगे। अपेक्षा की गई कि जनपद के समस्त विभाग अपनी अधिक से अधिक जानकारी, जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करें तथा उन्हें अद्यावधिक करें। जिलाधिकारी अल्मोडा इस कार्य की समीक्षा अपने स्तर से करें तथा समय–समय पर आयोग को अवगत करायें।

4– विभागों से मैनुअल की जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि विद्युत वितरण खण्ड अल्मोडा एवं जल संस्थान, अल्मोडा द्वारा विभागीय 17 बिन्दुओं की मैनुअल अभी तक तैयार नहीं किये गये है, इस पर मुख्य सुचना आयुक्त द्वारा क्षोभ व्यक्त किया और निर्देश दिये कि समस्त विभाग अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित सभी अध्यावधिक सूचना धारा 4(1)ख– के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं में मैनुअल तैयार कर एक प्रति जिला अधिकारी, कार्यालय तथा विभागीय में वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, ताकि जन सामान्य को सम्बन्धित विभाग की सूचना इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो सके।

5– विभागीय मैनुअलों में विभाग के समस्त कार्यों की सूचनायें अंकित की जाय ताकि आम जनता को सूचना प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। प्रत्येक लोक प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके कार्यालय में प्राप्त होने वाले सभी प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही व उसके निस्तारण का विवरण भी मैनुअल में रखा जाय। समस्त विभाग उक्त मैनुअल को प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रुप से अपडेट करना सुनिश्चित करें। अपडेट सूचना मैनुअल के साथ–साथ जनपद एन0आई0सी0 को भी उपलब्ध कराये।

6– जिला अधिकारी अल्मोडा अपने स्तर से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में एक कार्यशाला का आयोजन मुख्यालय स्तर पर करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे जनपद के समस्त लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को सूचना देने में किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा को निर्देशित किया गया कि जिन लोक सूचना अधिकारियों को आयोग द्वारा दण्डित कर धनराशि जमा करने के निर्देश दिये जाते है, उनके सम्बन्ध में उनके आहरण वितरण अधिकारी से कोड नम्बर प्राप्त कर लिया जाय और धनराशि जमा होने की सूचना आयोग को प्रेषित की जाय।

8— बैठक में उपस्थित अधिकारियों से सूचना के अधिकार में आ रही कठिनाई के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई। इस सम्बन्ध में बताया गया कि बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्तियों को सूचनाऐं निःशुल्क दी जानी है। प्रारूप में माँगी जाने वाली सूचनायें विभाग के पास उपलब्ध है तो उन्हें प्रारुप में दी जाय। लोक सूचना अधिकारी, यदि किसी अन्य अधिकारी/कर्मी की सहायता से सूचना प्राप्त कर प्रेषित कर रहा है तो उक्त सूचना देने वाले अधिकारी/कर्मी को डीम्ड लोक सूचना अधिकारी माना जायेगा। अतः सभी अनुभाग/पटल लोक सूचना अधिकारी पूर्ण सूचना सहयोग उपलब्ध करायेंगे।
अन्त में सभी उपस्थित प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं लोक सूचना अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित कर समीक्षा बैठक समाप्त की गयी।

दिनांक 20—04—2011

(एन0एस0 नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि अनुपालानार्थ प्रेषितः

1. समस्त लोक सूचना अकिकारी, जनपद अल्मोडा
2. समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारी, जनपद अल्मोडा
3. समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी, जनपद अल्मोडा
4. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद अल्मोडा
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद अल्मोडा
6. निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त के अवलोकनार्थ।

जिलाधिकारी
अल्मोडा

बैठक उपस्थिति

1 – श्री डी0एस0 गर्ब्याल, जिला अधिकारी, /विभागीय अपीलीय अधिकारी, अल्मोडा।
2 – श्री पुरन सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक/ विभागीय अपीलीय अधिकारी, अल्मोडा।
3 – श्री डी0एस0 गर्ब्याल, मुख्य विकास अधिकारी/ विभागीय अपीलीय अधिकारी, अल्मोडा।
4 – श्री राजीव शाह, अपर जिला अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, अल्मोडा।
5 – श्री रवि शंकर, संयुक्त मजिस्ट्रेट/ विभागीय अपीलीय अधिकारी, अल्मोडा।
6 – श्री नरेन्द्र क्वीरियाल,उप जिलाधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी,सदर अल्मोडा।
7 – श्री एन0एस0 डांगी, उप जिलाधिकारी/ विभागीय अपीलीय अधिकारी,जैंती/भनोली।
8 – श्री सी0एस0 मर्तोलिया, उप जिलाधिकारी/ विभागीय अपीलीय अधिकारी,भिक्यिासैंण।
9 – श्री पंकज कुमार उपाध्याय, तहसीलदार/ विभागीय अपीलीय अधिकारी,अल्मोडा
10 –श्री राजेन्द्र शुक्ला , भू–वैज्ञानिक/लोक सूचना अधिकारी भू–तत्व इकाई अल्मोड़ा
11 –श्री के0सी0 जोशी, प्रधानाचार्य/ लोक सूचना अधिकारी रा0महिला पा0 अल्मोड़ा
12 –श्री शेर सिंह परगाई ,ए0एम0ए0/ लोक सूचना अधिकारी जिला पंचायत अल्मोड़ा।
13 –श्री आर0सी0 पाण्डे वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी अल्मोड़ा
14 –श्री जे0पी0 तिवारी , कृषि एवं भू0सं0अ0/ लोक सूचना अधिकारी अल्मोड़ा
15 –श्री अभय सक्सेना, मुख्य कृषि अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी, अल्मोड़ा
16 –श्री राजीव कुमार मेहरा, सम्भागीय परिवहन अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी,अल्मोड़ा
17 –श्री एन0एन0 त्रिपाठी, सैनिक कल्याण अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी अल्मोड़ा।
18 –श्री दिनेश चन्द्र, प्रभागीय वन विकास निगम प्रबन्धक/ लोक सूचना अधिकारी अल्मोड़ा।
19 –श्री प्रेम कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम/अपीलीय अधिकारी, अल्मोड़ा।
20 –श्री करण सिंह, अधि0अभि0 जल निगम/ लोक सूचना अधिकारी अल्मोड़ा।
21 –श्री सुरेश चन्द्र आर्य, नि0ख0 लो0नि0वि0/अपीलीय अधिकारी, अल्मोड़ा।
22 –श्री वृजेन्द्र गौड, अधि0अभि0 लघुडाल/अपीलीय अधिकारी, अल्मोड़ा
23 –श्री के0एस0 असवाल, अधि0अभि0, प्रा0ख0लो0नि0वि0/लोक सूचना अधिकारी, रानीखेत।
24 –श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रा0ख0 लो0नि0वि0/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
25 –श्री चन्द्र लाल वर्मा, जिला किडा अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
26 –श्री जे.सी. जोशी,स0कृ0अ0,कृषि एवं भूमि स0 बाडेछीन/लोक सूचना अधिकारी,अल्मोड़ा।
27 –श्री डा0 विनोद पाण्डेय, वि0आ0यू0 अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
28 –श्रीमती मंजू तिवारी, प्रभारी संग्राहलय / लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
29 –श्री डी.सी.पाण्डेय,अधि0अभि0,पेय जल निगम अल्मोड़ा/लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
30 –किरन आर्या, वाणिज्य कर विभाग/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
31 –श्री जगदीश प्रकाश, उद्योग केन्द्र/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।

32 –श्री गणेश चन्द्र, स्टाफ **अफिसर, मु0अभि0** कार्यालय / लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
33 –श्री आनन्द सिंह भण्डारी, **पटवारी ट्रेनिंग सैन्टर**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
34 –श्री जीवन लाल आर्य, **जिला युवा कल्याण अधिकारी**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
35 –श्री जी0एस0 नेगी, **वरिष्ठ प्रवक्ता डायट/ लोक सूचना** अधिकारी, अल्मोड़ा।
36 –श्री बी0डी0 तिवारी, डिप्टी कमान्डेंट/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
37 –श्री पी0एस0 बिष्ट, सहा0 अभि0 लो0नि0वि0(नि0)/ लोक सूचना अधिकारी, रानीखेत।
38 –श्री गम्भीर सिंह **बिष्ट, वरि0 प्रबन्धक कु0म0वि0निगम**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
39 –श्री के0के0 पाण्डेय, **सहा0अभि0 लो0नि0वि0(नि0)/लोक** सूचना अधिकारी रानीखेत।
40 –श्री अरविन्द चौधरी, सहा0जि0नि0अ0/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
41 –श्री मनोज कुमार बिष्ट, **लो0नि0वि0** रानीखेत/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
42 –श्रीमती आभा भट्ट, **क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
43 –श्री रतनाकर सिंह, बाल विकास विभाग/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
44 –श्री प्रदीप कुमार, निदेशक रेशम विभाग/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
45 –श्री आनन्द **ए0डी0 शुल्क, जि0सहा0नि0**/अपीलीय अधिकारी अल्मोड़ा।
46 –श्री बी0एस0 भाकुनी, **प्रबन्धक दुग्ध संघ**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
47 –श्री एम0एस0 भण्डारी, **महि0दुग्ध डेरी**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
48 –श्री एम0सी0 शर्मा, **अधि0अभि0 नि0–2**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
49 –श्री जी0एस0 पवार, **निदेशक स्वजल**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
50 –श्री के0एस0 गडिया, **सहा0अभि0 नि0ख0** लो0नि0वि0/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
51 –श्री **आर0सी0 मुनगली, सहा0अभि0 ग्रा0अभि0सेवा/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।**
52 –श्री दर्शन लाल, अधि0अभि0, **ग्रा0अभि0सेवा**/अपीलीय अधिकारी अल्मोड़ा।
53 –श्री नवीन सिंघल, अधि0अभि0,सिंचाई विभाग/अपीलीय अधिकारी अल्मोड़ा।
54 –श्री बी0के0पन्त **मु0अभियन्ता**, लघु सिंचाई/अपीलीय अधिकारी अल्मोड़ा।
55 –श्री के0एस0 खाती **अधिशासी अभियन्ता** जल संस्थान/लोक सूचना अधिकारी रानीखेत।
56 –श्री ए0पी0 मिश्रा, अ0अ0जल संस्थान/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
57 –श्री जी0एस0 खाती, **प्राचार्य, ई0टी0सी0**/ लोक सूचना अधिकारी,हवालबाग अल्मोड़ा।
58 –श्री एन0एस0 नयाल **मु0पशु चि0अ0**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
59 –श्री अमित कटारिया, **अ0अ0 विद्युत** वितरण/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
60 –श्री बी0के0 सिंह **अ0अ0 लघु सिंचाई**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
61 –श्री एस0एस0 पांगती **जिला विकास** अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
62 –श्री राहुल **डी0एफ0ओ0 वन विभाग**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
63 –श्री दीपक जोशी **जिला सूचना** अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
64 –श्री के0एस0 बिष्ट, **जिला पूर्ति अधिकारी/ लोक सूचना** अधिकारी, अल्मोड़ा।
65 –श्री आर0एस0 जयन्त **सी0ओ0/अपीलीय अधिकारी, अल्मोडा।**
66 –श्री ए0के0आर्य, **जिला सूचना विज्ञान अधिकारी**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
67 –श्री जे0पी0 सिंह **अधि0अभि0 पेयजल निगम**/ लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
68 –श्री मनोज वृजवाल **खादी बोर्ड अल्मोडा/स0** लोक सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
69 –श्री पी0एल0 साह, **डिप्टी कलक्ट्रर**, अल्मोडा।

दिनांक 21 अप्रैल,2011 को अपरान्ह 3.00 बजे विकास भवन सभागार, पिथौरागढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड, की अध्यक्षता में आयोजित लोक सूचना अधिकारियों की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों में नामित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

मुख्य सूचना आयुक्त महोदय का जनपद आगमन पर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। आशा व्यक्त की गयी कि मा. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा बैठक लिये जाने से सूचना अधिकार अधिनियम की विस्तृत जानकारी का लाभ विभागीय लोक सूचना अधिकारियो,अपीलीय अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों को होगा। यह भी अपेक्षा की गयी कि आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक बार अवश्य ही जिलास्तर पर इस प्रकार की बैठक आयोजित की जाए ताकि अधिनियम के सम्बन्ध में कतिपय आशंकायें, भ्रान्तियां दूर हो सकें और अधिनियम की बारीकियों को विस्तार से समझा जा सके और अधिकारियों का मार्गदर्शन हो सके।

मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में दी गई व्यवस्था व नियमों की जानकारी विस्तार से दी गयी। निम्न विन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बताईः–

- विभागों में जो अधिकारी लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी तथा सहायक सूचना अधिकारी नामित हैं, अधिनियम में उनके लिए जो दायित्व निर्धारित किये गये हैं, उस दायित्व का निर्वहन सद्भावना पूर्वक सुनिश्चित करें और सूचना का अधिकार अधिनियम की विस्तृत एवं गहराई से जानकारी रखें। प्रत्येक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रति अवश्य उपलब्ध रहे।

- सूचना प्राप्त करना किसी भी नागरिक को अधिनियम अंतर्गत प्रदत्त अधिकार है और धारित सूचना निश्चित समय पर सही–सही दिया जाना संबंधित लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है। यदि सूचना भ्रामक, त्रुटिपूर्ण या विलम्ब से सूचना दी जाती है तो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यह दण्डनीय कृत्य है।

- प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वे प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्रों की विस्तृत सूचना कार्यालय में सुरक्षित रखें। कितने प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए, उनका निस्तारण निर्धारित अवधि के अंदर हो चुका है या नहीं, इसे देखना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि कितनी अपील प्रस्तुत हुई, उनका निश्चित समयावधि में निस्तारण हो गया अथवा नहीं।

- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में 17 विन्दुओं का मैनुवल अद्यावधिक (up-date) रखा जाए। इस मैनुवल में विभाग की समस्त जानकारी एवं विभागीय योजनाओं की सूची एवं कार्य का विवरण, कार्यदायी विभागों द्वारा समय–समय पर आमंत्रित निविदा तथा स्वीकृत निविदाओं का विवरण तथा रजिस्टर्ड ठेकेदारों की सूची भी प्रत्येक वर्ष प्रत्येक छःमाही अद्यावधिक करें। वर्ष 2010–11 की समस्त सूचनाओं का मैनुअल आगामी दो माह के अंदर अद्यावधिक कर मैनुवल को सी.डी. के माध्यम से उपलब्ध कराकर जनपद की Website में डाली जाए। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ विभागों से मैनुअल प्राप्त होने पर उसS Website में अपलोड सुनिश्चित करेंगे।

- जिलाधिकारी आगामी माह में समस्त लोक प्राधिकारियों की बैठक आयोजित कर मैनुवल अद्यावधिक किये जाने की समीक्षा करें। साथ ही जनपद स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन भी करें, जिसमें विस्तृत रूप से अधिनियम की जानकारी दी जा सके। इसकी सूचना आयोग भी दी जाए ताकि आयोग के अधिकारी भी कार्यशाला में प्रतिभाग कर अधिकारियों का मार्गदर्शन कर सकें। सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धन,गरीब, असहाय, महिलाओं आदि को भी हो सके और वे इस अधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें, इस हेतु समय–समय पर विभिन्न संचार माध्यमों से अधिनियम की जानकारी दी जाए।

- सूचना के अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में यदि कोई आशंका किसी लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी को हो तो वे सूचना आयोग से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

- सभी विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि उनके विभाग में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित हों। यदि नामित नहीं हैं तो विभागाध्यक्ष से पत्राचार कर अधिकारियों को नामित करवायें। लोक सूचना अधिकारी अपनी सुविधानुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी को नामित करवा सकते हैं ताकि प्रार्थना–पत्रों की प्राप्ति तथा प्रार्थी को सूचना प्रेषण में सुविधा हो सके।

- कोई भी अधिकारी अपने कार्यालय के लिए लोक सूचना अधिकारी हो सकते हैं और अधीनस्थ कार्यालय के लिए अपीलीय अधिकारी हो सकते हैं।

- जिस व्यक्ति द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, उसके प्रत्युत्तर के समय उस व्यक्ति को यह भी अवगत करावें कि यदि वे सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर सहित अवगत करावें।

- प्रार्थी द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त की जा रही हो जो विभाग में उपलब्ध नहीं है और न ही सृजित की गयी हो, तो ऐसी सूचना के लिए प्रार्थी को अवगत कराया जाए कि संबंधित सूचना उनके कार्यालय में धारित नहीं है और न ही सृजित की गयी है।

- कार्यालय के पास जिस प्रारूप में सूचना उपलब्ध हो, यह आवश्यक नहीं है कि उसी प्रारूप के अनुसार ही सूचना प्रार्थी को दी जाए। प्रार्थी द्वारा जिन प्रारूप में सूचना चाही गयी है, उसी प्रारूप में दी जाए। प्रारूप में यदि कोई ऐसी सूचना चाही गयी है जो विभाग में धारित नहीं है तो ऐसी सूचना के सम्बन्ध में प्रार्थी को तद्नुसार सूचना धारित न होना अवगत करा दिया जाए।

- कोई भी व्यक्ति एक प्रार्थना–पत्र में एक से अधिक, अनेक विभागों की सूचना हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी का इस प्रकार का आवेदन–पत्र भी स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। संबंधित लोक सूचना अधिकारी उस प्रार्थना–पत्र का अंतरण निर्धारित अवधि में संबंधित समस्त विभागीय लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करेगा और प्रार्थी को सूचित करेगा।

- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत किसी भी लोक सूचना अधिकारी को यह जानने का अधिकार नहीं है कि चाही गयी सूचना संबंधित व्यक्ति द्वारा किस उद्देश्य से चाही जा रही है।

- यदि किसी व्यक्ति द्वारा बहुत अधिक मात्रा में कतिपय विवरण व सूचना चाही गयी हैं, जिसमें कई पत्रावली, अभिलेखों से सूचना तैयार की जानी है और सूचना विवरण भी काफी धनराशि की लागत का हो तो ऐसे में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–9 के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति से यह पूछा जा सकता है कि उन्हें जिस विषयक सूचना चाहिए वे कार्यालय में आकर उसी विषयक सूचना प्राप्त कर सकते हैं और पत्रावली व अभिलेख देख सकते हैं।

- Life and Liberty से सम्बन्धित सूचना किसी व्यक्ति द्वारा चाहे जाने पर उस सूचना को अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत 48 घण्टे कें अंतर्गत दिया जाना होगा। Life and Liberty के कतिपय दृष्टान्त भी बैठक में दिये गये।

- यदि विभाग में किसी अभिलेख, पत्रावली की वीडिंग हो गयी है और सूचना उपलब्ध नहीं है तो ऐसी सूचना के सम्बन्ध में प्रार्थी को वीडिंग से संबंधित पंजिका की प्रविष्टि आदि की छाया प्रति साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कर सूचित किया जाना होगा।

- समस्त विभाग कार्यालय में अभिलेखों का रखरखाव दुरस्त रखें। सूचना समय–समय पर अद्यावधिक करें और विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे समस्त कार्यों का विवरण उपलब्ध हो। महत्वपूर्ण प्रकृति की सूचना की पंजिकायें तैयार करें। अभिलेखों के उचित रखरखाव होने से सूचना उपलब्धता में आसानी होगी।

पृच्छा एवं समाधान

उपस्थित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत कतिपय जिज्ञासायें, संकायें व्यक्त की गयीं, जिनका समाधान माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में किया गया।

- ✓ यदि माननीय आयोग किसी प्रकरण पर अर्थदण्ड लगाता है तो क्या पुनर्याचिका (Review) हेतु माननीय आयोग में प्रार्थना की जा सकती है। स्पष्ट किया गया कि दिये गये निर्णय पर आयोग पुनर्याचिका स्वीकार नहीं करता है। आयोग का निर्णय अंतिम होता है। हां, उसके विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की जा सकती है।

- ✓ यदि कोई लोक सूचना अधिकारी स्थानान्तरण हो जाते हैं,उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा निर्धारित समय पर सूचना नहीं दी जाती है तो क्या वर्तमान में तैनात लोक सूचना अधिकारी पर ही सूचना उपलब्ध न कराने का दण्ड आरोपित्रहोगा। स्पष्ट किया गया कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी ही सूचना उपलब्ध न कराने के दोषी माने जायेंगे।

- ✓ सूचना उपलब्ध कराने में यदि उसकी कीमत पंजीकृत डाक पर होने वाले व्यय से कम हो तो क्या सूचना सामान्य डाक से भेजी जा सकती है। चूंकि इससे राजस्व हानि हो रही है। स्पष्ट किया गया कि सूचना प्रेषण में लोक सूचना अधिकारी का यह भी दायित्व है कि प्रार्थी को सूचना प्राप्त हो जाए और सूचना प्राप्ति की पुष्टि भी हो जाए। साधारण डाक से भेजी जाने वाली सूचना पावती की सुनिश्चितता नहीं रहेगी।

- ✓ कोई ऐसी सूचना जिसके लिए विभाग द्वारा शुल्क निर्धारित किया है लेकिन ऐसी सूचना,सूचना का अधिकार अधिनियम में चाहे जाने पर मात्र रू0 2.00 में देनी होती है, क्या ऐसी सूचना राजस्व हानि को देखते हुए दिया जाना उचित है। स्पष्ट किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत चाही गयी सूचना निर्धारित शुल्क रू0 2.00 प्रति पृष्ठ की दर से दिया जाना अनिवार्य है।

- ✓ क्या उत्तराखण्ड राज्य से बाहर अन्य किसी राज्य से सूचना चाहे जाने विषयक प्रार्थना–पत्र भी स्वीकार किये जा सकते हैं। स्पष्ट किया गया कि ऐसे प्रार्थना–पत्रों को संबंधित राज्य को अंतरण किया जाना होगा।
- ✓ क्या किसी अधिकारी/कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रविष्टि को भी सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत चाहे जाने पर दी जा सकती है। स्पष्ट किया गया कि चरित्र प्रविष्टि एक व्यक्तिगत व गोपनीय अभिलेख है। ऐसी मामलों में जनहित को ध्यान में रखते हुए सूचना दिये जाने का लोक सूचना अधिकारी निर्णय ले सकते हैं।

मुख्य सूचना आयुक्त ने समस्त उपस्थित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अधिनियम की विस्तृत जानकारी रखें, चाही गयी सूचना तत्परता से निर्धारित अवधि के अंदर दें और सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का भेदभाव, दुर्भावना न रखें। जहॉ एक ओर नागरिक का अधिकार है कि वह सूचना चाहे, दूसरी ओर लोक सूचना अधिकारी का कर्तब्य है कि वे सही–सही चाही गयी सूचना समय से दे। आगामी दो माह बाद पुनः बैठक कर दिये गये निर्देशों का अनुपालन की समीक्षा की जायेगी। अतः सभी अधिकारी तद्नुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्त में समस्त उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड
शिविर–पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

पत्रांक/33–सू0का अधि0अधि0–बैठक/2011–12 दिनांक ,2011

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1. समस्त लोक सूचना अधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
2. समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
3. समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
4. समस्त जिलास्तरीय अधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
6. समस्त तहसीलदार, जनपद पिथौरागढ़।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
8. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, को मा. मुख्य सूचना आयुक्त के अवलोकनार्थ।

(एन.एस.नेगी),
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

दिनॉक 25.04.2011 को विकास खण्ड कार्यालय, सभागार, धारचूला में मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड, की अध्यक्षता में आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में विभिन्न विभागों में नामित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

सर्वप्रथम मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सभी उपस्थित अपीलीय अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों का परिचय प्राप्त किया गया। उनके तदुपरान्त महोदय द्वारा का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा निर्देशित किया गया कि सभी लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम का भली–भॉति अध्ययन कर लें तथा अधिनियम की प्रति अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से रखें। प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने कार्यालय से संबंधित 17 बिन्दुओं का मैनुअल शीघ्र अध्यावधिक तैयार कर अपने कार्यालय में रखें एवं मैनुअल में अपने–अपने विभाग से संबंधित अधिक से अधिक सूचनायें संकलित करें, जिससे सभी लोक सूचना अधिकारियों को अनुरोधकर्ताओं को सूचना प्रेषित करने में कोई कठिनाई न हो। उनके द्वारा सभी लोक सूचना अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि आवेदनकर्ताओं द्वारा चाही गई सूचना निश्चित समय अन्दर पंजीकृत डॉक से ही प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सभी कार्यालयों में सूचना का अधिकार संबंधी सूचना पट में स्पष्ट सूचना अंकित करने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही समस्त लोक सूचना अधिकारी / समस्त कार्यालयाध्यक्ष, तहसील, धारचूला)

मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 6,7,8,9 व 11 के संबंध में लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर कार्यवाही पर विस्तृत मार्गदर्शन किया गया तथा अपेक्षा की गयी कि लोक सूचना अधिकारी इन धाराओं का विशेष अध्ययन कर उनके आशय को भली भांति समझ कर कार्यवाही करें। कतिपय लोक सूचना अधिकारियों द्वारा शीघ्र सूचना दिये जाने की सीमा के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया।

मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–7 (3) के अन्तर्गत जहॉ सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और अतिरिक्त शुल्क के सदांय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को तदनुसार सूचित करेगा तथा इसके विरूद्ध अपील करने की सूचना भी देगा। अतः लोक सूचना अधिकारी इस प्राविधान का भी विशेष ध्यान रखेंगे।

(कार्यवाही समस्त लोक सूचना अधिकारी, तहसील, धारचूला)

मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सभी लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(क) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों की संवेदनशील सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है। अतः इस संबंध में अधिनियम का भली भॉति अध्ययन कर तदनुसार कार्यवाही करें।

(कार्यवाही समस्त लोक सूचना अधिकारी, तहसील, धारचूला)

मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन एवं संस्था एक लोक प्राधिकारी होगा, तथा वह सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचना देने के बाध्य होगा। उनके द्वारा समस्त लोक सूचना अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिक से अधिक अनुरोध पत्रों का निस्तारण लोक सूचना अधिकारी स्तर पर

ही कर लिया जाय, तथा अनुरोधकर्ता को यह भी अवगत करा दिया जाय कि यदि वह सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो अपील कर सकता है। इस हेतु अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पते सहित अपील कर सकने हेतु अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही समस्त लोक सूचना अधिकारी, तहसील, धारचूला)

मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा उप जिलाधिकारी, धारचूला, खण्ड विकास अधिकारी, धारचूला तथा पुलिस उपाधीक्षक, धारचूला को निर्देशित किया गया कि वे अपनी उपस्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी जनता तक पहॅुचाने हेतु एक कार्यशाला शीघ्र आयोजित करें।

(कार्यवाही समस्त लोक सूचना अधिकारी, तहसील, धारचूला)

मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सभी लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्रों का त्वरित गति से निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा उप जिलाधिकारी, धारचूला को निर्देशित किया गया कि जिन विभागों में अपीलीय अधिकारी नामित नहीं हैं उन विभागों में अपीलीय अधिकारी नामित करने का प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करें। बैठक में उपस्थित सभी लोक सूचना अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010–11 में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण करने के संबंध में निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की गई।

(कार्यवाही समस्त लोक सूचना अधिकारी, तहसील, धारचूला)

मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त विभागीय अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह मात्र अपील के निस्तारण तक ही अपने को सीमित नहीं रखें बल्कि अपील की सुनवाई के समय देय सूचनाओं को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करायें ताकि समस्त सूचना प्रथम अपील के स्तर पर ही उपलब्ध हो जाये तथा अनुरोधकर्ता को द्वितीय अपील करने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसके लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी का मार्गदर्शन कर अपील की सुनवाई के समय ही उचित निर्देश दे कर सूचना उपलब्ध करा सकते हैं।

अन्त में सभी उपस्थित जन को धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
शिविर – धारचूला

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित.
2. समस्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी, धारचूला को अनुपालनार्थ प्रेषित.
3. समस्त विभागीय अपीलीय अधिकारी, धारचूला को अनुपालनार्थ प्रेषित.
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, को मा. मुख्य सूचना आयुक्त के अवलोकनार्थ।

उप जिलाधिकारी
धारचूला

दिनॉक 25.04.2011 को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड, की अध्यक्षता में आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की समीक्षा बैठक की उपस्थिति

- डॉ0 अभिषेक त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी, धारचूला।
- श्री स्वप्न किशोर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, धारचूला।
- श्री अजीत कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, धारचूला।
- श्रीमती जीवन्ती जोशी, अधिषाषी अधिकारी नगर पंचायत धारचूला।
- श्रीमती चन्द्रप्रभा रायपा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, धारचूलां
- श्री जी0एस0बुदियाल, अधिशासी अभियन्ता, उ0ज0वि0नि0, धारचूलां
- श्री डी0एन0 जोशी, तहसीलदार, धारचूला।
- श्री जे0एस0 रावत, सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 धारचूला।
- श्री एस0के0 त्यागी, सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 धारचूला।
- श्री बिषन लाल, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, अस्कोट।
- श्री पुष्कर सिंह थापा, सहायक खाद्य निरीक्षक धारचूला।
- श्री के0आर0 आर्य, थानाध्यक्ष बलुवाकोट।
- श्री पी0आर0पैन्तोला, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, धारचूला।
- श्री ललित मोहन, कनिष्ट अभियन्ता, ग्रा0अ0से0 धारचूला।
- श्री गोपाल राम विश्वकर्मा, सहायक विकास अधिकारी, धारचूला।
- श्री सी0पी0 गौतम, सहायक विकास अधिकारी(कृषि) धारचूला।
- श्री एच0आर0 आर्या, सहायक विकास अधिकारी(वन)धारचूला।
- श्री पुष्कर सिंह बौनाल, सहायक खाद्य निरीक्षक तवाघाट।
- श्री प्रकाष चन्द्र जोशी, कनिष्ट अभियन्ता, ग्रा0अ0से0 धारचूला।
- श्री गजेन्द्र सिंह बौनाल, जन निगम, धारचूला।
- श्री योगन्द्र कुमार शुक्ला, सहा0 विकास अधिकारी(सा0), धारचूलां
- श्री जसपाल सिंह गुंज्याल, ग्रा0पं0वि0अ0, दुग्तू।
- श्रीमती तुलसी बुदियाल, ए0डी0सी0ओ0,पिथौरागढ़।
- श्री भुवन चन्द्र जोशी, वन दरोगा, धारचूला।
- श्री के0एन0गोस्वामी, चिकित्सा विभाग, धारचूला।
- श्री मनोहर दत्त अवस्थी, पटवारी धारचूला।
- श्री नन्द लाल, पटवारी, दुग्तू।
- श्री मनोज कुमार पटवारी खेत।
- श्री नरेन्द्र गिरी, पटवारी, जौलजीवी।
- श्री सुरेन्द्र सिंह धामी, पटवारी बलुवाकोट।
- श्री नरदत्त पटवारी, लुमती।
- श्री जीतेन्द्र जोशी, अवर अभि0 विद्युत विभाग धारचूला।
- श्री सी0एम0 चन्कन्याल, अवर अभि0 जल संस्थान धारचूला।
- श्री नन्द किशोर सती, अवर अभि0 जल निगम धारचूला।

श्री एन0 एस0 नपलच्याल, मख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा जनपद– नैनीताल के लोक प्राधिकारियों, लोक सूचनाधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 मेें प्राविधानों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिनाँकः 21.05.2011 को नैनीताल क्लब, नैनीताल में आहूत बैठक का कार्यवृत्त :

बैठक में विभिन्न विभागों में नामित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

सर्वप्रथम विभिन्न विभागों के लोक सूचनाधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड को अपना परिचय दिया गया।

बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर लोक सूचनाधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को स्पष्ट स्थिति से अवगत कराते हुए कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों की व्यवस्था है जोकि समस्त कार्यालयों में नामित भी हैं। सूचना अधिकार के दायित्व निर्वहन हेतु सर्वप्रथम इस अधिनियम की सम्यक जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रायः यह देखने में आता है कि इस अधिनियम से सम्बन्धित सम्यक जानकारी के अभाव होने में समय व श्रम का अपव्यय होता है। इसके लिए लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों का जागरुक होना अति आवश्यक है। अनुरोधकर्त्ताओं ने अनुरोध–पत्र में किस सूचना का अनुरोध किया है, उसका भलीभांति अध्ययन करके वांछित सूचना अनुरोधकर्त्ता को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करा देनी चाहिए। यदि वांछित सूचना का सम्बन्ध आपके कार्यालय से नहीं है तो सम्बन्धित विभाग को विधिवत अंतरण (धारा–6 (3) के अर्न्तगत प्रारूप–7) किया जाना चाहिए। समस्त कार्यालय अपने कार्यालयों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव ठीक प्रकार से करें जिससे की सूचना दिये जाने में कोई अनावश्यक विलम्ब न हो। यह ध्यान रखा जावे कि समस्त पटलों/ विभागों में आपस में उचित सामंजस्य हो, जिससे कि सूचना प्रेषित किये जाने, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने, आवेदनकर्ता को दिये जाने में समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। समस्त लोक सूचना अधिकारी/ विभागीय अपीलीय अधिकारी,सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की मंशा को जाने। यह ध्यान रहे सूचना प्राप्त करना नागरिक अधिकार है। अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक का भारत का नागरिक होना ही पर्याप्त है. किसी अन्य अहर्ता की आवश्यकता नहीं है। सूचना प्राप्त करना उसका अधिकार है अतः कतिपय अपवादों को छोड़कर प्रत्येक दशा में सूचना दी जानी अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा समस्त लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों का ध्यान निम्न बिन्दुओं पर भी आकृष्ट किया गयाः–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम अर्न्तगत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदनः–

मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा कहा गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना चाहने का ‘कारण’ बताने की आवश्यकता नही है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं दी जाती है तब आवेदनकर्ता वांछित सूचना न देने के विरूद्ध प्रथम अपील में जा सकते है। ऐसे में अपीलकर्ता बिना अतिरिक्त शुल्क भुगतान के सूचना प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त कर सकेगा। विलम्ब से निःशुल्क सूचना देने के लिए राजस्व की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लोक सूचना अधिकारी का होगा। ध्यान रखा जाए कि जीवन एवं स्वतन्त्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घंटे के भीतर सम्बन्धित आवदेनकर्ता को उपलब्ध/प्रेषित कर दी जाए।

2. सूचना के अधिकार अधिनियम अर्न्तगत लोक सूचनाधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि एवं दायित्वों का पालन किया जाए :–

मुख्य सूचना आयुकत द्वारा निर्देशित किया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत समयावधि का विशेष रूप में ध्यान रखा जाए। इस क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्राप्त प्रार्थना–पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सूचना उपलबध कराएंगे। कार्यालयों में विभिन्न पटलों के स्तर से समय से सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित पटल प्रभारी / पटल सहायक का होगा। लोक सूचना अधिकारी को पूर्ण सहयोग देना उनका कर्तव्य है तथा अन्यथा की स्थिति में वे डीम्ड लोक सूचना अधिकारी के रूप में स्वयं उत्तरदायी होंगे। इस प्राविधान (धारा 5/5) की जानकारी समस्त अधीनस्थ पटल प्रभारियों एवं पटल सहायकों को लोक प्राधिकारियों द्वारा दी जाये। दोषी पाये जाने पर ऐसे प्रभारी अथवा सहायक डीम्ड लोक सूचना अधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत शास्ति अथवा विभागीय कार्यवाही की संस्तुति के भी भागी होंगे।

3. लोक सूचनाधिकारी/अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना दिये जाने में ध्यान रखने योग्य बिन्दुः–

आवेदनकर्ता द्वारा प्रथम अनुरोध–पत्र में जितने बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। प्रथम अपील में वह उससे अधिक बिन्दुओं का समावेश नहीं कर सकता है। इस प्रकार के अपील के अतिरिक्त बिंदुओं को निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

जो अभिलेख वीड आउट कर दिए गए हैं या अभिलेखागारों में संचित नहीं है तो इन अभिलेखों के वीड आउट होने की सूचना संबंधित आवेदनकर्ता को प्रमाण सहित उपलब्ध करा दी जाए।

जो सूचना विभिन्न कार्यालयों के मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध हैं, यथा कार्यालय, अभिलेखागारों एवं पटलों में, इस प्रकार के अनुरोध–पत्र अधीनस्थ कार्यालयों को अन्तरित न किए जाएँ। उनकी सूचना मुख्यालय स्तर से ही आवेदनकर्ता को दे दी जाए। त्रुटिपूर्ण अथवा लापरवाही से किये गये अंतरण का पूर्ण उत्तरदायित्व लोक सूचना अधिकारी का होता है।

4. अधिनियम के प्रति जागरुकता :

प्रयास किया जाए कि सूचना के अधिकार अधिनियम की आम जनता में व्यापक जागरुकता हो जिससे कि अविश्वास या अनभिज्ञता के कारण कोई भी व्यक्ति अनावश्यक सूचनाओं के लिए अनुरोध न करे तथा जनसाधारण को भी अधिनियम का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। कार्यालयों में विभागीय सूचनाओं से संबंधित 17 मैनुवलस, विभाग का वार्षिक प्रतिवदेन, कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका व आम जनता के उपयोग की अन्य सूचनाएँ भी रखी जानी चाहिए तथा वह जनता को सुलभता से उपलब्ध हों। अधिक से अधिक विभागीय कार्यकलापों की सूचना जिले की वैबसाईट पर भी उपलब्ध करा दी जाये तो पृथक से सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत वितरित सहायता / अनुदानों के आंकड़े जनपदों के वैबसाईट्स में अपलोड किये जाने की सराहना की गयी।

सभी कार्यालय परिसरों में अपने लोक सूचनाधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम, दूरभाष संख्या इत्यादि संबंधित बोर्ड जिसमें सूचना के अधिनियम का सार भी डाला जा सकता है, अनिवार्य रूप से लगवाएँ जाएँ ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने हेतु भटकना न पड़े।

5. अन्य निर्देश :–

1. जिलाधिकारी, नैनीताल शीघ्र ही सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक कार्यशाला का आयोजन कराएंगे जिसमें सूचना के अधिकार संबंधी विशेषज्ञ (आयोग या अन्य से) को भी आमंत्रित किया जाएगा।

2. आयोग द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस का उत्तर स्पष्ट एवं तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। कारण बताने वाले या उत्तरदाता अधिकारी का नाम / पदनाम, उसके हस्ताक्षर सहित स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है।

3. प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारीगण अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत कोई शिथिलता न बरती जाए। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का दायित्व है कि उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यथा सम्भव अपील निस्तारण के दिन लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से सूचना सूचना उपलब्ध कराई जाए। प्रथम विभागीय अपील अधिकारी आवेदक एवं लोक सूचना अधिकारी के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है तथा उसे अधिक से अधिक देय सूचना अपने स्तर से उपलब्ध करानी चाहिए ताकि आवेदक को द्वितीय अपील करने की आवश्यकता न पड़े।

4. सभी विभागों द्वारा सूचना के अधिकार सम्बन्धी 17 बिन्दुओं का मैनुवल का प्रतिवर्ष अद्यावधिकरण किया जाए। जिन विभागों के मैनुवल तैयार नहीं हैं, उन्हें दो माह में तैयार कर आयोग को भी एक – एक प्रति सी.डी. सहित उपलब्ध करायें। प्रत्येक विभाग अपने मैनुवल को जिले के वैबसाईट पर अपलोड कर लें तथा तमाम ऐसी सूचनाएं जैसे कार्यों का विवरण, अनुदान, सहायता, पेंशन, छात्रवृत्ति, परमिट, लाईसेंस स्वीकृति आदि के लाभार्थियों / धारकों की सूची भी वैबसाईट पर डालें ताकि जनता को अधिक से अधिक सूचना सुलभ हो सके।

5. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह विभागों की बैठक कर इसे सुनिश्चित करायें तथा आयोग को दो माह के बाद आख्या भेजें।

6. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा विभिन्न अधिकारियों की जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का भी समाधान किया गया। विशेष रूप से सूचना मांगे गये प्रारूप पर दिये जाने के संबंध में उनके द्वारा अधिनियम की धारा 7(9) के प्राविधान की ओर ध्यान आकृष्ट कर उसके अनुपालन पर जोर दिया गया।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद सहित सभा का समापन किया गया।

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड
शिविर–नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल

पत्रांक /सू0का अधि0अधि0–बैठक/2011–12 दिनांक ,2011

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ प्रेषित :–

समस्त लोक सूचना अधिकारी, जनपद नैनीताल ।
समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारी, जनपद नैनीताल।

समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी, जनपद नैनीताल।

समस्त जिलास्तरीय अधिकारी, जनपद नैनीताल।

समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद नैनीताल।

समस्त तहसीलदार, जनपद नैनीताल।

समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद नैनीताल।

निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, को मा. मुख्य सूचना आयुक्त के अवलोकनार्थ।

(शैलेश बगौली),
जिलाधिकारी, नैनीताल

बैठक में उपस्थितिः—

1. श्री आर॰एस॰ मीणा, पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
2. श्री शैलेश बगौली, जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. श्री एच॰सी॰ सेमवाल, अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4 श्री दीपक रावत, मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. श्री एस॰सी॰ टम्टा, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नैनीताल
6. श्री हरीशंकर पन्त, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल।
8. श्री आर॰ पी॰ भट्ट, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल
9. श्री डी॰सी॰एस॰ खेतवाल, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, नैनीताल।
10. श्री बिजू लाल, प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
11. श्री डी॰एस॰ गर्ब्याल, मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
12. श्री अमर सिंह गुंज्याल, जिला विकास अधिकारी, नैनीताल।
13. श्री जी॰एस॰ भण्डारी, मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल।
14. श्री बाल कृष्ण टम्टा, परियोजना निदेशक (डी॰आर॰डी॰ए॰), नैनीताल।
15. श्री नीरज जोशी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल
16. श्रीमती हिमानी जोशी पेटवाल, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल
17. श्री जितेन्द्र त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल।
18. श्री ए॰ बी॰ काण्डपाल, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, नैनीताल।
19. श्री बी॰एन॰ पाण्डे, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भवाली।
20. श्री के॰के॰ काण्डपाल, जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।
21. श्री एस॰के॰ सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, नैनीताल।
22. श्री डी॰सी॰ टम्टा, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, नैनीताल।
23. श्री पी॰सी॰ पाण्डे अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल।
24. श्री देवेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत, नैनीताल।

दिनांक 28.7.2011 को उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में मा0मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के कियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

<u>उपस्थितिः संलग्नानुसार</u>

सर्व प्रथम श्री ललित मोहन रयाल, अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अपर आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/सचिव, झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा माननीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री एन0एस0 नपलच्याल एवं माननीय राज्य सूचना आयुक्त; श्री विनोद नौटियाल जी माननीय राज्य सूचना आयुक्त; श्री अनिल कुमार शर्मा जी, माननीय राज्य सूचना आयुक्त; श्री प्रभात डबराल जी के अभिनन्दन के साथ ही बैठक में उपस्थित मण्डल स्तरीय अधिकारियों का अभिवादन किया गया। यह बैठक मंडल में सूचना का अधिकार अधिनिय के प्रभावी अनुपालन के आकलन तथा लोक सूचना अधिकारियों तथा अन्य लोक प्राधिकारियों के मार्गदर्शन प्रदान के लिए आहूत की गई थी।

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सूचना का अधिकार–2005 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए विस्तृत चर्चा की गई उन्होंने अभिभाषण में बड़े शार्ट नोटिस पर मण्डल स्तरीय अधिकारी गणों की अच्छी उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। अपने अभिभाषण में माननीय मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने का मजबूत आधार प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त माननीय डा0 आर0 एस0 टोलिया ने रखा था। इस काम को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने सभी मण्डलीय अधिकारियों से कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का गहनता से अध्ययन कर उसका क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त ने इसे एक क्रान्तिकारी अधिनियम बताया। माननीय मुख्य सूचना आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि संसद द्वारा पारित यह ऐसा कानून है कि जिसके तहत भारत का हर एक नागरिक, चाहे वह किसी भी आयु का हो, अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इस कानून का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ भारतीय नागरिक होना पर्याप्त है, अन्य कोई बन्धन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के सार्थक एवं कारगर अनुपालन के लिए कार्यालयों में रिकार्ड सही ढंग से संरक्षित होने आवश्यक है, साथ ही प्रत्येक लोक प्राधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में अधिनियम की एक प्रति भी होना आवश्यक है, जिससे वह उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर अधिनियम की सफलता पूर्वक क्रियान्वयन करा सके। सूचना न मिलने या भ्रामक सूचना के कारण यदि किसी व्यक्ति को क्षति होती है तो कानून के अन्तर्गत संबंधित विभाग पर क्षतिपूर्ति आरोपित करने का अधिकार आयोग को है।

उन्होंने कहा कि अभी भी कई विभागों के 17 मैनुवल नहीं तैयार हुए हैं जो चिन्ता तथा रोष का विषय है। चूँकि आज की बैठक में मण्डलायुक्त किसी कारण उपस्थित नहीं हो पाये है अतः मण्डलायुक्त से अपेक्षा की गई है कि वे मण्डलीय समीक्षा बैठक में इस बात की भी समीक्षा कर लें कि सभी विभागों के मैनुवल तैयार हो चुके हैं और समय –समय पर उन्हें अपडेट किया जा रहा है अथवा नहीं। उन्होंने निर्देश दिया कि मंडल के सभी कार्यालय अपने जनपदों की बैवसाइट में 17 मैनुवलों को अपलोड करें तथा समय समय पर उनको अपडेट करें।

सूचना उपलब्ध कराने का काम विभाग के लोक सूचना अधिकारी का ही नहीं होगा बल्कि सूचना से संबंधित पटल सहायक का भी होगा। यदि जरूरत पड़ी तो पटल सहायक भी धारा –5 (5) के अन्तर्गत डीम्ड लोक सूचना अधिकारी माने जायेगें अतः वे अधिनियम के प्रति अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वाह करें। माननीय मुख्य सूचना आयुक्त ने उपस्थिति मंडलीय अधिकारियों को निम्न निर्देश दिए :

1. सूचना का अनुरोध पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था को सहीं करे और यदि व्यक्ति स्वयं अनुरोध पत्र लेकर आता है तो लोक सूचना अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह उससे स्पष्ट कर ले कि उसे किस सूचना की आवश्यकता है। सूचना लेने का कारण न पूछा जाय।

2. सूचना अनुरोध कर्ता को उपलब्ध करने के संबंध में अतिरिक्त शुल्क जमा करने की सूचना अनुरोधकर्ता को 5–10 दिन के भीतर दे देनी चाहिए उसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जाये।

3. अनुरोधकर्ता को सूचना रजिस्टर्ड पत्र या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही प्रेषित की जाए और सूचना प्रदान करने वाले पत्र में अनुरोधकर्ता के असंतुष्ट होने की दशा में प्रथम अपील करने हेतु अपीलीय अधिकारी का पता भी आवश्यक रूप से दर्शाया जाय।

4. प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील का निस्तारण कर देते हैं और अपने आदेश में सूचना देने हेतु लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित कर दिया जाता है जो कि पर्याप्त नहीं है। प्रथम विभागीय अधिकारी को चाहिए कि अपील निर्णीत करने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी को बुलाकर अनुरोधकर्ता को देय सूचना उपलब्ध करवा दें जिससे वह संतुश्ट हो सके और आयोग में द्वितीय अपील दायर करने

की आवश्यकता न पडें। लोक सूचना अधिकारी व प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के मध्य इस प्रकार का तालमेल का होना अति आवश्यक है।

5. सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने पर आवेदक को अवगत कराया जाना चाहिए कि सूचना कार्यालय में धारित नहीं है और उसका कारण भी बताया जाना चाहिए। यदि सूचना किसी दूसरे विभाग से संबंधित हो तो अनुरोध पत्र को 5 दिन के भीतर संबंधित विभाग को अंतरित करते हुये अनुरोध कर्ता को अवगत करा दिया जाना चाहिए।

6. सभी विभाग/कार्यालयों में बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाय जिसमें लोक सूचना अधिकारी/प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता मोबाईल नम्बर, बैठने का स्थान तथा शुल्क की दर आदि दर्शित हो।

7. प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में सूचना के अधिकार से संबंधित अनुरोध पत्रों की समीक्षा समय–समय पर करें, जिससे उनको इस बात का ज्ञान हो सके कि किन–किन सूचना को प्रेषित किया जाना है तथा कितने समय से अनुरोध पत्र लंबित है।

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त ने बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों से इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं सुझावों के संबंध में जानकारी ली। बैठक में उपस्थित अधिकांश अधिकारीगणों

ने सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आने वाली कठिनाईयों का जिक किया तथा इस संबंध में अपने सुझावों से आयोग को अवगत कराया।

बैठक में उपस्थित अन्य माननीय सूचना आयुक्तों द्वारा भी अपने –अपने विचार व्यक्त किये गए और सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयेां के संबंध में सुझाव दिये गये और कहा कि जब अभिलेख सुरक्षित रखे जायेगें तभी हम सही सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करा पायेगें। माननीय आयुक्तों ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने अपने विभागों में इस बात की जानकारी अवश्यमेव रखे कि उनके विभाग में कितने आवेदन दर्ज हुए हैं और कितने निस्तारित हुए हैं तथा कितनी अवषेश है। इसी प्रकार से अपीलों का विवरण रखें।

सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में जनता को भी जागरूक करने की आवश्यकता है।

बैठक का समापन करते हुए माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित मण्डलीय अधिकारीगणों का आभार व्यक्त किया गया।

दिनांक 28.07.2011

(नृप सिंह नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

मा0 मुख्य सूचना आयुक्त एव मा. राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा दिनांक 19–11–2011 को विकास भवन, पौड़ी में गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय प्राधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के कियान्वयन की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक का शुभारम्भ करते हुये सर्वप्रथम आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा मा0 मुख्य सूचना आयुक्त एवं मा0 सूचना आयुक्तों का अभिंनदन किया गया तथा बैठक के विचारणीय बिन्दुओं की ओर उपस्थित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुये मा0 मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्तों से सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

2– मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम का केन्द्र बिन्दु आम नागरिक है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से आम नागरिक के प्रति शासकीय संस्थाओं एवं कार्यरत अधिकरी, कर्मचारियों को जवाबदेह बनाया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, अर्द्धसरकारी कार्यालय एवं शासकीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत एन0जी0ओ0, लोक सूचना प्राधिकरण/लोक प्राधिकारी हैं।

3– सूचना आयोग के निर्देशानुसार आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के द्वारा निर्धारित समयसीमा अन्तर्गत निर्धारित चार प्रपत्रों पर गढ़वाल मण्डल के लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर जनसामान्य की ओर से प्रेषित प्रार्थना–पत्र/अपील की अद्यतन स्थिति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करा दी गई। मण्डलायुक्त के द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार गढ़वाल मण्डल अन्तर्गत स्थानीय नागरिकों के द्वारा 11037 सूचना चाहने विषयक प्रार्थना–पत्र प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा 10820 प्रार्थना–पत्र का निस्तारण कर दिया गया है तथा 217 प्रार्थना–पत्र के सापेक्ष आवेदक को सूचना उपलब्ध कराया जाना अवशेष है। गढ़वाल मण्डल अन्तर्गत 2554 आवेदकों द्वारा लोक सूचना अधिकारी के स्तर से सूचना प्राप्त न होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गयी है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर पर 46 अपील निस्तारण हेतु लम्बित हैं।

4– मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के द्वारा गढ़वाल मण्डल की समीक्षा करने के उपरान्त निम्न निर्देश दिये गये–

4.1–समस्त विभाग अपने मैनुअल को विभागीय वेबसाईट एवं उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही लोक प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वे अपने–अपने विभाग के मैनुअल को अपडेट भी रखें। उपस्थित लोक प्राधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श उपरान्त तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल से 30 जून तक लोक प्राधिकारी अपने विभाग के मैनुअल को अपडेट करेगें।

4.2–सूचना का अधिकार अधिनियम का यह भी उद्देश्य है कि प्रत्येक संस्था अपने कार्य संचालन में पारदर्शिता बनाये रखें। यदि लोक प्राधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता बरतते हुये सम्पादित करते हैं तो जनसामान्य को अधिनियम अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2010–11 अन्तर्गत दैवी आपदा के अवसर पर राज्य के जिलाधिकारियों के स्तर से आपदा प्रभावित परिवारों को स्वीकृत/वितरित अहेतुक धनराशि, गृह निर्माण अनुदान आदि की सूचना एन0आई0सी0 की वेबसाईट में प्रदर्शित किये जाने के कारण यह देखा गया है कि दैवी आपदा से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों/जनसामान्य के द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत सूचना चाहने हेतु आवेदन पत्र नहीं दिये गये हैं या बहुत कम दिये गये हैं।

4.3–समस्त लोक प्राधिकारी अपने विभाग के मैनुअल का अध्ययन कर यह देख लेवें कि मैनुअल के सम्बन्धित अध्याय में 1 कोई भी विभागीय सूचना प्रदर्शन हेतु अवशेष न रह जाय। लोक सूचना अधिकारी मैनुअल के 17 वे बिन्दु पर लोक प्राधिकारी के द्वारा शिकायत निस्तारण की सूचना अथवा जनसेवा अधिकार के बारे में विवरण दे सकते हैं।

4.4–यदि लोक प्राधिकरण अपने कार्यकलापों की समस्त सूचनायें पाददर्शी होकर मैनुअल के माध्यम से वेबसाईट में प्रदर्शित करता है तो सूचना चाहने विषयक आवेदन स्वतः ही कम हो जायेगें। समस्त अधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी कि वे सूचना अधिकार अधिनियम को एक बोझ के रूप में न लेवें अपितु आम नागरिक को सामने रखकर अपना यह पुनीत दायित्व समझे कि अनुरोधकर्ता को अल्प समय के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

4.5–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार, पुलिस अधीक्षक, टिहरी, निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पौड़ी, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, मुख्य वन संरक्षक, यमुना वृत्त, मुख्य वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त आदि के मैनुअल अपेडट नहीं है। इन्हें अपडेट करने के निर्देश दिये गये हैं।

4.6–सूचना के अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में मुख्य बात यह है कि अनुरोधकर्ता को भारत का नागरिक होना चाहिये। आवेदक के नागरिकता के सम्बन्ध में संदेह होने की दशा में ही लोक सूचना अधिकारी अपने स्तर से पुष्टि कर सकते है।

4.7 यदि अनुभागीय अधिकारी अथवा अन्य कार्मिक लोक प्राधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना प्रदान करने में सहयोग नहीं करता है तो उस दशा में ऐसे अनुभागीय अधिकारी अथवा कार्मिक को डीम्ड लोक सूचना अधिकारी घोषित किया जा सकता है। मा0 सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील के अवसर पर आवेदक के प्रार्थना–पत्र क्रम में लोक सूचना अधिकारी को सूचना न देने फलस्वरूप ऐसे घोषित लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।

4.8–सभी कार्यालयध्यक्ष अपनी मासिक समीक्षा बैठक में भी सूचना अधिकार अधिनियम के मामलों की समीक्षा अनिवार्य रूप से करें। इससे भी अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना प्रेषण में गति आयेगी।

4.9–प्रायः लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त शुल्क जमा करने हेतु अनुरोधकर्ता को नोटिस अन्तिम समय पर दे रहे हैं। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। समस्त लोक सूचना अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि वे 10 दिन के अन्दर अनुरोधकर्ता को धनराशि जमा करने हेतु नोटिस अवश्य देवें। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि लोक सूचना अधिकारी 30 दिन की अवधि का इंतजार न करें। यदि सूचना तत्काल एवं अल्प समय में ही दी जा सकती है तो 30 दिन की अवधि का इन्तजार न किया जाय।

4.10–मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा जनपद हरिद्वार का एक उदाहरण देते हुये आवेदक के प्रार्थना–पत्र का गहन अध्ययन कर जीवन एवं स्वतंत्रता संबंधी सूचनायें 48 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

4.11–अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई तथा उप निदेशक अर्थ एवं संख्या गढ़वाल मण्डल पौड़ी में एक ही व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी हैं। इसे ठीक कराने के निर्देश दिये गये।

4.12– धारा–8 में जिन सूचनाओं को प्रतिबन्धित किया गया है, उनका भी भलीभांति अध्ययन कर लें। यदि धारा–8 से संबंधित सूचनायें है तो अनुरोधकर्ता को कारण सहित सूचना न देने का प्रयोजन अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

5– मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जा रहे सुनवाई एवं निर्णय पर भी समीक्षा की गई तथा निम्न निर्देश दिये गये–

5.1–प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई में मात्र निर्णय/आदेश पारित कर दिये जा रहे हैं लेकिन पारित आदेश की अनुपालना पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा अपीलीय अधिकारी का आदेश मात्र एक औपचारिक आदेश बन गया है। आवेदक को वांछित सूचना प्राप्त न होने के कारण वे मा0 सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर रहे हैं।

5.2–प्रथम अपीलीय अधिकारी को मात्र लोक सूचना अधिकारी के द्वारा मात्र निश्चित समयसीमा के अन्तर्गत सूचना देने अथवा न देने की समीक्षा न कर यह प्रयास करना चाहिये कि आवेदक के मूल उद्देश्य की पूर्ति हो। अतः उसे स्वंय को लोक सूचना अधिकारी का व्यापक स्वरूप मानकर अल्प समय में सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिये।

5.3–अपीलीय अधिकारी का दायित्व है कि अनुरोधकर्ता को जो–जो सूचनायें उपलब्ध कराई जानी थी, उनका परीक्षण करें तथा सुनिश्चित करायें कि बिन्दुवार सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध हो। अपीलकर्ता को सुनवाई के अवसर पर भी लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध कराई जा सकती है।

5.4–सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो सूचनायें धारित है अथवा लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है, वहीं दी जानी चाहिये। इस बारे में धारा–2(एफ) में स्पष्ट भी किया गया है।

5.5–यदि कोई अनुरोधकर्ता विभागाध्यक्ष/लोक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर कृत कार्यवाही की सूचना आवेदन प्रस्तुत करने के दो–तीन बाद ही मांगता है तो उसे तत्समय तक कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय।

6– श्री विनोद नौटियाल मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में सूचना के अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये निम्न निर्देश दिये गये–

6.1–लोक प्राधिकारी को अपने कार्यालय के सुयोग्य अधिकारी/कार्मिक को लोक सूचना अधिकारी नामित करना चाहिए।

कभी कभी ऐसे कार्मिक को लोक सूचना अधिकारी नामित कर दिया जाता है जिसका प्रभावी नियंत्रण अधीनस्थों पर नहींहोता है, इस कारण निस्तारण में कठिनाई आती है।

6.2–अनुरोधकर्ता के प्रार्थना–पत्र के गलत अन्तरण से सूचना के प्रेषण में विलम्ब के फलस्वरूप मा0 सूचना आयोग के समक्ष प्राप्त होने वाले द्वितीय अपील को कम करने के सम्बन्ध में उदाहरण देकर बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि वे प्रार्थना–पत्र की भावना को समझते हुये सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करें। आम नागरिक के प्रार्थना–पत्र में अंकित सूचना के मन्तव्य को समझे। वांछित सूचनाओं का शाब्दिक एवं तकनीकी व्याख्या कर ऐसे उत्तर न दें जिसके कारण उसे द्वितीय अपील करने का अवसर प्राप्त हों।

6.3–सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4(1), 4(2) एवं 4(3) के प्राविधानानुसार लोक प्राधिकारी के स्तर पर विभागीय मैनुअल को बनाये जाने तथा विभागीय मैनुअल को अद्यतन स्थिति से मण्डलायुक्त एवं आयोग को एक पक्ष के अन्दर अवगत करायें।

7– बैठक में श्री प्रभात डबराल मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में सूचना के अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये निम्न निर्देश दिये गये–

7.1–सभी लोक प्राधिकारी अपने–अपने कार्यालयों में लोक प्राधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी के डिस्पले बोर्ड अनिवार्य रूप से रखेंगे तथा उसे अपडेट भी करेगे।

7.2–सभी लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि वे अधिनियम का भलीभांति अध्ययन करें तथा अधिनियम की भावनाओं के अनुसार क्रियान्वश्न भी करें।

7.3–अनुरोधकर्ता को सूचनायें अनुरोध पत्र के बिन्दुवार देनी चाहिये न कि संकलित रूप में। सूचना का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे अनुरोधकर्ता को यह ज्ञात हो सकें कि किस बिन्दु की कौन सी सूचना है।

8– बैठक में निम्न अधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करते हुये मा0 सूचना आयोग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी।

8.1–सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि उनके विभाग में एक संदर्भ की सरकारी फीस क्रमशः 70 रूपये एवं 100 रूपये है। जबकि सूचना अधिकार अधिनियम में अनुरोधकर्ता को 10 रूपये में सूचना देनी पड़ रही हैं।

8.2–पुलिस अधीक्षक, पौड़ी के द्वारा अवगत कराया गया कि दुर्घटना के मामलों में चिकित्सा विभाग से प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अनुरोधकर्ता 10/–रूपये में प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हैं, जबकि उक्त सूचना को नियमानुसार दी जा सकती है।

उक्त दोनों बिंदुओं पर संबंधित विभाग की फीस संबंधी नियमों का उद्धरण देते हुये आयोग को संदर्भ करने के निर्देश दिये गये।

8.3–अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ने यह प्रश्न उठाया कि अनुरोधकर्ता प्रायः कई विभागों से सम्बन्धित सूचनायें जिला कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से मांगते हैं। सम्बन्धित विभागों से सूचना संकलित करने में निर्धारित सीमा से अधिक समय लगता है और ऐसे मामलों में लोक सूचना अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी नियत की जाती है। इस बिन्दु पर मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के द्वारा यह निर्देश दिये गये कि ऐसे मामलों में सम्बन्धित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरण करते हुये अनुरोधकर्ता को सूचित कर दिया जाय कि वे इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उक्त पत्र की प्रति विभाग के घोषित लोक सूचना अधिकारी को करते हुये निर्देशित कर दिया जाय कि अनुरोधकर्ता के द्वारा वांछित सूचना उनके पते में निर्धारित समयसीमा के अन्दर उपलब्ध करा दिया जाय।

9– बैठक में वन विभाग, विद्युत विभाग एवं शिक्षा विभाग के मण्डलीय अधिकारी अनुपस्थित थे, जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त अधिकारियों से बैठक में अनुपस्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर उन्हें अवगत करा दिया जाय।

अन्त में सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुये बैठक का समापन किया गया।

संलग्न–यथोपरि।

अजय सिंह नबियाल
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

कार्यालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

संख्या– /पी0ए0/2011 दिनांक पौड़ी, नवम्बर, 2011

1– प्रतिलिपि सचिव, मा0 सूचना आयोग, सैक्टर 1, सी–30, डिफेन्स कालोनी, देहरादून को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखंड देहरादून के संज्ञानार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि सचिव, मा0 सूचना आयोग, सैक्टर 1, सी–30, डिफेन्स कालोनी, देहरादून को मा0 सूचना आयुक्त, उत्तराखंड देहरादून के संज्ञानार्थ प्रेषित।

3– प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, गढ़वाल मण्डल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

4– प्रतिलिपि समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गढ़वाल मण्डल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

5– प्रतिलिपि समस्त मंडलीय अधिकारी, गढ़वाल मण्डल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

6– प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

7– प्रतिलिपि मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अजय सिंह नबियाल
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

संलग्नक

दिनाँक 19–11–2011 को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय लोक प्राधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की आयोग द्वारा समीक्षा में अधिकारियों की उपस्थिति।

क्र0सं0	प्रशासकीय विभाग	नाम / पदनाम
1	राजस्व	श्री अजय सिंह नबियाल, आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2	पुलिस	श्री संजय गुंज्याल, पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, पौड़ी।
3	राजस्व	श्री एम0सी0उप्रेती, जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4	राजस्व	श्री दिलीप जावलकर, जिलाधिकारी, देहरादून।
5	राजस्व	श्री एस0ए0 मुरूगेशन, जिलाधिकारी, टिहरी।
6	राजस्व	डॉ0 आर0के0सिन्हा, जिलाधिकारी, चमोली।
7	राजस्व	श्री चन्द्रेश कुमार, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8	राजस्व	श्री एच0सी0सेमवाल, मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार। (जिलाधिकारी हरिद्वार के प्रतिनिधि)
9	पुलिस	श्री डी0एस0गुंज्याल, अपर पुलिस अधीक्षक, पौड़ी।
10	पुलिस	श्री ए0एस0 ताकवाले, पुलिस अधीक्षक, पौड़ी।
11	पुलिस	वाई0एस0रावत, एस0पी0 हरिद्वार।
12	पुलिस	श्री गिरीश चन्द्र ध्यानी, पुलिस अधीक्षक, देहात, देहरादून।
13	पुलिस	श्री वी0एस0भण्डारी, अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
14	पुलिस	श्री सुरजीत सिंह पंवार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, चमोली।
15	पुलिस	श्री रामेश्वर डिमरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, रूद्रप्रयाग।
16	पुलिस	श्री राजेश भट्ट, पुलिस क्षेत्राधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी।
17	राजस्व	श्री वी0एस0धानिक, ए0डी0एम0, उत्तरकाशी।
18	राजस्व	श्री संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
19	राजस्व	श्री सुरेन्द्र सिंह जंगपांगी, उपजिलाधिकारी, पौड़ी।
20	आवास	श्री अनिल कुमार त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण।
21	आवास	श्री सर्वेस मित्तल, सहायक अभियन्ता, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
22	आवास	श्री एन0एस0रावत, अधि0अभि0, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
23	राजस्व विभाग	श्री इन्द्रमोहन रतूड़ी, आयुक्त कार्यालय, पौड़ी।
24	आवास	गीता खुल्वे, सहयुक्त नियोजक, टाउन प्लाजा, गढ़वाल डिविजन, दे0दून।
25	वन विभाग	श्री वी0के0गांगटे, सी0एफ0, नन्दादेवी बायोस्फियर, गोपेश्वर।
26	वन विभाग	डॉ0 दिवाकर सिन्हा, डी0एफ0ओ0, सिविल सोयम, पौड़ी।
27	सिंचाई विभाग	श्री एन0एस0पतियाल, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर।
28	सिंचाई विभाग	श्री विनोद कुमार पंत, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून

29	सिंचाई विभाग	श्री एन0एस0मलासी, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, यमुना भवन, देहरादून।
30	महिला एवं बाल विकास	मण्डलीय नोडल अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, पौड़ी।
31	सिंचाई विभाग	श्री पवन कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, निर्माण खण्ड, श्रीनगर।
32	सिंचाई विभाग	श्री0आर0एस0आर्य, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लैन्सडाउन।
33	अर्थ एवं संख्या	सुश्री चित्रा, उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, पौड़ी।
34	सूचना विभाग	श्री आशीष कुमार त्रिपाठी, सम्पादक/जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी।
35	ग्राम्य विभाग	पी0डी0, डी0आर0डी0ए0।
36	लो0नि0वि0	श्री ए0के0विष्ट, मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी।
37	शिक्षा विभाग	श्री चन्द्रपाल, अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
38	जल संस्थान	श्री जी0डी0रतूड़ी, महाप्रबन्धक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड जल संस्थान।
39	कृषि विभाग	अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
40	पशुपालन विभाग	अपर निदेशक, पशुपालन, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
41	उद्यान विभाग	श्री इन्द्रपाल सिंह कुशवाहा, उप निदेशक, उद्यान , गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
42	वन विभाग	श्री एम0बी0सिंह, डी0एफ0ओ0, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल।
43	क्रीड़ा विभाग	श्री पी0जी0टम्टा, ए0डी0, क्रीड़ा, पौड़ी।
44	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग	श्री वाई0डी0 पाण्डेय, एस0ई0, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पौड़ी।
45	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग	श्री डी0एस0पन्त, प्र0अधीक्षण अभियन्त्रण, ग्रा0अभि0सेवा।
46	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	श्री वी0एस0यादव, आर0एम0ओ0।
47	सिंचाई विभाग	आर0के0गुप्ता, एस0ई0एम0टी0, सिंचाई विभाग, रूड़की।
48	सिंचाई विभाग (पुनर्वास)	श्री आर0आर0भट्ट, एस0ई0 (पुनर्वास), सर्किल ऋषिकेश, कैम्प–देहरादून।
49	आर0टी0ओ0 विभाग	श्री सुनील शर्मा, आर0टी0ओ0 कार्यालय, पौड़ी।
50	आयुर्वेदिक विभाग	डॉ0ए0बी0त्रिपाठी, प्रतिनिधि, निदेशक, आयुर्वेद, जिला आयुष विभाग, पौड़ी।
51	रेशम विभाग	श्री ए0के0यादव, उप निदेशक, रेशम विकास विभाग, श्रीनगर गढ़वाल।
52	एम0आई0	श्री पी0के0सिंह, ई0ई0, एम0आई0 डिविजन, पौड़ी।
53	तकनीकि शिक्षा विभाग	स्वरूप सिंह रावत, लो0सू0अ0, निदेशालय, श्रीनगर गढ़वाल।
54	उरेड़ा	श्री जी0सी0महरोत्रा, परि0अधि0, विकास भवन, पौड़ी।
55	कृषि	श्री सी0पी0सिंह0, सहायक निदेशक, अपर कृषि निदेशक, पौड़ी।
56	लो0नि0वि0	श्री राजेन्द्र सिंह, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
57	ग्रामीण	श्री डी0एस0लिंगवाल, परिमण्डल कार्यालय, ग्रा0 अभि0 सेवा, पौड़ी, अभियण, सेवा

58	संस्कृति	श्री आशीष कुमार, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, संस्कृति भवन, पौड़ी।
59	लो0नि0वि0	श्री दयानन्द, अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय 12 वां वृत्त, पौड़ी।
60	पी0एम0जी0एस0 वाई0	लोक सूचना अधिकारी, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर गढ़वाल।
61	विद्युत	श्री हरीश बल्लभ, सहा0अभि0 विद्युत, पौड़ी।
62	विद्युत	श्री अनूप कुमार, सहा0अभि0, विद्युत, पौड़ी।
63	प्रेस	वैभव भाटिया, जिला प्रभारी, पौड़ी।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा आहुत समीक्षा बैठकों का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा 20 जून 2011 को निर्णय लिया गया था कि तीनों मा. राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक सूचना अधिकारियों / विभागीय अपीलीय अधिकारियों / सहायक लोक सूचना अधिकारियों के साथ–साथ आमजन को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु खण्ड स्तर पर विचार गोष्ठियॉ आयोजित की जायें।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी को जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढवाल एवम् हरिद्वार आवंटित किये गये थे। उनके द्वारा 25 जून 2011 को उक्त जनपदों के सभी जिलाधिकारियों को अपना भ्रमण कार्यक्रम निम्न रूप से प्रेषित किया गया था। उनके द्वारा दिनॉक 09 / 09 / 2011 से 20 / 03 / 2012 तक कुल 26 खण्डों की विचार गोष्ठियों में प्रतिभाग किया गया। चिन्यालीसौड में बैठक की समुचित व्यवस्था न होने के कारण डुण्डा एवं चिन्यालीसौड खण्डों की बैठक संयुक्त रूप से की गई, अन्य सभी खण्डों में 2–2 घन्टों की पृथक–पृथक बैठकें की गई।

दिनॉक	जनपद	ब्लाक / समय पूर्वान्ह 10–12 बजे तक	ब्लाक / अपराहान 3 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक
09 / 09 / 2011	हरिद्वार	बहादराबाद	रूडकी
24 / 09 / 2011	देहरादून	रायपुर	डोईवाला
26 / 09 / 2011	उत्तरकाशी	डुण्डा एवं चिन्यालीसौड	भटवारी
27 / 09 / 2011	उत्तरकाशी	–	नौगांव
21 / 10 / 2011	टिहरी	फकोट (नरेन्द्रनगर)	चम्बा
22 / 10 / 2011	टिहरी	घनसाली (भिलंगना)	प्रतापनगर
18 / 11 / 2011	उत्तरकाशी	पुरोला	मोरी
19 / 11 / 2011	देहरादून	कालसी	चकराता
24 / 11 / 2011	देहरादून	सहसपुर	विकासनगर
16 / 12 / 2012	टिहरी	देवप्रयाग(हिण्डोलाखाल)	जाखणीधार
17 / 12 / 2012	टिहरी	थौलधार	जौनपुर(थत्यूड)
30 / 12 / 2012	हरिद्वार	लक्सर	भगवानपुर
31 / 12 / 2012	हरिद्वार	नारसन	खानपुर

इस सम्बन्ध में पत्रॉक संख्या 4344 के माध्यम से 30 / 08 / 2011 सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा उक्त सभी जनपद के जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके साथ गोष्ठी में लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा संलग्न प्रारूप विवरण अपने साथ लाने के निर्देश दिये गये थे।

प्रथम विचार गोष्ठी

जनपद–हरिद्वार
विकासखण्ड–बहादराबाद
दिनॉक –09/09/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार
कुल उपस्थिति–81
समय– (प्रातः 10:00 बजे से अपराहन12:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में मुख्य रूप से ब्लाक प्रमुख श्रीमती रंजना एवम् खण्ड विकास अधिकारी श्री संजीव कुमार राय उपस्थित थे। प्रारम्भ में श्रीमती रंजना एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री संजीव कुमार राय द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में बताया गया कि आयोग चाहता है कि प्रत्येक ग्रामीण को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो इसी दृष्टि से प्रत्येक खण्ड में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गईः–

1. क्या कोई व्यक्ति एक अनुरोध पत्र में 20–25 बिन्दुओं की सूचना मांग सकता है।
2. यदि किसी अपीलार्थी को अतिरिक्त शुल्क के बारे में लिखा जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा अगर शुल्क जमा नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थति में लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहीए?
3. क्या 1 सूचना के लिये भी 30 दिन एवं 20–25 बिन्दुओं की सूचनाओं के लिये भी 30 दिन प्रर्याप्त हैं।
4. यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार मॉंगता है तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये।
5. ग्राम प्रधान के पास सरकारी अभिलेखों की प्रतियॉ प्रदान करने के लिए कोई भी फण्ड उपलब्ध नहीं है, ऐसे में क्या वह अपनी जेब से खर्च करे।
6. यदि किसी अनुरोधकर्ता को लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता मालूम न हो तो वह किस अधिकारी को अपना अनुरोध पत्र दें।
7. यदि किसी लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही हो एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता मालूम न हो तो आवेदक क्या करे।

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. एक अनुरोध पत्र में अधिकतम 5 बिन्दुओं की सूचना मागे जाने का प्रावधान होना चाहिये।
2. प्रथम विभागीय अपील में अनुरोधकर्ता को यह बताना आवश्यक होना चाहिये कि उपलब्ध करायी गयी सूचना के किस बिन्दु से किस प्रकार संतुष्ट नही है।
3. ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी नहीं होना चाहिये।

4. ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान द्वारा समस्त विभागों के लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारीयों के नाम पते उपलब्ध होने चाहिये।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा सभी 26 विकासखण्डों की बैठकों में आम जनता, जन प्रतिनिधियों, लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारियों आदि द्वारा उठाई गई शंकाओं एवम् दिये गये सुझावों के उपरान्त अपना सम्बोधन प्रस्तुत किया गया, प्रत्येक गोष्ठी के अन्त में लिखे जाने के स्थान पर एक साथ सभी 26 गोष्ठियों के अन्त में संयुक्त वकतव्य को संकलित कर दिया गया है।

द्वितीय विचार गोष्ठी

जनपद–हरिद्वार
विकासखण्ड–रूडकी
दिनॉक –09/09/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार
कुल उपस्थिति–102
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुमन कुटियाल दताल उपस्थित थे। प्रारम्भ में खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुमन कुटियाल दताल द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में बताया गया कि हमें भारत की संसद का धन्यवाद देना चाहिये जिसने इतना अधिक लोकप्रिय अधिनियम पारित किया आयोग चाहता है कि प्रत्येक ग्रामीण को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो इसी दृष्टि से प्रत्येक खण्ड में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग एक नाबालिग भी कर सकता है।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. अनुरोधकर्ताओं द्वारा एक आवेदन पत्र में ज्यादातर प्रश्नवाचक बिन्दु होते हैं, जैसे क्या, क्यों आदि। क्या लोक सूचना अधिकारी को इन बिन्दुओं की सूचना देना अनिवार्य है ?

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जब कोई भी सूचना मागी जाती है तो शुल्क सरकारी खाते में जमा किया जाता है। सूचना प्रेषण पर हो रहे खर्च (व्यय) को लोक सूचना अधिकारी किस मद से खर्च करेगा ?

3. अनुरोधकर्ताओ द्वारा बीस वर्ष पूर्व की सूचना मांगी जाती है। क्या लोक सूचना अधिकारी को सूचना देनी चाहिये?

4. एक ही सूचना को दस व्यक्ति बारी–बारी से मांगते है तो ऐसी स्थति में लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिए?

5. अनुरोध पत्र में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम में अनुरोधकर्ता का नाम होना अनिवार्य है। उनमें से एक व्यक्ति को प्रतिभाग करने हेतु कहा गया। किन्तु उन व्यक्तियों द्वारा यह शासनादेश उपलब्ध कराने की मॉग की गई कि किस शासनादेश के आधार पर आपके द्वारा सूचना एक ही व्यक्ति को उपलब्ध कराई गयी है। तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये ? यदि इस प्रकार का कोई शासनादेश उपलब्ध हो तो अवगत करायें।

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. जो व्यय सूचना देने में किया जाता है वह कार्यालय व्यय से होना चाहिये एवं सूचना अनुरोधकर्ता से जो भी शुल्क लिया जाता है वह कार्यालय में ही जमा होना चाहिये।

2. सूचना अधिकार अधिनियम में शुल्क 10 रूपये से बढाकर 50 रूपये कर देना चाहिये।

3. बी0पी0एल0 कार्ड धारक के लिये कुछ पृष्ठों की सूचना निःशुल्क का प्रावधान होना चाहिये।

4. बी0पी0 एल0 कार्ड धारक को मात्र अपने सम्बन्ध में ही सूचना लेने का प्रावधान होना चाहिये।

5. अनुरोधकर्ता को प्रथम अपील में उपस्थिति अनिवार्य हो।

6. आयोग के समक्ष भी अनुरोधकर्ता का उपस्थित होना अनिवार्य होना चाहिये।

7. अनुरोधकर्ताओं द्वारा उन्ही बिन्दुओं की सूचना मांगी जानी चाहिये जो कि लोक सूचना अधिकारी स्तर पर धारित हों।

तृतीय विचार गोष्ठी

जनपद—देहरादून
विकासखण्ड—रायपुर
दिनॉक —24/09/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल—विकासखण्ड सभागार रायपुर
कुल उपस्थिति—44
समय— (प्रातः 10:00 बजे से अपराहन12:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील मोहन डोभाल उपस्थित थे। प्रारम्भ में खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील मोहन डोभाल द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्रामीण को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो इसी दृष्टि से प्रत्येक खण्ड में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यदि शुल्क की मॉग करते हैं तो क्या लोक सूचना अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रड डाक द्वारा ही अवगत कराना होगा ?

2. यदि कोई बीपीएल परिवार का सदस्य सूचना चाह रहा है तथा उसे सूचना दी जा रही है तो कितने पृष्ठों तक निःशुल्क सूचना दी जा सकती है?

3. यदि कोई अनुरोधकर्ता अत्यधिक पुराने समय के अभिलेखों की मांग रहा है तथा अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाना चाहिए?

4. सूचना का अधिकार अधिनियम में आवेदक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित की जा सकती है कि नहीं?

5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तृतीय पक्ष में कौन—कौन आते हैं और तृतीय पक्ष की सूचना जो लोक सूचना अधिकारी के पास धारित है उसे आवेदक को दिया जा सकता है अथवा नहीं?

6. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक भारतीय नागरिक सूचना मांग सकता है। अगर कोई किसी संस्था के पैड पर अपने नाम से सूचना मांगता है तो क्या दी जा सकती है।

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभागों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी कम है इसके लिए प्रत्येक विभाग में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम में आवेदक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए।

3. ग्राम प्रधानों द्वारा एकमत से यह अनुरोध किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निर्धारित शुल्क को 10/– रूपये से बढ़ाकर 500/– रूपये कर दिया जाना चाहिए।

4. प्रत्येक ग्राम प्रधान को सूचना अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु अलग से कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

5. प्रत्येक ग्राम प्रधान को सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

चतुर्थ विचार गोष्ठी

जनपद–देहरादून
विकासखण्ड–डोईवाला
दिनॉक –24/09/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार
कुल उपस्थिति–96
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सावित्री रावत उपस्थित थी। प्रारम्भ में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में अवगत कराया गया कि यह कानून (सूचना अधिकार अधिनियम 2005) 12/10/2005 से लागू किया गया है। जिससे प्रत्येक ग्रामीण को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो इसी दृष्टि से प्रत्येक खण्ड में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं। अधिकतर ग्रामीण जनता, युवाओं व विशेषकर महिलाओं को अधिनियम की जानकारी न होने के कारण आयोग में उक्त के द्वारा बहुत कम प्रकरण प्रस्तुत किये गये हैं। आमजन में जागृति हेतु इस प्रकार की विचार गोष्ठियॉ खण्ड स्तर पर आयोजित की गई हैं इसी दृष्टि से आज इस खण्ड में विचार गोष्ठी में आप सभी उपस्थित हैं।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. ज्यादातर आवेदकों द्वारा अपने आवेदन में प्रश्नवाचक बिन्दु होते है जैसे क्या क्यों आदि क्या लोक सूचना अधिकारी को इन बिन्दुओं की सूचना देना अनिवार्य है?

2. यदि कोई अनुरोधकर्ता अपने बनाये गये प्रारूप में सूचनायें मांगता है तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाना चाहिए?

3. यदि एक ही व्यक्ति द्वारा लगातार एक ही सूचना को बार–बार मांगा जाता है तो लोक सूचना अधिकारी को क्या कराना चाहिये।?

4. सूचना का अधिकार अधिनियम में किसी भी अनुरोधकर्ता को कितने वर्ष पूर्व की सूचना लेने का प्रावधान है?

5. पुलिस केस की विवेचना के दौरान कोई सीडी / केस डायरी की सूचना मांगता है तो उसे दिया जाना चाहिए अथवा नहीं?

6. यदि किसी अनुरोधकर्ता द्वारा किन्हीं कर्मचारियों या अधिकारियों के परिवार के सदस्यों सम्बन्ध में कोई सूचना माँगी जाती है तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा अभिलेख के अनुसार अंकित उनके सभी उन सदस्यों का नाम आदि विवरण की छायाप्रति दी जाती है लेकिन अनुरोधकर्ताओं द्वारा अपने प्रारूप के अनुसार उनका विवरण मागा जाता है क्या अनुरोधकर्ता को उनके प्रारूप के अनुसार सूचना देना अनिवार्य है?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. यदि कोई अनुरोधकर्ता जब आवेदन करता है तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा जब अतिरिक्त शुल्क की मांग की जाती है तो वह धनराशि जमा नहीं करता है और सूचना प्राप्त नहीं करता है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् सूचना देने में जो व्यय एवं खर्च होता है, वह धनराशि सरकारी खाते में जमा हो जाती है। महोदय यह धनराशी विभाग के खाते में ही जमा होनी चाहिये जिससे कि खर्च वहन किया जा सके।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम में आवेदक द्वारा पूछे जाने पर उसके द्वारा एक आवेदन में पूछे जाने वाले बिन्दुओं की संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए।

4. अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना व्यवस्थित, बिन्दुवार न मांगकर विस्तार से मांगी जाती हैं। इस स्थिति में स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किस प्रकार का विवरण दिया जाना है और यह स्थिति अपील का कारण बनती है, जिससे शासकीय श्रम व समय व्यय होता है और अनावश्यक रूप से शोध एवं संकलन कार्य किया जाता है। इसके लिये मा0 आयोग द्वारा समाचार पत्र–पत्रिकाओं में व्यापक प्रचार प्रसर करवाया जाना वांछनीय होगा और यह स्थिति जनसामान्य के लिये विश्वसनीय होगी।

पंचम विचार गोष्ठी

जनपद–उत्तरकाशी
विकासखण्ड–डुण्डा एवं चिन्यालीसौड
दिनॉक –26/09/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार डुण्डा
कुल उपस्थिति–117
समय– (प्रातः 10:00 बजे से अपराहन12:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से ब्लाक प्रमुख श्रीमती वरदेई रावत एवम् जिला विकास अधिकारी श्री प्रकाश रावत, उप जिलाधिकारी श्री जय भारत सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री जयपाल सिंह बर्त्वाल उपस्थित थे। प्रारम्भ में श्रीमती वरदेई रावत एवम् जिला विकास अधिकारी श्री प्रकाश रावत, उप जिलाधिकारी श्री जय भारत सिंह द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में बताया गया कि आयोग चाहता है कि प्रत्येक ग्रामीण को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो इसी दृष्टि से प्रत्येक खण्ड में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं।

माननीय राज्य सूचना अयुक्त महोदय श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अधिनियम को सर्वस्पर्शी एवम् सर्वव्यापी बनाने हेतु सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तगर्त सभी विभागों के लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी होने के नाते हमें सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में इस प्रकार की विचार गोष्ठियों के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान करना चाहिये एवम् आम ग्रामीण जनता को जानकारी देनी चाहिये।

उक्त विचार रखने बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाये मागने के लिये किस प्रकार से आवेदन करना चाहिये?

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अन्तर्गत कौन कौन व्यक्ति सूचना मॉग सकता है?

3. अनुरोधकर्ता को किस प्रकार की सूचना मागी जानी चाहिये तथा किस प्रकार की सूचना नहीं मागी जानी चाहिये?

4. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकारी के घर एवं उसके परिवार के सदस्यों की सूचना मांगी जा सकती हैं?

5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कितने वर्ष पुरानी सूचना लेने का प्रावधान है?

6. किसी कर्मचारियों या अधिकारियों के परिवार के सदस्यों सम्बन्ध में कोई सूचना मॉगी जाती है एवं इसके बाद उन्हे कोई क्षति या हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा,

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सी0आर0 उसी व्यक्ति या विभागीय कर्मचारी को लेने का प्रावधान होना चाहिये जिन व्यक्तियों का इस पर हित न हो बल्कि जनहित हो।

2. प्रथम अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी को उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिये।

3. यदि आवेदक द्वारा सूचना अनुरोध पत्र में अपना नाम व पता अंकित नहीं है तो उस आवेदन पत्र को निरस्त कराना अनिवार्य होना चाहिये।

4. एक अनुरोध पत्र में कम से कम बिन्दुओं की सूचना मागी जानी चाहिये।

5. ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी नहीं होना चाहिये।

6. आवेदन शुल्क में वृद्धि होनी चाहिये।

षष्ठम् विचार गोष्ठी

जनपद–उत्तरकाशी
विकासखण्ड–भटवारी
दिनॉक –26/09/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार भटवारी
कुल उपस्थिति–80
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से ब्लाक प्रमुख श्रीमती विनीता रावत जिला विकास अधिकारी श्री प्रकाश रावत, पुलिस अधीक्षक श्री चन्दमोहन सिंह, उप जिलाधिकारी श्री सी0एस0 धर्मशत्र्ु एवम् खण्ड विकास अधिकारी श्री बी0पी0 डबराल उपस्थित थे। प्रारम्भ में ब्लाक प्रमुख श्रीमती विनीता रावत जिला विकास अधिकारी श्री प्रकाश रावत, पुलिस अधीक्षक श्री चन्दमोहन सिंह उप जिलाधिकारी श्री सी0एस0 धर्मशक्तु, द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

सर्वप्रथम माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में बताया गया कि हमें भारत की संसद का धन्यवाद देना चाहिये जिसने इतना अधिक लोकप्रिय अधिनियम पारित किया। आयोग चाहता है कि प्रत्येक ग्रामीण को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो इसी दृष्टि से प्रत्येक खण्ड में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं।

उक्त विचार रखने बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार मॉंगता है तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये?

2. यदि सूचना अनुरोध पत्र का जवाब देते समय लोक सूचना अधिकारी अवकाश पर हैं तथा उस जवाब को अपीलीय अधिकारी अपने हस्ताक्षर से भेजता है तब कहीं अनुरोधकर्ता के अपील करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा?

3. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक भारतीय नागरिक सूचना मांग सकता है। अगर कोई किसी संस्था के पैड पर अपने नाम से सूचना मांगता है तो क्या लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना दी जा सकती है?

4. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति कितने वर्ष पुरानी सूचनायें मांग सकता है ?

5. यदि बीस वर्ष पुराने अभिलेख कार्यालय में संरक्षित नहीं हैं तो लोक सूचना अधिकारी को क्याा करना चाहिये?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना अधिकार अधिनियम में यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार माँगता है तो लोक सूचना अधिकारी को उसे निरस्त करने का अधिकार होना चाहिये क्योकि यदि वह सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दी जाती है तो उस पर डाक प्रेषित करने के लिये अतिरिक्त व्यय होगा।

2. अनुरोधकर्ताओं द्वारा उन्ही बिन्दुओं की सूचना मांगी जानी चाहिये जो कि लोक सूचना अधिकारी स्तर पर धारित हों।

3. अनुरोधकर्ता को यह स्पष्ट कराना चाहिये की वह किन अभिलेखों की सूचना चाहता है।

4. किसी भी कर्मचारी की सी0आर0 सिर्फ उस व्यक्ति को देनी चाहिये जिसका की उसमें हित हो। जैसे कि विभागीय कर्मचारियों को।

5. सूचना अधिकार में उसी व्यक्ति की चल अचल सम्पत्ति दिये जाने का प्रावधान होना चाहिये जो कर्मचारी कार्यरत है न कि उसके परीवार बच्चों आदि की सम्पत्ति के सम्बन्ध में।

सप्तम् विचार गोष्ठी

जनपद–उत्तरकाशी
विकासखण्ड–नौगांव
दिनॉक –27/09/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार नौगांव
कुल उपस्थिति–97
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से तहसीलदार बडकोट श्री प्रेम लाल, एवं पुलिस उपाधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह पांगती उपस्थित थे। प्रारम्भ में तहसीलदार बडकोट श्री प्रेम लाल एवं पुलिस उपाधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह पांगती द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

सर्वप्रथम माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि अभी तक कार्यालयों द्वारा गोपनीयता को आधार बनाकर सूचनायें नहीं दी जाती थी। अब प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी आयु कितनी ही क्यो न हो, विकास कार्यो के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता हैं इसी की जानकारी देने के लिये यह विचार गोष्ठी आहुत की गई है।

उक्त विचार रखने बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. कई सूचनायें ऐसी होती हैं कि वे प्रश्न–वाचक होती हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उन सूचनाओं को आवेदकों को कैसे दिया जाये ?

2. यदि कोई प्रार्थी अपने द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर सूचनाएं मांगता है तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाए ?

3. यदि कोई आवेदक सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत करता है तथा उसे अतिरिक्त शुल्क के लिए लिखा जाता है और आवेदक शुल्क जमा नहीं करता है। तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये?

4. किन–किन अभिलेखों को विनिष्ट नहीं किया जा सकता?

5. यदि कोई प्रार्थी किसी की पारिवारिक सूचना मांगता है तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करनी चाहिये ?

6. कोई प्रार्थी अभिलेखों का अवलोकन करना चाहता है तो लोक सूचना अधिकारी इसकी जांच कैसे करेगा कि उक्त व्यक्ति वहीं है जिसके द्वारा अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है?

7. यदि कोई प्रार्थी अपने से संबंधित उत्तर पुस्तिका न मांगकर किसी अन्य की उत्तर पुस्तिकायें मांगता है तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाना चाहिये ?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना अपने से संबंधित उत्तर पुस्तिका की मांग की जानी चाहिये।

2. अवलोकन करते समय अनुरोधकर्ता के पास उसका कोई पहचान पत्र अनिवार्य करना चाहिये या उसके पास प्रतिनिधि का पत्र होना अनिवार्य करना चाहिये।

3. आवेदक द्वारा अधिकतर मूल अनुरोध पत्र में मागी गयी सूचना एवं विभागीय अपील में अलग सूचना की मॉग करता है इसलिए आवेदक को प्रथम अपील में उपस्थित होना अनिवार्य कराना चाहिये जिससे की उसके द्वारा चाही गयी बिन्दुओ की सूचनाओं को स्पष्ट रूप से दिया जा सके।

4. 48 घण्टे में उन्ही सूचनाओं को देने की बाध्यता हो जिसके लिये अनुरोधकर्ता द्वारा यह भी बताना अनिवार्य हो कि उसे किस प्रकार की हानि/क्षति हो रही है।

अष्ठम् विचार गोष्ठी

जनपद–टिहरी गढवाल
विकासखण्ड–फकोट (नरेन्द्रनगर)
दिनॉक –21/10/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार फकोट
कुल उपस्थिति–118
समय– (प्रातः 10:00 बजे से अपराहन12:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर, एवं तहसीलदार नरेन्द्रनगर श्री सोहन सिंह, उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

सर्वप्रथम माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम का लागू होना हमारे देश के लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होनें कहा कि इसको लागू हुये अभी मात्र 6 वर्ष का समय हुआ है और जो लोकप्रियता इस अधिनियम ने प्राप्त की है वह अभी तक इतने कम समय में किसी और अधिनियम ने नहीं प्राप्त की है। उन्होनें बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल भारतीय नागरिक ही सूचना प्राप्त कर सकता है इस प्रकार एवम् अन्य जानकारियॉ देने के लिये यह विचार गोष्ठी रखी गई है।

उक्त विचार रखने बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. ग्राम प्रधान यदि किसी को सूचना देते हैं या सुनवाई में देहरादून आते हैं तो वे इसका व्यय कहॉ से वहन करेंगे?
2. यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी सूचनायें मांगी जाती हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है तथा वह व्यक्ति बार–बार प्रश्न कर रहा है तब उसे आयोग द्वारा दण्डित किया जायेगा अथवा नहीं ?
3. यदि किसी बीपीएल कार्डधारी के कार्ड पर कोई अन्य व्यक्ति सूचनायें मांगता है तब उक्त बीपीएल कार्डधारी से अतिरिक्त शुल्क मांगा जायेगा अथवा नहीं ?
4. यदि कोई आवेदन ऐसा आता है जो पढ़ने की स्थिति में न हो तब उस स्थिति में विभाग द्वारा क्या किया जाना चाहिए ?
5. बीपीएल परिवार के आवेदक को कितनी सूचनायें निःशुल्क दी जा सकती हैं?

6. एक सहायक लोक सूचना अधिकारी कितने लोक सूचना अधिकारियों के लिए कार्य कर सकता है?

7. अपीलीय अधिकारी द्वारा यदि सुनवाई हेतु कोई तिथि नियत की जाती है और उन्हें किसी अन्य बैठक में जाना पड़ता है तो उसमें अपीलीय अधिकारी क्या करे?

8. यदि कोई जाँच पुलिस के समक्ष विचाराधीन हो तो क्या उसके संबंध में सूचनायें दी जा सकती हैं?

9. जब शासन कोई भी नियुक्ति करता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति से जो धनराशि शुल्क के रूप में ली जाती है तथा बाद में यदि वह नियुक्ति बन्द कर दी जाती है तो उसकी सूचना किस व्यक्ति से मांगी जाये?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. जन सामान्य को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें किस अधिकारी से सूचनायें मांगनी चाहिए तथा सूचना किस प्रकार से मांगी जानी चाहिए इसका प्रचार प्रसार हो।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभागों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी कम है इसके लिए प्रत्येक विभाग में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

3. कर्मचारियों की सर्विस बुक अथवा गोपनीय प्रविष्टि आवेदकों को नहीं दी जानी चाहिये।

नवम् विचार गोष्ठी

जनपद–टिहरी गढवाल
विकासखण्ड–चम्बा
दिनॉक –21/10/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार चम्बा
कुल उपस्थिति–96
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी टिहरी श्री एस0सल0 सेमवाल, नायब तहसीलदार एवं खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी टिहरी श्री एस0सल0 सेमवाल द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

भूमिका के रूप में माननीय आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा उपस्थित समस्त कर्मचारी एवं आम जनता को अवगत कराया कि आप लोगों को यदि किसी निर्माण कार्य, नियुक्ति, टैण्डर, नीलामी आदि में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार दिखाई देता है तो आप 10 रूपये नगद जमा कर, 10 रूपये का पोस्टल आर्डर या 10 रूपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर संलग्न कर सम्बन्धित विभाग के लोक सूचना अधिकारी से सूचना माग सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी देने के लिये खण्ड स्तर पर आयोग द्वारा इस प्रकार की विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गई हैं, इसी क्रम में आप लोग इस विचार गोष्ठी में उपस्थित हैं।

उक्त विचार रखने बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गयी।

1. शासन द्वारा ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है जबकि विधायक भी जन प्रतिनिधि है तथा बीपीएल कार्डधारी द्वारा सूचना मांगे जाने पर उसे निःशुल्क सूचना देनी होगी जबकि ग्राम प्रधान के पास ऐसा कोई मद नहीं है जिसमें सरकार द्वारा कोई बजट निर्गत किया जाता हो। इसके लिये आयोग द्वारा किस प्रकार के प्रयास किये गये हैं।

2. यदि कोई सचिव या सरकार का कोई अधिकारी किसी कार्य को करने के लिये लिखता है या आश्वासन देता है और वह कार्य नहीं होता है तो क्या उस सूचना को मांगा जा सकता है।

3. राज्य सरकार द्वारा कार्यालय मद में पैसा तो दिया नहीं जाता है और कभी–कभी पूछने वाला इतनी अधिक सूचनायें मांगता है कि पूरा विभाग उसी में लग जाता है। यदि अनुरोधकर्ता अपने द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सूचनायें मांगता है तो क्या उसे दिया जाना चाहिए ?

4. अतिरिक्त शुल्क के सम्बन्ध में बीपीएल कार्ड धारक से सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना है। जिन विभागों के पास प्रशासनिक मद में पैसा है वे तो सूचना दे सकते हैं लेकिन ग्राम पंचायत ऐसी

संस्था है जो संसाधन विहीन है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत से जो सूचनायें मांगी जाती है वो उस शुल्क को कहॉ से वहन करेंगी। अतिरिक्त शुल्क के रूप में गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर और भारतीय पोस्टल ऑर्डर स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं।

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत जो 10 रूपये का शुल्क है उसे बढ़ाकर 100/— रूपये होना चाहिए।

2. अपीलार्थी को प्रथम अपील की सुनवाई में उपस्थित होकर यह बताना चाहिए कि वे किन बिन्दुओं से संतुष्ट नहीं है।

3. यदि यह दृष्टिकोण सुनवाई के समय मालूम हो जाता है कि यह व्यक्ति परेशान कर रहा है तो आयोग द्वारा ऐसे अपीलार्थियों / शिकायतकर्ताओं को दण्डित किया जाना चाहिए जिससे नाजायज रूप से परेशानी से बचा जा सके।

4. कार्यालय में कनटिजैन्सी मद में धनराशि न होने के कारण अभिलेखों की फोटो प्रतियॉ किये जाने में परेशानी होती है। अतः इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए।

दशम् विचार गोष्ठी

जनपद–टिहरी गढवाल
विकासखण्ड–घनसाली (भिलंगना)
दिनॉक –22/10/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार घनसाली
कुल उपस्थिति–122
समय– (प्रातः 10:00 बजे से अपराहन12:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी घनसाली श्री देवानन्द शर्मा, तहसीलदार एच0सी0 जुयाल, खण्ड विकास अधिकारी श्री हरि सिंह, थानाध्यक्ष घनसाली श्री राजेन्द्र सिंह रावत, डा0 श्याम विजय चिकित्सा विभाग एवं श्री एच0सी0 कैन्तुरा पत्रकार हिन्दुस्तान समाचार पत्र उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी टिहरी श्री देवानन्द शर्मा एवं डा0 श्याम विजय द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में बताया गया कि हमें भारत की संसद का धन्यवाद देना चाहिये जिसने इतना अधिक लोकप्रिय अधिनियम पारित किया आयोग चाहता है कि प्रत्येक ग्रामीण को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो, इसी दृष्टि से प्रत्येक खण्ड में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता के लिये बनाया गया है जिसका उपयोग प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। उत्तराखण्ड राज्य में सभी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी होने के बावजूद अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है इसके लिये सभी अधिकारी और कर्मचारी साधूवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि छोटे–छोटे सुझाव भी कभी अति महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होनें उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों को आश्वस्त किया कि उचित मचं पर उनको आ रही कठिनाइयों और उनसे प्राप्त हुए सुझावों को उनके द्वारा रखा जायेगा।

उक्त विचार रखने बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार माँगता है तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये?
2. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जब कोई भी सूचना मागी जाती है तो शुल्क सरकारी खाते में जमा किया जाता है। उस पर हो रहे खर्च (व्यय) को लोक सूचना अधिकारी किस मद से खर्च करेगा?
3. सूचना अधिकार अधिनियम में कौन–कौन सी सूचनाये मागी जा सकती हैं?
4. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

5. सूचना अधिकार अधिनियम का क्या अर्थ है।

6. लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा क्या है।

7. सूचना प्राप्त करने हेतू शुल्क या फीस कितनी है।

8. सूचना प्राप्ति के प्रार्थनापत्र को किन किन मामलों के अन्तर्गत अस्वीकार किया जा सकता है।

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. जन सामान्य को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें किस अधिकारी से सूचनायें मांगनी चाहिए तथा सूचना किस प्रकार से मांगी जानी चाहिए। इसके लिये सूचना आयोग द्वारा प्रचार प्रसार करना चाहिये।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निर्धारित शुल्क को 10/– रूपये से बढ़ाकर 500/– रूपये कर दिया जाना चाहिए।

3. प्रत्येक ग्राम प्रधान को सूचना अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु अलग से कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने चाहिएं।

4. प्रत्येक ग्राम प्रधान को सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

एकादशम् विचार गोष्ठी

जनपद–टिहरी गढवाल
विकासखण्ड–प्रतापनगर
दिनॉक –22/10/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल– राजकीय इण्टर कालेज सभागार प्रतापनगर
कुल उपस्थिति–132
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से तहसीलदार श्री वी0एम0 सेमवाल, नायब तहसीलदार श्री जगत सिंह धनोला, खण्ड शिक्षा अधिकारी बच्ची सिंह निषदद्व पूर्व ब्लाक प्रमुख श्री रोशन लाल सेमवाल, श्री एस0पी0 डोभाल सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रारम्भ में तहसीलदार श्री वी0एम0 सेमवाल द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा उपस्थित जनों को संबोधित करते हुये कहा गया कि पूर्व पुर्व मुख्य सूचना आयुक्त डा0 रघुनन्दन सिंह टोलिया के अथक प्रयासों से उत्तराखण्ड में सूचना आयोग देश के अन्य आयोगों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आयोग के समक्ष जो आंकडे हैं उनके अवलोकन से विदित होता है कि ग्रामीण जनता को अभी इस अधिनियम की बहुत ही कम जानकारी है। आयोग द्वारा ग्रामीण जनता को इस अधिनियम की जानकारी देने के लिये इस प्रकार की गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं।

उक्त विचार रखने बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये।

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. यदि कोई बीपीएल परिवार का सदस्य सूचना चाह रहा है तथा उसे सूचना दी जा रही है तो कितने पृष्ठों तक निःशुल्क सूचना दी जा सकती है?

2. यदि कोई अनुरोधकर्ता अत्यधिक पुराने समय के अभिलेखों को मांग रहा है तथा अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाना चाहिए?

3. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तृतीय पक्ष में कौन–कौन आते हैं और तृतीय पक्ष की सूचना जो लोक सूचना अधिकारी के पास धारित है उसे आवेदक को दिया जा सकता है अथवा नहीं?

4. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तृतीय पक्ष में कौन–कौन सी सूचनायें नहीं दी जा सकती हैं?

5. यदि कोई गांव के बाहर का व्यक्ति ग्राम से संबंधित सूचनायें मांगता है तो उसे सूचनायें उपलब्ध करायी जायें अथवा नहीं?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभागों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी कम है इसके लिए प्रत्येक विभाग में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम में आवेदक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम जब से लागू किया गया है उसी दिन के बाद की सूचनायें ही मागी जानी चाहिये।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम शुल्क में वृद्धि होनी चाहिये।

5. अभिलेखिय सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिये न कि स्पष्टीकरण एवं औचित्य के सम्बन्ध में।

द्वादशम् विचार गोष्ठी

जनपद–टिहरी गढवाल
विकासखण्ड–हिण्डोलाखाल
दिनॉक –18/11/2012
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल– विकासखण्ड सभागार हिण्डोलाखाल
कुल उपस्थिति–137
समय– (प्रातः 10:00 बजे से अपराहन 12:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से तहसीलदार देवप्रयाग उपस्थित थे। प्रारम्भ में तहसीलदार देवप्रयाग द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अपने सम्बोधन में लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को अवगत कराया गया कि वे कुछ प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन सैकडों प्रकरणों में वे भी आवेदक हो सकते हैं। वे भी अपने गॉव के विकास कार्यों, अपने बच्चों भाईयों बहनों के स्कूल के सम्बन्ध में, अपने प्रमोशन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की सूचनायें मांग सकते हैं, इसलिये उन्हें भी इस प्रकार की विचार गोष्ठियों के माध्यम से अच्छी जानकारी मिल सकती है कि किस प्रकार अनुरोध पत्र प्रस्तुत करना है, किस प्रकार की सूचनायें मांगी जा सकती हैं आदि। माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अनुरोधकर्ता स्वयं को एक दूसरे का विरोधी न समझें बल्कि सहयोगी बनकर अपने–2 क्षेत्रों में कार्य करें।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यदि शुल्क की मॉग करते हैं तो क्या लोक सूचना अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रड डाक द्वारा ही अवगत कराना होगा।

2. यदि कोई बीपीएल परिवार का सदस्य सूचना चाह रहा है तथा उसे सूचना दी जा रही है तो कितने पृष्ठों तक निःशुल्क सूचना दी जा सकती है।

3. यदि कोई अनुरोधकर्ता अत्यधिक पुराने समय के अभिलेखों को मांग रहा है तथा अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाना चाहिए।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तृतीय पक्ष में कौन–कौन आते हैं और तृतीय पक्ष की सूचना जो लोक सूचना अधिकारी के पास धारित है उसे आवेदक को दिया जा सकता है अथवा नहीं।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक भारतीय नागरिक सूचना मांग सकता है। अगर कोई किसी संस्था के पैड पर अपने नाम से सूचना मांगता है तो क्या दी जा सकती है।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति कितने वर्ष पुरानी सूचनायें मांग सकता है।

7. यदि बीस वर्ष पुराने अभिलेख कार्यालय में संरक्षित नहीं हैं तो लोक सूचना अधिकारी को क्याा करना चाहिये।

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. जन सामान्य को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें किस अधिकारी से सूचनायें मांगनी चाहिए तथा सूचना किस प्रकार से मांगी जानी चाहिए इसका प्रचार प्रसार हो।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभागों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी कम है इसके लिए प्रत्येक विभाग में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

3. कर्मचारियों की सर्विस बुक अथवा गोपनीय प्रविष्टि आवेदकों को नहीं दी जानी चाहिये।

4. 48 घण्टे की सूचनाओं को देने के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा यह भी बताना अनिवार्य हो की उसे किस प्रकार की हानि/क्षति हो रही है।

त्रियोदशम् विचार गोष्ठी

जनपद–टिहरी गढवाल
विकासखण्ड–जाखणीधार
दिनॉक –18/11/2012
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार जाखणीधार
कुल उपस्थिति–26
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से तहसीलदार देवप्रयाग उपस्थित थे। प्रारम्भ में तहसीलदार जाखणीधार एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अपने सम्बोधन में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो इसी दृष्टि से प्रत्येक खण्ड में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं। अभी तक अधिकतर ग्रामीण जनता को अधिनियम की जानकारी न होने के कारण आयोग में उक्त के द्वारा बहुत कम प्रकरण प्रस्तुत किये गये हैं। आमजन में जागृति हेतु इस प्रकार की विचार गोष्ठियॉ खण्ड स्तर पर आयोजित की गई हैं।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये।

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. यदि कोई प्रार्थी अपने द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर सूचनाएं मांगता है तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाए ?
2. यदि किसी अनुरोधकर्ता को लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता मालूम न हो तो वह किस अधिकारी को अपना अनुरोध पत्र दें?
3. एक ही प्रश्न को दस व्यक्ति बारी–बारी से मॉगते है तो ऐसी स्थति में लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिए?
4. यदि किसी अनुरोधकर्ता द्वारा किन्हीं कर्मचारियों या अधिकारियों के परिवार के सदस्यों सम्बन्ध में कोई सूचना मॉगी जाती है तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारीयों के सेवा अभिलेख के अनुसार अंकित उनके सभी उन सदस्यों का नाम आदि विवरण की छायाप्रति दी जाती है लेकिन अनुरोधकर्ताओं द्वारा अपने प्रारूप के अनुसार उनका विवरण मांगा जाता है क्या अनुरोधकर्ता को उनके प्रारूप के अनुसार सूचना देना अनिवार्य है?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. एक अनुरोध पत्र में कम से कम बिन्दुओं की सूचना मागी जानी चाहिये।
2. ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी नहीं होना चाहिये।
3. आवेदन शुल्क में वृद्धि होनी चाहिये।

4. अपने से संबंधित उत्तर पुस्तिका की ही मांग की जानी चाहिये।

5. अवलोकन करते समय अनुरोधकर्ता के पास उसका कोई पहचान पत्र अनिवार्य करना चाहिये या उसके पास प्रतिनिधि का पत्र होना अनिवार्य करना चाहिये।

3. बी0पी0एल0 कार्ड धारक के लिये मात्र कुछ पृष्ठों की सूचना निःशुल्क का प्रावधान होना चाहिये।

4. प्रत्येक ग्राम प्रधान को सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

चर्तुदशम् विचार गोष्ठी

जनपद–देहरादून
विकासखण्ड–सहसपुर
दिनॉक –24/11/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार सहसपुर
कुल उपस्थिति–76
समय– (प्रातः 10:00 बजे से अपराहन12:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी श्री एन0एस0 डांगी, कनिष्ठ उप प्रमुख श्रीमती सविता नेगी, खण्ड विकास अधिकारी डी0एस0 कोसवाल, नायब तहसीलदार श्री भूपसिंह सैनी, श्री अजय शर्मा पत्रकार अमर उजाला समाचार पत्र उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी श्री एन0एस0 डांगी द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

सर्वप्रथम माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नैटियाल जी द्वारा भूमिका के रूप में अवगत कराया गया कि (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005) 12/10/2005 को लागू किया गया है। यह अधिनियम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने, उत्तरदायित्व का निर्धारण करने एवम् सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के लिये बनाया गया है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि उसे अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी हो, क्षेत्र में विद्यालयों आदि से सम्बन्धित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की सभी जानकारियों के लिए यह विचार गोष्ठी इस खण्ड में आयोजित की गयी है।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. यदि किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना 30 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं होती है तो उसकी अपील कहां पर करनी चाहिये?

2. लोक सूचना अधिकारी से अभिलेख प्राप्त करने हेतु प्रतिलिपि शुल्क क्या हैं?

3. लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन शुल्क क्या हैं?

4. लोक सूचना अधिकारी से किस प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती हैं?

5. लोक सूचना अधिकारी द्वारा किस प्रकार की सूचना नही दी जा सकती हैं?

6. क्या सूचना प्राप्त करने के लिये कई लोग मिलकर आवेदन कर सकते हैं?

7. लोक सूचना अधिकारी एवम् प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन हैं?

8. आयोग में एक प्रकरण की सुनवाई में जो अनेक तिथियॉ निर्धारित की जाती हैं उसके सापेक्ष पक्षकारों का समय नष्ट होता है उसके लिये कौन जिम्मेदार है क्या प्रथम सुनवाई की तिथि को ही स्पष्ट निर्देश देकर अगली तिथि को वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता है?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. आयोग में सुनवाई के समय अपीलार्थी को स्वयं उपस्थित होने के आदेश होने चाहिये साथ ही लोक सूचना अधिकारी को उन समस्त दस्तावेजों को लेकर आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश देने चाहिये एवं अपीलार्थी को उसका निरीक्षण आयोग के समक्ष कराकर उसे उपलब्ध करानी चाहिये। जिससे की बार–2 अपीलार्थी उन्ही बिन्दुओं पर आवेदन न कर सके एवं मूल दस्तावेजों का आयोग के समक्ष निरीक्षण कराये जाने चाहिये।

2. प्रथम विभागीय अपील में अनुरोधकर्ता को यह बताना आवश्यक होना चाहिये कि उपलब्ध करायी गयी सूचना के किस बिन्दु से किस प्रकार संतुष्ट नही है।

3. बी0पी0एल0 कार्ड धारक के लिये मात्र कुछ पृष्ठों की सूचना निःशुल्क का प्रावधान होना चाहिये।

4. प्रत्येक ग्राम प्रधान को सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

पंचदशम विचार गोष्ठी

जनपद–देहरादून
विकासखण्ड–विकासनगर
दिनॉक –24/11/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल– विकासनगर
कुल उपस्थिति–82
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से तहसीलदार विकासनगर श्री हर गिरी, प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी श्री चमन सिंह राठौर, थानाध्यक्ष विकासनगर श्री गिरीश चन्द्र बिजल्वाण डा0 अमर सिंह राय स्वास्थ्य विभाग उपस्थित थे। प्रारम्भ में तहसीलदार विकासनगर श्री हर गिरी एवं डा0 अमर सिंह राय द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में बताया गया कि इस गोष्ठी का मुख्य उदेश्य यह है कि समस्त ग्रामीणों को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो। अभी तक अधिकतर ग्रामीण जनता, युवाओं व विशेषकर महिलाओं को अधिनियम की जानकारी न होने के कारण आयोग में उक्त के द्वारा बहुत कम प्रकरण प्रस्तुत किये गये हैं। इसी दृष्टि से प्रत्येक खण्ड में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में सभी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी होने के बावजूद सबके द्वारा अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है इसके लिये सभी अधिकारी और कर्मचारी साधूवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि छोटे–छोटे सुझाव भी कभी कभी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होनें उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों को आश्वस्त किया कि उचित मचं पर उनको आ रही कठिनाइयों और उनसे प्राप्त हुए सुझावों को उनके द्वारा रखा जायेगा।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार मॉंगता है तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जब कोई भी सूचना मागी जाती है तो शुल्क सरकारी खाते में जमा किया जाता है। उस पर हो रहे खर्च (व्यय) को लोक सूचना अधिकारी किस मद से खर्च करेगा।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तृतीय पक्ष में कौन–कौन आते हैं और तृतीय पक्ष की सूचना जो लोक सूचना अधिकारी के पास धारित है उसे आवेदक को दिया जा सकता है अथवा नहीं।

4. पुलिस केस की विवेचना के दौरान कोई सीडी / केस डायरी की सूचना मांगता है तो उसे दिया जाना चाहिए अथवा नहीं।

5. यदि कोई प्रार्थी किसी की पारिवारिक सूचना मांगता है तो उसके संबंध में क्या कार्रवाई करनी चाहिये ?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् सूचना देने में जो व्यय एवं खर्च होता है, वह धनराशी सरकारी खाते में जमा हो जाती है। महोदय यह धनराशी विभाग के खाते में ही जमा होनी चाहीये। जिससे कि खर्च वहन किया जा सके।

2. प्रथम अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी को उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिये।

3. यदि आवेदक द्वारा सूचना अनुरोध पत्र में अपना नाम व पता अंकित नहीं है तो उस आवेदन पत्र को निरस्त कराना अनिवार्य होना चाहिये।

4. ग्राम प्रधानों द्वारा एकमत से यह अनुरोध किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निर्धारित शुल्क को 10 / – रूपये से बढ़ाकर 500 / – रूपये कर दिया जाना चाहिए।

षोडशः विचार गोष्ठी

जनपद–टिहरी गढवाल
विकासखण्ड–थौलधार
दिनॉक –17/12/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल– विकासखण्ड सभागार थौलधार
कुल उपस्थिति–107
समय– (प्रातः 10:00 बजे से अपराहन12:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी टिहरी श्री एस0सल0 सेमवाल, एवं खण्ड विकास अधिकारी सुश्री सुमन राणा उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी टिहरी श्री एस0सल0 सेमवाल द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में अवगत कराया कि इस विचार गोष्ठी में जो भी लोग उपस्थित है वे सभी अपने क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति हैं। इस अधिनियम की जानकारी प्राप्त होने के बाद हम सभी को अपने–अपने प्रतिष्ठानों, निकायों गॉवों व अपने क्षेत्रों व घरों में जानकारी देनी चाहिये ताकि अधिक से अधिक लोगों को अधिनियम की जानकारी हो। इस अधिनियम का समुचित प्रयोग कर हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकते हैं।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाये मागने के लिये किस प्रकार से आवेदन करना चाहिये?

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जब कोई भी सूचना मागी जाती है तो शुल्क सरकारी खाते में जमा किया जाता है। उस पर हो रहे खर्च (व्यय) को लोक सूचना अधिकारी किस मद से खर्च करेगा?

3. अनुरोधकर्ता को किस प्रकार की सूचना मागी जानी चाहिये तथा किस प्रकार की सूचना नहीं मागी जानी चाहिये?

4. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकारी के घर एवं उसके परिवार के सदस्यों की सूचना मांगी जा सकती हैं?

5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कितने वर्ष पुरानी सूचना लेने का प्रावधान है?

6. किन्ही कर्मचारियों या अधिकारीयों के परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में कोई सूचना मॉगी जाती है एवं इसके बाद उन्हे कोई क्षति या हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना अधिकार अधिनियम में यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार माँगता है तो लोक सूचना अधिकारी को उस अनुरोध पत्र को निरस्त करने का अधिकार होना चाहिये क्योकि यदि वह सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दी जाती है तो उस पर डाक प्रेषित करने के लिये अतिरिक्त व्यय होगा।

2. अनुरोधकर्ताओं द्वारा उन्ही बिन्दुओं की सूचना मांगी जानी चाहिये जो कि लोक सूचना अधिकारी स्तर पर धारित हों।

3. अनुरोधकर्ता को यह स्पष्ट कराना चाहिये कि वह किन अभिलेखों की सूचना चाहता है।

4. किसी भी कर्मचारी की सी0आर0 सिर्फ उस व्यक्ति को देनी चाहिये जिसका कि उसमें हित हो। जैसे कि विभागीय कर्मचारियों को।

5. सूचना अधिकार में उसी व्यक्ति की चल अचल सम्पत्ति दिये जाने का प्रावधान होना चाहिये जो कर्मचारी कार्यरत है न की उसके परिवार बच्चों आदि की सम्पत्ति के सम्बन्ध में।

सप्तदशः विचार गोष्ठी

जनपद–टिहरी गढवाल
विकासखण्ड–जौनपुर (थत्यूड)
दिनॉक –17/12/2011
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार जौनपुर (थत्यूड)
कुल उपस्थिति–93
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से ब्लाक प्रमुख श्रीमती गीता रावत, उपजिलाधिकारी श्री सुन्दर लाल सेमवाल, तहसीलदार श्री मनवर सिंह कण्डारी, एवम् खण्ड विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश उपस्थित थे। प्रारम्भ में श्रीमती रंजना एवं उपजिलाधिकारी श्री सुन्दर लाल सेमवाल द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

उपरान्त माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अपने संक्षिप्त संबोधन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में जानकारी दी गई अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने के लिये कितना शुल्क का भुगतान किस रूप में करना है, यदि बी0पी0एल0 कार्डधारी है उसे शुल्क व अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं प्रत्येक छात्र बालक/बालिका चाहे उसकी आयु कितनी ही क्यों न हो सूचना मांग सकता है की जानकारी दी गई।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. अनुरोधकर्ताओं द्वारा एक आवेदन पत्र में ज्यादातर प्रश्नवाचक बिन्दु होते है जैसे क्या, क्यों आदि क्या लोक सूचना अधिकारी को इन बिन्दुओं की सूचना देना अनिवार्य है?

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अन्तर्गत कौन कौन व्यक्ति सूचना मॉग सकता है?

3. अनुरोधकर्ताओ द्वारा बीस वर्ष पूर्व की सूचना मागी जाती है। क्या लोक सूचना अधिकारी को सूचना देनी चाहिये?

4. एक ही प्रश्न को दस व्यक्ति बारी–बारी से मॉगते है तो ऐसी स्थति में लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिए?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निर्धारित शुल्क को 10/– रूपये से बढ़ाकर 500/– रूपये कर दिया जाना चाहिए।

2. प्रत्येक ग्राम प्रधान को सूचना अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु अलग से कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने चाहिएं।

3. अनुरोधकर्ता को यह स्पष्ट कराना चाहिये कि वह किस प्रकार के अभिलेखों की सूचना चाहता है।

4. किसी भी कर्मचारी की सम्पत्ति की सूचना सिर्फ उस व्यक्ति को देनी चाहिये जिसका की उसमें हित हो।

अष्टदशः विचार गोष्ठी

विकासखण्ड रूडकी (जनपद हरिद्वार)
जनपद–हरिद्वार
विकासखण्ड–नारसन
दिनॉक –18/02/2012
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल– विकासखण्ड सभागार नारसन
कुल उपस्थिति–91
समय– (प्रातः 10:00 बजे से अपराहन12:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से ब्लाक प्रमुख श्री राजीव राठौर एवं उप जिलाधिकारी श्री अरविन्द कुमार पाण्डे, श्री के0सी जोशी परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास हरिद्वार, तहसीलदार श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, एवं सहायक खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार उपस्थित थे। प्रारम्भ ब्लाक प्रमुख श्री राजीव राठौर एवं उपजिलाधिकारी श्री अरविन्द कुमार पाण्डे द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा उपस्थित जनों को अवगत कराया गया कि जानकारी के अभाव में भारत की संसद एवम् राज्य की विधान सभाओं द्वारा पारित कानूनों की जानकारी आम जनता को नहीं हो पाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम किसी के भी विरूद्ध न होकर मात्र भ्रष्टाचार के विरूद्ध है। इस अधिनियम के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं एवम् जन कल्याण की गतिविधियों की जानकारी के साथ–2 यदि किसी विभाग में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या अनियमितता की जानकारी मिलती है तो सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुरोध पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अनुरोध पत्र को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है यह जानकारी देने के लिये इस प्रकार की गोष्ठियॉ ग्रामीण क्षेत्रों में रखी गई हैं।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न संकायें व्यक्त की गई।

1. सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या अर्थ/तात्पर्य है?

2. सूचना को प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

3. सूचना उपलब्ध कराने की क्या समय सीमा है?

4. सूचना उपलब्ध करने हेतु शुल्क या फीस क्या है?

5. सूचना प्रत्ति के प्रार्थना पत्र को किन मामलों में अस्वीकार किया जा सकता है?

6. किस प्रकार की सूचना नहीं दी जा सकती हैं?

7. यदि किसी अनुरोधकर्ता द्वारा तहसील के लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसान बही की नकल मॉगी जाती है जबकि किसान बही को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा अलग से शुल्क निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये?

8. यदि कोई अनुरोधकर्ता सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये।

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभागों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी कम है इसके लिए प्रत्येक विभाग में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम में आवेदक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम जब से लागू किया गया है उसी दिन के बाद की सूचनायें ही मागी जानी चाहिये।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम शुल्क में वृद्धि होनी चाहिये।

5. अभिलेखिय सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिये न कि स्पष्टिकरण एवं औचित्य के सम्बन्ध में।

6. प्रथम विभागीय अपील में अनुरोधकर्ता को यह बताना आवश्यक होना चाहिये कि उपलब्ध करायी गयी सूचना के किस बिन्दु से किस प्रकार संतुष्ट नही है।

7. बी0पी0एल0 कार्ड धारक के लिये कुछ पृष्ठों की सूचना निःशुल्क का प्रावधान होना चाहिये।

8. प्रत्येक ग्राम प्रधान को सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

नवदशः विचार गोष्ठी

जनपद–हरिद्वार
विकासखण्ड–भगवानपुर
दिनॉक –18/02/2012
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार भगवानपुर
कुल उपस्थिति–91
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास श्री के0सी0 जोशी उपस्थित थे। प्रारम्भ में परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास श्री के0सी0 जोशी द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

तदोपरान्त माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में बताया गया कि हमें भारत की संसद का धन्यवाद देना चाहिये जिसने इतना अधिक लोकप्रिय अधिनियम पारित किया। आयोग चाहता है कि प्रत्येक ग्रामीण को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो इसी दृष्टि से प्रत्येक खण्ड में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाये मागने के लिये किस प्रकार से आवेदन करना चाहिये?
2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अन्तर्गत कौन कौन व्यक्ति सूचना मॉग सकता है?
3. अनुरोधकर्ता को किस प्रकार की सूचना मागी जानी चाहिये तथा किस प्रकार की सूचना नहीं मागी जानी चाहिये?
4. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकारी के घर एवं उसके परिवार के सदस्यों की सूचना मांगी जा सकती हैं?
5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कितने वर्ष पुरानी सूचना लेने का प्रावधान है?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. प्रथम अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी को उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिये।

2. यदि आवेदक द्वारा सूचना अनुरोध पत्र में अपना नाम व पता अंकित नहीं है तो उस आवेदन पत्र को निरस्त कराना अनिवार्य होना चाहिये।

3. एक अनुरोध पत्र में कम से कम बिन्दुओं की सूचना मांगी जानी चाहिये।

4. ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी नहीं होना चाहिये।

5. आवेदन शुल्क में वृद्धि होनी चाहिये।

विंशः विचार गोष्ठी

जनपद–हरिद्वार
विकासखण्ड–लक्सर
दिनॉक –25/02/2012
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल– विकासखण्ड सभागार लक्सर
कुल उपस्थिति–91
समय– (प्रातः 10:00 बजे से अपराहन12:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी श्री उत्तम सिंह चौहान क्षेत्राधिकारी श्री जी0वी0 पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री गणेश लाल उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी श्री उत्तम सिंह चौहान एवम् क्षेत्राधिकारी श्री जी0वी0 पाण्डेय द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

तदोपरान्त माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम का लागू होना हमारे देश के लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होनें कहा कि इसको लागू हुय अभी मात्र 6 वर्ष का समय हुआ है और जो लोकप्रियता इस अधिनियम ने प्राप्त की है वह अभी तक इतने कम समय में किसी और अधिनियम ने नहीं प्राप्त की है। उन्होनें बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल भारतीय नागरिक ही सूचना प्राप्त कर सकता है इस प्रकार एवम् अन्य जानकारियॉ देने के लिये यह विचार गोष्ठी रखी गई है।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. ग्राम प्रधान यदि किसी को सूचना देते हैं या सुनवाई में देहरादून आते हैं तो वे इसका व्यय कहॉ से वहन करेंगे?
2. यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी सूचनायें मांगी जाती हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है तथा वह व्यक्ति बार–बार प्रश्न कर रहा है तब उसे आयोग द्वारा दण्डित किया जायेगा अथवा नहीं ?
3. यदि कोई आवेदन ऐसा आता है जो पढ़ने की स्थिति में न हो तब उस स्थिति में विभाग द्वारा क्या किया जाना चाहिए?
4. बीपीएल परिवार के आवेदक को कितनी सूचनायें निःशुल्क दी जा सकती हैं?
5. एक सहायक लोक सूचना अधिकारी कितने लोक सूचना अधिकारियों के लिए कार्य कर सकता है?
6. यदि कोई वाद पुलिस के समक्ष विचाराधीन हो तो क्या उसके संबंध में सूचनायें दी जा सकती हैं?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. जन सामान्य को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें किस अधिकारी से सूचनायें मांगनी चाहिए तथा सूचना किस प्रकार से मांगी जानी चाहिए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभागों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी कम है इसके लिए प्रत्येक विभाग में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

3. कर्मचारियों की सर्विस बुक अथवा गोपनीय प्रविष्टि आवेदकों को नहीं दी जानी चाहिये।

एकविंशः विचार गोष्ठी

जनपद–हरिद्वार
विकासखण्ड–खानपुर
दिनॉक –25/02/2012
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार खानपुर
कुल उपस्थिति–58
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी श्री उत्तम सिंह चौहान, तहसीलदार श्री डी0 पी सिंह, प्रभारी निरीक्षक लक्सर श्री ध्यान सिंह एवम् खण्ड विकास अधिकारी श्री भरत भटट उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी श्री उत्तम सिंह चौहान द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

भूमिका के रूप में माननीय आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा उपस्थित समस्त कर्मचारी एवं आम जनता को अवगत कराया कि आप लोगों को यदि किसी निर्माण कार्य, नियुक्ति, टैण्डर, निलामी आदि में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार दिखाई देता है तो आप 10 रूपये नगद जमा कर, 10 रूपये का पोस्टल आर्डर या 10 रूपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर संलग्न कर सम्बन्धित विभाग के लोक सूचना अधिकारी से सूचना माग सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी देने के लिये खण्ड स्तर पर आयोग द्वारा इस प्रकार की विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गई हैं, इसी क्रम में आप लोग इस विचार गोष्ठी में उपस्थित हैं।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. शासन द्वारा ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है जबकि विधायक भी जन प्रतिनिधि है तथा बीपीएल कार्डधारी द्वारा सूचना मांगे जाने पर उसे निःशुल्क सूचना देनी होगी जबकि ग्राम प्रधान के पास ऐसा कोई मद नहीं है जिसमें सरकार द्वारा कोई बजट निर्गत किया जाता हो। इसके लिये आयोग द्वारा किस प्रकार के प्रयास किये गये हैं?

2. यदि कोई सचिव या सरकार का कोई अधिकारी किसी कार्य को करने के लिये लिखता है या आश्वासन देता है और वह कार्य नहीं होता है तो क्या उस सूचना को मांगा जा सकता है?

3. राज्य सरकार द्वारा कार्यालय मद में पैसा तो दिया नहीं जाता है और कभी–कभी पूछने वाला इतनी अधिक सूचनायें मांगता है कि पूरा विभाग उसी में लग जाता है। यदि अनुरोधकर्ता अपने द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सूचनायें मांगता है तो क्या उसे दिया जाना चाहिए ?

4. अतिरिक्त शुल्क के सम्बन्ध में बीपीएल कार्ड धारक से सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना है। जिन विभागों के पास प्रशासनिक मद में पैसा है वे तो सूचना दे सकते हैं लेकिन ग्राम पंचायत ऐसी संस्था है जो संसाधन विहीन है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत से जो सूचनायें मांगी जाती है वो उस शुल्क को कहाँ से वहन करेंगी। जबकि अतिरिक्त शुल्क के रूप में गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर और भारतीय पोस्टल ऑर्डर स्वीकार किया जाता है?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत जो 10 रूपये का शुल्क है उसे बढ़ाकर 100/– रूपये होना चाहिए।

2. अपीलार्थी को प्रथम अपील की सुनवाई में उपस्थित होकर यह बताना चाहिए कि वे किन बिन्दुओं से संतुष्ट नहीं है।

3. यदि यह दृष्टिकोण सुनवाई के समय मालूम हो जाता है कि यह व्यक्ति परेशान कर रहा है तो आयोग द्वारा ऐसे अपीलार्थियों / शिकायतकर्ताओं को दण्डित किया जाना चाहिए जिससे नाजायज रूप से परेशानी से बचा जा सके।

4. कई कार्यालयों में कन्टेन्जेन्सी मद में धनराशि न होने के कारण अभिलेखों की फोटो प्रतियॉ किये जाने में परेशानी होती है। अतः इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए।

द्विविंशः विचार गोष्ठी

जनपद–उत्तरकाशी
विकासखण्ड–पुरोला
दिनॉक –19/03/2012
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल– विकासखण्ड सभागार पुरोला
कुल उपस्थिति–76
समय– (प्रातः 10:00 बजे से अपराहन12:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से ब्लाक प्रमुख श्री लोकेन्द्र रावत, उप जिलाधिकारी श्री उदय सिंह राणा, खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0एस0 कुमांई, उपस्थित थे। प्रारम्भ में ब्लाक प्रमुख श्री लोकेन्द्र रावत एवम् उप जिलाधिकारी घनसाली श्री उदय सिंह राणा द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अपने संक्षिप्त संबोधन में कथन किया गया कि लोक सूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारी भी अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिनियम समाज में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये है। इस अधिनियम की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिये इसी दृष्टि से इस प्रकार की गोष्ठियॉ ग्रामीण क्षेत्रों में रखी गई हैं।

उक्त विचार रखने बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार माँगता है तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये?
2. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जब कोई भी सूचना मागी जाती है तो शुल्क सरकारी खाते में जमा किया जाता है। उस पर हो रहे खर्च (व्यय) को लोक सूचना अधिकारी किस मद से खर्च करेगा?
3. सूचना अधिकार अधिनियम में कौन–कौन सी सूचनाये मागी जा सकती हैं?
4. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?
5. सूचना अधिकार अधिनियम का क्या अर्थ है?
6. लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा क्या है?

7. सूचना प्राप्त करने हेतू शुल्क या फीस कितनी है?

8. सूचना प्राप्ति के प्रार्थनापत्र को किन किन मामलों के अन्तर्गत अस्वीकार किया जा सकता है?

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. जन सामान्य को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें किस अधिकारी से सूचनायें मांगनी चाहिए तथा सूचना किस प्रकार से मांगी जानी चाहिए। इसके लिये सरकार द्वारा प्रचार प्रसार करना चाहिये।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निर्धारित शुल्क को 10/– रूपये से बढ़ाकर 500/– रूपये कर दिया जाना चाहिए।

3. प्रत्येक ग्राम प्रधान को सूचना अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु अलग से कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने चाहिएं।

4. प्रत्येक ग्राम प्रधान को सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

त्रिविंशः विचार गोष्ठी

जनपद–उत्तरकाशी
विकासखण्ड–मोरी
दिनॉक –19/03/2012
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार मोरी
कुल उपस्थिति–106
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी श्री उदय सिंह राणा, तहसीलदार श्री सुखपाल सिंह एवम् खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश चन्द्र, उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी घनसाली श्री उदय सिंह राणा द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अपने सम्बोधन में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को अवगत कराया गया कि वे कुछ प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन सैकडों प्रकरणों में वे भी आवेदक हो सकते हैं। वे भी अपने गॉव के विकास कार्यों, अपने बच्चों भाईयों बहनों के स्कूल के सम्बन्ध में अपने प्रमोशन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की सूचनायें मांग सकते हैं इसलिये उन्हें भी इस प्रकार की विचार गोष्ठियों के माध्यम से अच्छी जानकारी मिल सकती है कि किस प्रकार अनुरोध पत्र प्रस्तुत करना है, किस प्रकार की सूचनायें मांगी जा सकती हैं आदि। माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अनुरोधकर्ता स्वयं को एक दूसरे का विरोधी न समझें बल्कि सहयोगी बनकर अपने–2 क्षेत्रों में कार्य करें।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यदि शुल्क की मॉग करते हैं तो क्या लोक सूचना अधिकारीयों द्वारा रजिस्ट्रड डाक द्वारा ही अवगत कराना होगा?

2. यदि कोई बीपीएल परिवार का सदस्य सूचना चाह रहा है तथा उसे सूचना दी जा रही है तो कितने पृष्ठों तक निःशुल्क सूचना दी जा सकती है?

3. यदि कोई अनुरोधकर्ता अत्यधिक पुराने समय के अभिलेखों को मांग रहा है तथा अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाना चाहिए।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तृतीय पक्ष में कौन–कौन आते हैं और तृतीय पक्ष की सूचना जो लोक सूचना अधिकारी के पास धारित है उसे आवेदक को दिया जा सकता है अथवा नहीं?

5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक भारतीय नागरिक सूचना मांग सकता है। अगर कोई किसी संस्था के पैड पर अपने नाम से सूचना मांगता है तो क्या दी जा सकती है।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति कितने वर्ष पुरानी सूचनायें मांग सकता है।

7. यदि बीस वर्ष पुराने अभिलेख कार्यालय में संरक्षित नहीं हैं तो लोक सूचना अधिकारी को क्याा करना चाहिये।

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. जन सामान्य को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें किस अधिकारी से सूचनायें मांगनी चाहिए तथा सूचना किस प्रकार से मांगी जानी चाहिए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभागों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी कम है इसके लिए प्रत्येक विभाग में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

3. कर्मचारियों की सर्विस बुक अथवा गोपनीय प्रविष्टि आवेदकों को नहीं दी जानी चाहिये।

4. 48 घण्टे में उन्ही सूचनाओं का देने के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा यह भी बताना अनिवार्य हो की उसे किस प्रकार की हानी/क्षति हो रही है।

चतुर्विंशः विचार गोष्ठी

जनपद–देहरादून
विकासखण्ड–चकराता
दिनॉक –20/03/2012
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल– राजकीय इण्टर कालेज चकराता
कुल उपस्थिति–92
समय– (प्रातः 10:00 बजे से अपराहन12:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी श्री सी0एस0 धर्मशत्तु, तहसीलदार श्री गोपाल राम विनायक, थानाध्यक्ष मानेज रावत डा0 रविन्द्र चौहान स्वास्थ्य विभाग श्री वि0पी0 सिंह खण्ड शिक्षा अधिकारी पत्रकार राष्ट्रीय सहारा श्री राजीव एवम् खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी श्री सी0एस0 धर्मशक्तु द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अपने सम्बोधन में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को अवगत कराया गया कि वे कुछ प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन सैकडों प्रकरणों में वे भी आवेदक हो सकते हैं। वे भी अपने गॉव के विकास कार्यों, अपने बच्चों भाईयों के स्कूल के सम्बन्ध में अपने प्रमोशन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की सूचनायें मांग सकते हैं इसलिये उन्हें भी इस प्रकार की विचार गोष्ठियों के माध्यम से अच्छी जानकारी मिल सकती है कि किस प्रकार अनुरोध पत्र प्रस्तुत करना है, किस प्रकार की सूचनायेंं मांगी जा सकती हैं आदि, माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अनुरोधकर्ता स्वयं को एक दूसरे का विरोधी न समझें बल्कि सहयोगी बनकर अपने–2 क्षेत्रों में कार्य करें।

उक्त विचार रखने बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यदि शुल्क की मॉग करते हैं तो क्या लोक सूचना अधिकारीयों द्वारा रजिस्ट्रड डाक द्वारा ही अवगत कराना होगा?

2. यदि कोई बीपीएल परिवार का सदस्य सूचना चाह रहा है तथा उसे सूचना दी जा रही है तो कितने पृष्ठों तक निःशुल्क सूचना दी जा सकती है?

3. यदि कोई अनुरोधकर्ता अत्यधिक पुराने समय के अभिलेखों को मांग रहा है तथा अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाना चाहिए?

4. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तृतीय पक्ष में कौन–कौन आते हैं और तृतीय पक्ष की सूचना जो लोक सूचना अधिकारी के पास धारित है उसे आवेदक को दिया जा सकता है अथवा नहीं।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति कितने वर्ष पुरानी सूचनायें मांग सकता है।

6. यदि बीस वर्ष पुराने अभिलेख कार्यालय में संरक्षित नहीं हैं तो लोक सूचना अधिकारी को क्याा करना चाहिये।

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. जन सामान्य को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें किस अधिकारी से सूचनायें मांगनी चाहिए तथा सूचना किस प्रकार से मांगी जानी चाहिए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभागों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी कम है इसके लिए प्रत्येक विभाग में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

3. कर्मचारियों की सर्विस बुक अथवा गोपनीय प्रविष्टि आवेदकों को नहीं दी जानी चाहिये।

4. 48 घण्टे में उन्ही सूचनाओं का देने के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा यह भी बताना अनिवार्य हो की उसे किस प्रकार की हानी/क्षति हो रही है।

पंचविंशः विचार गोष्ठी

जनपद–देहरादून
विकासखण्ड–कालसी
दिनॉक –20/03/2012
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार कालसी
कुल उपस्थिति–99
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी तहसीलदार, खण्ड शिक्षा अधिकारी पत्रकार राष्ट्रीय सहारा श्री राजीव एवम् खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

तदोपरान्त माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम का लागू होना हमारे देश के लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्रामीण को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो। आमजन में जागृति हेतु इस प्रकार की विचार गोष्ठियॉ खण्ड स्तर पर आयोजित की गई हैं इसी दृष्टि से आज इस खण्ड में विचार गोष्ठी में आप सभी उपस्थित हैं।

विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. सूचना का अधिकार अधिनियम में आवेदक द्वारा पूछे जाने पर उसके द्वारा एक आवेदन में पूछे जाने वाले बिन्दुओं की संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए।

2. एक ही प्रश्न को दस व्यक्ति बारी–बारी से मॉगते है तो ऐसी स्थति में लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहीए।

3. पुलिस केस की विवेचना के दौरान कोई सीडी / केस डायरी की सूचना मांगता है तो उसे दिया जाना चाहिए अथवा नहीं।

4. सूचना अधिकार अधिनियम किन सूचनाओं को नहीं मागा जा सकता।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति कितने वर्ष पुरानी सूचनायें मांग सकता है।

6. सूचना प्राप्ति के प्रार्थना पत्र को किन मामलों में अस्वीकार किया जा सकता है।

विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना अधिकार अधिनियम में यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार मॉंगता है तो लोक सूचना अधिकारी को उसे निरस्त करने का अधिकार होना चाहिये क्योंकि यदि वह सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दी जाती है तो उस पर डाक प्रेषित करने के लिये अतिरिक्त व्यय होगा।

2. अनुरोधकर्ताओं द्वारा उन्ही बिन्दुओं की सूचना मांगी जानी चाहिये जो कि लोक सूचना अधिकारी स्तर पर धारित हों।

3. अनुरोधकर्ता को यह स्पष्ट कराना चाहिये की की वह अभिलेखों की सूचना चाहता है।

4. किसी भी कर्मचारी की सी0आर0 सिर्फ उस व्यक्ति को देनी चाहिये जिसका की उसमें हित हो। जैसे कि विभागीय कर्मचारियों को।

5. सूचना अधिकार में उसी व्यक्ति की चल अचल सम्पत्ति दिये जाने का प्रावधान होना चाहिये जो कर्मचारी कार्यरत है न की उसके परिवर बच्चों आदि की सम्पत्ति के सम्बन्ध में।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम में आवेदक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम जब से लागू किया गया है उसी दिन के बाद की सूचनायें ही मांगी जानी चाहिये।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम शुल्क में वृद्धि होनी चाहिये।

9. अभिलेखिय सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिये न कि स्पष्टिकरण एवं औचित्य के सम्बन्ध में।

सभी 25 विचार गोष्ठियों में उठाई गई शंकाओं एवम् दिये गये सुझाओं पर माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा किये गये शंका समाधान एवम् दिये गये वक्तव्यः—

''वर्ष 2002 में भारत की संसद द्वारा सूचना स्वतन्त्र अधिनियम 2002 पारित किया गया था लेकिन बाद में इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में मानते हुये 2005 में इस अधिनियम का नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 रखा गया। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 31 में इस तथ्य का उल्लेख है कि सूचना स्वतन्त्रता अधिनियम 2002 को निरसित किया गया ।

इस अधिनियम में सूचना प्राप्ति का तरीका बहुत ही सामान्य एवम् सरल रखा गया है। 10 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, 10 रूपये के पोस्टल आर्डर, 10 रूपया नगद, लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में जमा कर एवम् बी0पी0एल0 कार्ड धारी होने के आधार पर निःशुल्क सूचना प्राप्ति हेतु लोक सूचना अधिकारी को सम्बोधित अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इसका नोटिस बोर्ड कार्यालय के बाहर लगाया जाना आवश्यक है। यदि किसी कार्यालय में इस प्रकार का नोटिस बोर्ड नहीं लगा है तो आप सूचना आयोग को इसकी शिकायत कर सकते हैं। आयोग के निर्देश पर प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय एवं विकास भवन में एक सूचना सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये है, सभी जनपदों में इस प्रकार के सुविधा केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिसमें सभी लोक प्राधिकारियों के सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम पता, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय, इत्यादि जानकारी उपलब्ध हो सकती हैं। जिन जनपदों में इस प्रकार की सुविधा न हो इस सम्बन्ध में आयोग को अवगत कराया जा सकता है। उत्तराखण्ड सूचना आयोग के निर्देश पर सभी लोक प्राधिकारी स्तर के सचिवालय स्तर तक धारा 4(1) (ख) के 17 मैनुवल तैयार किये गये हैं, जिनकी एक प्रति आयोग के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

यदि कोई बी0पी0एल0 कार्डधारी हो तो वह अपने सूचना अनुरोध पत्र के साथ अपना बी0पी0एल0 कार्ड संलग्न कर निःशुल्क आवेदन कर सकता है। अन्यथा 10 रूपये सम्बन्धित कार्यालय में नगद जमा कर रसीद संख्या 385 प्राप्त कर सकते हैं, या 10 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, 10 रूपये के पोस्टल आर्डर, चैक या बेंक ड्राफ्ट बना सकते हैं। यदि आपको प्रार्थना पत्र लिखना नही आता है तो आपको सम्बन्धित कार्यालय के सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जायेगा, आवेदन पत्र में जो आपको सूचना चाहिये उसे संक्षेप में बिना किसी भूमिका के लिखें। सूचना जो मांगी जा रही है वह प्रश्न, व स्पस्टीकरण विधिक राय मांगे जाने आदि के रूप में न हों। अभिलेखीय सूचना ही मागने का प्रयत्न करना चाहिये। अन्यथा लोक सूचना अधिकारी आपको सूचना देने में आना कानी कर सकते हैं। अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक लोक प्राधिकारी स्तर पर धारित सूचना ही उपलब्ध कराई जा सकती हैं। किसी प्रकार की जॉच आदि कराकर सूचना सृजित कर उपलब्ध कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

कई बार एक ही अनुरोध पत्र में आवेदक कई अन्य विभागों की सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन कर देते हैं। यद्यपि अधिनियम में धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक प्राधिकारी / लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध पत्र या अनुरोध पत्र का अंश अन्तरित किये जाने का प्राविधान है, फिर भी प्रयास किया जाना चाहिये कि एक अनुरोध पत्र में सम्बन्धित विभाग से ही सूचना मॉगी जाय। प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित सूचना के लिये पृथक–2 अनुरोध पत्र प्रस्तुत किये जायें।

अनुरोध पत्र की भाषा सरल एवम् पठनीय हों, कोई भी बालिग / नाबालिग स्वंय या अन्य किसी से सम्बन्धित सूचना मांग सकता है। किसी संस्था या कार्यालय के नाम से सूचना न मांगकर पदाधिकारी के नाम से सूचना पत्र प्रस्तुत किया

जाना चाहिये। यदि वांछित सूचना 30 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं होती है तब प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि अपीलीय अधिकारी का नाम पता मालूम न हो तो अपीलीय अधिकारी विभाग का नाम जिस प्रकार से लोक सूचना अधिकारी को विभाग का नाम का उल्लेख कर अनुरोध पत्र भेजा गया था, उसी प्रकार उस पते पर भेज सकते हैं। उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं के अन्त में प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया जाना आवश्यक है। यदि न बताया गया हो तो भी आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को विभाग का नाम लिखकर भेज सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिाकारी के समक्ष लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गयी सूचना प्राप्त होने या 30 दिन तक सूचना न मिलने के 30 दिन के अन्दर प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा सभी पक्षों लोक सूचना अधिकारी अपीलीर्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अधिकतम 45 दिन के अन्दर अपील का निस्तारण किया जाना चाहिये। प्रयास शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किये जाने का होना चाहिये। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा मात्र निर्देश न देकर बची हुई या सन्तोषजनक सूचनायें उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिये। यदि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा भी सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो आदेश प्राप्त होने के 90 दिन के अन्दर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती हैं, यदि किन्ही कारणों से विलम्ब हो रहा है तो कारणें का उल्लेख कर विलम्ब के लिये क्षमा किये जाने का निवेदन करना चाहिये इसी प्रकार का निवेदन प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी प्रथम अपील के प्रस्तुत होने पर किया जा सकता है।

आयोग का प्रयास रहता है कि अपीलार्थी को पूर्ण एवम् सन्तोषजनक सूचनायें प्राप्त हो जाँय। सूचनाओं को उपलब्ध न कराये जाने पर आयोग को लोक सूचना अधिकारी को धारा 20 के अन्तर्गत 250 रूपये प्रतिदिन एवम् अधिकतम 25,000 रूपये शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है, साथ ही विभागीय कार्यवायी की संस्तुति भी की जा सकती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से एक या अधिक स्तर का अधिकारी होता है।

आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के साथ–2 लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न करने, डराने धमकाने आदि के सम्बन्ध में धारा 18 के अन्तर्गत शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है।

अधिनियम में मागी गई सूचनाओं की अधिकतम संख्या निर्धारित नही ंकी गयी है लेकिन एक अनुरोध पत्र में एक ही विभाग से सम्बन्धित अधिकता 5 से 10 तक सूचनायें ही मॉगी जाय तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित 30 दिन की अवधि में आसानी से सूचनायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

यदि अतिरिक्त शुल्क का अपीलार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो लोक सूचना अधिकारी को उतनी अवधि और प्राप्त हो जायेगी जिस अवधि में अतिरिक्त शुल्क जमा किया जाता है। यदि अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो अभिलेखिय सूचनायें भेजने की आवश्यकता नही है। कई लोक सूचना अधिकारी पहले से ही फोटोस्टेट करवाकर भारी भरकम अभिलेखों को रखे रहते हैं। बाद में अतिरिक्त शुल्क जमा न किये जाने पर कहते है कि कार्यालय में बेकार रददी इकटठी हो रही है। यदि इस अतिरिक्त शुल्क की माग समय पर भेजेंगे तो हमारे पास काफी समय बचा होने के कारण हम अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त ही अभिलेखों की फोटोकापी करवा सकते हैं।

बी0पी0एल0 कार्डधारी के बी0पी0एल0 कार्ड के सत्यापन किये जाने के उपरान्त उसे निःशुल्क सूचनायें भेजी जानी चाहिये बी0पी0एल0 कार्ड का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निःशुल्क प्रेषण की अधिकतम राशि छत्तीसगढ सरकार की भॉति निर्धारण किये जाने हेतु सूचना का अधिनियम में संसोधन किये जाने के उपरान्त ही सौ रूपये की अधितम निःशुल्क राशि का निर्धारण किया जा सकता है।

यदि कोई अनुरोधकर्ता एक ही सूचनाओं को बार–बार मॉगता है तो उसे पूर्व में प्रेषित की गई सूचना का उल्लेख कर बता देना चाहिये कि आपके इस प्रकार की सूचना पूर्व में भी इस तिथि को पत्र संख्या के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है।

ग्राम प्रधानों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों का आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया है, शासन स्तर पर विचार चल रहा है कि लोक सूचना अधिकारी ग्राम प्रधान के स्थान पर किसी अन्य को बना दिया जाय। क्योकि पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत भी सम्बन्धित अभिलेख ग्राम प्रधान की अभिरक्षा में ही रहते हैं। इस कारण पंचायत राज अधिनियम में बिना संशोधन किये यह सम्भव नहीं है। जहॉ तक ग्राम प्रधानों को फोटोस्टेट डाक प्रेषण मार्ग व्यय आदि में आ रही आर्थिक तंगी का प्रश्न है इस सम्बन्ध में शासन को ग्राम सभाओं को 5000 रूपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का सुझााव दिया जा चुका है। जब तक अन्य को लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं किया जा सकता है जब तक सभी ग्राम प्रधानों को पूर्ण रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये एवम् प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिये एवम् सूचनायें मांगे जाने पर प्रेषित की जानी चाहिये।

अनुरोधकर्ता द्वारा जमा किया गया 10 रूपये का शुल्क सामान्य प्रशासन विभाग के खाते में जमा किया जाता है। अतिरिक्त शुल्क के रूप में जमा किया शुल्क फोटो काफी आदि कराने के व्यय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

यदि एक ही सूचना को कई अनुरोधकर्ताओं द्वारा पृथक–पृथक रूप से प्रस्तुत अनुरोध पत्रों के माध्यम से मांगा जाता है तो लोक सूचना अधिकारी को प्रत्येक अनुरोधकर्ता जिसके द्वारा शुल्क का भुगतान किया गया है, को पृथक रूप से सूचना भेजनी पड़ेगी। यह भी कहा जा सकता है कि यही सूचना पूर्व में अन्य किसी अनुरोधकर्ता को प्रेषित की जा चुकी है। यदि एक ही अनुरोध पत्र में कई व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं तो जिस अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना मांगी गई है जो प्रमुख अनुरोधकर्ता है उसे ही सूचना प्रेषित की जायेगी न कि सभी उन लोगों को जिनके द्वारा अनुरोध पत्र में हस्ताक्षर किए गए हैं अथवा अपने–अपने नाम अनुरोध पत्र में लिखे गये हैं। यदि सभी हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को सूचना चाहिए तो सभी के द्वारा शुल्क का भुगतान कर पृथक–पृथक अनुरोध पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारीयों, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारीयों को अनुरोधकर्ता को पंजीकृत डाक से भेजे जाने का आशय विभाग का खर्च कराना नहीं है बल्कि आज झूठ बोलना फैशन बन गया है। इसलिए अतिरिक्त शुल्क की मांग या सूचना का प्रेषण पंजीकृत डाक से ही किया जाना चाहिए। यदि स्थानीय व्यक्ति है तो कार्यालय के डाक रनर से व्यक्तिगत रूप से सूचनायें निवास या संबंधित के कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जा सकती है। सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोधकर्ता को कार्यालय में नही बुलाया जाना चाहिए। साधारण डाक से डाक मिलने पर भी मना कर दिया जाता है इसलिए सतर्कता की दृष्टि से पंजीकृत डाक से ही डाक भेजी जानी चाहिए। जहॉ तक यू0पी0सी0 के माध्यम से डाक प्रेषण का प्रश्न है, यह डाक प्रेषित किए जाने का साक्ष्य हो सकता है डाक प्राप्त होने का साक्ष्य नहीं। दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्राविधान के अनुसार यदि प्रेषित की गई पंजीकृत डाक 30 दिन के अन्दर वापिस प्राप्त नहीं होती है तो डाक मिल गई है ऐसा मान लिया जायेगा। ए0डी0 भी पंजीकृत पत्र के साथ लगाई जा सकती है।

वैसे तो अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना प्राप्त, स्पष्टीकरण औचित्य रूप आदि में नहीं मांगी जानी चाहिए। यदि किसी अनुरोधकर्ता द्वारा लिखने की शैली के कारण ऐसी सूचना प्रदान करने की मांग की जाती है तो लोक सूचना अधिकारी को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सूचना प्रेषित कर दी जाय क्योंकि अनुरोधकर्ता का आशय किसी अभिलेख प्रेषण से होगा। ऐसा यदि प्रतीत होता है तो अनुरोध पत्र की सूचना प्रश्न के रूप में होने के आधार पर न भेजने का बहाना नहीं ढूँढना चाहिए।

यदि कोई अनुरोधकर्ता स्वयं के प्रारूप में सूचना मांगता है तो यदि इसी प्रकार की सूचना के संबधं में लोक प्राधिकारी द्वारा स्वयं या अन्य प्रारूप निर्धारित नहीं कर रखा है तो उसी प्रारूप में सूचना प्रेषित की जानी चाहिए अथवा लोक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही सूचना प्रेषित की जानी चाहिए।

किसी भी सूचना को यदि विनिष्टीकरण नियमावली के अन्तर्गत विनिष्ट नहीं किया गया है और लोक प्राधिकारी स्तर पर धारित है तो उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अभिलेख या पत्रावली गायब हो गए हैं की स्थिति में संबंधित कर्मियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण कर पत्रावली या अभिलेख का पुनः सृजन कर अभिलेखीय सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सामान्यतः किसी भी पुरानी सूचना, जो लोक प्राधिकारी स्तर पर धारित है को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 8(3) में प्राविधानित किया गया है कि धारा 8(1)(क)(ग) व (स) की सूचना जो कि क्रमशः भारत की प्रभुता, अखण्डता, सुरक्षा, विदेश के संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव आदि के संबधं में, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमण्डल का विशेषाधिकार भंग होता हो, मंत्री मण्डल के कागजात, जिनमें मंत्री परिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के हो से संबंधित सूचना को पूर्व की अवधि से संबंधित है, को भी उपलब्ध कराया जायेगा, की वर्ष की अवधि आगणन में विवाद होने पर केन्द्र सरकार या संबधित राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। इस प्राविधान की व्याख्या करते समय कई लोक सूचना अधिकारी इस आधार पर सूचना उपलब्ध नहीं कराते कि सूचना 20 वर्ष पुरानी है। किसी भी पुरानी सूचना को उपलब्ध कराया जा सकता है बशर्ते कि सूचना लोक प्राधिकारी स्तर पर धारित हो। धारित न होने का संतोषजनक कारण दर्शाना होगा कि विनिष्टीकरण नियमावली के अन्तर्गत विनिष्ट कर दिया गया है, गुम हो गया है आदि–आदि। यदि 20 वर्ष पुराने अभिलेख उपलब्ध न हो या रहें हो तो उन्हे पुनःसृजित किया जाना चाहिये। सम्बन्धित दोषी कार्मिक के विरूद्व प्रथम सूचना रिर्पोट या विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिये।

यदि किसी अपराध का अन्वेषण गतिमान है तो यदि जॉच अधिकारी को ऐसा लगता है कि यदि जॉच से संबंधित केस डायरी का विवरण उपलब्ध करा देने से अपराधी बच सकता है तो जॉच गतिमान रहने तक केस से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट को 24 घण्टे के अन्दर प्रथम जी0डी0 के प्रथम पर्चा के साथ संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, मेडिकल, पोस्टमार्टम आदि की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 8 (ज) स्पष्ट है। आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त सी0डी0 से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है, क्योंकि अभियुक्त को प्रकरण प्रारम्भ होने पर आरोप पत्र व साक्ष्यों को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन व अन्य संबंधित अभिलेख अभ्युक्त को निःशुल्क दिये जा सकते हैं तो किसी भी अनुरोधकर्ता को भी उक्त अभिलेख प्रदान किए जा सकते हैं।

यह ठीक है कि किसी सरकारी कर्मी की व्यक्तिगत या परिवार वालों की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, परन्तु यह मालूम होना चाहिए कि व्यक्तिगत सूचना किसे कहते हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(झ)(प) में स्पष्ट प्राविधानित है कि ऐसी सूचना जिसको संसद या विधान मण्डल को देने के लिए इन्कार नहीं किया जा सकता, से किसी भी व्यक्ति को भी देने से इंकार नहीं किया जा सकता जो सूचना पब्लिक डोमेन में है को भी दिए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। कई कर्मी अपनी पंजिका विवरण, आयकर विवरणी, फार्म–16 आदि को उपलब्ध कराये जाने पर आपत्ति करते हैं, सम्पत्ति का विवरण सरकारी सेवा आचरण नियमावली 2002 के नियम 22 में नियुक्ति के समय में अपनी सम्पत्ति का विवरण एवम् उसके उपरान्त प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वर्ष में प्रस्तुत करना होता है यदि लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त सूचनायें मात्र तृतीय पक्ष जिसके द्वारा सूचनायें उपलब्ध कराने में आपत्ति की गई है सूचनायें उपलब्ध कराने से इनकार नहीं किया जाना चाहिये। अधिक से अधिक जनहित निहित होने के माध्यम पर अपीलार्थी का भी जनहित के विषय पर सुनने के बाद सूचना न दिये जाने का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन मात्र तृतीय पक्ष द्वारा आपत्ति किये जाने के आधार पर नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रकार की व्यक्तिगत सूचनाओं के सम्बन्ध में जनहित के सम्बन्ध में विचार कर सूचएना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना चाहिये।

अतिरिक्त शुल्क अनुरोध पत्र प्राप्त होने की तिथि के तुरन्त बाद ही मांगा जाना चाहिये। अतिरिक्त शुल्क मागें जाने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम में अतिरिक्त अवधि नहीं दी गयी है। 30 दिन की अवधि मे ही सूचना दी जानी है व इसी अवधि के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क की मॉग की जानी है। जिस भी अवधि में अनुरोधकर्ता अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने में लगाता है उसनी अवधि लोक सूचना अधिकारी को अतिरिक्त रूप में मिलेगी। कई बार लोक सूचना अधिकारी भारी भरकम अतिरिक्त शुल्क की मॉग कर देते हैं एवम् अभिलेखों की फोटो कापी कराकर रख लेते हैं। अनुरोधकर्ता कई प्रकरण में सूचना लेने आते ही नही हैं या शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं। इस प्रकार व्यर्थ का शुल्क एवं अनाव्यशक व्यय होता है। इसका उपाय यही है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग समय पर कर लेनी चाहिये व फोटो कापी तभी करायें जब अनुरोधकर्ता द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा कर दिया गया हो। किसी अन्य की उत्तर पुस्तिका की प्रतिलिपि नहीं दी जानी चाहिये। निरीक्षण करवाया जा सकता है। अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रतिलिपि काई भी अनुरोधकर्ता माँग सकता है।

ग्राम प्रधानो की यह समस्या रहती है कि उनके पास इस प्रकार का कोई बजट नहीं होता है जिससें वे रजिस्ट्री फोटोस्टेट एवं आयोग या अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में हुये व्यय आदि का खर्च वहन करने में परेशानी महसूस करते हैं, आयोग द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व निदेशक पंचायती राज के समक्ष इस परेशानी को रखे जाने पर निदेशक द्वारा प्रत्येक ग्राम सभाओं को 5000 रूपये की राशि इस मद हेतु अंतरित किये जाने का आश्वासन दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आश्वासन को पूर्ण नहीं किया गया। आयोग के निर्देश पर शासन द्वारा ग्राम प्रधानों को लोक सूचना अधिकारी के दायित्व से मुक्त कर अन्य किसी को यह दायित्व दिये जाने का भी आश्वासन दिया गया था लेकिन इसकी भी पालना अभी तक नही की गयी है। जब तक शासन द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति नही हो जाती तब तक जो भी खर्चे हैं वह तो ग्राम प्रधान को ही वहन करने पडेगें अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्राप्त राशि से फोटो स्टेट का खर्च व यदि अनुरोधकर्ता स्थानीय है तो उन्हे किसी कर्मी के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अभिलेख हस्तगत कराने जा सकता है।

यदि कोई अनुरोधकर्ता किसी लोक प्राधिकारी से बार–बार विभिन्न सूचनायें मॉगता है तो इस अधिनियम का दुरूप्रयोग नहीं माना जा सकता है। यदि सूचना उपलब्ध न कराये जाने से एवज में कुछ विधि विरूद्ध कार्य कराये जाने हेतु दबाव बनाता है तो आयोग से शिकायत कर सकता है आयोग समुचित आदेश पारित करेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपने व अन्य किसी भी से सम्बन्धित सूचना मॉग सकता है चाहे वह बी0पी0एल0 कार्डधारी ही क्यो न हो। यदि किसी बी0पी0एल0 कार्डधारी के नाम से किसी अन्य द्वारा कोई सूचना मागी जाती है तो उसे सूचना निशुल्क नही दी जा सकती। बी0पी0एल0 कार्डधारी अपने नाम से किसी भी आदमी की सूचना मॉग सकता है। चाहे वह अन्य किसी से सम्बन्धित हो।

यदि कोई ऐसा आवेदन लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त होता है वो अपठनीय है, अनुरोधकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है व शुल्क का भुगतान नही किया गया है तो अनुरोधकर्ता को साफ–2 लिखा अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने, हस्ताक्षर युक्त व शुल्क के सहित अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु पत्र पेषित करना चाहिये। जितने दिन में पुनः आपत्ति का निराकरण किया जाता है उन दिनों को उस 30 दिन की अवधि में नही गिना जायेगा।

एक सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य प्राप्त अनुरोध पत्र को 5 दिन के अन्दर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी या प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का होता है। एक सहायक लोक सूचना अधिकारी कितने भी लोक सूचना अधिकारी या प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का सहायक लोक सूचना अधिकारी हो सकता है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिये। लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय के परिसर के पास ही सहायक लोक सूचना अधिकारी का काउण्टर हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति अपने गॉव की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश के किसी भी क्षेत्र की सूचना माग सकता है। इसी प्रकार देश का कोई भी व्यक्ति हमारे गॉव ही सूचना मॉग सकता है मात्र नागरिक की पहचान होना आवश्यक है।

आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारीयों, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारीयों को अनुरोधकर्ता को पंजीकृत डाक से भेजे जाने का आशय विभाग का खर्च कराना नहीं है बल्कि आज झूठ बोलना फैशन बन गया है। आवश्यक न होते हुये भी लोग झूठ बोलते हैं पहले हमारे समाज में झूठ बोलना बहुत बडा पाप समझा जाता था। आपने साधारण डाक से सूचना भेजी, उसे प्राप्त हो गई लेकिन यदि कोई दुर्भावना में आकर सूचना या पत्र प्राप्त होने से मना कर देता है तो आप मान सकते हैं आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है कि उसे सूचना या पत्र मिल गया है। इसी प्रकार कोई अनुरोधकर्ता साधारण डाक से यदि अनुरोध पत्र भेजता है और लोक सूचना अधिकारी पर प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अनुरोध पत्र या अपील को प्राप्त होने पर भी बचने के लिये मना कर देता है कि उसे अनुरोध पत्र या अपील मिली ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। व्यर्थ समय की बर्वादी होगी। इसलिये आयोग कहता है कि पंजीकृत डाक से अनुरोध पत्र, सूचना या कोई भी पत्र यदि अनुरोधकर्ता कार्यालय के नजदीक निवास करता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से सूचना या पत्र हस्तगत कराया जा सकता है या अनुरोधकर्ता कार्यदिवस में व्यक्तिगत रूप से अनुरोध पत्र, अपील आदि हस्तगत करा सकता है। ज्यादातर प्रकरणों में भी लोग पंजीकृत डाक से ही भेजे जाने का प्राविधान है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम आदेश 15 में संशोधन कर दिया गया है कि यदि 30 दिन के अंदर पंजीकृत पत्र व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित को पंजीकृत पत्र प्राप्त हो गया माना जायेगा।

यदि किसी अनुरोधकर्ता को किसी लोक सूचना अधिकारी के प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम पता मालूम न हो तो कार्यालय के नाम से भी अनुरोध पत्र या अपील भेजी जा सकती है या किसी लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता मालूम है आप विशेष परिस्थितियों में उसे भी भेज सकते हैं। संबंधित द्वारा उन्हें धारा 6(3) में अंतरित कर दिया जायेगा।

सूचना आयोग को द्वितीय अपील या शिकायत के निस्तारण की कोई अवधि अधिनियम निर्धारित नहीं की गयी है। लेकिन आयोग प्रयास करता है कि द्वितीय अपील का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र हो जाय। अधिकतर प्रकरणों में सूचना, आयोग द्वारा पहली तारीख पर प्रेषित नोटिस पर मिल जाती हैं। आयोग का आदेश अन्तिम है। इस कारण आयोग का प्रयास करता है कि किसी भी प्रकार से किसी को भी पक्षकार बनाकर या निर्देश देकर वांछित सूचना मिल जाय। सूचना दिलवाने मे कई बार समय लग जाता है। आयोग एवं विशेषकर यह पीठ प्रयास करती है कि जब तक सूचना प्रेषित न कर दी जाय अपील का निस्तारण न किया जाय। अपीलार्थी का आयोग के समक्ष प्रत्येक तिथि पर आना आवश्यक नहीं। यदि वह आना चाहते हैं तो यह उनके विवेक पर निर्भर करता है।

किसान बही या खतौनी नकल हेतु यदि किसी अधिनियम या नियमावली में शुल्क निर्धारित किया गया है तो उसी प्राविधान के अन्तर्गत ही सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यदि कोई सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिलिपि चाहता है तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा छायाप्रति निर्धारित दर पर लोक सूचना अधिकारी की मुहर द्वारा प्रमाणित कर उपलब्ध कराई जानी चाहिये। उसका उपयोग वह सिर्फ देखने व जानकारी के लिये ही कर सकता है।

मंत्रिमण्डल के द्वारा यदि किसी प्रकरण में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है तो इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिये। अन्तिम निर्णय के बाद उपलब्ध कराई जा सकती है।

व्यक्तिगत सूचनायें जिनमें किसी प्रकार का जनहित निहित नहीं है को भी तृतीय पक्ष को धारा 11 को नोटिस दिये जाने के बाद लिये गये निर्णय से सूचित किया जाना चाहिये। जनहित निहित होने पर तृतीय पक्ष द्वारा आपत्ति करने पर भी सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा सभी विचार गोष्ठियों में आमजन द्वारा किये गये शंका समाधानों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 18.05.2011 को श्री अनिल कुमार शर्मा, मा0 राज्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अध्यक्षता में सूचना का अधिकार के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः—संलग्नानुसार

मा0 सूचना आयुक्त द्वारा समीक्षा बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के लोक सूचनाधिकारियों, सहायक लोक सूचनाधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी से समीक्षा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा की गयी अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा प्रारम्भ करते हुए सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में लोक सूचना अधिकारियों को आ रही निम्न परेशानियों से मा0 सूचना आयुक्त का ध्यान आकृष्ट किया गया।

1- सूचना के अनुरोध पत्रों मे अनुरोध कर्ता द्वारा विभिन्न विभागों एवं विषयों के कई—कई बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए सूचना मॉगी जाती है। अलग—अलग विषय एवं विभागों से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थना पत्र को हस्तान्तरण करने में विलम्ब होता है।

2- कतिपय प्रकरणों में सूचना मात्र एक या दो पृष्ठ की होती है और एक या दो पृष्ठों के लिए रू0 2.00 से रू0 4.00 का शुल्क जमा कराने की सूचना पंजीकृत डाक से भेजने का शुल्क लगभग 30.00 रू0 होता है तथा पत्राचार आदि करने में समय भी नष्ट होता है।

3- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रभावी होने के उपरान्त राजकीय कार्यालयों में अतिरिक्त कार्य का बोझ बढ़ा है जबकि इससे सम्बन्धित कार्यों के लिए पृथक से किसी पटल सहायक के पद का सृजन नहीं हुआ है।

4- प्रश्न के रूप में प्राप्त अनुरोध पत्रों पर सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध पर विधिक स्थिति की जानकारी लोक सूचना अधिकारियों को नहीं है।

5- कभी—कभी ऐसे अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत कर दिये जाते है जिनका उद्देश्य सूचना प्राप्त करना ना होकर राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना अथवा व्यक्ति विशेष को ब्लैकमेल करना होता है। ऐसे प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में अनावश्यक रूप से राजकीय धन और सम्बन्धित कार्मिक का समय नष्ट होता है।

अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों एव सूचना आयोग के प्रति अधिकारियों में व्याप्त आशंकाओं पर खुल कर चर्चा करने की अपेक्षा मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा समस्त उपस्थित लोक सूचनाधिकारियों से की गयी। समीक्षा बैठक में चर्चा के दौरान निम्न बिन्दु विचारणीय रहे—

1. **सूचना अनुरोध पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया—** मा0 सूचना आयुक्त द्वारा जनपद में अनुरोध पत्रों के निस्तारण की विभागवार संकलित सूचना को सराहा गया परन्तु इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सूचना से सम्बन्धित अनुरोध पत्रों के निस्तारण के लिए किये जाने वाले पत्राचार निर्धारित प्रारूपों में नहीं हो रहे हैं। निर्धारित प्रारूपों की सूचना कुछ ही लोक सूचनाधिकारियों को थी, जिस पर मा0 आयुक्त द्वारा पुनः एक बार प्रारूपों की जानकारी दी गयी एवं प्रारूपों की प्रति भविष्य में उपयोगार्थ उपलब्ध करायी गयी।

मा0 सूचना आयुक्त द्वारा उपस्थित अधिकारियों को यह सलाह दी कि अनुरोध पत्रों के निस्तारण से सम्बन्धित पत्राचार अनिवार्य रूप से पंजीकृत डॉक से ही किये जायें और जिन सूचनाओं को संकलित करने में निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगने

की सम्भावना हो उसकी लिखित सूचना अनुरोधकर्ता को अनिवार्य रूप से दे दी जाय, ताकि यदि अनुरोधकर्ता विलम्ब से प्राप्त सूचना के आधार पर आयोग के समक्ष अपील दायर करता है तो मा0 आयोग अपील के निस्तारण में लोक सूचनाधिकारी द्वारा भेजे गये उक्त पत्रों का संज्ञान ले सकेगा।

मा0 सूचना आयुक्त द्वारा यह व्यक्त किया गया कि लोक सूचना अधिकारी अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि एक, दो पृष्ठों की सूचना के लिए जमा कराये जाने वाला शुल्क, शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में किये जाने वाले पत्राचार के सापेक्ष यदि कम है तो ऐसी स्थिति में शुल्क जमा कराये जाने के स्थान पर अनुरोध कर्ता को सीधे सूचना उपलब्ध करा दे।

मा0 सूचना आयुक्त द्वारा उपस्थित अधिकारियों को यह महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करायी कि अनुरोधकर्ता सूचना का अनुरोध या विभागीय अपील स्वयं ही प्रस्तुत करेगा। किसी वकील के माध्यम से वह अपील व अनुरोध प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

2. <u>प्रश्न के रूप में माँगी गयी सूचना के सम्बन्ध में कार्यवाही</u> –मा0 सूचना आयुक्त द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुरोधकर्ता द्वारा प्रश्न के रूप में सूचना नहीं माँगी जा सकती है और ऐसी सूचना देने के लिए लोक सूचनाधिकारी बाध्य भी नहीं है। सूचना केवल उसी रूप में दी जायेगी जिस रूप में लोक सूचनाधिकारी के पास उपलब्ध है।

3. <u>बी0पी0एल0 कार्ड धारक के अनुरोध पत्र का निस्तारण</u>– बी0 पी0 एल0 कार्ड धारक के द्वारा सूचना मांगे जाने से सम्बन्धित प्रस्तुत अनुरोध पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में की गयी कतिपय लोक सूचनाधिकारियों की पृच्छा के सम्बन्ध में मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा पूर्व में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये जा चुके निर्णय के आधार पर यह स्पष्ट किया कि बी0पी0एल0 कार्डधारक को अधिकतम रू0 100.00 की सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय और उससे अधिक पृष्ठों के लिए निर्धारित शुल्क जमा करा लिया जाय। इस सम्बन्ध में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा यह भी निर्देश दिये गये की बी0पी0एल0 कार्ड धारक को सूचना उपलब्ध कराने से पूर्व नियत अवधि के भीतर लोक सूचनाधिकारी चाहे तो यह पुष्टि कर ले कि अनुरोधकर्ता वास्तव में बी0पी0एल0 हेतु पात्र है अथवा नहीं।

4. <u>लोक सूचनाधिकारियों के कार्यालय में सहायकों के पदों का सृजन</u>– लोक सूचनाधिकारियों द्वारा मा0 आयुक्त महोदय से इस सम्बन्ध में अनुरोध किया गया कि लोक सूचनाधिकारियों के कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन के लिए एक सहायक का पद सृजित करते हुए तैनाती कर दी जाय। इस सम्बन्ध में मा0 सूचना आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि पदों के सृजन का कार्य मा0 सूचना आयोग का नहीं है परन्तु फिर भी आयोग के स्तर से इस सुझाव को सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा।

5– <u>उच्चाधिकारियों के कार्यालयों से हस्तान्तरित अनुरोध पत्रों के सम्बन्ध में</u> – बैठक में उपस्थित कई लोक सूचनाधिकारियों द्वारा उच्चाधिकारियों के कार्यालय से हस्तान्तरित सूचना के अनुरोध पत्रों के सम्बन्ध में यह कहते हुए असंतोष व्यक्त किया गया कि उनके उच्चाधिकारियों के कार्यालयों में वांछित सूचना उपलब्ध होने के बाद भी अनुरोध पत्रों को अधीनस्थ कार्यालयों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है जिससे अनावश्यक कार्य का बोझ बढ़ता है एवं सरकारी धन की हानि भी होती है। मा0 सूचना आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि सूचना उस कार्यालय में जहाँ कि अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है, उपलब्ध थी और होनी चाहिये उसको अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने का कार्य उसी कार्यालय से सम्बन्धित लोक सूचनाधिकारी का है। उच्चाधिकारियों के कार्यालय के लोक सूचनाधिकारियों की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने पर मा0 सूचना आयुक्त सहमत हुए और इस सम्बन्ध

मे आयोग स्तर से समुचित निर्देश जारी करने का आश्वासन मा0 सूचना आयुक्त द्वारा दिया गया।

लोक सूचना अधिकारियों द्वारा यह शंका भी व्यक्त की गयी कि अनुरोध पत्र के निस्तारण में उच्चाधिकारियों के कार्यालय से सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो उनके स्तर से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि लोक सूचना अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम में व्यापक रूप से शक्ति सम्पन्न किया गया है और लोक सूचना अधिकारी अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हुए अनुरोध पत्र के निस्तारण के लिए वांछित सूचना का संकलन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत कर सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 सूचना आयुक्त द्वारा बार–बार लोक सूचनाधिकारियों से यह अनुरोध किया गया कि सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी अपने मन में किसी प्रकार का भय न रखें और निर्भय होकर सूचना से सम्बन्धित अनुरोध पत्रों का ससमय नियमतः निस्तारण करें। समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित कई लोक सूचनाधिकारियों द्वारा आयोग से भय के कारणों से सम्बन्धित दृष्टान्त प्रस्तुत किये। प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मा0 सूचना आयुक्त के समक्ष यह प्रश्न उठाया कि मा0 आयोग द्वारा उनके कार्यालय को एक ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है जो उनके कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं होती है और जिस सूचना को तैयार किया जाना भी सम्भव नहीं हैं। लोक सूचना अधिकारी, जिला कार्यालय द्वारा स्वयं से सम्बन्धित प्रकरण की ओर मा0 आयुक्त का ध्यान आकृष्ट किया गया जिसमें लोक सूचना अधिकारी से कोई सूचना भी नहीं मॉगी गयी और लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कोई अपील भी दायर नहीं की गयी उसके बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भेजे बगैर ही रू0 5,000.00 का अर्थ दण्ड मा0 आयोग द्वारा आरोपित कर दिया गया। इसी प्रकार जनपद चमोली के एक प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया की संहिता धारा 107/116 में उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 111 का नोटिस जारी करने पर आयोग के स्तर पर अपील स्वीकार करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट को चेतावनी निर्गत कर दी गयी। अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) के द्वारा भी यह प्रश्न मा0सूचना आयुक्त महोदय के सामने रखा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत विभागीय अपील विचाराधीन रहने के दौरान ही अपील कर्ता द्वारा धारा 18(1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मा0 सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। इस तरह के प्रकरणों मे अपीलीय अधिकारियों को अपील निस्तारण मे व्यवहारिक कठिनाईयां आती हैं। ऐसे कई अन्य दृष्टान्त भी लोक सूचना अधिकारियों द्वारा मा0 सूचना आयुक्त के समक्ष रखे गये जिन मे मा0 आयोग के स्तर से पारित निर्णयों में लोक सूचनाधिकारी के साथ न्याय नहीं हो पाया. ऐसे दृष्टान्तों से मा0 सूचना आयुक्त द्वारा सहमत होते हुए यह आश्वासन दिया कि पूर्व के दृष्टान्तों की आयोग के स्तर पर समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा कि लोक सूचनाधिकारी की भावना यदि सूचना देने की रही है तो उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो।

अन्त मे मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा समस्त उपस्थित अधिकारियों से यह अपेक्षा करते हुए कि समस्त लोक सूचनाधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी, सूचना अधिकार अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप कार्य करते हुए अनुरोधकर्ता को ससमय वांछित एवं वास्तविक सूचना उपलब्ध करायेंगे। सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

दिनांक 23.05.2011

(डॉ0 पकंज कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या। १२13 /सू0अ0 गोष्ठी/2011-12 दिनांक:२५ मई, 2011

प्रतिलिपि:- सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग सैक्टर-1,सी-30 डिफेन्स कालोनी, देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समस्त लोक सूचनाधिकारी/अपीलीय अधिकारी जनपद चम्पावत को अनुपालनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी
चम्पावत।

उपस्थिति 18/5/11

क्रमांक	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद नाम	हस्ताक्षर
(1)	S10 पंकज कुमार पाण्डेय	जिला अधिकारी चम्पावत	
(2)			
(3)	[illegible]	सी.डी.ओ. चम्पावत	[illegible]
(4)	Dr. H.S. [illegible]	CMO Champawat	[illegible]
(5)	Dr. R.K. Joshi	Dy CMO Champawat	[illegible]
(6)	Shiv Charan Dwivedi	SDM Purnagiri	[illegible]
(7)	[illegible]	SDM Pati	[illegible]
(8)	Dr. [illegible] Yadav	CVO Champawat	[illegible]
(9)	Rajesh Kumar	AMA [illegible] Champawat	[illegible]
10.	G.S. Mahara	E.E. [illegible]	[illegible]
(11)	DR. SHOURVEER SINGH	D.H.M.O.	[illegible]
(12)	Dr. Rajender [illegible]	A.M.O [illegible]	[illegible]
13	B.L. Arya	Distt. Social welfare officer champawat	[illegible]
14	INDRA LAL Arya	[illegible] RRS Champawat	[illegible]
15.	B.R. Arya	Assistant Engineer [illegible]	[illegible]
16-	[illegible]	D.P.O. I.C.D.S.	[illegible]
17.	विजय सैनी	जिला सेवायोजन अधिकारी	[illegible]
18.	ईश्वर कुमार त्रिपाठी	प्र० जि० आ० अधि०	[illegible]
19.	[illegible]	मुख्य कृषि अधिकारी	[illegible]
20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21-	[illegible]	डी०पी०आर०ओ० चम्पावत	[illegible]
22	Col AMITABH Negi	SAINIK KALYAN	[illegible]
23	[illegible] सिंह	सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई चम्पावत	[illegible]
24	आर० के० आजाद	भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट	[illegible]
25	[illegible] Arya	Tahsildar Champawat	[illegible]
26	P.S. Bhandari	A.D.I.O. Information	[illegible]

27)	H B Upreti AO	P.W.D. (PMGSY) Champawat	
28.	Vikram Chand	B.D.O. Lohaghat	
29.	J C Joshi	E.E. PMGSY Champawat	
30.	[illegible] Singh	[illegible]	
31.	Hari Singh Rana	P.W.D Champawat	
32	Prakash Lal	A.E P.W.D Champawat	
33	T S [illegible]	B.E.O PATI (Champawat)	
34.	A. K. Sharma	A.R.C.S. Champawat	
35	Bhopal Singh Chauhan	Assistant Engineer Peyjal Nigam Champawat	
36.	D.S. Mehra		
37	[illegible]	D.S.T.O. Champawat	
38	[illegible]	[illegible]	
39.	J.S. Adhikari	Sr. Lecturer DRC Lohaghat (CPT)	
40.	[illegible]	[illegible]	
41	[illegible]	[illegible]	
42.	[illegible]	[illegible]	
43	[illegible]	[illegible] (B)	

[illegible]

क्रम	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	C.O. [illegible]pur	[illegible]
4-	Shani Ram	CO Champawat	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible] शिक्षा अधिकारी [illegible]	[illegible]
7	[illegible] सिंह [illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible] जोशी	सहायक [illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10-	आर० एन० धामी	उपजिला अधिकारी [illegible]	[illegible]
11-	[illegible]	जिला युवा [illegible]	[illegible]
12	एस० एल० वर्मा	जिला [illegible] - चम्पावत	[illegible]
13	जे०डी० उपाध्याय	उप जिला पर्यटन विकास अधि० चम्पावत	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	I/C UKCDA Champ.	[illegible]
16	Deep chandra Punetha	Dy. P.M. Swajal champawat	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	पी० जी० [illegible]	[illegible]	[illegible]
19	अनिल कुमार शुक्ला	तहसीलदार लोहाघाट	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	तहसीलदार [illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	डा० [illegible] जोशी	[illegible]	[illegible]
25	डॉ० कमल पन्त	पशुचिकित्साधिकारी, पाटी	[illegible]
26	विजय पंवार	उप [illegible]	[illegible]

28. Sri P.R. Vishwakarma
PS BSH

29 आगरियों मोहन - स्वच्छ निरीक्षक अधिकारी ज्वालापुर

[illegible]

[illegible] S.O. [illegible]

[illegible]

[illegible]

P. K. Purohit [illegible]

[illegible]

[illegible] S.O. P.S. [illegible]

37. दिनेश तिवारी SHO [illegible]

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2011 को जिला स्तरीय लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों की सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :—

दिनांक 21.05.2011 को विकास भवन सभागार में श्री अनिल कुमार शर्मा, मा0 राज्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों की सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में श्री वाई0के0 पन्त जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर ने मा0 राज्य सूचना आयुक्त का स्वागत करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रकाश डाला एवं इसके महत्व के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी ।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए सूचना प्रदान किये जाने हेतु अतिरिक्त शुल्क की मांग के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों से अतिरिक्त शुल्क की सूचना प्रेषण किये जाने हेतु प्रयोग किये जाने वाले प्रारूप के विषय में पृच्छा किये जाने पर कोई भी लोक सूचना अधिकारी इसके सम्बन्ध में जानकारी नहीं दे पाया जिस पर मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा नाराजगी जताते हुए समीक्षा के दौरान ही सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन से जारी शासनादेश संख्या– 146 (1) सू0 / XXXI(13) G– / 2006 दिनांक 25 मार्च 2006 की प्रतियां जिसमें विभिन्न प्रारूपों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी है, वितरित करायी गयी।

समीक्षा के दौरान राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि सूचना का अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी उसका भली प्रकार अध्ययन करें व उनके पास वांछित सूचना उपलब्ध होने पर यदि अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता हो तो निर्धारित प्रारूप पर अतिरिक्त शुल्क हेतु आवेदक को सूचित करें। यदि सूचना अधिष्ठान में उपलब्ध नही है तो अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 05 दिवस के अन्दर आवेदक का अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित करते हुए उसकी सूचना आवेदक को भी दें। राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा यह भी कहा गया कि कतिपय मामलों में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने अधिष्ठान में सूचना होते हुए अनुरोध पत्र अन्तरित कर दिये जाते हैं जो कि कदापि उचित नहीं है व अधिनियम की भावना के विपरीत है। राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि लोक सूचना अधिकारी भयमुक्त हो कर अपने विवेक एवं अधिनियम के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण करें। लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने में कोई अवरोध उत्पन्न न करें, तथा इसके विधिक उत्तरदायित्व को समझें।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपीलीय पंजिका को हमेशा अद्यावधिक रखें व उसमें हस्ताक्षर करें। इसके अतिरिक्त मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये कि समस्त लोक प्राधिकारी अपना विभागीय मैनुवल तैयार कर लें व उसे अद्यावधिक रखें, पृच्छा करने पर शिक्षा विभाग का मैनुवल

अपूर्ण होने पर मा0 राज्य सूचना आयुकत महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए 15 दिन के अन्दर मैनुवल अद्यावधिक कर लिये जाने के निर्देश दिये।

समीक्षा के दौरान विभिन्न लोक सूचना प्राधिकारियों यथा जिला विकास अधिकारी, सहायक निदेशक (गन्ना), मुख्य कोषाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, सहायक निदेशक, आबकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मा0 राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रम में प्रश्न रखे जिसका मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निराकरण किया गया। समीक्षा के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी के प्रश्न के क्रम में मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा बताया गया कि कोई भी संस्थागत रूप से सूचना नहीं मांग सकता है सूचना अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के तहत कोई भी व्यक्तिगत रूप से सूचना मांग सकता है। सूचना मांगे जाने के पत्र में उस व्यक्ति का पूर्ण नाम व पता होना आवश्यक है।

समीक्षा के दौरान मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा बताया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्रदान किये जाने हेतु धारा-8 के अन्तर्गत छूट सिर्फ पुलिस व न्याय विभाग को प्राप्त है।

अन्त में मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सभी लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिरियों को अधिनियम के अनुरूप प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निस्तारण करने के आह्वाहन के साथ समीक्षा बैठक का समापन किया गया।

ह0/
(वाई0के0 पन्त)
जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 73 /सू0अ0अधि0/समीक्षा बैठक/2011-2012/ दिनांक 26 मई, 2011

प्रतिलिपि :

1. समस्त जिला स्तरीय लोक सूचना अधिकारी, जनपद- ऊधमसिंह नगर।
2. समस्त विभागीय अपीलीय अधिकारी, जनपद- ऊधमसिंह नगर।

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

प्रतिलिपि राज्य सूचना आयुक्त, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सैक्टर-1, सी-10, डिफैन्स कालौनी, देहरादून के अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय समन्वयक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

पत्रांक : डीए/सूकाअ/879 दिनांक : मई 26, 2011

माननीय सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग, देहरादून।

महोदय,

श्री अनिल कुमार शर्मा, माननीय आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग देहरादून द्वारा दिनांक 22.5.2011 को विश्वविद्यालय के अपीलीय अधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का आलेख आपके सूचनार्थ पत्र के साथ संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि।

(एस0के0वर्मा)
समन्वयक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

प्रतिलिपि : कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

दिनांक 22 मई, 2011 को माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त अपीलीय अधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों को किये गये सम्बोधन का कार्यवृत्त :

उत्तराखण्ड राज्य के माननीय सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा द्वारा गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के समस्त अपीलीय अधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों / सहायक लोक सूचना अधिकारियों की बैठक कृषि महाविद्यालय के सभागार में ली गयी।

बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों / सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर उनकी शंकाओं का विस्तृत रूप से समाधान किया गया तथा अधिनियम के प्राविधानों से उन्हें अवगत कराया गया।

माननीय आयुक्त महोदय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सफल कियान्वयन हेतु लोक सूचना अधिकारियों की भूमिका को विशेष बताते हुए लोक सूचना अधिकारी के कार्य / उत्तरदायित्वों को अति महत्वपूर्ण बताया गया।

माननीय आयुक्त महोदय तथा लोक प्राधिकारी / कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर द्वारा इस बात पर एकमत्‌ता प्रकट की गयी कि इस अधिनियम द्वारा प्रशासकीय कार्यों में पारदर्शिता आयी है तथा अनियमितताओं / नियम विरूद्ध कार्य को रोकने में काफी हद तक सफलता भी मिली है। माननीय आयुक्त महोदय एवं कुलपति जी द्वारा यह आशा प्रकट की गयी कि भविष्य में भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा प्रशासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु यह अधिनियम अत्यधिक कारगर सिद्ध होगा।

आयुक्त महोदय द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि किसी भी आवेदक से निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होते ही लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दशा में वॉछित सूचना निर्धारित समयावधि में आवेदक को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसी भी स्थिति में बिना शुल्क कोई सूचना न उपलब्ध करायी जाए।

आयुक्त महोदय द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया कि यदि वॉछित सूचना के संकलन में अधिक समय लगने की संभावना है तो आवेदक को इस बारे में अवश्य सूचित कर दिया जाय कि सूचना संकलित होते ही उपलब्ध करा दी जायेगी।

अपने सम्बोधन में आयुक्त महोदय द्वारा इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि ऐसी सूचनाएं जिनसे राष्ट्रीय हित के प्रभावित होने की संभावना हो, देश की आन्तरिक सुरक्षा का मामला हो अथवा प्रश्नगत सूचना से किसी की निजता भंग होती हो या जिससे न्यायालय की अवमानन होती हो, जो लोक हित में नहीं है, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो, को न दिया जाय।

आयुक्त महोदय द्वारा आग्रह किया गया कि भविष्य में सूचनाओं को आन–लाईन किये जाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में सूचनाएं तत्काल उपलब्ध हो सकें।

बैठक की अध्यक्षता डा0बी0एस0बिष्ट, कुलपति/लोक प्राधिकारी द्वारा, संचालन डा0एस0के0वर्मा, सह प्राध्यापक/समन्वयक सूचना अधिकार प्रकोष्ठ व धन्यवाद प्रस्ताव डा0जे0पी0सिंह, प्राध्यापक/निदेशक प्रशासन एवं नोडल अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा किया गया।

विधायक एवं कांग्रेसजनों ने कोतवाली पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने, कांग्रेसजनों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। इधर कोतवाली परिसर में धरने की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक जेआर जोशी, सीओ पर कई गंभीर आरोप लगाए। एएसपी ने डाक्टर का अपहरण करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया। साथ ही कोतवाल के खिलाफ जांच सीओ जीसी टम्टा को सौंप चार दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की।

पाल जोशी, तरुण प्रधान, खूब सिंह चौहान, दूल्हे खां आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। इससे पूर्व प्रभारी सीएमएस डा. सिंह की पत्नी निमिषा सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस को चूड़ियां भेंट कीं।

है। भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है। विधायक सिंघल ने साजिश के तहत सीएम का दौरा रद करने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। विधायक के दबाव में पुलिस ने उनके और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिला महामंत्री आदेश

राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली

आवेदकों को हर हाल में उपलब्ध हो सूचना : शर्मा

रुद्रपुर। राज्य सूचना आयुक्त अनिल शर्मा ने कहा कि आवेदकों को हर हाल में सूचना उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी। समय से सूचना आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा कि सूचना देने में किसी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं होगी।

विकास भवन सभागार में बैठक लेते राज्य सूचना आयुक्त।

सूचना आयुक्त शर्मा शनिवार को विकास भवन सभागार में सूचना अधिकार अधिनियम पर आयोजित अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी आयोग के अभिन्न अंग हैं। आयोग शासकीय कार्य में पूरी पारदर्शिता चाहता है। कहा कि कोई व्यक्ति अपने पदनाम नहीं बल्कि नाम से सूचना मांग सकता है। इस दौरान कुछ अधिकारियों का तर्क था कि कुछ लोग ब्लैकमेलिंग के लिए सूचना मांगते हैं। जिस पर उन्होंने अधिकारियों से नाराजगी जताई। कहा कि चाहे कुछ भी हो अधिनियम के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध करानी ही है। सूचना उपलब्ध कराने के लिए यदि अतिरिक्त शुल्क की जरूरत हो तो अधिकारी पांच दिन के भीतर आवेदक को जमा करने के लिए सूचित कर सकता है। शुल्क जमा होने पर ही सूचना तैयार करें। बीपीएल परिवार का व्यक्ति 50 पन्नों की सूचना निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अधिकारियों को अधिनियम की गहनता से अध्ययन करने के निर्देश दिए। क्योंकि शासन शासन द्वारा निर्धारित प्रारूपों में ही सूचनाओं का प्रेषण किया जाना है। दफ्तरों में 16 बिंदुओं पर विभागीय मैनुअल रखे जाने हैं और कोई भी सूचना केवल रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजनी है। डीएम वाईके पंत, एसएसपी अजय रौतेला, एडीएम नजूल बंशीधर तिवारी, एसडीएम वीर सिंह बुधियाल, मुख्य कोषाधिकारी जगत सिंह चौहान, पीके सिंह, एके मिश्रा, डीडी पंत आदि मौजूद थे।

कथित डाक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

दिनांक 28/04/2011 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में विद्यालयी शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 28/04/2011

उपस्थिति :

1. श्री नृप सिंह नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड
3. श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड
4. श्री चन्द्र सिंह ग्वाल, निदेशक, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
5. श्री गोविन्द जायसवाल, उप निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
6. श्री ए.के. सिंह, उप निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
7. श्री एन.एस. राणा, अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल
8. श्रीमती गीता नौटियाल, जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून
9. विद्यालयी शिक्षा निदेशालय के समस्त प्रतिनिधि

राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रभात डबराल जी तथा मुख्य सूचना आयुक्त श्री एन.एस. नपलच्याल जी द्वारा सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया एवं शिक्षा विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की महत्ता को रेखांकित किया गया :

1. आयोग को प्राप्त होने वाली अपीलों / शिकायतों के निस्तारण के समय आयोग द्वारा यह अनुभव किया गया कि शिक्षा विभाग के अनेक अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की सम्यक जानकारी नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा शिक्षा विभाग के मुख्यालय के स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव दिया जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित सम्यक प्रशिक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया जा सके। एस.सी.ई.आर.टी. एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्तर पर भी इस प्रकार के प्रशिक्षण का प्रस्ताव माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिया गया।

2. राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रभात डबराल ने कहा कि सर्वप्रथम स्व–वित्त पोषित विद्यालयों के संबंध में शिक्षा विभाग में यथेष्ठ सूचनायें उपलब्ध नहीं हैं। जिसके कारण सभी आवेदकों को विभाग द्वारा अनुमन्य सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी जा पा रही हैं एवं यह अपीलें आयोग में अनावश्यक रूप से अपीलों/शिकायतों की संस्था में वृद्धि कर रही है। जिला शिक्षा अधिकारी

श्रीमती गीता नौटियाल द्वारा अवगत कराया गया कि जिले के 240 प्राथमिक विद्यालयों में से 40 स्व–वित्त पोषित विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने विभाग को सूचनायें उपलब्ध करायी हैं। शेष विद्यालयों द्वारा सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं।

3. श्री डबराल ने कहा कि स्ववित्त पोषित विद्यालयों से संबंधित अनेक प्रकरणों में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन विद्यालयों को वे सभी सूचनाएं जो विभिन्न शासनादेशों के तहत विभाग/शासन के पास नियमतः उपलब्ध रहनी चाहिए, उन्हें जल्दी से जल्दी संकलित कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में विभाग की ढिलाई की वजह से कई स्ववित्त पोषित विद्यालयों की स्वेच्छाचारिता बढ़ती जा रही हैं और ऐसे स्कूल सिर्फ पैसा कमाने का उपक्रम बनकर रह गए हैं।

4. श्री डबराल द्वारा कड़े निर्देश दिये गये कि स्व–वित्त पोषित विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा मान्यता जारी करते समय निर्धारित प्रपत्र पर जो सूचनायें उपलब्ध करायी जानी बाध्यकारी होती हैं वे समस्त सूचनायें जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एवं शिक्षा विभाग के कार्यालयों में संरक्षित होनी चाहिये। इस संबंध में एक औपचारिक आदेश तत्काल जारी कर दिये जाने के निर्देश हुए हैं।

5. समस्त विद्यालयों की विस्तृत सूचनायें विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करके उन्हें तत्काल प्रदर्शित किये जाने के निर्देश हुए हैं। जो विद्यालय अपने से संबंधित सूचनायें विभाग को निर्दिष्ट समय के अंदर उपलब्ध नहीं कराते उनकी मान्यता/अनापत्ति तत्काल समाप्त कर दिये जाने के निर्देश हुए हैं।

6. एक विशिष्ट प्रकरण में राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रभात डबराल द्वारा यह पाया गया कि एक अपीलकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम में सूचनायें मांगे जाने पर विद्यालय ने सूचना नहीं दी तदोपरान्त विभागीय नियमों के आधार पर सूचना मांगे जाने पर विद्यालय ने यह प्रश्न किया कि वांछित सूचनायें पहले सूचना के अधिकार में मांगी गयी हैं एवं तदोपरान्त विभागीय नियमों के आधार पर क्यों मांगी जा रही हैं, अवश्य ही इसमें कोई संबंध है। इसलिए हम यह सूचना नहीं देंगे। यह प्रकरण विद्यालयों की स्वेच्छाचारिता की तरफ इंगित करता है, जिसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिये।

7. श्री डबराल द्वारा दिनांक 31/07/2011 तक की तिथि तक राज्य के समस्त शासकीय, अशासकीय, अर्द्ध–शासकीय एवं स्व–वित्त पोषित विद्यालयों की वे सभी सूचनायें जो आवश्यक रूप से विभाग के कार्यालय में अभिरक्षित होनी चाहिये उन्हें वैबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने के निर्देश हुए हैं।

8. राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रभात डबराल ने कहा कि विभाग में जितने भी साक्षात्कार/नियुक्तियां होती हैं उनकी सूचनाएं किसी एक स्थान पर इस रूप में उपलब्ध नहीं रहती हैं कि उन्हें तत्काल आवेदक को उपलब्ध करा दिया जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभाग आधुनिक तकनीकी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है।

9. उदाहरणार्थ डायट में पिछले साल 11,00 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों का चयन हुआ लेकिन इसकी सूचना सिर्फ फाईलों में इधर–उधर बिखरी पड़ी है। यदि जरा सी मेहनत करके ये सूचनाएं कम्प्यूटर के डिफाल्ट में मौजूद सौफ्टवेयर 'एक्सल' में ही डाल दी जाती तो सूचनाएं चुटकी में उपलब्ध कराई जा सकती थी। अभी भी ये काम किया जा सकता है और इस पूरे काम में दो दिन भी नहीं लगेंगे।

10. श्री डबराल ने निर्देश दिये कि विभाग के किसी भी अंग में हो रही नियुक्ति/चयन की सभी सूचनाएं कम्प्यूटर में इस प्रकार से उपलब्ध होनी चाहिए कि उन्हें तत्काल हासिल किया जा सके।

11. इसी प्रकार विभाग के सभी कर्मचारियों से संबंधित सभी सूचनाएं, गोपनीय आख्याओं को छोड़कर, विभाग की वैबसाईट में उपलब्ध रहनी चाहिए और उसे समय–समय पर अपडेट करने की व्यवस्था भी होनी चाहिये। यह काम भी 31 जुलाई तक पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

12. आयोग द्वारा शिक्षा विभाग की स्थानान्तरण नीति न होने के कारण उससे संबंधित सूचना एवं शिकायतों के निस्तारण में व्यवधान होने पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा विभाग को परामर्श दिया गया कि 31 जुलाई से पूर्व स्थानान्तरण नीति तैयार करा ली जाये ताकि पारदर्शी प्रक्रिया से उक्त कार्य हो सके।

13. राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रभात डबराल द्वारा इस संबंध में घोर आपत्ति व्यक्त की गयी कि विभाग में सेवा निवृत्ति के लाभ से अनेक कर्मचारी और अधिकारी वंचित हैं एवं इन प्रकरणों का सम्यक निस्तारण न होने से अनेकानेक अपीलें व शिकायतें आयोग में दर्ज हो रही हैं। जिस तरह केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों में यह व्यवस्था दी गयी है कि किसी भी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति से 6 माह पूर्व उनके सभी पेंशन प्रपत्र तैयार कर लिये जायें एवं सेवा निवृत्ति के तुरन्त बाद से ही उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था की जाये। ऐसा ही शिक्षा विभाग में भी होना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग में कई प्रकरण ऐसे भी आ रहे हैं जहां वर्षों तक सेवा निवृत्त लाभों के विषय में समुचित कार्रवाई नहीं की गयी है। इस संबंध में राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रभात डबराल जी द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि प्रत्येक जोनल कार्यालय एवं मुख्यालय में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाये जो इन प्रकरणों पर समयांतर्गत अनुश्रवण करते रहें एवं अपेक्षित कार्रवाई के संबंध में नियमित रूप से निदेशक कार्यालय को अवगत कराते रहें।

14 निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में वित्त अधिकारी एवं लेखा कर्मचारियों का अभाव है जिसके कारण ये समस्याएं आ रही है। शासन स्तर पर इस प्रकरण को संदर्भित करते हुए त्वरित निस्तारण के उपाय किये जायेंगे।

15 अंत में मुख्य सूचना आयुक्त श्री एन.एस. नपलच्याल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि शिक्षा विभाग में कई प्रकरण ऐसे आ रहे हैं जो एक लोक सूचना अधिकारी द्वारा दूसरे लोक सूचना अधिकारी को धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित करते समय 5 दिन का समय सीमा का

ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एक प्रकरण में 30 दिन में यह स्थानांतरण किये गये जो कि नियम के सर्वथा विपरीत हैं।

16. मुख्य सूचना आयुक्त श्री एन.एस. नपलच्याल द्वारा यह भी कहा गया कि सूचनाओं को दिये जाने के संबंध में जो अतिरिक्त शुल्क लिये जाने की व्यवस्था है उस प्राविधान का प्रयोग विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं 30 दिन की समय–सीमा पूरी हो जाने के बाद लोक प्राधिकारियों द्वारा निशुल्क सूचनायें दी जा रही हैं जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। यह विषय कुछ समयांतराल के पश्चात गंभीर वित्तीय अनयिमितता का प्रकरण बन सकता है।

17. निदेशक द्वारा यह संदर्भित किया गया कि ऐसी सूचनाओं को मांगे जाने की प्रवणता परिलक्षित हो रही है जो धारा 8 से आच्छादित है। इस बिन्दु पर माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा जी द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि शिक्षा विभाग की कोई ऐसी सूचना नहीं है जो धारा 8 से आच्छादित हो एवं मांगी गयी समस्त सूचनायें आवश्यक रूप से दिया जाना अनिवार्य है।

18. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा आयोग का धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि उनसे विशेष मार्गदर्शन के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्रेरणा प्राप्त हुयी। उनके द्वारा यह भी अभिव्यक्त किया गया कि प्रत्येक माह के दूसरी एवं तीसरी तारीख को जो मण्डलीय बैठक आयोजित की जाती है उसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में एवं उसके क्रियान्वयन के संबंध में जो भी विषय हों उन पर विचार–विमर्श किया जायेगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

(अनिल कुमार शर्मा) राज्य सूचना आयुक्त	(प्रभात डबराल) राज्य सूचना आयुक्त	(एन.एस. नपलच्याल) मुख्य सूचना आयुक्त

वर्ष 2011 - 12 में
आयोग को प्राप्त बजट

संख्या 64 /XXXI(12)/बजट–2011

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में ,

सचिव,
राज्य सूचना आयोग ,उत्तरांखण्ड
देहरादून ।

सचिवालय सामान्य प्रशासन (लेखा) अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 08 अप्रैल 2011.

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या –06–आयोजनेत्तर–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें –800–अन्य व्यय–13–सूचना आयोग की स्थापना मद के अन्तर्गत आय व्ययक में बचनबद्व मदों में प्राविधानित धनराशि ₹ 12590 हजार (₹ एक करोड़ पच्चीस लाख नब्बे हजार मात्र) निम्नविवरण के अनुसार सचिव, सूचना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

मद	धनराशि ₹ हजार में
01–वेतन	5500
02– मजदूरी	200
03– महगाई भत्ता	3300
04– यात्रा व्यय	25
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2
06– अन्य भत्ते	605
07– मानदेय	12
08– कार्यालय व्यय	200
09– विद्युत देय	200
10– जलकर/जल प्रभार	10
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	37
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100
13– टेलीफोन पर व्यय	62
14– कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का कय	0
15– गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	375
17– किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1200
18– प्रकाशन	75
19– विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	25
22– आतिथ्य व्यय/ व्यय विषयक भत्ता	50
26– मशीन साजसज्जा / उपकरण संयत्र	25
27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50

Allot order 2011-12

42– अन्य, व्यय	150
45– अवकाश यात्रा व्यय	12
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	50
योग	**12590**

2– शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किया जाय ।

3– उपरोक्त आवंटन वित्त अनुभाग –1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 209/XXVII(1) 2011 दिनांक 31 मार्च 2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सचिव, सूचना आयोग,उत्तराखण्ड के निर्वतन में रखा जा रहा है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।

संख्या /XXXI(12) /बजट–2011 तद दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
4– वित्त अनुभाग 5 / सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5– गार्ड–फाइल ।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव ।

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में ,

सचिव,

राज्य सूचना आयोग ,उत्तराखण्ड

देहरादून ।

सचिवालय सामान्य प्रशासन (लेखा) अनुभाग–4 **देहरादून : दिनांक 21 जून 2011.**

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या –06–आयोजनेत्तर–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें –800–अन्य व्यय–13–सूचना आयोग की स्थापना मद के अन्तर्गत आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹ 4585 हजार (₹ पैंतालिस लाख पिचासी हजार मात्र) निम्नविवरण के अनुसार सचिव, सूचना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

धनराशि ₹ हजार में

मद	कुल प्राविधानित बजट	पत्रांक 64 दि0 08.04.2011के द्वारा निवर्तन मे रखी गयी धनराशि	वर्तमान में निर्वतन में रखी जा रही धनराशि	कुल निवर्तन में रखी गई धन राशि
04– यात्रा व्यय	100	25	75	100
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10	2	8	10
07– मानदेय	50	12	38	50
08– कार्यालय व्यय	800	200	600	800
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	150	37	113	150
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400	100	300	400
13– टेलीफोन पर व्यय	250	62	188	250
15– गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1200	300	900	1200
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	1500	375	1125	1500
18– प्रकाशन	300	75	225	300
19– विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	100	25	75	100
22– आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता	200	50	150	200
26– मशीन साजसज्जा / उपकरण संयत्र	100	25	75	100
42– अन्य व्यय	600	150	450	600
45– अवकाश यात्रा व्यय	50	12	38	50

46– कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	100	25	75	100
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबधी स्टेशनरी का क्रय	200	50	150	200
योग	6110	1525	4585	6110

2– शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किया जाय ।

3– उपरोक्त आवंटन वित्त अनुभाग –1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 209/XXVII(1) / 2011 दिनांक 31 मार्च 2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सचिव, सूचना आयोग,उत्तराखण्ड के निर्वतन में रखा जा रहा है।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र)
सचिव ।

संख्या 29/XXXII(12) /बजट–2011 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बल्डिंग,माजरा,देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
4– वित्त अनुभाग 5 / सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5– गार्ड–फाइल ।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव ।

संख्या 149/XXXI(12)/लेखा–4(बजट)/2011–12

प्रेषक,

संन्तोष बडौनी
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

सचिव,
राज्य सूचना आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 4335
22 MAR 2012

सचिवालय सामान्य प्रशासन लेखा अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 21 मार्च 2012

महोदय,

अनुदान संख्या–06 लेखा शीर्षक 2070– अन्य प्रशासनिक सेवायें –00– आयोजनेत्तर –800– अन्य व्यय– 13– सूचना आयोग की स्थापना के अर्न्तगत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि कम होने के कारण निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, पुर्नविनियोग के उपरान्त उल्लिखित मदों में निम्नवत धनराशि आवंटित होगी:–

लेखा शीर्षक का विवरण	प्राविधानित बजट	बचत की धनराशि	पुर्नविनियोजित धनराशि	पुर्नविनियोग के उपरान्त स्तम्भ–1 की राशि
1	2	3	4	5
अनुदान संख्या–06 लेखा शीर्षक 2070– अन्य प्रशासनिक सेवायें – 800 अन्य व्यय 13– सूचना आयोग की स्थापना				
01– वेतन	5500	400	0	5100
03–महंगाई भत्ता	3300	150	0	3150
13– टेलीफोन पर व्यय	300	0	200	500
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2800	0	400	3200
17– किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1000	30	0	970
27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50	0	30	80
45– अवकाश यात्रा व्यय	50	50	0	0
योग	13000	630	630	13000

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 265 NP/वित्त अनु0–5/2011 दिनांक 21 मार्च 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उपरोक्त बजट ब्यवस्था के अनुसार आहरण वितरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त–बी0एम0–15

भवदीय,

सन्तोष बड़ौनी
अनु सचिव।

संख्या /XXXI(12)/लेखा–4(बजट)/2011–12 दिनांक मार्च , 2012.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 निदेशक, कोषागार, देहरादून।
3 मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(सन्तोष बड़ौनी)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सूचना आयुक्त, अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची

वर्ष 2011 – 12

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम
1	श्री एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त
2	श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त
3	श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त
4	श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त
5	श्री मदन सिंह कुण्डरा, सचिव
6	डा. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उपसचिव
7	श्री राजेश नैथानी, निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त
8	श्री टी. एस. बिष्ट, विधि सलाहकार
9	श्री मनमोहन नैथानी, लेखाकार
10	श्रीमती हीरा रावत, समीक्षा अधिकारी
11	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै, सहायक समीक्षा अधिकारी
12	श्री उमेश चन्द्र सिंह, सहायक समीक्षा अधिकारी
13	श्री सौरभ कुमार, सहायक समीक्षा अधिकारी
14	श्री जितेन्द्र पाण्डे, आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
15	श्री नरेश बिजलवाण, आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
16	कु. नीतू रावत, आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
17	कु. नीतू भण्डारी, आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
18	श्री कवि शंकर, आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
19	श्रीमती रजनी भण्डारी, कम्प्यूटर आपरेटर
20	सुश्री पूनम डबराल, कम्प्यूटर आपरेटर
21	श्री शैलेन्द्र हटवाल, कम्प्यूटर आपरेटर
22	श्री नरेन्द्र सिंह गनघरिया, कम्प्यूटर आपरेटर
23	सुश्री आशा घिल्ड़ियाल, कम्प्यूटर आपरेटर
24	श्रीमती अमृता रावत, कम्प्यूटर आपरेटर
25	श्री फकीर सिंह, अनुसेवक
26	श्री मनोज कुमार, अनुसेवक
27	श्री मनोज सिंह, अनुसेवक / डाक रनर
28	श्री प्रदीप खत्री, अनुसेवक
29	श्री रवेन्द्र सिंह, अनुसेवक
30	श्री हरपाल सिंह, अनुसेवक
31	श्री सुन्दर सिंह धामी, अनुसेवक
32	श्री सरेन्द्र पाल, अनुसेवक

33	श्री विपिन कुमार, वाहन चालक
34	श्री नागेन्द्र भट्ट, वाहन चालक
35	श्री दिनेश सेमवाल, वाहन चालक
36	श्री धारा सिंह, वाहन चालक
37	श्री बृजमोहन, वाहन चालक
38	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड
39	श्री डबल सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड
40	श्री वासुदेव पंथी, सुरक्षा गार्ड
41	श्री राजेन्द्र सिंह राणा, सुरक्षा गार्ड

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135-2675780, टैलीफैक्स : 0135-2675779
ईमेल : uicddn@gmail.com

Design & Print : APNA JANMAT, D.Dun Ph. : 0135-2653420, 2655174